(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] नवम् विधान सभा के सातवें सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या 8

सोमवार,

28 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन विकास निगम की इकाइयों का निजीकरण

221. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा गत 5 वर्षों में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) बीयर की दुकानों से हुए लाभ को घटाकर गत 5 वर्षों में निगम को किस-किस वर्ष कितना लाभ/हानि हुई ?

(3) बीयर की दुकानों को छोड़कर जो इकाइयां हानि में चल रही हैं, उनके निजीकरण के लिए सरकार की क्या योजना है ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा गत 5 वर्षों में निम्नानुसार शुद्ध लाभ/हानि अर्जित किया गया है :—

वर्ष	राशि लाख रु. में
1986-87	43.80
1987-88	20.00
1988-89	50.83
1989-90	75.52
1990-91	55.05
1991-92	75.00 (अनुमानित)

(2) बीयर की दुकानों से हुए लाभ को घटाकर गत 5 वर्षों में निगम को निम्नानुसार हानि हुई :—

वर्ष	हानि लाख रु. में
1986-87	62.92
1987-88	62.11
1988-89	24.54
1989-90	12.86
1990-91	53.05
1991-92	40.00 (अनुमानित)

(3) घाटे में चल रही इकाइयों के निजीकरण करने हेतु गंभीरता से विचार

(सुश्री पुष्पा जैन)

किया जा रहा है, इसी क्रम में तीन इकाइयों को लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे, प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाना है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1989-90 के अन्दर 12·86 लाख रुपये की हानि हुई है। उसके बाद 1990-91 के अन्दर 53·05, 1991-92 के अन्दर 40 लाख रुपये की हानि हुई, इस प्रकार से हानि का जो रेशियो है, वह हर साल बढ़ता जा रहा है बीयर की दुकानों को छोड़कर और पांच साल के जो भी आपने आंकड़े बताये हैं, उस सबमें हानि ही हानि बतायी गई है....

श्री अध्यक्ष : हर साल कहां पर दिया है ? 53 के बाद 40 हो गई।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : इसी प्रकार मेरा निवेदन यह है कि घाटे में बढ़ोतरी के कारण क्या हैं ? क्या इसके बारे में कोई जांच समिति बनायी गई ? अगर यह हानि बराबर हो रही है तो क्या इन सभी संस्थाओं को बंद करने का आपने कोई कार्य किया है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सही है आर.टी.डी.सी. की होटलें शराब के अड्डे बन गयी हैं, इस कारण पर्यटक वहां ठहरते नहीं है. या दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो पर्यटक वहां ठहरते हैं, उनका इन्द्राज रजिस्टर में सही नहीं होता....

श्री अध्यक्ष : कारण आप इनसे पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां तो बताने दीजिए मंत्रीजी को।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : चैकिंग वगैरह, कोई सडन चैकिंग होती है या नहीं। पर्यटकों की रजिस्टर में एण्ट्री होती है या नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप पहले मंत्रीजी से पूछ लो फिर वह एडीशनल बता देना।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मंत्रीजी से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां मंत्रीजी बताइये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : इन दोनों सवालों का जवाब, घाटे का कारण क्या है ? बराबर उसमें एण्ट्री हो रही है या नहीं और तीसरा सवाल था शराब के अड्डे बन रहे हैं तो रोकने की क्या व्यवस्था है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कार्पोरेशन में जिस तरह की व्यवस्थायें शुरू से डाली गई है, उनके कारण सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य जानते हैं। यह सही बात है कारपोरेशन में निरन्तर घाटा चल रहा था, इसी को मुनाफे में लाने के लिए 1986-87 में यह बीयर की दुकानें दे दी गई। मुझे इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि बीयर की दुकानें चलाना आर.टी.डी.सी. का काम नहीं है। इसके बावजूद 1986-87 में यह निर्णय लिया गया है, वह निर्णय अभी हम पर लगा

(सुश्री पुष्पा जैन)

हुआ है। यद्यपि मैं इस बात की हामी हूं कि वह दुकानें नहीं होनी चाहिए। कहीं आदर्श नगर में दुकानें चल रही हैं, कही पर कहीं दुकानें चल रही है, यह दुकानें एक्साइज डिपार्टमेण्ट का अपना काम है, कार्पोरेशन का काम नहीं है। इससे ट्यूरिज्म बढ़ा, न ट्यूरिज्म प्रमोशन के लिए यह हमारा काम है लेकिन अब इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाये ? मैं इस सदन में आप लोगों का विश्वास पाना चाहती हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से इन कार्पोरेशस को मुनाफे में लाने के लिए इन दुकानों को बन्द किया जाये या कार्पोरेशन का प्राइवेटाइजेसन किया जाये। यद्यपि इस बात पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि सर्विसेज को सेव करते हुए जितना अधिक से अधिक हो सके, इन कार्पोरेशन की सभी यूनिट्स को टाइवेट सेक्टर में दे दिया जाये और उसी सिलसिले में हमने तीन इकाइयों के लिए टेण्डर कॉल किये थे और उनकी आफर आयी है, विधान सभा के बाद बैठकर उन पर गंभीरता से विचार करके उन तीन यूनिट्स के बारे में निर्णय ले लिया जायेगा। उसके बाद जैसी परिस्थितियां होंगी, उसी को देखते हुए अगली इकाइयों के बारे में तुरन्त ऐसा निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके साहस के लिए धन्यवाद।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महोदय, सरप्राइज चैकिंग के बारे में तो जवाब दिया ही नहीं। दूसरा यह है कि जो एण्ट्री करने के बारे में....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने आपकी सारी बात मान ली। अब आपसे सुझाव मांग रहे हैं यह कि आप सुझाव दीजिए....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : कारण यह है इसकी सरप्राइज चैकिंग कभी हुई या नहीं हुई ? जो पर्यटक जाते हैं उनकी रजिस्टर में एण्ट्री होती भी है या नहीं होती है ? क्या इसी वजह से तो लोस नहीं हो रहा है। यह तो शराब के अलावा की बात है।

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है बिराजिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : पर्यटक जो ठहरते हैं आपके होटल के अन्दर, उनकी सही रूप में एण्ट्री होती है या नहीं होती है, इसके बारे में आपने कोई सरप्राइज चैकिंग कभी की या नहीं की पिछले दो साल में, तीन साल में।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, निगम के चेयरमैन, निगम के एम.डी. इस तरह की सरप्राइज चैकिंग करते रहते हैं और अगर इस तरह की किसी यूनिट में....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : कब की गई, पूछ रहा हूं कब रिपोर्ट आपके पास आई। कोई एक्शन लिया या नहीं लिया।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल मुझसे पूछा गया है और जो सप्लीमेन्ट्री पूछा जा रहा है उसका ताल्लुक उससे किसी तरह है नहीं, अन्यथा मैं आपकी इस बात का भी निश्चित रूप से कि कब चैकिंग की गई ...

श्री अध्यक्ष : आप तो डेट बता दीजिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक निवेदन और। यह जो आपने तीन संस्थाओं के लिए किया कि निजीकरण कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह सबका ही करने की बात कह रहे हैं। यह कह रहे हैं हम तो सबका ही, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कह रहे हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : नहीं इसमें जवाब में तीन का दिया है।

श्री अध्यक्ष : तीन का तो कर लिया है, बाकी के लिए भी कह रहे हैं यह।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : नहीं बाकी और भी हैं आपके पास तो फिर कितने....

श्री अध्यक्ष : हां यह कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : नहीं तो कब तक कर देंगे यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं विधान सभा के बाद बैठकर कर देंगे। डा. जितेन्द्र। (व्यवधान) आपसे पहले डा. जितेन्द्र पूछें।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसलमेर के मूमल पर्यटन विश्रामगृह में बीयर के विक्रय के अलावा कितना लाभ या हानि है, उसका ब्योरा माननीया मंत्रीजी दे सकेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप रमाकान्त जी क्या पूछ रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, जहां बराबर पांच वर्ष से इतना घाटा चल रहा है और मंत्रीजी इसके बारे में चिन्तित भी हैं कि किस प्रकार से उनका निजीकरण किया जाये, फिर समझ में नहीं आता कि साथ ही प्रतिवर्ष नया विनियोजन क्यों हो रहा है और नये-नये पर्यटन स्थल, पर्यटक होटल क्यों बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्रो. केदार।

श्री केदार नाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बीयर की दुकानें बंद करने को प्रोस्पेक्टिव तो ठीक ही रहेगा क्योंकि यह फाइव स्टार कल्चर का हिस्सा है एक। मैं तो इतना ही कहता हूं आपको कि बीयर की दुकानों पर खड़े होकर पीना बन्द कर दें आदमी, क्योंकि वहां खड़े होकर पीते हैं, लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम खड़ी करते हैं आपके सामने यह। आप बीयर की दुकानें बंद करो, चहल-पहल खत्म हो जायेगी आपकी।

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर साहब के इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं। बीयर की दुकानें बन्द करने के पीछे यही एक कारण है कि आम तौर पर सड़कों पर खड़े होकर लोग उस दुकान से खरीदकर वहां पीने लग जाते हैं वहां ऊपर आर.टी.डी.सी. का बोर्ड लगा रहता है जिससे आर.टी.डी.सी. की बदनामी भी होती है और रास्ते चलते सड़कों पर भद्दापन भी नजर आता है। जो ट्यूरिज्म प्रमोशन के स्थान पर उसमें गिरावट लाते हैं। यही कारण है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रहे हैं कि जो होटल्स में बार्स

(सुश्री पुष्पा जैन)

चल रहे हैं, उन बार्स के अलावा जो दुकानें हैं बाजारों में, उन बाजारों की दुकानों को बंद करने के विषय में ही हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि इस तरह की बेहूदा हरकतें न हो सकें। दूसरा....

श्री अध्यक्ष : मूमल के बारे में पूछा था, जैसलमेर के बारे में।

सुश्री पुष्पा जैन : जैसलमेर आने से वाले माननीय सदस्य ने मूमल के बारे में पूछा था....

श्री अध्यक्ष : आंकड़े हैं क्या आपके पास।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बीयर की गतिविधि के अतिरिक्त 9 लाख का घाटा रहा इसमें पांच लाख का लाभ और बिना बीयर के 90-91 में 5.41 लाख का शुद्ध लाभ था....

श्री अध्यक्ष : एक रमाकांत जी का सवाल था कि यह इनवेस्टमेण्ट क्यों हो रहा है उसमें।

श्री रमाकांत शर्मा : इतना इनवेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं आप उसके अन्दर। पिछले माह ही एक नया उद्घाटन कर रहे हैं आप।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह भी एक मजबूरी है। इन परिस्थितियों में मैंने पहले ही अर्ज किया कि आसानी से पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं है। जहां लोग हम पर एतबार करते हैं कि हमारे इलाके में यूनिट लगाई जाय, हमारे इलाके में ट्यूरिस्ट बंगला बनाया जाय, मिड वे बनाया जाय। जब हम लोग थोड़ा सा आनाकानी करते हैं तो लोग केन्द्र सरकार से अपना प्रभाव इस्तेमाल करके वहां से डाइरेक्ट पैसा मंजूर करवा लेते हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, नागौर में ट्यूरिस्ट बंगलों के लिए पैसा मन्जूर हो गया, बाड़मेर में ट्यूरिस्ट बंगलों के लिये पैसा मन्जूर हो गया। अब इन परिस्थितियों में आप लोगों का मार्गदर्शन चाहती हूं कि हमें क्या करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप उसका उपयोग करिये।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लोग चाहते हैं कि अस्पताल खुलें, लोग चाहते हैं कि सड़क बनें, लोगों की बात को ध्यान में रखते हैं तो आप सड़क बनाइये, स्कूल खुलवाइये, अस्पताल खोलिए.... (व्यवधान)....ऐसे लोगों के लिए प्राथमिकता दीजिए। आप यह होटल क्यों बनाने जा रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक साथ नहीं बोलें, एक साथ मत बोलिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, तमाम जो घाटे में चलने वाले हैं उनको तुरन्त बन्द कर दिया जाय। इनको तुरन्त बन्द करने की आप कार्यवाही करो। इससे गरीबों पर ही बोझ पड़ रहा है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लक्ष्मीनारायण दवे। भू जल राजस्व मंत्रीजी। आप बोलिए।

श्री रतनाराम चौधरी : नाम लिखवाना भी बन्द कर दो, नाम लिखे जाते हैं उद्घाटन करने भी बन्द कर दो।.... (व्यवधान)....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य,....

श्री अध्यक्ष : वह सवाल हो गया। अब दूसरा चल रहा है।

भू-जल विभाग, जोधपुर के अभियंताओं के विरुद्ध शिकायतें

222. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :** क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री पी.सी. जैन, मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर व श्री एस. के. जैन अधिशाषी अभियन्ता, भू-जल विभाग के विरुद्ध किन-किन मामलों की खरीद में अनियमिततायें व घोटाले की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या उक्त शिकायतों की अंवेषण रिपोर्ट में उक्त अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री भू-जल (श्री मानधाता सिंह) : (1) अध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों के विरुद्ध खरीद के कुछ मामलों में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच विभिन्न एजेन्सियों द्वारा करवायी जा रही है।

(2) आडिट रिपोर्ट एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच करायी जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोष का निर्धारण हो सकेगा एवं तत्पश्चात् ही दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा मुख्य प्रश्न था उस प्रश्न का प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में या तो डिपार्टमेंट वालों ने माननीय मंत्री महोदय को गुमराह किया या माननीय मंत्री महोदय स्वयं गुमराह हो गये या स्वयं मंत्री महोदय तैयारी करके नहीं आये। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि श्री पी. सी. जैन, मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर व श्री एस. के. जैन अधिशाषी अभियंता, भू-जल विभाग के विरुद्ध किन-किन मामलों की खरीद में....

श्री अध्यक्ष : आप अब इसको क्यों पढ़ रहे हो। आप आपना सवाल पूछिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अनियमितताएं व घोटाले की शिकायत प्राप्त हुई।

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया। आप सवाल पूछिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसका जवाब नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि खरीद के मामले स्पष्ट हो, यही मतलब है ना आपका।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : हां। इन अधिकारियों के विरुद्ध खरीद:...

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हो गया, वह तो मैं समझ गया, आप खरीद के मामले में स्पष्ट मामले चाहते हैं....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और दूसरे प्रश्न में भी स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा पूछा है कि क्या उक्त शिकायतों के अंकेक्षण की रिपोर्ट में उक्त अधिकारी दोषी पाये गये। उत्तर में दिया कि अंकेक्षण आडिट रिपोर्ट एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच करायी जा रही है। यह मेरा प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कहा है....

श्री अध्यक्ष : शिकायतें कौन-कौन सी खरीद में है वह बता दीजिये कि इन इनमें हुई है।

श्री मानधाता सिंह : इनकी जो शिकायत थी वह लोकायुक्त और ए.सी.डी. में चल रही थी....

श्री रामसिंह विश्नोई : इनके खिलाफ या किनके खिलाफ ?

श्री मानधाता सिंह : इन अधिकारियों के खिलाफ। वह दो साल से दबी हुई थी। अभी पिछले सत्र में आपने एक क्वेश्चन उठाया था पाइप घोटाले का, उस रोज तो आप पधारे थे नहीं, वह प्रश्न लगा नहीं था। उसके बाद मैंने इसकी जांच करायी और जांच करवाने पर पता लगा कि यह सारी कार्यवाहियां बन्द पड़ी हुई थी। मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन किया। उन्होंने लोकायुक्त से सारे कागजात मंगवाकर ए.सी डी. में दिये हैं। उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा आपको और सन्तुष्ट कर दूं, मैं भी अपने एक सीनियर एकाउण्ट्स आफिसर को लगाकर पांच साल का आडिट करवा रहा हूं उसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उसको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष : देखिये,....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो गये। मैं आपका ही प्रश्न पूछ रहा हूं। बार-बार आपका टाइम चला जा रहा है। देखिये माननीय मंत्रीजी, यह जो सवाल पूछ रहे हैं, यह उन खरीद के मामलों का विवरण चाहते हैं कि जिनकी शिकायतें आपके पास हैं। कौन-कौनसे ऐसे मामले हैं जिनमें इन अधिकारियों के खिलाफ आपने....(व्यवधान)....

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक क्वेश्चन, सुनिये तो सही, एक स्पेसिफिक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे स्वतः पैदा होता। वह यह है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत जो थी, किसने की, किसने नहीं की, यह दूसरा प्रश्न है लेकिन वह कई दिनों से दबी पड़ी हुई थी। वह किसने दबा दी, किन कारणों से दबी पड़ी हुई थी, किस स्टेज पर दबी हुई थी, किसका प्रभाव इस्तेमाल किया गया या सरकार ने कोई परवाह नहीं की ? पहले इसका जवाब दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी ..

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में क्यों खड़े हो गये। जवाब आने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी जानकारी में एक स्पेसिफिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना।

श्री मानधाता सिंह : ऐसा था, मेरे पास तो कोई शिकायत कभी आयी नहीं थी। पिछले सत्र में आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया था पाइप घोटाले का, उसी के सम्बन्ध में मैं उसकी आडिट करवाकर जांच करवा रहा हूं जिससे यह जितने भी है, आपने पाइप घोटाले का बताया....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह मामले हैं क्या आपके पास....

श्री मानधाता सिंह : मैं बता रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष : हां पढ़ दीजिए।

श्री मानधाता सिंह : एक तो एम. एम. प्लेन पाइप, 200 और आई. एस. आई. स्पेसिफीकेशन का हवाला करते हुए ...

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसका टाइम पीरियड होना चाहिये, एक महिने में जांच हो जाय, छह महीने में जांच हो जाय....

श्री अध्यक्ष : अभी तो उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आने दें।

श्री मानधाता सिंह : वर्ष 1988-89 से....

श्री रामसिंह विश्नोई : या तो यह अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के मामले हैं....

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न यह है कि किन-किन मामलों में शिकायत आयी है। अब आयी है या नहीं। किन-किन मामलों में आई है।

श्री मानधाता सिंह : एक तो पाइप के मामले में....

श्री रामसिंह विश्नोई : टाइम पीरियड होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें वह मामलों के नाम पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य ने कुछ भी पूछा हो ...

श्री अध्यक्ष : उसी का जवाब मिलेगा। जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसी का जवाब मिलेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : कितने वर्ष हो गये। दो साल हो गये, पांच साल हो गये, कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तो माननीय सदस्य का जवाब आने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो इनका खुद का है, इनको मालूम नहीं है, लम्बे समय से प्रयास कर रहे हैं।....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब ही नहीं दे रहे हैं भ्रष्टाचार का।

श्री सम्पतराम : मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मंत्री महोदय को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : देखिये, काम्प्लीकेशन्स होंगे। सम्पतराम जी ने पूछा वह नया काम्प्लीकेशन्स हो गया। अब सीधा सवाल तो ...

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, आपकी रहनुमाई मैं चाहता हूं, अच्छी परम्परा आपने डाली है। जब यह प्रश्न करेप्शन का आ गया....

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है।

श्री सम्पतराम : तो यह पूछने का सदन को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल है।

श्री सम्पतराम : एक-एक माननीय सदस्य को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं, मगर पहले मूल प्रश्न का जवाब तो आने दीजिये।

श्री सम्पतराम : यह शिकायत कब की, किसने की, कौन सी आलमारी में किस अधिकारी के पास, किसी भी मिस्त्री के पास, किस विभाग में यह पेंडिंग पड़ा रहा, दबा रहा। इसका जवाब मिनिस्टर को देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, तो मूल प्रश्न का जवाब तो आ जाय।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, इसी में थोड़ा इनको उत्तर देने में सुविधा हो इसलिए स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय ने एक गम्भीर आरोप लगाया कि इस जांच को दो साल से दबाये रखा गया....

श्री अध्यक्ष : यह नहीं कहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : Who is liable ?

श्री अध्यक्ष : दो साल से पड़ी हुई है यह कहा है, दबी पड़ी थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, दबी पड़ी थी तो जब मंत्री महोदय यह जान गये, आप बिराजिये मन्त्री महोदय। जब जांच दबी पड़ी थी इसका मतलब है बड़े अधिकारी इसमें इन्वोल्व है। यह जांच किससे करवा रहे हैं। उन अधिकारियों से जो 1985–86 की आडिट रिपोर्ट के करोड़ों रुपयों के घोटाले को दबा करके बैठे हुए हैं। क्या वे अधिकारी जांच करेंगे, यह कैसे उम्मीद की जा सकती है। स्वयं मंत्री महोदय मान रहे हैं कि दबी पड़ी थी। आप दो साल से क्या कर रहे हैं। आप तो यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने क्वेश्चन कर दिया, अब तो आप भाषण देने लगे। आप बैठिये। हां मन्त्री महोदय बोलिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी उत्तर देंगे क्या ? वैसे उनकी ड्यूटी है अधिकारियों की।

श्री अध्यक्ष : हां, उत्तर देंगे। हां बोलिए।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष ए. जी. की रिपोर्ट आने के बाद जब मेरे समक्ष यह रिपोर्ट आई उसके

(श्री मानधाता सिंह)

बाद में मैंने जांच करायी कि यदि....(व्यवधान)....बात तो सुनिये पहले, सुन तो ले आप।

श्री अध्यक्ष : सुन तो लीजिये।

श्री मानधाता सिंह : एक तो पाइप घोटाले का था, एक था पम्प के लिए और एक था एक्सटर्नल ड्रिल पाइप के लिए, यह तीन अलग-अलग थे उसकी ए. जी. की रिपोर्ट आने के बाद मैंने पता लगाया उसके बाद पता लगा कि यह ए.सी.डी. में पड़ी हुई है और लोकायुक्त में पड़ी हुयी है। उसके बाद जब मैंने पता लगाया कि वह कहां है उसकी एफ आर लोकायुक्त में ऐसी ही पड़ी हुई थी, ए. सी. डी. में एफ आर लग गयी थी। मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कह कर उसको री-ओपन कराया। लोकायुक्त से कागज वहां सारे मंगवा लिये गये और जांच चालू हो गई है।....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न है, उनका अधिकार है, माननीय, महावीर जी बिराजें। पहले तो सवाल पूछते नहीं है और फिर जो मूल प्रश्न पूछने वाला है उसमें। बिराजिये आप। इनका मूल प्रश्न है उन्हें पूछने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ए. जी. द्वारा रिव्यू रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें खरीद सम्बन्धी पैराज के ऊपर राज्य सरकार द्वारा मुख्य अभियन्ता को दोषी अधिकारी को रेस्पोन्सिबिटी फिक्स करके वे निर्देश दिये गये थे। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या चीफ इन्जिनियर द्वारा किसी को रेस्पोन्सिबल फिक्स किया गया था और तीसरा श्री पी. सी. जैन श्री एस. के. जैन द्वारा अलग-अलग ऑडिट आक्षेप मिलाकर राज्य सरकार को कुल कितने रुपयों की हानि पहुंचाई। अध्यक्ष महोदय जो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि इनके भ्रष्टाचार के बारे में अनियमितता के बारे में, गबन के बारे में इनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो पत्र माननीय मुख्यमन्त्री जी को जो लिखा गया है वह आपको पढ़कर सुनाता हूं जिससे स्पष्ट है कि माननीय मन्त्री महोदय को इनकी पूरी जानकारी थी और यह मुख्य अभियन्ता पी.सी. जैन भ्रष्टाचार के गर्त में डूबा हुआ है, जिसने इस भू जल विभाग को करोड़ों रुपये का घाटा दिया है। मैं मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, आज हमारी राजस्थान सरकार इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तत्पर है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल निलम्बित करेगी। यह माननीय मन्त्री महोदय ने मुख्यमन्त्री जी को चिट्ठी लिखी है उसमें खुद ने स्वीकार किया है, यह अधिकारी है वह भ्रष्ट है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मुझे पी.सी. जैन....

श्री अध्यक्ष : उनको तो जवाब देने दीजिये। वे हां भर लेंगे इसलिए इसमें दिक्कत क्या होगी। हां बोलिये मन्त्रीजी वे हां भर लेंगे।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बात बतला दी है कि उनके खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके मैंने उसका ।

श्री अध्यक्ष : हां समझ गया ।

श्री मानधाता सिंह : अगर सारी, उसको ए.सी.डी. से मंगाकर के किया है । अगर यह समझ रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी है, उसको बख्शा नहीं जायेगा आडिट रिपोर्ट सेण्ट्रल स्टोर की आ जाये । (व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप निलम्बित क्यों नहीं करते ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा उत्तर दीजिये ।

श्री मानधाता सिंह : बात तो सुनों । हां मैं दे रहा हूं । आप बीच में बोलेंगे तो कैसे दूंगा । मैं सीनियर एकाउण्ट्स आफिसर को बिठाकर के जांच करवा रहा हूं । इसी चार तारीख से बैठा है । एक महीने में वह रिपोर्ट कम्पलीट हो जायेगी । उसमें जितने भी आप घोटाले बता रहे हैं वह सारे तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा प्रश्न यह है कि आप प्रश्न को लोप कर रहे हैं ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, करेप्शन का प्रश्न है । मैं यह पोइण्टेड एक सवाल रखता हूं, एण्टीकरेप्शन में जब कोई विभाग ने कोई इस पर से कह दिया जाता है । उसमें निश्चित तौर से मुद्दे बनाये जाते हैं कि इन इन मुद्दों के ऊपर, इन-इन अधिकारियों के खिलाफ हमारे दिमाग में चार्जेज बनता है, आप कृपया इसकी जांच करें तो एण्टीकरेप्शन ने किस तारीख को कब यह मामले किये गये और उसका इश्यूज क्या-क्या फ्रेम करके दिया था और कितने दिन एण्टीकरेप्शन में पेण्डिग रहा । एण्टीकरेप्शन मुख्य मन्त्रीजी के पास है और इसलिए उन्होंने रखा है कि मैं करेप्शन को भारत भूमि से हटाऊंगा, राजस्थान से हटाऊंगा, जब एफ. आर. दे दिया तो क्या अब क्या जांच करेंगे उसके ऊपर ।

श्री मानधाता सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने अभी फरमाया है कि यह 89 का है मेरे से आने से पूर्व का (व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : बात तो सुन लो आप ।

श्री मानधाता सिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जी को । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री मानधाता सिंह : जैसा अभी माननीय सदस्य ने फरमाया है कि वे क्यों दबे हुए थे । यह तो मैं कारण नहीं बता सकता, लेकिन उसको रि-ओपन करवा दिया गया है और जांच चल रही है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : धन्यवाद, धन्यवाद ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न । इस जांच में मैंने प्रश्न पूछा था ।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया । अब आप कितनी देर पूछोगे । आप पूछ चुके हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उसका माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि ग्राडिट हो रही है, जवाब दे देंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह ग्राडिट की बात कर रहे हैं. ग्राडिट हो चुकी है। सन् 85 और 86 और 89–90 के अन्दर ग्राडिट रिपोर्ट हुई थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि उस ग्राडिट रिपोर्ट के अन्दर राज्य सरकार को कुल कितने रुपयों की हानि हुई।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह पुरानी हो चुकी जो पूछ रहे हैं। ग्राप बैठिये पहले इसका तो संतोष हो जाये। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्रापका फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : ग्राप बैठिये। जिसने सवाल पूछा है। मैं देख रहा हूं कि सवाल पूछने वालों का तो हो जाये। यह ग्राप क्या सोच रहे हैं कि सवाल पूछने वाले को मौका तो दूं तो मैं यही कर रहा हूं। मैंने और किसी को मौका दिया नहीं। सम्पतराम जी बीच में पूछ रहे हैं, मैंने तो मौका दिया नहीं लेकिन इन्होंने पोइण्टेड प्रश्न पूछा है तो पूछ लिया बाकी तो उन्हीं का सवाल जवाब चल रहा है।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 साल पहले की जो ग्राडिट रिपोर्ट मांगी है, वह मैं लेकर के ग्राया नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष, यह कह रहे हैं और मैं पूछ रहा हूं कि।

श्री अध्यक्ष : अब ग्राप बैठिये। इन्होंने कहा कि ये लेकर के ग्राये नहीं। चलिए बैठिये ग्राप। देयर इज नो एण्ड टू इट। अब ग्राप बैठिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों रुपयों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ग्राप बैठिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जो ग्राडिट रिपोर्ट है। उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया और मुख्य अभियन्ता जोधपुर में बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपये का घोटाला है और ये उसे सफेद कर रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय ने यह।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ग्राप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ग्रापने उत्तर दिया है कि ए. सी. डी. के अन्दर एफ. ग्रार. लग गई। क्या मन्त्री महोदय, ग्रापके डिपार्टमेंट के उस मुख्य अभियन्ता ने कोपरेशन नहीं करने के कारण, फर्जी दस्तावेज नहीं बताने के कारण एफ. ग्रार लगी थी, उसके क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय उन इन्जिनियर साहब का स्थानान्तरण तो वहां से हो जाना चाहिये। वे जांच को प्रभावित करेंगे। ग्राप निलम्बित भी तो करते नहीं तो कम से कम उस जगह से स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब ग्राप बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष

(श्री रामसिंह विश्नोई)

महोदय क्या यह सही है कि यह जो चीफ इन्जीनियर जोधपुर में नियुक्त हैं, इनके भाई (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या दो ही प्रश्न लूं जिनसे प्रश्न पूछने का सबको मौका दूंगा। आप यदि यह चाहते हैं कि मैं दो ही प्रश्न लूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन सदन की यदि यह मर्जी है कि और आगे प्रश्न नहीं लिये जाये तो मैं सबको अवसर दूंगा और सदन की मर्जी है कि आगे सवाल लिए जायें तो अखिरी प्रश्न यह पूछ रहे हैं और किसी को मौका नहीं दूंगा।

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। अरबों रुपये का इसमें घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रतनाराम जी। देखिये बिना आपका नाम लिए आप खड़े होते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि इनके भाई जो पहले पी.एच.ई.डी. में चीफ इन्जीनियर थे, उनके खिलाफ भी करोड़ों रुपये का घोटाले का इस सदन के अन्दर आरोप लगा था। क्या यह भी सही है कि इस परिवार का किसी पाइप बनाने वाली फर्म से कोई सम्बन्ध है इसलिए यह बार बार पाइप घोटाले होते हैं इनके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मानधाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता नहीं है कि फैमिली का कौन-कौन मेम्बर है और कौन नहीं है। अब उनके भाई ने क्या किया वह मेरे पास नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जनता आपसे अपेक्षा करती है। उनके खिलाफ जो जांच करेंगे। इसके बारे में सारे तथ्य आपको मालूम होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चलिए, नेक्स्ट। श्री अमृत लाल परमार।

पाली जिले के व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र

223. **श्री अमृत लाल परमार** (बाली) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र हैं ? उसमें से कितने अनुसूचित जनजाति एवं कितने सामान्य वर्ग (जनरल) है ? बाली तहसील में कितने केन्द्र हैं ?

(2) क्या सरकार बाली तहसील में व्यावसायिक केन्द्र खोलने का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक खोलेगी ?

(3) क्या फालना में आई. टी. आई. का सभी वर्गों को लाभ मिलता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) फालना में आई.टी.आई. कालेज को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की भरती के लिए तथा फालना में सामान्य (जनरल) सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए अलग से महाविद्यालय खोलने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) पाली जिले में 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें से 2 सामान्य के लिए व एक अनुसूचित

(डा. रतनलाल जाट)

जनजाति के लिए है। बाली तहसील में एक मात्र लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फालना में है।

(2) वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष 1992-93 में बाली तहसील में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) फालना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सभी वर्गों को प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि फालना संस्थान माडा क्षेत्र के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ही खोला गया है।

(4) फालना में सामान्य वर्ग के लिए अलग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अमृत लाल परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जब फालना में माडा केन्द्र नहीं है और उसके कारण वहां जनरल लोग नहीं आ सकते है, न वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, लोग वहां मिलते भी नहीं है, तो केन्द्र फालना पर क्यों खोला गया है प्रश्न संख्या 1. दूसरा यह है कि जब पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, वे बेड़ा, नाड़ा, बीजापुरा, ग्रासिया, गोरिया, भीमा उधर है तो इस फालना पर केन्द्र खोलने का कोई क्या था, उन लोगों को तो वहां के लोग तो यहां आ नहीं सकते वंचित रहते हैं तो क्यों न इस केन्द्र को फालना के केन्द्र को जनरल बनाकर वहां पर जनरल लोग भाग ले सके और इसी केन्द्र को वहां बेड़ा पर स्थापित किया जाये ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उस केन्द्र का उनको फायदा मिल सके, जो सरकार की मंशा है उस मंशा की भी वहां पूरी प्राप्ति हो सके और वहां जो ग्रासिया बन्धु है, बनवासी क्षेत्र है वहां शिक्षा ग्रहण कर अपनी रोटी का भरण पोषण कर सके। क्या यह सरकार अगली योजना के अन्दर कोई इसी केन्द्र को बेड़ा ले जाने की मंशा रखें या नहीं मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

डा. रतन लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है पाली जिले में वर्तमान में 3 आई. टी. आई कार्यरत हैं, पाली. सोजतसिटी, फालना। इन में से फालना लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रवेश दिया जाता है। ट्रायबल एरिया डवलपमेंट एजेंसी टाडा के तहत। मोटीफाइड एरिया डवलपमेण्ट एजेन्सी माडा के तहत हैं, 8 आई. टी. आई टाडा के तहत कार्यरत है और 10 माडा के तहत कार्यरत हैं माननीय सदस्य ने जो फालना के बारे में पूछा है माडा के अन्तर्गत जो मिनी आई. टी. आई चल रहा है जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है वहां पर तीन तरह के ट्रेड्स चल रहे हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर रिपेयरिंग 20 छात्रों की प्रवेश संख्या है, पम्प आपरेटर 20 छात्रों की संख्या निर्धारित है, आटो मेकेनिक इसमें भी 20 छात्रों की संख्या की स्वीकृति है। माननीय सदस्य ने बेड़ा के बारे में, वहां पर आई. टी. आई खोलने के बारे में कहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस प्रकार से बेड़ा के बारे में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। छात्रों की संख्या अगर कम है और इस

(डा. रतनलाल जाट)

प्रकार का प्रस्ताव होगा तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री अमृत लाल परमार : जब फालना केन्द्र खोला है और संख्या 5 है या तीन है तो उस केन्द्र का उपयोग क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो मान लिया ना।

श्री अमृत लाल परमार : मेरी मांग है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फालना केन्द्र को शीघ्र बेड़ा में स्थानान्तरित करने की सरकार की मन्शा है या नहीं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कह दिया है।

अगला प्रश्न

कोटपूतली लाइम स्टोन प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की शिकायतें

224. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विकास निगम द्वारा संचालित कोटपूतली लाइम स्टोन प्रोजेक्ट में निगम के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की जा रही है ? लाइम स्टोन के उत्पादन व विक्रय में अनावश्यक दखल कर प्रक्रिया को क्लिष्ट बनाया जा रहा है ?

(2) क्या लाइमस्टोन विक्रय के लिये 5.00 रुपये प्रति टन की रिबेट दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? निगम का उत्पादन मांग से अधिक है ? यदि हां, तो कितना ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री खनिज) **श्री कालू लाल गुर्जर :** (1) जी नहीं।

(2) जी हां। वस्तुतः लाइम स्टोन विक्रय के लिये वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एक माह में एक हजार मी. टन या इससे अधिक की खरीद पर दो रुपये प्रति टन एवं दो हजार टन या उससे अधिक की खरीद पर पांच रुपये प्रति टन की छूट (रिबेट) दिये जाने का प्रावधान अगस्त, 1992 से किया गया है यह प्रावधान कोटपूतली परियोजना पर लाइम स्टोन के उत्पादन व विक्रय के स्तर को बढ़ाने हेतु किया गया है।

जी नहीं। निगम का उत्पादन मांग के अनुरूप बढ़ाया जाता है। अतएवं उत्पादन व विक्रय समानान्तर चलते हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगस्त माह से योजना बनायी जा रही है उस पर लाखों रुपये महीने की राजस्व की हानि हो रही है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। इसलिए मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूं। उक्त खान से कितना लाइम स्टोन का उत्पादन के टेण्डर में लक्ष्य दिये गये थे ? तथा अब कितने टन का उत्पादन किया जा रहा है। यहां से कितने टन की प्रति माह मांग है।

दूसरा निगम के पास कितने टन लाइम स्टोन का स्टाक जमा हो गया है जो पांच पांच रुपये प्रति टन की रिबेट चालू की

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जा रही है ? निगम के पड़ौस का खान मालिक किस रेट पर माल बेच रहा है तथा निगम किस रेट पर माल बेच रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर : जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें राजस्व की हानि हो रही है यह असत्य है। क्योंकि कोई राजस्व की हानि नहीं हो रही है। आपने कहा कितना लक्ष्य रखा और कितना उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य लाइम स्टोन में नहीं होता है। जितनी बिक्री के लिए आवश्यकता होती है उतना ही खोदकर सप्लाई किया जाता है। मांग के अनुरूप ही उत्पादन होता है इसमें लक्ष्य अलग से इस तरह का नहीं है कि खोदकर ढेर लगा दिया या स्टाक कर दे फिर बेचें। जितने ऑर्डर्स आते हैं उसके अनुरूप माल सप्लाई किया जाता है।

अब आपने पूछा कितना माल बेचा गया व उत्पादन हुआ। उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। अप्रेल 1992 में यह प्रति माह के हिसाब से केलकुलेशन होता है। अप्रेल 1992 में 7657 मैट्रिक टन, मई, 92 में 6746 मैट्रिक टन, जून, 92 में 12843 मैट्रिक टन, जुलाई, 92 में 10160, अगस्त, 92 में 18356। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा अगस्त में निर्णय लिया कि दूसरा पड़ौसी खान वाला है वह लाइम स्टोन के खरीदने वालों को इन्सेंटिव देता है। उधार देता है और तरह से लाभ देता है इसलिए वे निगम से माल नहीं खरीदते हैं और दूसरी जगह से खरीदते हैं। इसलिए हम ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं चूंकि राजस्थान डवलपमेण्ट कार्पोरेशन एक निगम है इसलिए उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में निर्णय किया, अगस्त में निर्णय किया जो आदमी एक हजार मैट्रिक टन माल एक साथ खरीदेगा उसको 3 रुपये और दो हजार टन खरीदेगा उसको पांच रुपये प्रति टन रिबेट देंगे। अभी अगस्त महीने में जो टारगेट है। 18356 टन का उसमें कोई खरीदने वाला नहीं है जो हजार टन एक साथ खरीदे इसलिए रिबेट नहीं मिली। सितम्बर महीने का जो लक्ष्य है उसमें जरुर अगर कोई खरीदेगा तो उसके अनुसार रिबेट देंगे।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए सूचित कर दूं कि यह जो निर्णय लिया गया है। यह निर्णय केवल 31.3.93 तक ही यह लागू रहेगा। एक्सपरीमेण्ट किया जायेगा यदि इस निर्णय से किसी प्रकार का घाटा या बाधा आयेगी तो निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकेगा। इस प्रकार निगम का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और हेराफेरी या हानि होने का सवाल नहीं है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आपको जो सूचना दी गई है वह गलत है। मैं आपको निवेदन करूं कि निगम ने 50 हजार टन मासिक उत्पादन का लक्ष्य रखकर टेण्डर आमंत्रित किये हैं। दो टेण्डरों को लक्ष्य दिया गया कि 50 हजार टन माल निकालेंगे प्रति माह जबकि माल निकल रहा है 18 हजार टन। मांग के हिसाब से कम माल निकल रहा है। 1 लाख टन की मांग है, लाइम स्टोन की मांग इतनी है कि पास का खान मालिक 83 रुपये में बेच रहा है और यह देते हैं 81 रुपये में और उस पर भी पांच रुपये की छूट और दे रहे हैं। माल है नहीं और

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

छूट दी जा रही है। इससे 90 हजार रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। सारी खानों की मालिक राजस्थान सरकार है। आर.एस.एम.डी.सी. तो केवल कमीशन के आधार पर दी जा रही है। मन्त्री महोदय, से मैं चाहूंगा कि छूट तब दी जाती जब आपके पास माल होता, स्टाक होता, मांग के हिसाब से माल नहीं दे रहे हैं फिर भी छूट दे रहे हैं। पड़ौसी 83 में दे रहा है इनका माल मैं जानता हूं 95 प्रतिशत प्योरिटी के हिसाब का माल है। पड़ौस का 85% प्योरिटी का माल है जो माल कमजोर है वह तो 83 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है और जो बढ़िया है वह 81 के हिसाब से बेचा जा रहा है 1 लाख टन की डिमाण्ड है। 70 फैक्ट्रियां तो बहरोड और कोटपूतली में है। हरियाणा में इतनी ज्यादा लाइम स्टोन की मांग है। इसलिए यह जो हानि राज्य सरकार की हो रही है उस पर आप विचार करें। छूट दी जा रही है यह ग्राहकों को नहीं अधिकारी अपनी जेब में रखने के लिए छूट दे रहे हैं। इसकी जांच करा लो। ग्राहक तो ऊपर नीचे आ रहे हैं और आप डिमाण्ड के हिसाब से माल नहीं दे रहे हैं। यह छूट केवल दो पार्टी को दी जा रही है और सब को छूट नहीं दी जा रही हैं। स्टाक तो एक टन का माल भी नहीं है फिर छूट कांहे की ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, इसी पर प्रश्न कर दूं जवाब एक साथ आ जायेगा।

रिबेट के लिए तो माननीय सदस्य ने बताया कि रिबेट किसी को नहीं मिल रही है। अधिकारियों की जेब में जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा घपला है, टेण्डर हुये, टेण्डर में केवल दो टेण्डर पास हुये बाकी सब रिजेक्ट हो गये। सबको मना कर दिया। बाद में 15 लोगों को वर्क आर्डर पर खुदाई के आदेश दे दिये। टेण्डर में रिजेक्ट हो गये, प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। उनकी क्षमता भी नहीं जितना खनन होना चाहिये वह इसलिये नहीं हो रहा है कि अक्षम लोगों को, प्राइवेट लोग है उनको नाजायज तरीके से वर्क आर्डर दे दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, टेण्डर तो रिजेक्ट कर दिये प्राइवेट पार्टी 83 में बेच रही है, माल है नहीं, माल लेने वाले आ रहे हैं अक्षम लोगों को दे दिया और उनको तंग और किया जाता है...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पैसे लेकर ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां पैसे लेकर। अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात यह भी है कि जिनको तंग करना होता है यो पैसे नहीं देते हैं उनको गलत खान बताते हैं। और जो पैसा देता है, जबकि उनको छूट है, वे उस क्षेत्र में कहीं खनन कर सकते हैं। टेण्डर रिजैक्ट हो जायं और प्राइवेट वर्क आर्डर दे दिये जाय, एक विशेष आदमी बलवीर को सभी प्रकार से सुविधा देने के लिये सारा षड्यन्त्र रचा गया है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा निगम 81 रुपये के हिसाब से लाइम स्टोन बेचता है और दूसरे लोग उससे घटिया क्वालिटी का 83 रुपये में बेचते हैं, क्या यह बात सही है ? मांग कितनी है और आपकी कैपेसिटी क्या है ? कितना आप सप्लाई कर सकते हैं ? इसमें

(श्री मदनलाल सैनी)

लेबर कितनी है और आपकी व्यवस्था कितनी है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आर्टिफीशियल स्केयरसिटी क्रीएट कर रखी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार को राजस्व की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही है। मन्त्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट करें कि राजस्व की हानि और लाभ के बारे में आपके मापदण्ड क्या है ? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हमें राजस्व की हानि नहीं हो रही है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें सामने आयीं। एक तो यह कि जो माल हम वहां पर खोदते हैं और जो निगम द्वारा बेचा जाता है और दूसरा, जिन व्यक्तियों को ठेके दे रखे हैं खदान के। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि दो आदमियों का टेण्डर था, ठेका गलत दिया, यह तो मूल प्रश्न में है नहीं। मूल प्रश्न में सिर्फ यही पूछा गया है कि उत्पादन कितना हो रहा है, किनको बेचा जा रहा है और जो खरीददार हैं उनको रिबेट दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है। खदान के लिए जो ठेके दिये गये, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए जहां तक आपने यह कहा कि दो टेण्डर हुये थे और टेण्डर देने में कोई गड़बड़ हुई है, इसका तो इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए मैं जवाब दे नहीं सकता।

श्री फूलचन्द गुर्जर : पहला प्रश्न ही यही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अनियमितताओं का मतलब क्या होता है ? अनियमितताओं का मतलब भ्रष्टाचार होता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जांच का विषय है। पूरा सदन चिन्तित है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह बलवीर कौन है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पहले जोधपुर के अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड पर लगाया और अब यह।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर दिये जा रहे हैं वे श्रमिकों की सहकारी समितियां वहां बनी हुई हैं उनको खनन कार्य करने के ठेके दिये जाते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ आप बताते हैं तो मैं उसकी जांच करा लूंगा, मुझे कहीं उसमें दिक्कत नहीं है।

आपने राजस्व की हानि का कहा और 83 और 81 रुपये की रेट बतायी। यह बात सही नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग-अलग क्वालिटी का लाइम स्टोन है। बढ़िया क्वालिटी का होगा तो मंहगा भी जाएगा और थोड़ा हल्का होगा तो कम जाएगा। निगम की रेट 81 रुपये 50 पैसे प्रति टन है और आप कह रहे हैं कि पड़ौस में 83 रुपये है। इस तरह का तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया। जो है तो मैं यह

(श्री कालूलाल गुर्जर)

निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए उसकी ज्यादा रेट हो सकती है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कमजोर है। उसकी क्वालिटी 85 प्रतिशत है और निगम की क्वालिटी 95 प्रतिशत है।

श्री कालूलाल गुर्जर : ऐसा नहीं है कि हल्की क्वालिटी की रेट ज्यादा हो और हम कम करें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो हम 81 रुपये 50 पैसे में बेचते हैं, प्राइवेट लोग उसी माल को 79-80 रुपये प्रति टन में बेच रहे हैं। परन्तु वे पैसे कम ले लेते हैं, उधार भी दे देते हैं तथा और भी तरीकों से ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। निगम अपने व्यापार के लिए स्वतन्त्र है कि वह किस तरह से अपने डिसीजन ले। यह बोर्ड का निर्णय है, बोर्ड के निर्णय के अनुसार एक्सपैरीमैण्ट के लिए 31 मार्च, 1993 तक का यह डिसीजन है। अगर इसमें किसी तरह की कोई बात होगी तो बोर्ड पुनर्विचार करेगा। मैं सोचता हू, सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया।

श्री फूलचन्द गुर्जर : माल तो एक टन ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोपीराम जाट।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें एक बात का तो जवाब आपने दिलवाया नहीं, अध्यक्ष महोदय। एक सदस्य ने, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि इसमें पैसे लेकर वर्क आर्डर दिये गये हैं। यह आरोप यहां स्टैण्ड कर रहा है। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में इस बारे में कोई बात नहीं की कि यह सही है या गलत है। क्या वास्तव में पैसे लेकर वर्क आर्डर दिये गये ? टेण्डर क्यो रिजैक्ट किये गये ? क्या पहले से ही बदनीयत....

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कौनसी पद्धति में बात कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो आरोप लगाया उन्होंने मना कर दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसके बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने नहीं सुना हो तो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने सुना है सारा। उन्होंने यह कहा कि इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, बारां वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका।

श्री अध्यक्ष : बाद में बताया है कि टेण्डर्स वहां के लेबरर्स को देते हैं। लेबरर्स को टेण्डर देते हैं, यह कहा है। अब आप सुनते तो हैं नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिनको दिये वे एक भी लेबर नहीं है।

रामपुरा-डाबड़ी (आमेर) में स्थापित उद्योग

225. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर तह-

(श्री गोपीराम जाट)

सील के ग्राम रामपुरा (डाबड़ी) में लघु उद्योग की काफी इकाइयां स्थापित हैं एवं उद्योग विभाग से स्थायी पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उद्योग विभाग द्वारा इन इकाइयों को कोई भी सहायता अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवायी गयी ?

उद्योग मन्त्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (1) आमेर तहसील के ग्राम रामपुरा (डाबड़ी) में मशीनों के कुछ वर्कशाप कार्यरत हैं। इनमें से विभाग में केवल 4 वर्कशाप ही पंजीकृत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त पंजीकृत इकाइयां जांच वर्क हेतु पंजीकृत है। विभाग द्वारा पंजीकृत इकाइयों को ऋण, कच्चा माल आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपीराम जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लघु उद्योग इकाइयां पिछले तीस साल से यहां पर कार्यरत हैं। इनको विद्युत सप्लाई अभी तक भी एग्रीकल्चर लाइन से जोड़ रखी है, जिससे मात्र आठ घण्टे विद्युत सप्लाई उपलब्ध रहती है। क्या इनको जैतपुरा उद्योग बिहार से विद्युत लाइन से जोड़ा जाएगा ?

दूसरा, ये उद्योग इकाइयां जो लगभग 30 साल से लगी हुई है, अभी तक भी कृषि भूमि में बनी हुई है। इनको उद्योग में परिवर्तित करने के लिए इन्होंने कई बार दरख्वास्त की है. लेकिन आज तक उद्योग में परिवर्तित नहीं किया गया। क्या इनको उद्योग में परिवर्तित करने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आपने रखा है और जो अब आप जानकारी मांग रहे हैं, बिलकुल भिन्न है। मैंने जैसा निवेदन किया, ये जितनी भी इकाइयां हैं इनमें से केवल चार इकाइयां ऐसी हैं जो हमारे यहां स्थायी रूप से पंजीकृत है। बाकी इसी क्षेत्र के अन्दर इनके अलावा ग्यारह इकाइयां और हैं, जो पंजीकृत नहीं है। इन चार इकाइयों में से भी केवल दो इकाइयां ही वित्त निगम से ऋण प्राप्त किया है। औरों ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिये। यह सच है कि जैतपुरा के पास का ही यह क्षेत्र है। आप मुझे जो जानकारी दे रहे हैं उसका इस प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये अधिकतर जॉब वर्क करने वाले वर्क शाप है। स्कैटर्ड है, अनआर्गेनाइज्ड हैं। वहां बैठे हैं, कोई काम कराने आया, काम कर दिया। लैब का काम है, लैब का काम कर दिया। जिसको इण्डस्ट्री कहा जाता है उस प्रकार के नहीं हैं। फिर भी आप जब कहते हैं तो इस दृष्टि से मैं विचार कर लूंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामस्वरूप।

परिवहन निगम की बसेज की बॉडी निर्माण

226. श्री रामस्वरूप : (रायसिंह

(श्री रामस्वरूप)

नगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की बाडी जयपुर एवं जयपुर से बाहर बनवायी जाती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) परिवहन निगम बसों की बॉडी जयपुर एवं जयपुर से बाहर बनाने के व्यय में क्या अन्तर है ?

(3) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1991 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की बॉडी बाहर से बनवाई गई थी ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं प्रति बॉडी कितना व्यय हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्यों की बसों में यात्रियों के उतरने-चढ़ने हेतु दो दरवाजे होते हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसेज में भी सरकार दो दरवाजे रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :
(1) जी हां, निगम द्वारा बसों की बॉडी जयपुर एवं जयपुर से बाहर निम्न स्थानों पर बनवायी जाती है—जयपुर, पठानकोट, मेरठ, जालन्धर, नीलोखेड़ी, रोहतक (हरियाणा), सरहिन्द (पंजाब), रमताल (हिमाचल), हैदराबाद, बम्बई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर एव नासिक।

(2) बसों की बॉडी जयपुर से बाहर बनाने के व्यय में दो हजार रुपए प्रति बस का अन्तर है।

(3) जी हां, निम्न फर्मों को बॉडी बनाने हेतु आदेश दिये गये थे : हरियाणा कोच बिल्डर्स, रोहतक, श्यामसिंह एण्ड सन्स, सरहिन्द तथा जोगेन्द्र सिंह एण्ड संस, सरहिन्द। प्रति वाहन 2,14,200 रुपये का व्यय हुआ है।

(4) जी हां, पड़ोसी राज्य तथा दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा की बसों में यात्रियों को चढ़ने-उतरने हेतु दो दरवाजे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बसों के अतिरिक्त अन्य बसों में दो दरवाजे रखने की कोई योजना नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टाइप बसों में परिचालक को वाहन के गेट पर बैठना होता है एवं यात्री को वाहन के मध्य में गेट होने से कम से कम चलना पड़ता है। इससे यात्री को जो दूरी बस में चढ़ने व उतरने के लिए तय करनी पड़ती है वह कम होती है। साथ ही परिचालक को वाहन के यात्रियों को उतारने व चढ़ाने पर भी नियन्त्रण रहता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पूनम चन्द विश्नोई।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज मेरा प्रश्न भी लगा हुआ है।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : इसी 226 के सम्बन्ध में पूछना है।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये आप।

श्री अर्जुन दास मदान : मान्यवर, मैं

(श्री अर्जुन दास मखान)

इसी 226 के बारे में जानकारी चाहूंगा। जैसे यहां बसें जाती हैं, चैसिस जाता होगा बॉडी बनने के लिये। तो क्या राज्य सरकार यह भी सोचती है कि जहां चैसिस गया, मान लीजिये हैदराबाद में गया तो उसकी टीयर एण्ड वीयर, टायर की घिसाई भी कुछ आती होगी, मशीन के ऊपर खर्चा आता होगा। आप एक किलोमीटर तो मिनिमम आप टायर का एक्सपेंसेज मान लीजिये। मान्यवर, डेढ़ हजार किलोमीटर जाने के और डेढ़ हजार किलोमीटर आने के हुए। तो भी 3,000 किलोमीटर के तो टायर आपने घिसा दिये 2,000 रुपये बचाने के लिए। तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार की बचत क्या राज्य सरकार के लिए उपयुक्त थी ?

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के बाहर जितनी भी बसें बनने के लिये जाती होंगी, उसके इन्स्पेक्शन के लिए कम से कम 4 फेजज में इन्स्पेक्शन होता है, मेरी जानकारी जो है। तो जो भी जाता होगा, क्या उसको भारत भ्रमण का लाइसेंस देते हैं या चार बार जाने के ऊपर राज्य सरकार का कोई टी.ए. और डी.ए. के ऊपर खर्चा होता है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में जो बॉडी बनती है, वह कितने दिनों में बनती है ? यदि 40 दिन में बनती है और बाहर आप 60 दिन में बनवाते हैं तो 2 लाख रुपये हैं या जो भी हैं, इस पैसे को लेकर निगम से या किसी से भी पैसे लेकर जब आप बस की बाडी बनवाते हैं और मान लीजिये 2 लाख 20 दिन तक अटकाये रखा, और एक बस पर 200 रुपये भी प्रतिदिन आप किराये माने तो 20 दिन के 4 हजार रुपये का फर्क पड़ता है। टी. ए. और डी. ए. उसका ब्याज और आने जाने का खर्चा यहां पर बस की बॉडी बनाने के लिए भेजना।

चौथी और अन्तिम बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, दूसरे स्टेट में बॉडी बनवाते हैं तो सैल्स टैक्स का नुकसान राज्य सरकार को होता है। मान लीजिये कि मैंने 2 लाख में एक बॉडी बनाकर के यहां दी तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत का सैल्स टैक्स मिलता है। बाहर बॉडी आप बनवाते हैं तो दूसरी सरकार ले जाती है।

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से होने वाले लाभ-हानि पर क्या राज्य सरकार ने पूरा इसके ऊपर चिन्तन-मन्थन किया है, यह आपसे प्रश्न है।।

श्री अध्यक्ष : अब इसी प्रश्न के ऊपर मैं समाप्त करता हूं। जितने लोग पूछना चाहें, पूछें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, कभी तो हमको भी अवसर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आई. एम. हैल्पलैस। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें।... (व्यवधान) एक-एक पूछिये। वे पूछ रहे हैं, श्री हरिसिंह जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा प्रश्न कभी नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष : हरिसिंह जी को मैंने पुकार लिया है। वे पूछ रहे हैं, फिर आप

(श्री अध्यक्ष)

पूछ लेना। अब मैं आगे प्रश्न ही नहीं ले रहा हूं, इसी प्रश्न पर पूरा समय दे रहा हूं। तो आप जितने पूछेंगे, सबको दूंगा।.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप नाराज होंगे तो नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाराज नहीं हूं। देखिये, मेरी बात सुनिये। जिस प्रश्न पर मूल प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हो गया, अब आप उसको यह कहकर कि हाउस की प्रापर्टी है, बाकी के प्रश्न आने देना नहीं चाहते तो आई. एम. वैरी ग्लेड। ये आपके ही सवाल हैं। आगे मेरे सवाल नहीं है। मगर आप नहीं चाहते। 5 मिनट का समय रहा है, 10 हाथ उठ गये। 10 हाथ उठे हैं। मैं किस-किस को मना करूं? आप पूछिये।

श्री हरिसिंह : आपकी एनार्येंस लेकर के तो क्या पूछना?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पूछिये। देखिये, मैंने तो आपके हित के लिए कहा है कि और भी आगे प्रश्न हैं। आप उनको सुनना नहीं चाहते तो मत सुनिये। मुझे क्या आपत्ति है... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न नहीं है?

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय आपको करना हैं। यदि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है तो सवाल पूछिये। मैं कब मना कर रहा हूं? आप सवाल पूछिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 30 सितम्बर को परिवहन के ऊपर चर्चा है। उस दिन कर लेंगे। हरिसिंह जी, रोडवेज के ऊपर चर्चा है, उस पर कर लेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, आज तो मुझे भी अवसर दे दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चलिये, नैक्स्ट बोलिये। नाराज मत हो आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको पता है कि रोडवेज के ऊपर 30 को बहस भी होने जा रही है। मगर उसके बावजूद भी सन्तुष्ट नहीं है। तो यह बड़ी अजीब बात है।

प्रश्न संख्या 227

श्री पूनम चन्द विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल उससे मिलता हुआ नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय मेरे सिरोही जिले में अध्यापकों की कमी की परेशानी है। कभी भी अवसर नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। अब मैं क्या करूं?

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी के साथ बिलोंग कर दीजिये मेरा प्रश्न। विभाग हमेशा इतनी लम्बी लिस्ट देता है। अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

रिक्त पदों की इतनी लम्बी लिस्ट देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों से कहिये मेरा दोष नहीं है। मैं तो 10 लेना चाहता हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक तरफ तो महिला शिक्षा पर विभाग जोर दे रहा है और दूसरी तरफ सीनियर गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में इतनी... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, सिरोही के स्कूलों में हड़ताल हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न और रह जायेगा। आपकी इसमें यह प्रश्न और रह जायेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : इतनी लम्बी लिस्ट है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यदि वह प्रश्न आ रहा है तो और नहीं आयेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी के साथ क्लब कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये।....(व्यवधान) आप जल्दी करिये, शायद वह सवाल आ जाय।

श्रीमती तारा भण्डारी : हम क्षेत्र में मुंह कैसे दिखायें। अध्यक्ष महोदय, सब बालिका स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं। मैं लड़कियों को मुंह कैसे दिखाऊं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों को कहा, वे मान गये और आप मानने को तैयार नहीं हैं। अजीब स्थिति है।

माननीय मंत्रीजी।

आप चुप रहेंगी तो शायद आपका प्रश्न आ जायेगा। अब आप इसी पर पूरा टाइम ...

श्रीमती तारा भण्डारी : आज आठवां दिन है, मेरा सवाल ही नहीं आया।

कृषि प्रसार अधिकारियों का विकास अधिकारियों में चयन

228. श्री रामकरण (मेड़ता) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार विकास अधिकारियों के चयन में कृषि प्रसार अधिकारियों को भी शामिल करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : जी नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (विकास अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1982 के अन्तर्गत कृषि प्रसार अधिकारी का पद विकास अधिकारी पद की पात्रता में नहीं होने से उन्हें चयन में शामिल करना संभव नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विकास अधिकारी के इस पद के लिए कौन-कौनसे व्यक्ति एलिजिबल है ? अगर

(श्री रामकरण सिंह)

वे व्यक्ति जो पंचायत समिति की सेवाओं में हैं, वे एलिजिबल हैं तो फिर ये एलिजिबल क्यों नहीं है ? इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्रीजी करें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें निम्न अधिकारी चयन के पात्र हैं। आपने जो ए.ई.ओ. के बारे में कहा, वह तो मैंने जवाब दे दिया लेकिन चूंकि कृषि से सम्बन्धित है तो इसमें एस. एम.एस. को इसमें योग्य समझा गया। राजस्थान कृषि सेवा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। दूसरी, राजस्थान पशुपालन सेवा–वेटेनरी सर्जन। तीसरा, राजस्थान भेड़ एवं ऊन सेवा उप जिला भेड़ व ऊन अधिकारी। राजस्थान इण्डस्ट्रीज सेवा-जिला उद्योग अधिकारी। राजस्थान एजुकेशन सर्विस-वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी। राजस्थान सहकारिता सेवा–सहायक पंजीयक। राजस्थान पी. डब्ल्यू. डी. सर्विस–सहायक अभियन्ता। राजस्थान सिंचाई सेवा-सहायक अभियन्ता। राजस्थान पी. एच. ई. डी. सेवा–सहायक अभियन्ता। राजस्थान तहसीलदार सेवा-तहसीलदार। राजस्थान सोशल वैलफेयर सर्विस—डिस्ट्रिक्ट सोशल वैलफेयर आफिसर। राजस्थान इकोनोमिक एण्ड स्टेटिस्टेटिक्स सर्विस–सहायक निदेशक। राजस्थान अन्वेषण सर्विस–स्टेटिस्टीकल आफिसर। राजस्थान पंचायत सेवा–व्याख्याता (पंचायत राजस्थान पंचायत अधीनस्थ सेवा–सहायक सचिव (जिला परिषद्), पंचायत प्रसार अधिकारी।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सवाल है कि अगेन्स्ट दी प्रोवीजन्स आफ आर्टीकिल्स आफ कान्स्टीट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर ला, जब आप सबको यह अधिकार देते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले जो आपके डवलपमेंट आफिसर्स हैं, उनको अण्डर व्हाइट प्रोवीजन्स से आप वंचित रख रहे हैं ? इनके साथ भेदभाव क्यों बरत रहे हैं, इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, यह मूल प्रश्न के जवाब में आ गया है। सेवा नियमों में इनका पे स्केल कम है, इसलिये इनको नही लिया गया था, इनको नहीं रखा गया। बाकी एग्रीकल्चर के हिसाब से एस. एम. एस का इसमें....

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कारण नहीं बता पा रहे हैं। नहीं रखा गया, कारण तो बतायें, किस कारण से नहीं रखा गया। दूसरे प्रसार अधिकारियों को रखा है और कृषि प्रसार अधिकारियों को नहीं रखा है, तो इसका कारण बतायें आप।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : कृषि प्रसार अधिकारी का पे स्केल कम है, इसलिए इनको इसमें नहीं रखा था। कृषि के एस. एम. एस. को इसमें योग्य माना गया है तो उनको इसमें रखा गया है, प्रसार अधिकारी को नहीं रखा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय।

प्रश्न संख्या 229

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेमराज।

अटरू डिस्टलरी को निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण

230. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार गंगानगर शुगर मिल द्वारा संचालित डिस्टलरी, अटरू, को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) निजी क्षेत्र में देने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

(3) क्या सरकार के पास केडिया समूह द्वारा अटरू डिस्टलरी को खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है निजी क्षेत्र से एक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उस पर विचार किया जा रहा है।

(2) अन्तिम निर्णय उपरान्त ही आगामी विचार किया जायेगा।

(3) जी हां, केडिया समूह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन है।

(12 00 मध्याह्न)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल यह पूछा था कि अटरू डिस्टलरी को निजी क्षेत्र में क्यों देना चाहते हैं ? इसके बारे में उत्तर में कोई जवाब नहीं लिखा गया है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया क्या अपनाई जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे जवाब मिला है कि अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जब अन्तिम निर्णय हो चुका है और केड़िया ग्रुप का प्रस्ताव विचाराधीन है देने के लिए तो अन्तिम निर्णय क्या होगा ? इस संबध में मंत्रीजी मुझे जरा बता दें।

दूसरा, इन्हें केड़िया समूह का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्या इस सम्बन्ध में कोई टेंडर्स आमन्त्रित किये गये थे, निविदायें आमन्त्रित की गई थी, जिससे सभी को पता लग सके। यदि निजी क्षेत्र में देने का विचार बना लिया गया है तो सरकार को अधिक आय हो सके। इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी करना चाहता हूं कि इसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं, यदि हम इसको निजी क्षेत्र में दे देंगे तो उनका क्या होगा ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह जी और पूछ रहे हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार चोर दरवाजे से एक आदमी को, चहेते को सभी नियमों का उल्घंन करके इस डिस्टलरी को देना चाहते हैं। शराब के क्षेत्र में जितनी आमदनी है वह किसी से छिपी हुई नहीं है, फिर क्या कारण है कि आपने बिना टेंडर आमन्त्रित किये, आपने अखिल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भारतीय स्तर पर निविदायें क्यों नहीं इसके लिये आमन्त्रित करते हैं ? क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश में कैड़ियाजी पार्टी के सपोर्टर हैं इसलिए आप सब नियमों को बलायें ताक रख कर, चोर दरवाजे से करोड़ों रुपये साल की आमदनी कमाने वाली डिस्टलरी क्यों देना चाहते हैं ?.... (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उधर से शेम, शेम की आवाज आई। ये कैड़िया बन्धु मुझे ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश जनता काल से पाले हुये नहीं है, ये कांग्रेस शासन की देन है मध्य प्रदेश में ।.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : नियोगी हत्या कांड में इनका नाम आ रहा है। नियोगी हत्या कांड में उनका नाम आ रहा है।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आपने चन्दा लिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ऐसे आदमी को देना चाहते हैं। वहां पर आपकी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है ।....(व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह : चाहे इन्होंने पाला हो, चाहे आपने पाला हो....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।....

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोहवट (जोधपुर) में अध्यापकों के रिक्त पद

227. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोहवट जिला जोधपुर में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से पांच पद अध्यापकों के, 1 पद अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक का, उप-प्रधानाचार्य का 1 पद एवं कनिष्ठ लिपिक का 1 पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त पदों को कब तक भर देगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये और विभाग के मानदण्डों के अनुसार 3 अतिरिक्त पद व्याख्याताओं के और 7 अतिरिक्त पद वरिष्ठ अध्यापकों के स्वीकृत होने चाहिये ? क्या सरकार इस सत्र में यह पद सृजित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहावट में अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त नहीं है। केवल उप-प्रधानाचार्य का पद 3/91 से रिक्त है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी, हां। मानदण्डानुसार 3 व्याख्याताओं एवं 2 वरिष्ठ अध्यापक के पद अतिरिक्त सृजित होने चाहिये। सरकार पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही नये पद सृजित करने पर विचार कर सकती है।

वाढरायल का हत्या प्रकरण

229. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-1-1984 को वाढरायल (सवाई माधोपुर) में एक व्यक्ति को मारकर लाश को कुंए में डाल दिया था और चार दिन बाद दिनांक 9-1-1984 को लाश को कुंए में से निकालकर दाह सस्कार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मुलजिमों का पता होने के बावजूद पुलिस ने एफ. आर. दे दी ?

(3) क्या यह सही है कि कोर्ट ने एफ. आर. केन्सिल करके मुलजिमों के गिरफ्तारी वारन्ट निकाले हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मुलजिम वहीं घूमते हैं और पुलिस ने अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है ? गिरफ्तार नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि दि. 4-1-84 को वाढरायल में एक व्यक्ति को मारकर लाश कुएं में डाल दिया बल्कि आत्महत्या की गई थी। श्री रूपलाल पुत्र हीरालाल ने कुएं में गिरकर आत्महत्या की थी जिसकी लाश दि. 9-1-84 को कुएं में से निकाल कर बाद पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया।

(2) यह सही नहीं है। मुकदमा हाजा में बाद अनुसंधान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एफ. आर. दे दी।

(3) जी हां। कोर्ट द्वारा एफ. आर. नं. मानकर "प्रसंज्ञान" लिया था।

(4) जी नहीं। अदालत ने अभियुक्तों के खिलाफ दि. 6-9-92 को गिरफ्तारी वारन्ट थाना वजीरपुर पर भिजवाये थे। इसी दौरान दि. 7-8-92 को मुलजिमान अदालत से अग्रिम जमानत कराने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना, बोरावड़ एवं बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां

304. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना, बोरावड़ व बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मकराना, बोरावड़, बिदियाद में औद्योगिक इकाइयों को वित्त निगम राजस्थान से ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किस उद्योग को कब व किस उद्देश्य के लिए कितना कितना ऋण दिया

(श्री बिरधाराम चौधरी)

गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मकराना, बोरावड़, बदियाद स्थित मार्बल आदि को औद्योगिक इकाइयों में वित्त निगम का अवधि पार ऋण बकाया है ? यदि हां, तो किसमें कब से व कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को सबसीडी भी दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? इस समय कितने प्रतिशत सबसीडी दी जा रही है ? नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मकराना, बोरावड व बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र में कुल 758 औद्योगिक इकाइयां हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, मकराना, बोरावड व बिदियाद औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन इकाइयों को ऋण दिया गया है उनके वर्ष, राशि एवं उद्देश्य इत्यादि की सूची परिशिष्ट 'ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मकराना, बोरावड़ व बिदियाद औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित मार्बल आदि की औद्योगिक इकाईयों में राजस्थान वित्त निगम, के अवधि पार बकाया ऋण की सूची परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों में से पात्र इकाईयों को ही अनुदान स्वीकृत किया गया है। सूची परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर रख दी गई है। इन क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाईयों को 20% तथा मध्यम एवं वृहद उद्योग को 15% की दर से सब्सिडी देय है। नियम सहित विवरण परिशिष्ट "ड" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला भरतपुर में औद्योगिक विकास केन्द्र

305. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र (Growth Centre) खोलने की राजस्थान सरकार की कोई योजना है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में भरतपुर जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र (ग्रोथ सेन्टर) खोलने की कोई योजना नहीं है।

(2) जी, हां। पूर्व में भरतपुर में औद्योगिक विकास केन्द्रीय (ग्रोथ सेन्टर) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 7-3-89 को भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय

(उद्योग मन्त्री)

को भिजवाये गये थे, लेकिन घना वर्ड सेन्चुरी स्थित होने तथा ताजमहल 50 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना एवं सिणधरी का औद्योगिक विकास

306. **श्री हुकमाराम (सिवाना) :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में सन् 1989 से 1992 तक कहां-कहां नये उद्योग लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अब और नये उद्योग के विकास के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नये उद्योगों के विकास हेतु रीको द्वारा समदड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है एवं मोकलसर (महिलावास) में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बाड़मेर जिले को उद्योग रहित जिला घोषित किया हुआ है जिसके फलस्वरूप इस जिले में स्थापित होने वाली नयी और पात्र लघु औद्योगिक इकाईयों को पात्र स्थिर पूंजी विनियोजन का 10 प्रतिशत या 10.00 लाख रुपये, जो भी कम हो, नई और पात्र बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को, पात्र स्थिर पूंजी का 5 प्रतिशत या 5.00 लाख रुपये, जो भी कम हो की बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त विनियोजन अनुदान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को देय अन्य सुविधायें/सहायतायें जैसे बिक्रीकर मुक्ति, अस्थगन, कच्चे माल एवं मशीनों पर चूंगी मुक्ति, डीजल जनरेटिंग सेट पर अनुदान एवं ऋण सुविधा आदि भी नियमानुसार नये स्थापित होने वाले उद्योगों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

मैसर्स विक्रम कोल्ड स्टोर, झोटवाड़ा (जयपुर) को भू-खण्ड का आवंटन

307. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स विक्रम कोल्ड स्टोर, फैक्ट्री एरिया, झोटवाडा, जयपुर को भू-खण्ड का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो कब कितने वर्ग गज का तथा किस शर्त के अनुसार आवंटित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटित भूमि में मैं. विक्रम कोल्ड टोरेज द्वारा कुछ आवासीय भू-खण्ड भी काटे गये ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त काटे गये भू-खण्ड नियमानुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

कार्यवाही कर दण्डित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आवंटित भू-खण्ड में से पूर्व रियासत के समय से 50-60 फीट का पुराना रास्ता 100 वर्षों से अंकित था जिसमें झोटवाड़ा के स्थानीय जोशी, रैगर, धानका, खटीक तथा हरिजन बस्ती के व्यक्तियों के लिये आम रास्ता था ?

(5) क्या इस भू-खण्ड के पास में ही हनुमानजी का मन्दिर और पीरबाबा की मजार वर्षों पुरानी है जिन पर हजारों हिन्दू मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति दर्शन लाभ हेतु आते थे ?

(6) क्या वर्तमान में उक्त रास्तों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुराने रास्ते को पुनः चालू कराकर आम नागरिकों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती के निवासियों ने समय-समय पर राज्य के मन्त्रीगण, उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(8) क्या यह भी सही है कि आवंटित की गई भूमि तथा कब्जे में की गई भूमि में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो दोनों के साइड प्लान के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह भी सही है कि यदि नियमानुसार आवंटित भूमि में निश्चित समयावधि में फैक्ट्री चालू नहीं की जाये तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो उक्त भूमि को कब तक अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 12.10.1966 को राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959 के तहत निहित शर्तों के अनुसार इस इकाई को औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा में 4.20 एकड़ भू-खण्ड आवंटित किया गया था।

(2) जी नहीं। औद्योगिक भूखण्ड में आवासीय भू-खण्ड काटे हुए नहीं है।

(3) फैक्ट्री में कोई आवासीय भू-खण्ड नहीं काटे गये हैं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं।

(5) भूखंड के उत्तर में सड़क सीमा में एक मन्दिर व एक मजार स्थित हैं।

(6) जी नहीं। जब रिकार्ड में रास्ता ही नहीं था तो पुनः चालू करवाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(7) सरकार की जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में दलित विकास समिति, झोटवाड़ा, द्वारा एक मुकदमा नं. दीवानी 629/91 न्यायालय अपर मुसिफ मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर नगर पश्चिम, जयपुर के यहां दायर किया गया था अदालत द्वारा बाद जांच यह निर्णय

(उद्योग मन्त्री)

किया गया कि इस भू-खण्ड में किसी प्रकार का आम रास्ता नहीं है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.5.92 को रद्द कर दिया गया है।

(8) जी हां।

(9) जी हां। नियमानुसार आवंटित भूमि में निश्चित समयावधि में उद्योग स्थापित नहीं किए जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है लेकिन इस भू-खण्ड के सम्बन्ध में रीको द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना उद्योग के वर्ष 1967 में निष्पादित लीज डीड के अनुसार समयावधि के अन्दर ही हो चुकी थी। अतः भूमि को अधिग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान वित्त निगम सेवा के अधिकारी

308. श्री किशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम सेवा के कुल कितने अधिकारी हैं ? वेतन श्रृंखला-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज. वित्त निगम में विगत 5 वर्षों में राज. वित्त निगम सेवा के कितने अधिकारियों को सहायक प्रबन्धक से उप-प्रबन्धक पद पर तथा उपप्रबन्धक से प्रबन्धक के पद पर, प्रबन्धक उपमहाप्रबन्धक, उपमहाप्रबधंक से महाप्रबधंकके पद पर पदोन्नतियां की हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है ?

(3) राजस्थान वित्त निगम में पिछले 5 वर्षों में राज. वित्त निगम सेवा के कनिष्ठ सहायक से सहायक और सहायक से सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नतियां की है ? यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है ?

(4) क्या वित्तीय वर्ष में पदोन्नति के जरिये भरे जाने वाले पदों के अनुसार जोन ऑफ कन्सीडे्रशन सीमा निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि विभिन्न पदों पर की गई पदोन्नति हेतु एस. सी./एस. टी. के व्यक्ति जोन ऑफ कन्सीडे्रशन में उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित बिन्दु को केरी फारवर्ड किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस पद के लिए विगत 5 वर्षों में यह कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) राजस्थान वित्त निगम में विगत 5 वर्षों में कितने अधिकारियों को मेरिट से पदोन्नति दी गई है व उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अधिकारियों को पदोन्नति किया गया है ? इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम में विभिन्न श्रेणी के पदों पर एस. सी./एस. टी. का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर एस. सी./एस. टी. व्यक्तियों की नियुक्ति

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम सेवा के कुल 428 अधिकारी हैं, जिनकी वेतन शृंखला वार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में निगम सेवा के 110 अधिकारियों को विभिन्न पदों पर यथा सहायक प्रबन्धक, से उप प्रबन्धक उप प्रबन्धक से प्रबन्धक, प्रबन्धक से उप महा प्रबन्धक तथा उप महा-प्रबन्धक से महा प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नति दी गई है। इनमें से 27 अधिकारी वर्ग के विभिन्न पदों पर, पदोन्नति नीति के अनुसार पात्रता के धारक, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है। वर्षवार दी गई पदोन्नति से संबधित विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) जी हां, पिछले पांच वर्षों में कुल 229 कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक से सहायक एवं सहायक/वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नति नीति के अनुसार पात्रता के धारक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। जिनमें 28 कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी के हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) पदोन्नति नीति के तहत भरे जाने वाले पदों के लिए जोन ऑफ कन्सीडरेशन की सीमा आदेश क्रमांक पी.ए.–23 (9) 2536 दिनांक 19.9.86 द्वारा निर्धारित की हुई है। प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) जी हां। विगत पांच वर्षों में आरक्षित पदों पर पदोन्नति देने के पश्चात् पदों पर रहे शेष बैकलॉग की स्थिति परिशिष्ट "य" में उपलब्ध है।

(6) विगत 5 वर्षों में 49 अधिकारियों को मैरिट के आधार पर पदोन्नति दी गई है, उनमें से 1 अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी को मैरिट के आधार पर पदोन्नति दी गई है। इस सम्बन्ध में जारी विभिन्न आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "न" में संलग्न है।

(7) जी हां। जिन्हें शीघ्र ही पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति से भरा जाना प्रस्तावित है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला श्री गंगानगर की अनुदानित शिक्षण संस्थायें

309. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गंगानगर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं ? प्रत्येक को अनुदान राशि व छात्रों, अध्यापकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुदान की रकम का दुरुपयोग करने के कितने मामले राज्य सरकार के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ध्यान में आये हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? जिन संस्थाओं का दोष प्रमाणित हो गया और अनुदान रोक दिया गया वे कितनी हैं ?

(3) क्या अनुदान राशि के गबन के मुकदमें में भी मनोहर बाल मन्दिर व बहादुर राम जाट मॉडल स्कूल के खिलाफ दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की 104, कालेज शिक्षा की 7 शिक्षण संस्थाएं हैं। संस्थाओं की अनुदान राशि, छात्रों, अध्यापकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"क" व "ख" में अंकित है।

(2) अनुदान की रकम के दुरुपयोग हेतु निम्नांकित तीन संस्थाओं के प्रकरण ध्यान में आये हैं जिनकी जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1. श्री मनोहर बाल मन्दिर, श्रीगंगानगर
2. श्री बहादुर राम जाट मॉडल स्कूल श्रीगंगानगर
3. सेठ जी. एल. बिहाणी कालेज श्रीगंगानगर

(3) जी हां, पुलिस में इन संस्थाओं के विरुद्ध मामले दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय के निर्णय उपरान्त संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

राज्य के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्ष

310. **डॉ. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है परन्तु बेरोजगार हैं ?

(2) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के सृजित पद कितने हैं व इनमें कितने रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार नये पद सृजित कर एवं रिक्त पदों को भर कर बेरोजगार प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभाग की जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 4953 है।

(2) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के कुल 2892 पद हैं जिनमें से 210 पद रिक्त हैं।

(3) जी, नहीं। सभी पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित बेरोजगारों को विद्यालयों में नियुक्ति देना सम्भव नहीं है। विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त या नवसृजित

(शिक्षा मन्त्री)

पदों की सीमा में ही इन्हें नियमानुसार रोजगार दिया जा सकता है ।

चौमूं क्षेत्र की माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकेण्ड्री संस्थायें

311. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर के चौमूं क्षेत्र में माध्यमिक सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय कहां-कहां कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गत सत्र में चौमूं क्षेत्र के माध्यमिक व सीनियर उच्च-माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/प्राध्यापकों की भारी कमी थी जिसकी वजह से छात्रों को परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा है ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को अविलम्ब भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर के चौमूं क्षेत्र में कार्यरत सीनियर हायर सैकण्डरी एवं माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

तहसील सांचौर के माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद

312. श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर जिले के सांचौर तहसील क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं उसमें कितने पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं एवं कितने पद किस-किस विषय के कब से रिक्त हैं ? सूची विद्यालय-वार सदन की मेज पर रखें तथा सरकार खाली पदों पर नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांचौर तहसील के माध्यमिक व सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं की कमी होने से स्कूलों का अनुशासन बिगड़ रहा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) सांचौर तहसील क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त अध्यापकीय पदों की विद्यालय-वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं । प्रधानाचार्य की डी. पी. सी. सम्बन्धी वाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निर्णय के पश्चात् ही प्रधानाचार्य के पद भरे जा सकेंगे । प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय तथा व्याख्याताओं के पद लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे । द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है, व्याख्याता स्कूल शिक्षा

(शिक्षा मन्त्री)

के 5 पदों को तदर्थ पदोन्नति से भरने के आदेश कर दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

313. श्री हुक्माराम (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989 से अब तक विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) एव सिणधरी में कितने उ. प्रा. वि. एवं मा. वि. एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समयावधि में सिवाना विधान सभा क्षेत्र से कितने अध्यापकों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1992-93 में सिवाना एवं सिणधरी के किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989 से अब तक विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाडमेर) एवं सिणधरी में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त समयावधि से अब तक सिवाना विधान सभा से स्थानान्तरण किये गये अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 1992-93 में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 7 देखें)

बेरोजगार पुस्तकालय स्नातक

314. डा. उजला अरोड़ा (·0) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजस्थान के विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से पिछले 5 वर्षों में पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र डिप्लोमा, डिग्री एवं पी. जी. के कितने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ? इनका ब्योरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा राज्य सरकार द्वारा उस पर कितना अंशदान दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षार्थी को राज्य में रोजगार उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है ? यदि हां. तो इस व्यय का क्या औचित्य है ? राज्य सरकार की इस सन्दर्भ में क्या नीति है ?

(4) क्या राज्य सरकार को बेरोजगार प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों को रोजगार

(डा. उजला अरोड़ा)

दिलवाने हेतु कोई स्पष्ट नीति बनी हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित नहीं हैं ? ऐसा यदि है, तो ये पद कब तक सृजित होने की सम्भावना है ?

(6) क्या यह सही है कि 200 छात्र संख्या से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद दिये जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रमाण पत्र	डिप्लोमा	डिग्री	पी.जी.
1986-87	897	—	55	14
1987-88	939	—	47	10
1988-89	782	—	48	22
1989-90	524	603	56	15
1990-91	486	447	100	20
कुल	3628	1050	306	81

(2) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय के अतिरिक्त शोध, प्रशासन आदि के लिए भी व्यय करना पड़ता है। साथ ही, कुछ वर्ष स्थायी प्रकृति के खर्चों के कारण उनका वर्ष विशेष अथवा पाठ्यक्रम विशेष पर प्रति-छात्र व्यय ज्ञात करना कठिन है। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अनेक मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं, राज्य सरकार के अनुदान के बिना भी स्वयं के साधनों तथा विद्यार्थियों से प्राप्त फीस के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम चला रही है इनका भी सही व्यय ज्ञात करना कठिन है।

(3) जी हाँ।

किसी भी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने की अनुमति विभिन्न क्षेत्रों व संगठनों की मांग के आधार पर प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

(4) जी नहीं।

(5) किसी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के कोई पद सृजित नहीं किये हैं।

(6) 200 छात्रों से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 315
(स्थगित)

पुस्तकों की उपलब्धता में विलम्ब

316. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि 12 वीं कक्षा कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग की पुस्तकें सितम्बर, 1992 के प्रथम सप्ताह में विद्यार्थियों को बाजार में उपलब्ध नहीं थी ? यदि हां, तो उक्त कक्षाओं की पुस्तकें कब तक विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जावेंगी ?

(2) पुस्तकों की उपलब्धता में हो रही देरी के सम्बन्ध में कौन-कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक ?

(3) क्या देरी से पुस्तकें उपलब्ध होने से परीक्षा का निर्धारित समय मार्च से बढ़ाया जायेगा अथवा निर्धारित समय पर परीक्षायें कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ। केवल निम्न पुस्तकें उपलब्ध करानी शेष है :–

1. जीव विज्ञान भाग–1, भाग–2
2. व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी भाग-1

उक्त पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) जिन प्रकाशकों ने आंवटन के पश्चात् विलम्ब किया है उनके प्रकरण तथ्यों व नियमों सहित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णयार्थ जांच हेतु रखें जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। परीक्षाए समय पर ही आयोजित की जावेगी।

राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, बाली में रिक्त पद

317. श्री अमृत लाल परमार (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, बाली में प्रधानाध्यापक व्याख्याता शा. शिक्षक ग्रेड-II, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सेवक, कनिष्ठ लिपिक, परिचारक के पद कितने समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष दसवीं कक्षा का परिणाम गत वर्षों की बजाय कम प्रतिशत रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाली (पाली) में निम्न पद उनके नाम के सामने अंकित समय से रिक्त हैं :–

पद सं	संख्या	दिनांक
प्रधानाचार्य	1	7/92
व्याख्याता	4	2/92
शा. शिक्षा–II	1	2/92
पुस्तकालयाध्यक्ष–II	1	2/92

प्रधानाचार्य का पद वर्ष 89–90 की रिक्तियों के विरुद्ध डी. पी. सी. चयन

(शिक्षा मन्त्री)

आदेश के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। निर्णय उपरान्त पद भरे जा सकेंगे। अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं।

तस्करी की रोकथाम

318. श्री सम्पत सिंह (नगर), श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) एवं श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रान्त की पाकिस्तान से मिली सीमा पर तस्करी के कितने प्रकरण माह जनवरी, 1992 से अगस्त, 1992 तक पकड़े गए ? कितने अभियुक्त पकड़े गए एवं इनसे कितना-कितना सोना, चांदी, हेरोइन, हशीश एवं हथियार इत्यादि जब्त किये गये ? क्या यह विगत दो वर्ष की तुलना में कम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) केन्द्र ने सीमा सुरक्षा एवं तस्करी रोकने के लिए कितनी एवं क्या-क्या सहायता राज्य को दी ? तीन वर्ष का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1992 से 31 अगस्त, 1992 तक तस्करी के कुल 54 अपराध दर्ज हुये हैं। जिनमें 78 अपराधी पकड़े गये हैं। इन प्रकरणों में 77 किलो 10 ग्राम सोना, 24 क्विंटल 55 किलो 183 ग्राम चांदी 2 पैकेट व 950 ग्राम हेरोईन जप्त की गई। इसके अतिरिक्त राईफल ए. के. 56 कुल 5, राईफल 303 बोर मार्क 2, पिस्टल 10, रिवाल्वर 1, राकेट लांचर 7, मैगजीन 2, कारतूस 3103 व अन्य विस्फोटक सामग्री जप्त की गई। वर्ष 1990-91 की तुलना में तस्करी की इन घटनाओं में आंशिक वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण पंजाब पाक सीमा पर सेना व अर्द्ध सैनिक बलों का बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण तस्करी का मुख्य मार्ग राजस्थान को बना लिया है।

(2) श्री गंगानगर जिले में पंजाब, "एक्शन प्लान" के अनुरूप पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने की योजना के लिए वाहन, दूरसंचार एवं पुलिस बैरिक के लिए भारत सरकार से 9.73 करोड़, की राशि की मांग वर्ष 1989 में की गई थी जिसके प्रति उसमें 53 लाख की राशि प्राप्त हुई है शेष के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

पुलिस थाना टोडाभीम के भवन व वाहन की व्यवस्था में सुधार

319. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर में कुल कितने थाने एव चौकियां हैं ? उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार टोडाभीम थाने की बिल्डिंग एवं वाहन व्यवस्था को ठीक करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल 24 थाने एवं 16 चौकियां हैं। जिनमें 531 कर्मचारी कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टोडाभीम थाने की मरम्मत का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। टोडाभीम थाने को जीप नं. आर. जे. यू. 3624 दिनांक 6. 1. 83 को उपलब्ध करवाई गई थी अब माह जुलाई से थाने को नई जीप नं. आर. जे. 26–सी–165 आवंटित कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

सांचौर (जालोर) के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

320. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालोर जिले के सांचौर तहसील के अन्तर्गत पुलिस थानों के कौन-कौन से मुकदमे सन् 1988 जनवरी से आज तक सी. आई. डी. क्राइम के पास जांच हेतु आये उसमें आज तक क्या-क्या नतीजा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना सांचौर का सी.आर नं. 124/92 एवम् 126/92 जांच हेतु गृह विभाग को भेजा गया था और इस मुकदमे में मुलजिम जयकिशन की जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी तथा 90 दिनों में सी. आई. डी. द्वारा सी. आर. नं. 124/92 का नतीजा या चालान न पेश करने के कारण अदालत ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण संगीन जुर्म करने वाले को जमानत पर छोड़ दिया था ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं व जांच अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी जयकिशन विश्नोई ने पुनः अपहरण की घटना जमानत होने के पश्चात् करदी और पुलिस थाना सांचौर में केस दर्ज है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले के सांचौर तहसील के अन्तर्गत पुलिस थाना सांचौर, चितलाना और सरवाना थानों के कुल 15 अपराध जनवरी सन् 1988 से आज तक सी. आई. डी. (सीबी) में जांच हेतु आये। इनमें से अपराध संख्या 67/88 थाना सांचौर जिला पुलिस को परीक्षणोपरान्त अग्रिम अन्वेषण हेतु लौटा दिया गया। सात अपराधों में अन्वेषणोपरान्त अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया गया है एवं 6 अपराध अन्वेषणाधीन हैं। अपराध संख्या 67/91 थाना चितलाना में चालान का निर्णय दिया जा कर पत्रावली जिला पुलिस को भिजवा दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह पूर्णतः सही नहीं है कि अपराध संख्या 124 एवं 126/92 की अन्वेषण पत्रावलियां जांच हेतु गृह विभाग को भेजी गई थीं। यह सही है कि मुलजिम जयकिशन की जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। यह भी सही है कि गिरफ्तारी के 90 दिन की अवधि पूर्ण होने पर चालान पेश न करने के कारण न्यायालय द्वारा मुलजिम जयकिशन को

(गृह मन्त्री)

जमानत पर रिहा कर दिया था। अन्वेषणाधिकारी का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(3) यह सही है कि अभियुक्त श्री जयकिशन विश्नोई निवासी सांचौर को जमानत पर छोड़ा जाने के पश्चात् श्री पारसमल पुत्र प्रभुलाल जैन निवासी पीपराली थाना गुढामलानी हाल सांचौर का अपहरण व परिरोध कर खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवाये जाने पर अपराध संख्या 222/92 धारा 365, 342, 386, 323, 147, 148, 120 बी. आई. पी.सी. पुलिस थाना सांचौर में पंजीबद्ध किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

पुलिस थाना मालवाड़ा (जालौर) की क्रमोन्नति

321. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिला के मालवाड़ा पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाया गया है? यदि हां, तो मालवाड़ा थाना के अन्तर्गत सांचौर तहसील के पुलिस थाना सांचोर व चितलवाना के कौन-कौन से गांव लगाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सांचोर पुलिस थाना के अन्तर्गत आये गांवों को रानीवाड़ा पुलिस थाना को क्रोस कर जाना पड़ता है एवं अरणाय खारा गुदाऊ को करड़ा चौकी से भीनमाल जाना और वहां से मालवाड़ा थाना जाने से दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना रानीवाड़ा एवं अभी क्रमोन्नत मालवाड़ा थाना के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी है? यदि हां, तो मालवाड़ा थाना बनाने का क्या औचित्य है?

(4) क्या यह सही है कि जालौर जिला की करड़ा पुलिस चौकी के 25 किलोमीटर के अन्दर कोई पुलिस थाना नहीं है? यदि हां, तो क्या करड़ा पुलिस चौकी को थाना में बदल दिया जाता तो सांचोर तहसील के पुलिस थाना सांचोर व चितलवाना थाना के गांवों को मालवाड़ा थाना की बजाए करड़ा थाना बनने से ज्यादा लाभ होगा? यदि हां, तो करड़ा पुलिस चौकी के क्रमोन्नत न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस थाना सांचोर के जो गांव थाना मालवाड़ा में लगाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। पुलिस थाना चितलवाना का कोई गांव पुलिस थाना मालवाड़ा में लगाये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। 8–9 किलोमीटर की दूरी है। मालवाड़ा पर थाना बनाने का मुख्य कारण इस गांव का बहुत बड़ा होना, रेल्वे स्टेशन होना तथा मुख्यतया वहां पर मुलाजिमों के लिये भवन उपलब्ध होना था।

(गृह मन्त्री)

(4) जी हां। मालवाड़ा की बजाय करड़ा में थाना बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक ए–21 (9) पुलिस फोर्स/एलोके/91/पार्ट-I दिनांक 4. 9. 92 के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये हैं जिसका परीक्षण कर निर्णय लिया जायगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

सपोटरा क्षेत्र के थानों में दर्ज प्रकरण

322. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा क्षेत्र में सन् 1990 से अब तक कितने हत्या के मामले किस-किस ग्राम के दर्ज हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने हत्या के मामलों में चालान हुये तथा कितने मामलों में किस कारण एफ. आर. लगाई गई ?

उत्तर

(1) सपोटरा क्षेत्र में सन् 1990 से अब तक आठ मामले हत्या के दर्ज हुए। ग्रामों का नाम व अन्य विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) हत्या के चार मामलों में चालान पेश किये गये तथा दो में एफ. आर. लगाई गई है दो मामले अन्वेषणाधीन है। विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

जिला टोंक में कार्यरत थानेदार स्तर तक के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

323. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

टोंक जिले में कार्यरत थानेदार स्तर तक के पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध किस-किस आरोप, अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायतें, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या मुख्यालय एवं राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ? इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? शिकायतकर्ता का नाम तथा शिकायत की तारीख, की गई कार्यवाही के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

जिला अजमेर में अपराधों में वृद्धि

324. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या अजमेर जिले में विगत एक वर्ष में अपराधों की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो यह बढ़ोतरी कितने प्रतिशत रही ?

(2) जिले में पिछले तीन वर्षों में घटित विभिन्न अपराधों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में विगत एक वर्ष (माह सितम्बर, 91 से अगस्त, 92 तक) में अपराधों की 7.34 %. की वृद्धि हुई है।

(2) अजमेर जिले में पिछले तीन वर्षों में (सितम्बर 89 से अगस्त, 92 तक) दर्ज अपराधों की शीर्षकानुसार सूची परिशिष्ट "अ" में तैयार की जाकर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

थाना लूणकरणसर में दर्ज एफ. आई. आर. सं. 172–173

325. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12-7-92 को थाना पुलिस लूणकरणसर में एफ.आई.आर. संख्या 172 तथा 173 दर्ज हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ख. नं. 682 में रेवेन्यू रिकार्ड में सार्वजनिक बावड़ी दो बिस्वा भूमि में गैर मुमकिन बावड़ी दर्ज है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने कुछ धनाढ्य लोगों एवं पेशेवर राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर एक तरफा कार्यवाही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि बीकानेर एस. पी. ने लगभग एक माह से ऊपर तक उक्त बावड़ी पर अतिरिक्त पुलिस तैनात करके पुख्ता कब्जा एवं दो तरफ पट्टियां रोपने में अवैध कब्जाधारियों की मदद की है ?

(5) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने जिनको मुल्जिम माना है, उनका पुराना कब्जा था, दो जगह पट्टियां रोपकर घास फुस के छप्परे बनाये हुए थे उनको पुलिस ने खुर्द बुर्द करने में धनाढ्य लोगों की सहायता की है ?

(6) क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण में किसी उच्च स्तर के अधिकारी से जांच कराकर सार्वजनिक भूमि को जनहित में सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल लूणकरणसर को देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। विवादास्पद भूमि पर मुकदमें दर्ज होने के बाद झगड़े की संभावना को देखते हुए दिनांक 18. 7. 92 से 12. 8. 92 तक पुलिस गार्ड लगाई गई थी। पुलिस द्वारा पट्टियां रोपने में कोई मदद नहीं की गई है।

(5) जी नहीं।

(6) यह बावड़ी निजी खाते में है। जब तक स्वयं खातेदार इसे शाला के उपयोग हेतु देने को तैयार न हो इसे शाला को दिया जाना संभव नहीं होगा। शाला को बावड़ी दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वाहनों द्वारा होर्न के उपयोग

326 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वाहनों द्वारा साधारण व प्रेशर हॉर्न के उपयोग के बारे में परिवहन विभाग ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर की नगरीय सीमा में आने वाले राष्ट्रीय मार्गों पर दिन व रात में होने वाले ध्वनी प्रदूषण से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या रात्रि के समय सिगनल के लिए डिपर का उपयोग वांछित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर को साइलेन्स जोन घोषित कर हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, वाहनों में हॉर्न के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 119 में प्रावधान किया गया है तथा परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8 : 16 में हॉर्न के उपयोग के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित ध्वनि का प्रावधान किया गया है। (तत्सम्बन्धी नियमों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा न ही ऐसा कोई सरकार के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 119 व 120 में इस प्रकार के नियमों का प्रावधान किया गया है जिससे ध्वनि प्रदूषण प्रतिबन्धित होता है।

(3) जी हां, रात्रि के समय वाहनों की चकाचौंध करने वाली लाइटों से सम्भावित दुर्घटनाओं से बचाव एवं सुरक्षा की दृष्टि से सिग्नल एवं डिपर का उपयोग आवश्यक है। परिवहन विभाग के समक्ष जयपुर को साइलेन्स जोन घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चूंकि मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 119 व 120 में निहित प्रावधानों के अनुसार वाहनों से ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबन्धित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

जयपुर शहर में संचालित निगम की बसें

327. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न रूटों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस रूट पर ? समय सारिणी सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस प्रकार विभिन्न रूटों पर कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय पर लाने व ले जाने हेतु परिवहन विभाग की बसें संचालित की जा रही है, उसी प्रकार क्या झांकरोटा से बड़ी चौपड़ वाया चांदपोल तक बसें संचालित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(3) क्या यह सही है कि बड़ी चौपड़ के आसपास एवं जलेबी चौक स्थित सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान आदि होने से वहां के कार्यरत कर्मचारियों को उक्त रूट पर निगम की बसें लगाने से लाभ मिलेगा ? यदि हां तो क्या सरकार कब तक यह बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जयपुर शहर में अधिकांश मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा वाहन सेवायें संचालित की जा रही हैं तथापि निगम द्वारा जयपुर शहर के आसपास नवविकसित कालोनियों के निवासियों को बस सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुछ मार्गों पर निगम की बसें चलाई जा रही है जिनकी मार्गवार समय सारिणी दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट- 1)

(2) जी नहीं, निगम द्वारा मुख्यतया: सचिवालय के लिये सेवायें संचालित की जा रही है जिनको भी अपेक्षित यात्रीभार उपलब्ध नहीं होता। चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मार्ग विभाजक होने एवं अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन असुविधाजनक रहने की आशंका है।

(3) चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच विभिन्न मार्गों की निजी मिनी बसें पर्याप्त संख्या में संचालित हैं। अत: इस मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन असुविधाजनक एवं अलाभकारी रहने की आशंका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विद्या आश्रम स्कूल, जयपुर

328. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मालवीय नगर (ओ.टी.एस. के सामने) जयपुर में विद्या आश्रम नाम का कोई स्कूल चल रहा है यदि हां, तो यह स्कूल कब से चल रहा है और इसकी मैनेजमेन्ट कार्यकारिणी समिति में कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इस स्कूल को रियायती दर पर भू-खण्ड का आवंटन किया था ? यदि हां, तो कितनी जमीन किस दर व किन शर्तों पर कब आवंटित की गयी थी ?

(3) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस स्कूल ने आवंटित भूमि के अतिरिक्त निजी एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त स्कूल में प्रवेश के क्या मापदण्ड हैं ? क्या मैरिट के अलावा भी किन्हीं को प्रवेश दिया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार गत दो वर्षों में व इस वर्ष प्रवेश दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि अवैध रूप से धनराशि लेकर प्रिंसिपल द्वारा प्रवेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या

(श्री प्रभुलाल)

कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह स्कूल 1.7.88 से उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त है। संस्था की कार्यकारिणी समिति में निम्नांकित पदाधिकारी है :--

1. श्री देवीशंकर तिवाड़ी-अध्यक्ष

2. श्री मोहन मुखर्जी-उपाध्यक्ष

3. प्रो. आर. पी. भटनागर-प्रबन्ध निदेशक

4. डा. श्रीमती राजुल भार्गव-सचिव

(2) जी, हां। राज्य सरकार ने दिनांक 6.2.84 को 28 बीघा भूमि संस्था को निःशुल्क आवंटित की थी।

(3) भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग की जानकारी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(4) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर वरीयताक्रमानुसार ही प्रवेश दिये जाते हैं।

(5) शिक्षा विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

329. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में इस वर्ष किन-किन अध्यापकों के कितने-कितने समय बाद कहां से कहां स्थानान्तरण किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कोटा डिवीजन के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

330. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1990 से सितम्बर माह 1992 तक कोटा डिवीजन की किन-किन पंचायत समितियों के स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है ? जिसके कारण स्कूल बंद है ?

(2) किन-किन स्कूलों में कितनी-कितनी छात्र संख्या है तथा उसके अनुरूप कितने अध्यापक चाहिये ? पंचायत समितिवार/स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा डिवीजन में कोटा जिले की पंचायत समिति खेराबाद को छोड़कर किसी भी जिले में वर्ष 1990 से कोई स्कूल अध्यापक के अभाव में बन्द नहीं है। सत्र 92–93 में पंचायत समिति खेराबाद की दो स्कूल नूरपुरा एवं सलावद तथा वर्ष 92–93 में स्वीकृत 6 नये स्कूल अरनिया-खुर्द, बांस्याखेड़ी, भीनिया खेड़ी, मुकन्द-पुरा, हेमलखेडी एवं ढाणी मानपुरा में अध्यापकों के पद रिक्त है जिन्हें तत्काल भरने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

छबड़ा क्षेत्र में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

331. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा क्षेत्र में इस वर्ष कितने प्राइमरी स्कूल खोले गये ? यदि जिले के सब क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम खोले गये तो इसका क्या कारण है ?

(2) उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के छबड़ा, छीपाबड़ोद पंचायत समितियों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं और इन्हें कब तक भर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) छबड़ा क्षेत्र में इस वर्ष 92–93 में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है। और सूचना के अनुसार ऐसा कोई गांव छबड़ा क्षेत्र में शेष नहीं है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबडोद में क्रमशः 37 व 50 अध्यापकों के पद रिक्त है। सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों पर मुंसिफ न्यायालय बारां एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश निरस्त होने पर व श्याम-पट्ट योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रोक हटने पर नियुक्तियों की कार्यवाही की जा सकेगी।

टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य

332. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, ग्रामीण गृह निर्माण, अनुदान योजना, ग्रामीण शौचालय एवं स्वच्छता कार्यक्रम, उन्नत चूल्हा योजना ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पम्पों का संधारण कार्यक्रम के अन्त-र्गत टोंक जिले में वर्ष 1991-92 में तथा 1992-93 में किस-किस पंचायत समिति में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये ?

(2) वर्ष 1991–92 में किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने लक्ष्यों की प्राप्ति की गई एवं 92–93 में अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किये ? पंचायत समिति-वार ग्राम पंचायत की लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजनावार वर्ष 1991–92 व 1992–93 हेतु पंचायत समितिवार निर्धारित किये गये लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) योजनावार वर्ष 1991–92 व 1992–93 में पंचायत समितिवार लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

जोधपुर बीकानेर सम्भाग में जिप्सम की खनन

333. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज जिप्सम के लिए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा पिछले चार वर्ष में आवेदित क्षेत्रों में से कितने पर स्वीकृति जारी की जा चुकी है? बाकी के क्षेत्रों पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों-चिन्नू, खैराट, कुण्डल एवं बल्लर में उक्त निगम ने आवेदन कर रखा है और राज्य सरकार द्वारा अनिर्णय के कारण इन क्षेत्रों में अनधिकृत खनन हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी हानि हो रही है? क्या सरकार इस हानि को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र निगम को आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पिछले चार वर्षों में खनिज जिप्सम के लिए निगम के पक्ष में 7 क्षेत्रों में स्वीकृति जारी की गई है वर्तमान में 18 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी, हां। जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के क्षेत्र चिन्नू, खैरात, कुण्डल एवं बल्लर में निगम ने खनिज-जिप्सम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे थे, जिनमें चिन्नू व खैरात विचाराधीन है व कुण्डल एवं बल्लर अस्वीकृत किये जा चुके हैं। अनाधिकृत खनन को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-2 पर समुचित कार्यवाही की जाती है, निगम को क्षेत्र उनकी विपणन आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों का नियमानुसार आवंटन किया जा रहा है।

खनन पट्टों की स्वीकृति

334. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक दिनांक 1.4.1992 से 31.8.1992 तक प्रधान व अप्रधान खनिजों के कितने-कितने खनन पट्टे निरस्त किये गये और उनसे राजस्व की कितनी हानि हुई?

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(2) वर्ष 1991-92 में प्रधान व अप्रधान खनिजों के कितने-कितने नये खनन पट्टे स्वीकृत किये गये ?

(3) दिनांक 1-4-1991 से 31-8-1992 तक प्रधान व अप्रधान खनिजों के कितने-कितने खनन पट्टों के नवीनीकरण आवेदन-पत्र अस्वीकृत हुए और अस्वीकृति के प्रमुख कारण क्या रहे ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक व दिनांक 1.4.92 से 31.8.92 तक राज्य में निरस्त किये गये खनन पट्टों की संख्या निम्नानुसार है :-

अवधि	अप्रधान खनिज के निरस्त खननपट्टों की संख्या	प्रधान खनिज निरस्त खननपट्टे की संख्या
1.4.91 से 31.3.92	344	33
1.4.92 से 31 8.92	476	10

उक्त खनन पट्टे विभागीय बकाया होने व पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टे की शर्तों की पालना न करने से नियमानुसार निरस्त किये गये हैं । इसलिए उसमें राजस्व हानि का कोई मामला नहीं बनता ।

(2) वर्ष 1991-92 में राज्य में प्रधान खनिज के "26" एव अप्रधान खनिज के "2417" नये खनन पट्टे स्वीकार किये गये ।

(3) दि.1.4.91 से 31.8.92तक राज्य में प्रधान खनिज के "4" व अप्रधान खनिज के "87" नवीनीकरण के आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये । नवीनीकरण के आवेदन-पत्र आवेदकों में विभागीय बकाया होने, क्षेत्र वन क्षेत्र/बाध परियोजना में आने, नियमानुसार समय पर आवेदन-पत्र न देने, असुरक्षित ढग से खनन कार्य करने, आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण अस्वीकार किये गये हैं ।

खनिज अभियन्ता मकराना के अधीन विचाराधीन प्रकरण

335. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मकराना स्थित खनिज अभियंता के कार्य क्षेत्र में वर्ष 1990 से 4-9-1992 तक कितनी खानों को लाईसेंस अवधि समाप्त होने या अन्य कारणों से खालसा किया गया है ? यदि हां, तो खान का नाम, नम्बर व लाइसेंसधारी का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) खनिज अभियंता, मकराना के पास दिनांक 4-9-1992 तक खाने, आवंटन, पुरानी खानों को चौड़ा न बढाने के के कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित है ? दिनांक 1-1-1992 से 4-9-1992 तक कितनी खाने आवंटित की व कितनी खानों के चौड़ाने बढ़ाये । चौड़ान एव आवटन हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(50)

उत्तर

(1) मकराना में वर्ष 1990 से 4. 9. 1992 तक कुल 27 खानों के लाईसेन्स अवधि समाप्त होने व अन्य कारणों से खालसा किये गये। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मकराना में दिनांक 4. 9. 1992 तक 47 आवेदन पत्र नई खानें व बाकी खानों को नियमित करने हेतु एवं 14 आवेदन पत्र पुरानी खानों के चौडान बढ़ाने के लम्बित हैं। दिनांक 1. 1. 92 से 4. 9. 92 तक 7 खाने आवंटित की गई हैं। इस अवधि में किसी भी खान का चौड़ान नहीं बढ़ाया गया है। नई खानों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार है। खानों की चौड़ाई बढ़ाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" के अनुसार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

रेल्वे लाइन के समानान्तर मकराना में खनन कार्य

336. श्री हरिश्चन्द्र (नांवा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर जिले के मकराना खनिज क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन/योजना राज्य सरकार को परबतसर-मकराना रेल्वे लाइन को हटाकर कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो मकराना मार्बल की माइन्स रेल्वे लाइन से तथा जोधपुर-फुलेरा रेल्वे लाइन्स माइन्स के खनन के कार्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं ?

(2) क्या उक्त खनन कार्य के चलते रहने से कभी भी उक्त दोनों रेल्वे लाइनों को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं और जन-धन की हानि हो सकती है ?

(3) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कोई सर्वे करवाया गया ? विशेषज्ञों द्वारा विभाग को इस सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। मकराना परबतसर रेल्वे के समीप व समानान्तर 43 खानें एवं जोधपुर-फुलेरा लाइन के पास 5 खानें हैं, जिनके खनन कार्य रेल्वे लाइन के 45 मीटर की परिधि में है।

(2) रेल्वे लाइनों के नजदीक खनन कार्य के चलने से जन-धन की हानि होने का खतरा हो सकता है। परन्तु इस समस्या के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।

(3) राज्य-सरकार द्वारा रेल्वे विभाग, जोधपुर, खान सुरक्षा विभाग, अजमेर एवं खनिज विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित कर सर्वे करवाया गया। जिसमें कमेटी ने "21" खानें जो रेल्वे के लिये बेहद असुरक्षित हैं, को खण्डित करने की सिफारिश की है और बाकी खानों में

(खनिज मन्त्री)

सुरक्षा के उपाय कर चालू रखने की सिफारिश की है। कमेटी की सिफारिश अनुसार बेहद असुरक्षित "19" खानों के क्वारी लाइसेन्स निरस्त कर दिये। जिसमें से 12 खान मालिकों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये 1" 2" खानों में न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश देने से लाइसेन्स निरस्त नहीं किये जा सके।

सपोटरा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

337. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये सरकार सपोटरा में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने का सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सपोटरा में कोर्ट नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(3) वर्तमान में सपोटरा क्षेत्र के कितने मुकदमें करौली मुंसिफ व ए डी.जे. कोर्ट में विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण सपोटरा में मुंसिफ कोर्ट खोलना अभी संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) करौली के चारों न्यायालयों में सपोटरा क्षेत्र के कुल 1154 मुकदमें विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 338
(स्थगित)

सिवाना, सिणधरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र

339. श्री हुकमाराम (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में सन् 1989 से 1992 तक किन-किन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये तथा किस व्यक्ति को कार्यभार सौंपा गया ? उक्त व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1989 से 1992 तक कितने व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान की गयी ?

(3) अब और कहां-कहां, किस-किस क्षेत्र को लाभान्वित करने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) आंगनबाड़ी के तहत कार्य करने वाले उक्त व्यक्तियों को कितनी राशि दी जाती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में सन् 1989 से 1992 तक जिन-जिन गांवों में विभाग द्वारा खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की मय कार्यकर्ताओं

(महिला एवं बालविकास राज्य मन्त्री) के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग द्वारा पृथक से साक्षरता कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3-6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित हुए बच्चों की वर्ष 1989 से माह अगस्त, 92 तक की प्रगति संलग्न है।

(3) बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समिति क्षेत्र में इस कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया है। जहां तक अन्य क्षेत्रों को लाभान्वित करने का प्रश्न है यह मामला भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सैकेण्डरी उत्तीर्ण नहीं है, उनको 225 रुपये प्रति माह तथा जो सैकेण्डरी उत्तीर्ण एवं इससे अधिक योग्यताधारी को 275 रुपये प्रति माह तथा सहायिका को 110/- रुपये प्रति-माह मानदेय के रूप में दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बीकानेर-अजमेर में पोलीटेक्निक महाविद्यालय

340. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नये इन्जिनियरिंग महाविद्यालय कहां-कहां कब तक खोले जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में इन्जिनियरिंग में पढ़ने की सुविधा सबसे कम है ? प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कितने-कितने विद्यार्थियों को विभिन्न राज्य में उक्त सुविधा प्राप्त है ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य के बीकानेर एवं अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर इन्जिनियरिंग महाविद्यालयों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्णय ले लिया गया था तथा उक्त महाविद्यालयों की जमीन हेतु कार्यवाही हुई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त महाविद्यालय कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने का प्रस्तावित हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार बीकानेर एवं अजमेर के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को क्रमोन्नत कर इन्जिनियरिंग महाविद्यालय करने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्तीय प्रावधान के अभाव में अभी कोई नया इंजीनियरिंग कालेज खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(2) अन्य प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध नही है। राज्य में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर 3 व्यक्तियों को इंजीनियरिंग शिक्षा के अवसर प्राप्त है।

(3) जी हां, लेकिन वित्तीय अभाव के कारण अभी कोई नया इंजीनियरिंग कालेज खोलना सभव नहीं है।

(4) जी नहीं, वित्तीय अभाव के कारण कोई नया इंजीनियरिंग कालेज खोलना संभव नहीं है।

(53)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1992)

ग्राम लाखेरी खुर्द (केशवरायपाटन) थानान्तर्गत दर्ज प्रकरण

18. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1980 से 1982 की अवधि के दौरान ग्राम लाखेरी खुर्द, पुलिस थाना केशवरायपाटन में चोरी, लूटपाट एवं डकैती की घटनायें घटित हुई हैं ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस थाना केशवरायपाटन में उक्त अवधि में उक्त घटनाओं के दर्ज मुकदमों में कितने मुकदमों का न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और कितनों में न्यायालय से निर्णय हो चुके हैं ?

(3) क्या उक्त मुकदमों में पुलिस द्वारा बरामदगियां भी की गई हैं ? यदि हां, तो मुकदमेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बरामदशुदा माल, असबाब तथा अन्य सामानात आदि पीड़ित पक्षों को लौटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को क्या-क्या वस्तुयें ? बकाया सामान लौटाये जाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या उपरोक्त वर्णित मुकदमों के कुछ मुलजिमान के खिलाफ मुलजिमान की फरारी में न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो फरार मुलजिमानों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ? फरार मुलजिमानों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) फरार मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कौन दोषी है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। आलोच्य अवधि में चोरी, लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। डकैती का केवल एक अपराध सं. 105/81 धारा 395 भा. दं. सं. थाना केशोरायपाटन पर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथम सूचना की प्रति संलग्न है।

(2) आलोच्य अवधि में घटित उक्त अभियोग, का न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसमें दिनांक 22.3.85 को न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है।

(3) जी हां। बरामद की गई सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

(4) जब्त की गई सम्पत्ति को न्यायालय में जमा करा दी गई है। सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1992)

ग्राम पंचायत दुगारी में निर्माण कार्यों पर व्यय

88. **डा. चन्द्रभान (मण्डावा) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(डा. चन्द्रभान)

(1) क्या ग्राम पंचायत दुगारी जिला बून्दी में प्रशासक नियुक्ति से पूर्व निर्वाचित सरपंच कार्यरत रहा है ? यदि हां, तो किस तिथि से किस तिथि तक ? सरपंच के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सरपंच द्वारा चार्ज में कितनी राशि प्राप्त की थी तथा प्रशासक को कितनी राशि सम्भलाई है ? उक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से कितनी आय हुई है एवं विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि पंचायत को उपलब्ध करवाई गई है ?

(3) क्या उक्त अवधि में निर्माण कार्यो पर भी पंचायत द्वारा या पंचायत के जरिये राशि व्यय की गई है। यदि हां, तो निर्माण कार्यवार खर्च की गई राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत दुगारी में प्रशासक नियुक्ति से पूर्व श्री मोतीलाल धाबाई निर्वाचित सरपंच थे। श्री मोतीलाल का कार्यकाल दिनांक 18.6.88 से 19.6.91 तक रहा है।

(2) श्री मोतीलाल निर्वाचित सरपंच ने 2.36 पैसे नकद तथा 45.03 बैंक की पास बुक में चार्ज में प्राप्त किये थे। उक्त सरपंच ने प्रशासक को 49.88 पैसे नकद व पोस्ट आफिस में जमा 45.03 पैसे चार्ज में, सम्भलाये थे। उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रोतों से आय की राशि 2,89,876.64 पैसे तथा सरकार द्वारा विभिन्न योजना के तहत उपलब्ध कराई गई राशि 2,35,682 रुपये है। विवरण परिशिष्ट (क) पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त अवधि में पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण पर 12089/–रु. तथा विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों पर कुल 2,51,682.21 रु. व्यय किये गये। कार्यवार-ब्यौरा परिशिष्ट (ख) पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट कैनाल को बन्द करने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री जनार्दन सिंह गहलोत व 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के सपोटरा और करौली तहसील में भेड़ों व ऊटों की चराई से फसल के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल चौहान एवं 13 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बजट सत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बैकलाग को पूरा करने की घोषणा करने

(श्री अध्यक्ष)

के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा उस पर समुचित कार्यवाही नहीं करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की घुमक्कड़ जाति बनजारों का अलवर जिले की तहसील राजगढ़ के गांव हल्दीना में पुनर्वास करने के पश्चात् दिनांक 18 सितम्बर, 1992 को एक षड्यन्त्र कार्यवाही में उन परिवारों के घरों में आग लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप मीणा व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले में पूरी टोडाभीम तहसील को शामिल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर की बस्सी तहसील के गांव मटेर में महिला विकास कार्यक्रम से जुड़ी एक महिला कर्मचारी के साथ कथित बलात्कार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित कनिष्ठ लिपिकों को रोजगार न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री ईश्वरलाल सैनी व. तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त के पुलिस थानों में एफ. आई. आर. दर्ज करने में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि यह आक्षेप सही नहीं है कि विभाग में फूट-परस्ती की नीति अपनाई जा रही है। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों में उनके परिषद् के चुनावों को लेकर उत्पन्न हुए मनोमालिन्य से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से सन्तोषप्रद है तथा राज्य सरकार इस ओर पूर्ण सजग है।

(2) श्री मोहनलाल चित्तौड़िया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में अतिवृष्टि से काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त तालाबों नहरों की मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वारा समुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथा आगामी रबी फसल के पूर्व ही मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाकर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक भू-क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

(3) श्री लक्ष्मीलाल व 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री रूपसिंह आत्मज

(श्री अध्यक्ष)

श्री केशरसिंह राजपूत एवं श्रीमती मोहर कंवर धर्मपत्नी श्री रूपसिंह राजपूत निवासी दोलाजी का खेड़ा, पुलिस स्टेशन बवेर जिला राजसमन्द की हत्या के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस प्रकरण में मुलजिम गिरधारी सिंह ने न्यायिक अभिरक्षा में होने एवं गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने से जिला पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दिनांक 20–5–1992 को चालान पेश अदालत किया एवं अन्य फरार अभियुक्त मुमल कुंवर के विरुद्ध धारा 173 (8) जा. फो. के तहत अनुसंधान सी.आई.डी. (सी. बी) के अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया जिन्होंने बयानात गवाहान लिए। अभियोग का अंवेक्षण अभी जारी है। किसी भी अभियुक्त को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अन्य मुल्जिमों के सम्बन्ध में अंवेषणोपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) श्री हरिसिंह महुआ व श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1 अगस्त, 1992 को लिवाली से गंगापुर सिटी जाती बस की सभी सवारियों को आवागमन में असामाजिक तत्वों द्वारा उतार कर मार-पीट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस बस में गांव लिवाली व ककराला के व्यक्तियों द्वारा यात्रा नहीं की गई। यह व्यक्ति गांव पिपलाई होकर अपने घरों को चले गए। इस बारे में भी किसी व्यक्ति द्वारा उनके साथ मार-पीट व अभद्र व्यवहार किए जाने की रिपोर्ट नहीं की और यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन इस मामले में पूर्ण निगरानी रखे हुए हैं एवं जागरूक होकर सक्रियता से कार्यवाही कर रही है जिसके परिणामस्वरूप ही दिनांक 17.9.1992 को दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है।

(5) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में डकैती लूट व मारपीट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि यह दस्यु दल करौली क्षेत्र के इलाके में वारदात करने में सक्रिय है। इस दस्यु दल का सफाया करने के लिए पुलिस प्रशासन व जिला पुलिस सक्रियता से निरन्तर कार्यवाही कर रही है। परन्तु अभी तक इस दल का सफाया करने में पुलिस को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। दिनांक 8.9.1992 की इस घटना के बाद घटना के अलावा पुलिस में निरन्तर दबाव के कारण इस दल द्वारा अन्य कोई घटना घटित नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही और भी निर्देश महानिदेशक, पुलिस व उप महानिदेशक, रेंज भरतपुर को जारी कर दिए गए हैं कि इस डकैत का आतंक समाप्त करने व इसका सफाया करने का पूर्ण प्रयास करें।

(6) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारिता विभाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के वेतन भत्तों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवा शर्तों के नियमों में संशोधन पर

(श्री अध्यक्ष)

विचार करने हेतु राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 10.3.1992 के द्वारा श्री मंगल बिहारी, आई. ए. एस. (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम भाग दिनांक 29.7.1992 तथा द्वितीय भाग दिनांक 10.8.1992 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है। उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और उन पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देने के लिए पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के संयोजकत्व में राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 17.9.1992 के द्वारा अधिकारियों की एक समिति गठित की है। इस समिति को सुझाव प्रस्तुत करने हेतु चार माह का समय दिया गया है।

(7) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से घासौली तहसील किशनगढ़ जिला अलवर स्थित शैवाज की दरगाह की देख-रेख के मामले में कथित विवाद उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि अब तक के निष्कर्ष से यह पाया गया है कि धार्मिक स्थल हिन्दू समुदाय के लोगों का है जिसमें सभी धर्मों में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति पूजा अर्चना करते हैं। मेव समुदाय के कतिपय लोगों द्वारा धार्मिक स्थल पर होने वाली आय को प्राप्त करने के लोभ स्वरूप यह अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया है। स्थिति नियन्त्रण में है। माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही कर निर्दोष लोगों को परेशान करने के जो आरोप लगाए हैं वह वास्तविकता से परे हैं। माननीय सदस्य द्वारा जिस स्थान को दरगाह बताया गया है वह भी तथ्यों के विपरीत है।

(8) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के देवड़ा हरबाड़ा में दिनांक 5.9.1992 को आयोजित देव नारायणी मेले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों के साथ मारपीट करने व मन्दिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने देने के जो आरोप लगाये हैं वे तथ्यों के विपरीत है। मेले में आई हुई लड़कियों को छेड़छाड़ के मामले में दो समुदाय के लड़कों में आपसी टकराव का मामला पाया गया है। इस घटना के सम्बन्ध में हरिजनों में कोई आक्रोश नहीं है। शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107, 110 जा. फो. के इस्तगासे न्यायालय एस. डी. एम. आमेर में प्रस्तुत कर दिये गये हैं जिसमें बलाई पक्ष के 11 एवं गूजर पक्ष के 10 व्यक्तियों के विरुद्ध 7.9.92 को इस्तगासे प्रस्तुत किये हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

राज्य सरकार से निम्न स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की गंभीर बाण गंगा, रूपारेल नदियों से नहरें निकाल कर भरतपुर जिले के 192 बांधों को पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले से रूपारेला बाणगंगा व गम्भीर नदियों के पानी के व्यर्थ चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव 'अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर जल परियोजना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक फर्म इण्डियन ह्यूम पाइप के प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा नयी निविदायें आमंत्रित करने से राज्य कोष को हुये कथित नुकसान के सम्बन्ध में। इसी विषय का अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य का प्राप्त हुआ है, जिसके राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर का अवलोकन माननीय सदस्य कर सकते हैं। उक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

(1) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रसाविकाओं के स्थानान्तरण के फर्जी आदेश जारी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील एवं जिला बूंदी के अन्तर्गत आने वाले दो ग्राम पंचायत मुख्यालय अजेता से रायथल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कृषि विपणन बोर्ड के अधीन तुरन्त करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाराय सिंह में माह जुलाई में आई बाढ़ से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में मेडीकल कालेजों में स्थायी सहायक प्रोफेसर स्थायी रूप से भरने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) के अधिकांश विद्युत ट्रांसफार्मर्स जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचोर में अतिवृष्टि से कतिपय बांधों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिले के अन्ता सब डिवीजन के अन्तर्गत कतिपय गांवों के विद्युतीकृत घोषित हो जाने के

(श्री अध्यक्ष)

उपरान्त भी वहां विद्युत सप्लाई चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद विभाग के आदेशों की पालना न करने तथा वहां व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अकुशलता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में अतिवृष्टि के कारण नहरों बांधों एवं खडिनों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बीहड़ सुधार परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों में भारी अनियमितता व कथित घोटालों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के पीलीबंगा कस्बे के गांव अहमदपुरा में एक हरिजन महिला को कथित जबरदस्ती कुयें में फैंक देने से डूबी उसकी मृत्यु के केस को पुलिस द्वारा आत्महत्या का मामला दर्ज कर रफा दफा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर के वन विभाग के अधिकारियों की कथित मनमानी, अनियमितता तथा खनन पट्टे धारियों को उत्पीड़ित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के उच्चाधिकारियों व राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से निम्न श्रेणी कर्मचारियों व आम जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की रावतसर का पल्लू को कोलोनाइजेशन तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री गोपाल सिंह (खण्डेला), सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर जिला सीकर में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी श्री मदनसिंह द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री किशनगोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की जैतारण तहसील के ग्राम दागला में गलत रूप से रेग्युलराइज की गई भूमि को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(18) श्री नारायण लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूंगाऊटभरकुण्डी देवला लोहागढ़ क्षेत्र के गांवों में सोप स्टोन एवं मार्बल के माइन्सों में मजदूरों के कथित शोषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

बस्ती की कतिपय सड़कों के किनारे स्थित शराब की अवैध दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के ईमान्यूल स्कूल के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र का जबरदस्ती धर्मान्तरण करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिये; जब मैं खड़ा हूं, आप कुछ मर्यादा का पालन करिये। जब मैं बैठ जाऊं तब खड़े होइये। देखिये मेरे पास 12 माननीय सदस्यों ने इस शून्यकाल में अपनी कुछ बातें कहने की अनुमति चाही है। दो माननीय सदस्यों को मैंने एडजोर्नमेंट मोशन में दो-दो मिनट बोलने की अनुमति दी है और 20 स्पेशल मेन्शन दिये हैं। अब चूंकि यह प्रथा ठीक है कि आप लोगों ने मुझे लिखकर दिया है। मैं एक-एक का नाम बोलता हूं कृपया अपनी-अपनी बात कम समय में कहें ताकि सबका नम्बर आ जाये।

प्रो. केदार।

श्री रतनलाल चौधरी : मेरा भी है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास बावन 295 के डिग हैं उसमें से मैंने 20 आज लगा दिये हैं बाकी कल लगा दूंगा, परसों लगा दूंगा, शून्यकाल में कौनसी व्यवस्था होती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने आपकी सेवा में स्थगन प्रस्ताव दिया था डा हरिसिंह ने मैंने और लोगों ने। राज्यपाल महोदय के खिलाफ कृषि विश्वविद्यालय के कुछ लेक्चरर्स प्रोफेसर्स ने और लोगों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया और उसमें अरेज यह किया गया है कि कुछ विधायकों ने राज्यपाल को सूचना दी थी, उनके खिलाफ मांग की थी उसके बारे में, उनके खिलाफ राष्ट्रपति जी को दिया था, हमने दिया था यह....

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा। आप मुझे देख....

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था... (व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी है, क्या सुनूंगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्यपाल के बारे में हम भी यहां नहीं बोल सकते। मैं यह कह रहा हूं कि .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे सोचना पड़ेगा कि आप राज्यपाल महोदय के बारे में... (व्यवधान) विचार करना पड़ेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो यूनिवर्सिटीज में लगे हैं वह राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : आपने जैसे और लिख करके दिया है, यह भी लिख करके दे देते। यह प्रथा शुरू हो गई....(व्यवधान).... नत्थीसिंह जी आप बोल चुके हैं....(व्यवधान) नत्थीसिंह जी ने बात कही वही तो कह रहे हो आप।

डॉ. हरिसिंह : मैं अलग से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अलग से बात का सवाल ही नहीं है इसमें। जिस पर मैंने व्यवस्था नहीं दी उस पर मैं आपका भाषण कैसे सुनूंगा। उन्होंने बात कह दी, आपकी बात उन्होंने कह दी, मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया।

डॉ. हरिसिंह : यह जो दस्तखत करवाये गये हैं डांट-डपट करके करवाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वह आ गया, डांट-डपट के, हो जायेगा....(व्यवधान) प्रो. केदार।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है डायरेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ, वह उसमें दोषी है और सरकार उस पर स्टेटमेन्ट नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मेरी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। उस पर बोलने की इजाजत नहीं है इसलिए क्यों बोल रहे हैं आप। जब मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं इस पर निवेदन कर रहा हूं। मैं स्टेटमेन्ट की बात कह रहा हूं। सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : जब मैंने व्यवस्था दी है। आप कुछ नोट मत करिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, समझिये। जब मैंने व्यवस्था दी है। आप बैठिये, देखिये हम दिल्ली में बड़ी-बड़ी कान्फ्रेन्सेज कर रहे हैं और उसमें सब पार्टियों के लोग आ रहे हैं, मर्यादा रखनी चाहिए, जो रूल्स बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। आप इन सबको ताक पर रख रहे हैं। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि उस पर आपको दो मिनट बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर क्यों खड़े हो रहे हैं? और लोग भी तो हैं, आप अकेले नहीं हैं मैंने आखिर सब पर दिया है, और माननीय सदस्य बैठे हैं इनको जब मैंने कह दिया है कि दो मिनट बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब कुछ नहीं है। जब मैंने इजाजत दी ही नहीं तो आपका मतलब क्या है, आप अलग से बात करिये मुझ से। यहां उस व्यवस्था को चेलेन्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रो. केदार।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मेडिकल कालेज के लेक्चरर्स, सारे के सारे आज हड़ताल पर है, सामूहिक अवकाश पर है। पिछली बार भी हड़ताल की तो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जो सड़क मंत्री भी हैं उन्होंने बैठ करके समझौता किया। कुछ बातें मान ली, कुछ नहीं मानी भत्तों के बारे में आज उनकी हड़ताल है। दूसरे रेडियोग्राफर, है, टेक्निशियन्स हैं उनकी 10–15 दिन से हड़ताल चल रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल एक कार्यकर्ता को लेकर के गया था सी. टी. स्केनिंग के लिये वहां पर मुझे 6 सौ रुपये देने पड़े। 15 दिन से हड़ताल है। मुझे बताइये मरीजों का क्या हाल होगा। पहले ही अव्यवस्था बहुत है, इससे और बढ़ गई। इसलिये माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं आपने क्या प्रयास किये कि हड़ताल ना हो, इसको अवाइड करने के लिये क्या उनसे कोई बातचीत की, हल निकल रहा है कि नहीं। इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी कुछ तो बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुवीर सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां की सीनियर गर्ल्स हायर सैकण्डरी की नन्ही-मुन्नी बालिकाएं आज से भूख हड़ताल पर बैठने वाली है। अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) 7वीं, 8वीं, की भी उसमें है तो नन्ही-मुन्नी कहलाती है 7वीं 8वीं की छात्राएं। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं की उसमें है तो अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ साल से 9 लेक्चरर्स की कमी है। बिना लेक्चरर्स के परीक्षा हो गई। बालिकाएं मेरे पास आती है, मैं विधान सभा में प्रश्न रखता हूं। मन्त्रीजी मुझे एक सूची पकड़ाते हैं कि इतनी जगह खाली है और ये तुरन्त भरी जा रही है। यह उत्तर मुझे दो बार मिल चुका है। आज डेढ साल होने को आया, कैसा दृश्य होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। जब छोटी-छोटी बालिकाएं भूख हड़ताल करेगी। मैं वहां का एम. एल. ए. हूं और मैं अभी वहां गया तब मेरा घेराव हुआ और अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने कल टेलीफोन से उन्हें सूचना दी है कि आप एक दिन का समय मुझे दे दो, यदि आज मन्त्रीजी आश्वासन नहीं देते तो मैं सदन में घोषणा करता हूं अध्यक्ष महोदय, कल से मैं उनके साथ भूख हड़ताल पर हूंगा। मैं यह नहीं देख सकता कि नन्हीं-मुन्नी बालिकाएं, जिन्हें उनके मां-बाप अपने हाथो से दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वे कल से बारां में भूख हड़ताल पर बैठेगीं और वहां का एम एल. ए. यहां विधान सभा में भाषण देगा।

अध्यक्ष महोदय वे कंज्यूमर फोरम में गई। उन्होंने मन्त्रीजी को ज्ञापन दिया, उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मैं उनसे समय मांगता रहा लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। कंज्यूमर फोरम में भी वे गई हैं। वहां का नोटिस भी सरकार के पास आने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ साल हो गये आश्वासन देते देते, यह आश्वासन क्रियान्वित होगा या नहीं होगा या मुझे कल उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। मैंने उनसे आज का समय लिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। महावीर जी। महावीर जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महो-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

दय, मेरी भी पीड़ा सुन लें। इनकी आपने सुन ली।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्रीमती तारा भण्डारी का न लिखें।

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप क्यों अव्यवस्था कर रही हैं। आप बिराजिये। आप बैठिये आप। हां बोलिये महावीर जी। सारी अव्यवस्था कर रहीं हैं।

एक-एक ने लिखकर दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी यहां बैठे हैं। उन्हें कुछ कहना हो तो कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वे चाहते हैं कि आप भूख हड़ताल पर बैठें ? बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, नाजुक मामला है नन्हीं मुन्नी बच्चियों का। क्या मन्त्री महोदय यह नहीं कह सकते कि वे जगह भरी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। मन्त्री जी सुन रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए पानी एक महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : आप भूमिका मत बनाइये। सीधी-सीधी बात कह दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... और इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार देखा है कि सदन के नेता महोदय ने कभी नाथपा-झाकड़ी के मामले में और कभी अन्तर्राज्यीय जल विवादों के मामले में महीने भर तक इस पर चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में सौभाग्य से बनास नदी बहती है। आप भी उधर से होकर कई बार निकले हैं और आपने देखा है कि वहां पानी पूर्ण रूप से बहता है और वहां पर बांध का निर्माण हो रहा है और केवल वह टौंक जिले की बात नहीं है, अजमेर जिले में उससे पानी मिलेगा, जयपुर जिले में उससे पानी मिलेगा तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार किसी प्रकार से, टौंक जिले से 2-2 मन्त्री हैं और गृह मंत्री जी यहां पर बनेठा के पास में, ईसरदा और बनेठा के बीच में ईसरदा बांध का सर्वे हो चुका है और वहां से जयपुर पानी लाया जाय या बीसलपुर से पानी लाया जाय। एक तो यह मामला विचाराधीन चल रहा है। उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं। आपको क्या शिकायत है ? वह ही बोलिये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी शिकायत यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1994 तक बीसलपुर बांध का पूरा निर्माण हो जायेगा और 31000 एम. सी. एफ. टी.

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पानी पड़ा रहेगा लेकिन उसका उपयोग किसी प्रकार से होने की आज इनके पास कोई उपाय नहीं है। न पीएचईडी के पास है और न नहरों का निर्माण करवाया जा रहा है। न सिंचाई होगी, न पेयजल का पानी मिलेगा। इसके लिए सरकार और यहां मन्त्री मण्डल के माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार का उपेक्षा भाव है। एक तरफ तो कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है और एक तरफ....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। हो गया, उनका उपयोग होना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां पानी है उसका उपयोग नहीं हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पंडित रामकिशन जी। खाद के बारे में बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको इतना लाइटली नहीं लिया जाय। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चहता हूं, गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्रभाव का प्रयोग करें...

श्री अध्यक्ष : खाद के बारे में बोलिये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...सिंचाई मंत्रीजी गायब है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इस पानी के मसले पर जहां राजस्थान में एक-एक बूंद पानी का महत्व है, वहां पर इस प्रकार से बेकार पानी जा रहा है और उसका टाइम पर निर्माण नहीं हो तो यह पानी पड़ा रहेगा। किसी प्रकार से पानी बहकर चला जा रहा है, उसके बाद रुका रहेगा। किसी प्रकार की योजना नहीं। पीएचईडी मन्त्रीजी यहां बिराजमान है। पीएचईडी मन्त्रीजी ने सारा...

श्री अध्यक्ष : महावीर जी का अंकित नहीं हो। पंडित रामकिशन जी। हो गया मामला। कोई चीज की सीमा होती है। हां बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने खाद की स्थिति पर बहस की थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि अब की साल सौभाग्य से राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है और किसान अपनी फसल को बोना चाहते हैं लेकिन जो खाद उपलब्ध था, उस खाद को स्टाकिस्ट किसानों को नहीं दे रहे हैं। हालात यह है अध्यक्ष महोदय, कुछ खाद डी. ए. पी. वगैरह तो भरतपुर में 500 रुपये बोरा हो चुका है और वह भी कहीं मिलता नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी व्यवस्था कहीं है या नहीं है। जो खाद राजस्थान में उपलब्ध था कीमत बढ़ने से पहले और जहां रखा हुआ है अगर उसको दिला दें तो किसानों को बहुत राहत मिलती। आज किसान को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। डीजल की रेट बढ़ी, खाद कहीं नहीं मिल रहा है और खाद के अभाव में जिस तरह से जमीन की आदत हो गई है, अब की साल फसलों पर भी असर पड़ने वाला

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशन)

है तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल केन्द्र पर जिम्मेदारी डालने की बजाय, जो उनके अपने साधन थे और जो खाद उपलब्ध है, उसे दिलाने की कोशिश करें अन्यथा मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अपने कर्त्तव्य में पूरी तरह विफल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश बैरवा। (व्यवधान) जब आपका नम्बर आयेगा तब बोलिये ना।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चाकसू तहसील के ग्राम कोथून में एक, निवाई तहसील में हनुमान बीज भण्डार ने कम से कम 1500 कट्टे डी. ए. पी. के लाकर के और मालूम नहीं कहां से लाया है, दो गोदामों के अन्दर, नारायण लाल शर्मा और द्वारका प्रसाद विजय के गोदामों के अन्दर लाकर डाल दिया। उनमें से 3 ट्रक तो उठाकर ले गये....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद है, मेरे पास है यह।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा :...बाकी कोथून के ग्रामीणों ने 868 कट्टे पकड़ लिये और वे नहीं ले जाने दिया। उसकी सारी शिकायत तहसीलदार और कलेक्टर को की, जिन्होंने सीज करके सोसाइटी में डाल दिया तो। इसमें मेरा निवेदन है कि यह हनुमान बीज भण्डार टौंक से आने वाले माननीय सदस्य के निकटतम मिलने वाले है ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा किसी प्रकार से भी कोई सम्बन्ध कहीं पर हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा (व्यवधान) और यह कांग्रेस का मेम्बर है। हनुमान बीज भण्डार कांग्रेस का सदस्य है और वह सक्रिय सदस्य है और द्वारका प्रसाद विजय, प्रकाश बैरवा सम्बन्धी है।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा :...जब 868 कट्टे डी. ए. पी. की खाद अगर है, उन कट्टों को उन्हें ग्रामीणों को पुरानी रेट पर बेचा जाय और कहां से ये कट्टे आये हैं, जांच होनी चाहिये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये बैठिये आप। क्या आप चार्ज लगा रहे हैं ? आप बैठिये। चार्ज लगा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : नहीं, मैं उस हनुमान बीज भण्डार के ऊपर चार्ज लगा रहा हूं, जो इनके मिलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : तो इसमें महावीर जी का नाम क्यों आ गया।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : नहीं; इनके मिलने वाले हैं। मैंने चार्ज नहीं लगाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मेरा कोई मिलने वाला नहीं है। वह कांग्रेस का सदस्य है ...(व्यवधान) उसे पकड़कर जेल के कठघरे में डाला जाय और साथ में प्रकाश बैरवा को भी ले जाया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : उसमें निवेदन मुझे यह कहना है कि जो 868 कट्टे पकड़े गये हैं, सोसाइटी के अन्दर डाले हुए हैं, वहां के ग्रामीणों को पुरानी रेट पर

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

बेचा जाय और ये कट्टे कहां से आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिये।

दूसरी बात, जो हनुमान बीज भण्डार है, उसको ब्लेक लिस्ट घोषित कर उसका लाइसेंस जब्त किया जाय। क्या मंत्रीजी इसमें जवाब देंगे कि ये कट्टे काश्तकारों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादी लाल मीणा। (व्यवधान) ... बिराजिये। इस पर बोल रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि राजस्थान के वेयरहाउस में काफी मात्रा में डी. ए. पी. खाद पड़ा है और भारत सरकार से राजस्थान को क्लियर आदेश आए हुए हैं कि 21 तारीख से पहले, चाहे स्टेट वेयरहाउस हो चाहे सेन्ट्रल वेयरहाउस हो, उस खाद को पुरानी रेट पर ही किसानों को दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा पंडितजी ने बताया, हालात यह है कल मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गया था, एक भी कट्टा किसी कीमत में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, आज हालत हो यह गई है कि किसानों को एक भी कट्टा नहीं मिलने के कारण सरसों की बुवाई रूक गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि यहां नई रेट और पुरानी रेट का मामला किसानों के सामने उलझा हुआ है, उसके बारे में सरकार एक स्टेटमेंट दें जिससे स्थिति क्लियर हो जाय कि कौनसी खाद तो नई रेट पर मिलेगी और कौनसी खाद पुरानी रेट पर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय शांतिलाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय शांति लाल जी

श्री शांतीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 व 25-9-92 को चित्तौड़ जिले से गोसुण्डा पुलिस चौकी में पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई और यातना के कारण राजेश गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

इसके बारे में शोर्ट में वाकया आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। दिनांक 24. 9. 92 को राजेश उदयपुर से प्रातः काल वाली ट्रेन से चित्तौड़ आ रहा था। उसके पास टिकट नहीं था। टिकट नहीं होने के कारण नेतावल स्टेशन पर उसे रेल्वे वालों ने उतार दिया। वहां पर कमीशन पर टिकट बेचा करता था गोपाल सिंह, उसने उसकी निर्मम पिटाई की और उसके बाद में गोसुण्डा चौकी की पुलिस की सुपुर्दगी में उसको दे दिया। पुलिस चौकी में भी उसकी निर्मम पिटाई की और अगले दिन 25. 9. 92 को प्रातः काल उस पर यह चार्ज लगा दिया कि इसने स्वयं ने केरोसीन अपने ऊपर डालक आत्महत्या कर ली। जबकि वहां पर चर्चा इस प्रकार की थी कि जब उसकी इतनी पिटाई की तो पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था कि इसके बारे में हम किस तरह से स्थिति को एक्सप्लेन करेंगे तो उन्होंने जान-बूझकर वहां पर जो केरोसीन उपलब्ध था वह उस पर डालकर आग लगा दी गई और उसका नतीजा यह निकला कि 25.9.92 को रात्रि 11.30 बजे चित्तौड़गढ़ अस्पताल में मृत्यु हो गई।

(श्री शांतिलाल)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब रेल्वे में वह बिना टिकट यात्रा कर रहा था तो सिविल पुलिस का वहां क्या ज्यूरिस्डिक्शन था। सिविल पुलिस ने नेतावल स्टेशन से उसको किस प्रकार अपनी गोसुण्डा पुलिस चौकी पर लाई। अब पुलिस इस पर लीपापोती कर रही है। जान-बूझकर एक अपराध में उसकी एफ. आई. आर. दर्ज कराई है पुलिस ने। जबकि सिविल पुलिस का उस पर कोई अधिकार नहीं था और रेल्वे पुलिस का अधिकार था, रेल्वे पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिये थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। पुलिस जान बूझकर उन पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा उन तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलम्बित कर दिया जबकि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था और हत्या का मामला दर्ज कराकर उनको अरेस्ट करना चाहिए था और शिथिलता व निष्प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को निलम्बित करना चाहिए था। पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ इतने निष्प्रभावी पुलिस अधीक्षक हैं, अध्यक्ष महोदय, कि उनके टाइम में इस तरह के वाकयात एक नहीं अनेक हुए हैं और माननीय विजयसिंह जी झाला वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और उस कांस्टीट्एंसी का मैं निवासी हूं गोसुण्डा का जहां यह वाकयात हुआ है। मेरा फर्ज है इन तथ्यों के बारे में मैं सदन को और आपको अवगत कराऊंगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, दो घटनाएं इसी तरह की हैं....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपने ध्यान में ला दिया, वो जांच कर लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रसोई गैस के जो वितरक हैं वे ऑयल कम्पनीज के एजेंट्स के रूप में और उनके बिहाफ पर कार्य करते हैं और ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में संसद सदस्या श्रीमती सुधा जोशी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एल.पी.जी. रेगुलेशन एण्ड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, 1988 बना था जिससे गवर्न होते हैं और उसमें भी डी.एस.ओ., एडिशनल डी.एस.ओ. को इनकी जांच पड़ताल करने और नियन्त्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश, 1990 लागू करके दो कानून बना दिए। यानि सेन्ट्रल एक्ट के तहत डी. एस. ओ. कार्यवाही करते थे, अब राजस्थान सरकार का एक कानून और बना करके जो शक्तियां पहले से उनको मिली हुई थी उसको और एडिशनल कर दिया। उससे

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

स्थिति यह बनी कि जिला रसद अधिकारियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इनके यहां कामकाज में दखलदाजी करना शुरू किया और आज पूरे राजस्थान के जितने भी रसोई गैस के वितरक हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी उससे राजस्थान की जनता के सामने एक अजीब संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य और नागरिक रसद मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति ज्यादा बिगड़े, लोगों को रसोई-गैस की किल्लत हो उसके हालत बिगड़े उससे पूर्व इनको वितरकों की एसोसियेशन से बात करके इसका कोई न कोई हल और समाधान निकालना चाहिए। जो ज्यादातर गैस एजेंट हैं उनमें विकलांग लोग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, विधवायें, अपंग और शिक्षित बेरोजगार हैं। इसलिए इसका प्रदेश की जनता पर प्रभाव न पड़े इसके लिए तुरन्त उनको बुलाकर बात करें।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मेडिकल टीचर्स गत 3 सप्ताह से आंदोलनरत हैं और इसके कारण राज्य के मेडिकल कालेजों में शिक्षण कार्य ठप्प पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से दो बात निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह कि आप मेडिकल कॉलेजेज टीचर्स को शिक्षक मानते हैं या नहीं मानते हैं? और यदि मानते हैं तो उनके तीन काम होते हैं- शिक्षण, अनुसंधान और रोगी परिचर्या के। यदि शिक्षक मानते हैं तो उनके प्रमोशन एवेन्यूज के बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्या उनकी पदोन्नति की कोई योजना है? चूंकि यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेन्ट कॉलेजेज में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, वेटेनरी में एक निश्चित पदोन्नति योजना है जो कि मेडिकल कॉलेजेज में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार ने मेडिकल टीचर्स के साथ सन् 1988 में कोई समझौता किया था तो सरकार उसे क्यों नहीं लागू करती? सरकार ने साफ कहा था कि जहां भी स्टेगनेशन आ जायेगा वहां प्रमोशन के एवेन्यूज खोले जायेंगे। इसी के साथ-साथ मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ाने के 13 विषय हैं। 13 में से 8 विषय नॉन क्लिनिकल हैं और इन 8 विषयों में, चूंकि सरकार नॉन प्रेक्टिस अलाउन्स बढ़ाती नहीं है इसलिए मेडिकल कालेजेज में टीचर्स आ नहीं रहे हैं और एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम. एस., एम.सी.एस. हैं उनका भी प्रमोशन नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ बी.ई. इन्जीनियर्स है वे चीफ इन्जीनियर तक पहुंच जाते हैं। वो लोग नहीं आते हैं और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, आपको मालूम भी है कि मेडिकल कॉलेजेज में नान क्लिनिकल स्टाफ में काफी पोस्ट रिक्त पड़ी है। 40 डॉक्टर जो वहां पर लेक्चरर, रीडर थे वे सेवाएं छोड़कर विदेशों में चले गये और 50 ऐसे हैं जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में हैं वे राज्य सरकार की सेवा में तो हैं लेकिन विदेशों में डेपुटेशन पर हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कम से कम....

श्री अध्यक्ष : यही बात बुलाकीदासजी कहने वाले हैं वो कह देंगे।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अभी विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी, इतना ही निवेदन करते हैं कि इतने सीनियर लोग सड़कों पर हैं। आप कृपया उनको बुलाकर उनसे बात करके इस शिक्षण कार्य को दुबारा शुरू करायें इतना आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आश्वासन दिया था कि 3 माह में इसको पूरा कर लेंगे। आज तक तो कोई कार्यवाही की नहीं है। आज सारे राजस्थान के मेडिकल शिक्षक....

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी ने अपना नाम दिया है, उनको बोलने दीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : वो बोल रहे हैं ना महत्वपूर्ण पर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वे सड़क पर खड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी इसी पर तो बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वे कहते हैं चिकित्सा मन्त्रीजी वादा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या आप कल्ला जी को अपने से कम समझते हैं ? वो भी इसी पर बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस मामले में इनकी जानकारी बहुत अधिक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इनको ज्यादा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां।

श्री अध्यक्ष : तो कल्लाजी, आप बैठिये, इनको बोलने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकी जानकारी इसलिए अधिक है कि इनके घर का मामला है श्रीमान्।

श्री बुलाकी दास कल्ला : दोनों को बोलने दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष : वो तो बोल चुके हैं, आपका है।....(व्यवधान).... अच्छा इनके घर का मामला है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, घरेलू मामला है तो फिर कतई नहीं बोलना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर बोलूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने नियम 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था, जिसके अन्तर्गत 24 मार्च को जब सहकारिता की मांग पर बहस चल रही थी और उसमें एक विधिवत्, लीगल नोटिस आपके माध्यम से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसमें तिलम् संघ में ××× सहकारिता सचिव ने जो आपाधापी और भ्रष्टाचार किया है इसके बारे में उन्होंने काफी विशिष्ट व बिन्दुवार जानकारी दी थी और उसके बारे में इन्होंने नोटिस का हवाला देकर अपनी बात कहनी चाही तो माननीय मुख्यमन्त्री जी ने यहां पर खड़े होकर कहा, "ऐसे नोटिस को मैं फाड़कर फैंक देता हूं।" माननीय मुख्यमन्त्रीजी सदन के नेता हैं। वे भाजपा के नेता अपनी पार्टी में हो सकते हैं लेकिन सदन के भी नेता हैं और वे विपक्ष में भी काफी वर्षों तक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये बहुत अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं। इन्होंने इस तरह से बोलकर विधायी कार्य में किसी माननीय सदस्य ने विधिवत् तरीके से....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ? क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में व्यवस्था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके बारे में निवेदन यह है कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद....

श्री अध्यक्ष : अब आज तो अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है। मैं देखता हूं। आप चिकित्सकों के बारे में बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें मौका देकर चर्चा करायें साहब।

श्री अध्यक्ष : वो तो मैं खुद भी देखूंगा कि क्या हो सकता है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज राजस्थान के सारे मेडिकल कालेजों जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर इन सबके लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स विधान सभा के सामने आये हुए हैं। एक तरफ मेडिकल कॉलेजेज के सारे उपकरण खराब हैं, विधान सभा में मुझे जो जानकारी दी उसके अन्तर्गत एक स्थान को छोड़कर प्राय: सभी में कैंसर के इलाज के लिए जो चैक करने वाली मशीन है कोबाल्ट थैरेपी की वो प्राय: सब स्थानों पर खराब पड़ी है और दूसरी तरफ ब्रेन-ड्रेन हो रहा है। हमारे राजस्थान के जो टैक्स पेयर्स द्वारा दिया गया पैसा है जिससे हम डॉक्टर्स को तैयार करते हैं। तैयार होने के बाद वहां पर प्रमोशन एवेन्यूज नहीं होने के कारण विदेशों में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो समझौता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किया था उस समझौते को आप लागू करें। एक्स केडर प्रमोशन हमने इंजीनियरिंग कालेजों में, यूनिवर्सिटीज में और अन्य स्थानों पर लागू किये हैं। इसी तरीके से मेडिकल कालेजेज के टीचर्स को आप एक्स केडर प्रमोशन दें और जो भी उनकी जायज मांगें हैं उनके लिए आप मिल-बैठकर विचार करें अध्यक्ष महोदय, इस मसले को हम इसलिए उठा रहे हैं कि जिन लोगों के आपरेशन किए हुए हैं वह आज वहां कराह रहे हैं, उनकी चिकित्सा करने वाला कोई

××× पदनाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नहीं है। आज हजारों रोगी मेडिकल कालेजेज से सम्बद्ध अस्पतालों में कराह रहे हैं, चीख रहे हैं लेकिन उनका इलाज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई हड़ताल होती है तो सरकार कोई अल्टरनेट व्यवस्था करती है लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में चिकित्सा मन्त्रीजी द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये और उनकी मांगों पर अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। पण्डित रामकिशन....

एक माननीय सदस्य : बोल लिये हैं न श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह आपने एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री आ गये हैं, गैस वितरकों से बात करेंगे या नहीं, वह आ गये श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं....

श्री रामकिशोर मीणा : गैस के बारे में आपने कुछ मुद्दा उठाया बताया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्षजी, मैंने भी एक पत्र लिखा था आपको....

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस डीलर्स के द्वारा....

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात कह दूं ताकि उसका साथ के साथ जवाब आ जाय....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं आपको पहले लिखकर देना चाहिए। यहां आकर आफ्टर थाट नहीं होता है, बाकी सबने पहले दिया है....

श्री रामनारायण वर्मा : यह गलती तो सुबह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये तो सही....

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो बैठ जाऊंगा श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष : उनको तो बोलने दीजिए, क्या आप ...

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा गैस डीलर्स के द्वारा आज से प्रस्तावित जो हड़ताल है उसके बारे में शायद बोला गया था....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं, आप बीच-बचाव करके सुलटाइये....

श्री रामकिशोर मीणा : अभी भी वार्ता चल रही है। मैं इसी की जानकारी लेने के लिए गया था और उनसे वार्ता चल रही है। यदि वह हो जाती है तो ठीक है अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : मतलब आप-बचाव कर रहे हैं न उसका....

श्री रामकिशोर मीणा : हां, बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : करिये। पण्डितजी.... (व्यवधान) एक मिनट; एक मिनट।

(श्री अध्यक्ष)

व्यासजी, आप क्या बोल रहे थे....(व्यवधान) सुरेन्द्र व्यास, आप बोल रहे थे....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मन्त्री महोदय जवाब क्या देंगे फिर....

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे थे.... (व्यवधान) एक मिनट बैठिये, क्या पूछ रहे थे आप ? आप पूछ रहे थे कुछ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब आया नहीं....

श्री अध्यक्ष : आ गया मंत्रीजी का, वह जो चाहते थे वह जवाब आ गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मन्त्रीजी तो जवाब दे दें अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ललित जी दे रहे हैं तो मुझे पता नहीं. वह खड़े होंगे तो मैं उनको बुलाऊ कर दूंगा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने खाद के बारे में कहा था। मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाइये, क्या करेंगे उसका....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। खाद के बारे में जवाब देंगे। हां, क्या पूछ रहे थे आप .. (व्यवधान) एक मिनट, आप इनको सुनिये तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने, अध्यक्ष महोदय, एक पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है आज, आपको मिला होगा....

श्री अध्यक्ष : मिल गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उसके विषय में मैं आपसे....

श्री अध्यक्ष : मुझे आप यह बता दीजिए कि किस रूल में किया है ताकि निर्णय कर दूं मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं. आपने किस रूल में किया है....

श्री अध्यक्ष : आपने जो पत्र दिया है उसमें आपने रूल कोट नहीं किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : तो आप मुझे बता दीजिए, उस पर निर्णय कर दूंगा मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं,मेरा जो आलरेडी पेण्डिंग है न अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल है अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी रूलिंग ...

श्री अध्यक्ष : अच्छा उस पर करना है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां।

श्री अध्यक्ष . पेण्डिग है उस पर करना है। अच्छा, वह कर दूंगा। समझ गया। आपसे पूछना यही था कि किसी रूल में दिया है तो रूल में निर्णय करूं। अब आप उसको उस एडजोर्नमेन्ट मोशन से रिलेटेड बताते हैं तो वैसे कर दूंगा। I will decide it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने परसों ...

श्री अध्यक्ष : हां, हां....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने एक पत्र भी लिखा था ...

श्री अध्यक्ष : हां, विधान सभा के सत्र के सत्रावसान के पहले-पहले कर दूंगा। बैठिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। अब यह बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप स्वयं और सारे राजस्थान के जन प्रतिनिधि इस बात से चिन्तित हैं, खाद की जो आपूर्ति स्टाक में आज खाद पड़ा हुआ है, मिल ही नहीं रहा

श्री अध्यक्ष : अब आप खाद पर आ गये ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : हो गया वह तो, बहुत हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हो तो गया.... (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : ब्लैक हो रही है खाद, हजारों कट्टे पकड़े जा रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा मन्त्रीजी का, सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए, काश्तकारों का टाइम है, सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए मंत्रीजी का.... (व्यवधान) खाद के बारे में, पकड़े गये हैं कट्टे, 1500 कट्टे पकड़े गये हैं.... (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : खाद का मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। प्लीज, बैठिये। एक मिनट बैठिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह चिन्ता का विषय है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये.... (व्यवधान) एक मिनट बैठिये श्रीमानजी। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो खाद का स्टाक आपके पास पड़ा हुआ है वह किसानों को मिल जाय, क्योंकि वैसे तो यह सारा सेन्टर से रिलेटेड है (व्यवधान) आप क्यों खड़े हो गये, बैठिये एक मिनट....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : ब्लैक हो गया उसके बारे में क्या जवाब दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट-डाउन। आप बैठिये तो सही।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकार के वेयरहाउसेज में पड़ा हुआ है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। इस संबंध में जो स्टाक पड़ा हुआ है वह तुरन्त किसानों को मिल जाय, इसके बारे में आप अपनी बात कल कहना चाहें तो पूरा पता कर लीजिए और कल इसके बारे में कह दीजिए। किसानों को खाद की किस तरह से आप व्यवस्था कर रहे हैं, कल बता दीजिए....(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह भी बतायें कि जिलेवार किस जिले में कितना स्टाक है ...

श्री अध्यक्ष : वह बता देंगे। कल बता दीजिए। कल बताइये....

श्री रतनाराम चौधरी : कुल कितना स्टाक है और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी। अब हो गया।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : जो खाद पकड़ा गया उसके बारे में क्या जवाब दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : हो गया, कल....(व्यवधान) आपके इनको समझाओ, इनको समझाओ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अब की साल राजस्थान में अच्छी बरसात हुई। भरतपुर जिले की स्थिति यह है कि यह बरसात होने के बाद भी हमारे जिले में 198 के करीब बांध हैं जो रूपारेल, बाणगंगा और गम्भीर नदी से भरते थे। उनमें से 15–20 के अलावा सारे बांध खाली पड़े हुये हैं। इसका कारण यह है कि कई वर्षों से बरसात नहीं होने की वजह से नहर-नालियां टूटी पड़ी हैं उनकी मरम्मत नहीं हुई। इसके साथ जो थोड़ा-बहुत पानी आता था वह पांचेदे में रोक दिया गया। नतीजा यह है भरतपुर जिला, जो आमदनी की दृष्टि से, पैदावार की दृष्टि से राजस्थान में सबसे आगे था उसकी स्थिति आज सबसे ज्यादा खराब है और कई गांवों में तो पीने का पानी भी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मंत्रीजी से, कि अब की दफा एक बार भरतपुर का दोबारा सर्वेक्षण करवायें और हमारे यहां पानी जितना आता है, हमें जो पुराना पानी मिलता था उतने पानी की व्यवस्था करने के बाद सरप्लस वाटर को कहीं रोक लें। दूसरी स्थिति यह है जो नहर वगैरह टूटी पड़ी हैं उनकी मरम्मत हो, मैं नहीं कह सकता कि अगली साल बरसात होगी या नहीं, फिर भी तैयार रहनी चाहिए जिससे पानी मिल सके। यहां राज्य सरकार ने एक दृष्टिकोण बना रखा है कि भरतपुर में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को तो दो सजा। मैंने खुद पिछले सेशन में कुछ मामले उठाये थे वह दबा दिये उलटे। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर भरतपुर को बजट नहीं देना और बजट नहीं देने की वजह से अब की साल जो हमें नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। अध्यक्ष महोदय हमारे यहां जब कभी ज्यादा पानी आता भी है तो केवल एक बिचूना नहर बनी हुई है गम्भीर नदी के पानी को लेने के लिए, उसकी केपेसिटी कम है। अब की साल अगर हमारे पास कोई दूसरी नहर होती या और केपेसिटी ज्यादा पानी लेने की स्थिति होती तो हमारे भरतपुर जिले में कई इलाकों में पानी पहुंच जाता। कुम्हेर में, नदबई में, डीग में, भरतपुर के कई गांवों में और बैर तहसील में आज भी ऐसी स्थिति है कि इतनी बरसात के बाद भी कई गांवों में पीने का पानी नहीं है और मैं समझता हूं, राज्य सरकार की उपेक्षा जिस तरह भरतपुर जिले के प्रति बढ़ती जा रही है, नया कोई बांध बनता नहीं, हमारे पुराने बांधों का सिस्टम ठीक होता नहीं, बजट वहां मिलता नहीं और बजट मिलता भी है तो वहां जो गड़बड़ होती है, कोई उसकी देखभाल होती नहीं नतीजा यह है कि भरतपुर जिले को सब तरह से पानी के अभाव में

(श्री रामकिशन)

अपनी जिन्दगी बितानी पड़ रही है। तो मैं तो राज्य सरकार से केवल इतना सा चाहूंगा कि अब की साल को आधार मान कर, जैसे बाणगंगा नदी में अब की बार बहुत कम पानी था, हम तो यही मानते हैं इतना ही पानी जायेगा, लेकिन वह पानी भी वेस्ट चला गया क्योंकि नदी ने कुछ कोर्स बदल लिया और बाणगंगा की जो तीन-चार नहरें थीं पथेने नहर, रमेशस्वामी नहर, मूड़ियालता नहर, हलेना नहर, वह नहरें चली नहीं। जब यह बरसात हो रही थी तो मैंने मंत्रीजी को टेलीफोन भी किया था तो या तो वह समझे नहीं और वह कहने लगे, ठेकेदार कह रहे हैं, कुछ अन्दाज तो लगता नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना कम पानी अब की साल गया है, इतना ही पानी आये, उस पानी को किस तरह से उन बांधों में पहुंचाया जाय, इसकी व्यवस्था करने की कार्यवाही राज्य सरकार करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव श्री दयाराम परमार।

सूचना
चिकित्सकों का विधान सभा भवन पर प्रदर्शन

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पाइंट आॅफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जिक्र किया था, पाइंट आॅफ इन्फोर्मेशन कि राजस्थान के सभी डाक्टर्स का बहुत बड़ा प्रदर्शन विधान सभा के बाहर हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : हो गया न। वह चर्चा हो गई।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय सुन रहे हैं उनको बोलना होता तो बोल देते।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट, आॅफ इन्फोर्मेशन में बात यह है, विधान सभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, न तो आप बाध्य कर सकते, न मैं बाध्य कर सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, तो यह बात तो आपके माध्यम से मैं कह दूं। क्योंकि विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हो सकता है। आज की इस हड़ताल के कारण पूरे राजस्थान में और फैल सकती है, आज तो एक दिन की हड़ताल है, कल, स्थिति यह हो सकती है कि राजस्थान में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जीरो आवर के बाद बात करने वाला हूं। प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत चल रही है बहुत समय से, अभी फिर बात करने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। चलिये, हो गया। श्री दयाराम परमार।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रसाविकाओं के स्थानान्तरण के फर्जी आदेश

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रसाविकाओं के स्थानान्तरण के फर्जी आदेश जारी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि श्रीमती तुलसी भगोरा, प्रसाविका राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सियाग जिला जालौर में कार्यरत थी जिनका स्थानान्तरण चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक दृष्टि से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऋषभदेव के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र डेरी में करने के आदेश दिनांक 10.12.91 को निदेशक के कार्यालय से जारी किये गये। इसी प्रकार श्रीमती पूर्णलता, प्रसाविका, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गावड़ावाल में कार्यरत थी जिनका स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछीवाल में किये जाने के आदेश जारी किये गये। इन दोनों प्रसाविकाओं को अपने प्रभारी अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना में स्थानान्तरित स्थानों पर जाने के लिए कार्यमुक्त किया गया और दोनों ने अपने-अपने स्थानों पर कार्यभार संभाल लिया। तत्पश्चात् अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय से दिनांक 1.12.92 को एक आदेश जारी करके उन दोनों प्रसाविकाओं को निलम्बित कर दिया है और उस आदेश में यह कहा गया है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच अपेक्षित है।

अत: लेकिन अभी तक विभागीय जांच कुछ भी नहीं हुई है और दोनों प्रसाविकायें निलम्बित चली आ रही है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि यदि स्थानान्तरण के आदेश फर्जी थे तो उन दोनों प्रसाविकाओं की क्या गलती थी ? उन्होंने तो राज्य सरकार के आदेशों की पालना करने के लिए प्रभारी अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त करने के बाद दूसरे स्थान पर कार्यभार संभाला था तो निलम्बित क्यों किया गया ? जबकि फर्जी आदेश निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से जारी हुए हैं और ये आदेश फर्जी हैं तो फर्जी आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच करके निलम्बित किया जाना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए उन दोनों प्रसाविकाओं को निलम्बित किया है।

अत: मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रसाविका श्रीमती तुलसी भगोरा एवं श्रीमती पूर्णलता को तत्काल बहाल किया जाये और स्थानान्तरण के फर्जी आदेश जारी करने में जो व्यक्ति सम्मिलित हैं उनको तत्काल निलम्बित करके कानूनी कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में ऐसे फर्जी आदेश जारी न हों।

श्री अध्यक्ष : रामनारायण वर्मा,

अजेता से रायथल (बूंदी) तक सड़क निर्माण

श्री रामनारायण वर्मा(नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, तहसील एवं जिला बूंदी के अन्तर्गत आने वाले दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों

(श्री रामनारायण वर्मा)

अजेता एवं रायथल को सम्पर्क सड़क से जोड़कर इस क्षेत्र के विभागों की कृषि उपज मंडी बूंदी में सुविधापूर्वक जाने हेतु अजेता से रायथल तक सड़क निर्माण के लिए कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी ने बजट स्वीकृति हेतु दिनांक 9-4-77 को प्रस्ताव पारित

(12.50 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर विपणन बोर्ड को भिजवाया जाने पर विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 30-4-77 को बजट स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्य प्रारंभ करने के विभिन्न समाचार पत्रों के जरिए निविदायें आमंत्रित करके कार्यादेश जारी करने हेतु पत्र तैयार कर लिये जाने के उपरान्त अभी तक भी सड़क निर्माण नहीं करवाया है। उक्त सम्पर्क सड़क के स्थान पर पानी भर जाने एवं कीचड़ हो जाने से आवागमन हेतु जनहित को मद्देनजर रख करके कार्य करवाया जाना आवश्यक होते हुए भी तत्कालीन प्रशासक एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति बूंदी ने रास्ता खराब होने से रोड रोलर एवं निर्माण सामग्री नहीं पहुंचने का बहाना बना कर कार्यादेश जारी नहीं किये थे। जबकि रास्ता खराब होने के कारण ही इस सड़क का निर्माण अति-आवश्यक है। सही स्थिति यह थी कि अधिकारियों की इस सड़क के ठेकेदार से कमिशन के मामले में तालमेल नहीं होने की वजह से ही सड़क निर्माण नहीं करवाया जाकर रास्ते में पानी भरा होने संबंधी कागजात तैयार करवा करके कार्य नहीं करवाया गया है। गर्मी के मौसम में वहां पर पानी एवं कीचड़ नहीं रहता है। इस सड़क के निर्माण में ढिलाई बरतने एवं जानबूझकर सही तथ्यों को छुपाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सम्पर्क सड़क के निर्माण को रोकने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना प्रशासनिक शुद्धता के लिए आवश्यक है। ठेकेदार को कार्य नहीं कराने के लिए बहाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी के पत्र क्रमांक 65-67 दिनांक 10-4-92 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 अजेता से रायथल सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड को प्रेषित करके पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 7-9-92 से शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग विपणन राजस्थान सरकार, जयपुर को मण्डी शुल्क की आय में से उक्त सड़क निर्माण करवाए जाने के बारे में लिखा है परन्तु शासन द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने में जानबूझकर बहाने बनाये जा रहे हैं जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में भी परेशानी यथावत बनी हुई है। जनभावना को मद्देनजर रखते हुए जनसंमस्या निराकरण करना कल्याणकारी राज्य का प्रथम दायित्व है।

अतः 15 वर्ष पूर्व 1977 में स्वीकृत सम्पर्क सड़क अजेता से रायथल की स्वीकृति को यथावत मान्य रखा जाकर अविलम्ब ही सड़क निर्माण करवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल चौपड़ा

टोडारायसिंह में सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से असुविधा

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय माह जुलाई, 1992 में अतिवृष्टि से मेरे निर्वाचन क्षेत्र

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

टोडारायसिंह में कई तालाबों व बांधों के टूटने की वजह से क्षेत्र में कई जगह से सार्वजनिक विभाग की सड़कें टूट फूट गई जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं करवाई गई। जो सड़कें यह हैं : मौडे से धुवालिया 8 कि.मी. के पास से सड़क टूटकर 10 फुट गहरा खड्डा पड़ गया है। ग्राम नासोरडा में बाढ़ की वजह से ग्राम नाश्रीदा के पास सड़क टूट कर करीब 6 फुट गहरा खड्डा पड़ गया है। इसी प्रकार टोडारायसिंह से केकड़ी रोड पर ग्राम दाबड़हूम्बा के पास सड़क टूट गई व टोडारायसिंह से भिराना रोड पर ग्राम नानेर के पास सहोदरा नदी पर अकाल राहत कार्यों के तहत पुलिया बनाने हेतु 8 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे सो विभाग के अधिकारियों ने उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं करवाया तथा जो कार्य हुआ उससे सड़क बिल्कुल ही टूट गई जिससे टोडारायसिंह तहसील हैड क्वार्टर से जिला हैड क्वार्टर टोंक का संबंध बिल्कुल छूट गया। टोडारायसिंह से टोंक वाया भिराना 70 कि.मी. है लेकिन सहोदरा नदी पर नानेर के पास सड़क के टूटने से ग्राम आदमी को जिला टोंक हैड क्वार्टर जाने के लिए वाया मालपुरा होकर जाना पड़ता है जो मार्ग टोडा से टोंक वाया मालपुरा 105 कि.मी. की दूरी पर पड़ता है। इस प्रकार ग्राम गरीब आदमी को करीब 12 रुपया अधिक किराया आने जाने का देना पड़ता है जो गरीब जनता पर भार है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में बाढ़ से टूटी हुई उपरोक्त सड़कों को तैयार करवाने की कृपा करें। विशेष तौर से मोर पवारिया रोड पर ग्राम बवाड़िया से 3कि.मी. ग्राम नांदोलाई की तरफ उक्त जगह सड़क के ऊपर एनीकट बना हुआ है। उससे गत वर्ष भी सड़क टूट गई तो उसका स्थाई निराकरण तब हो सकता है कि सड़क के ऊपर की ओर कम से कम करीब 1000 फुट साईवाल बनाना चाहिए। बिना साईवाल बने उक्त सड़क उक्त जगह से हर साल टूटेगी।

अतः उक्त रोड पर साईवाल बनाकर मरम्मत करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर

मेडिकल कालेजों में सहायक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसरों के पद लम्बे समय से या तो रिक्त पड़े हैं या फिर उन्हें अस्थाई तौर पर भरा हुआ है। इन पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास काफी समय पूर्व रिक्त पदों को भेजा गया है परन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग उन्हें एडवरटाइज कर उनकी परीक्षा नहीं ले रही है तथा जिन कुछ विभागों की उन्होंने एडवरटाइज कर दी है उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। इससे अस्थाई तौर पर काम कर रहे मेडिकल टीचर्स व अन्य प्रार्थियों का काफी समय से भविष्य अनिश्चित चल रहा है साथ ही जनता व मरीजों को असुविधा बढ़ रही है।

अस्थाई सहायक प्रोफेसरों का अभी तक सरकार तयशुदा वेतन नहीं दे रही है। कुछ विभागों में अस्थाई सहायक प्रोफेसरों को गत दिसम्बर, 91 से वेतन नहीं मिल

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

रहा है तथा कुछ विभागों ने इन सहायक प्रोफेसरों का वेतन अगस्त माह तक देने के आदेश निकाले हैं। इस प्रकार एक तरफ वेतन नहीं मिल रहा तथा दूसरी तरफ भविष्य का भी अभी तक तय नहीं है। असमंजसता की हालत बनी हुई है जिससे उक्त सहायक प्रोफेसरों में असन्तोष है।

उक्त अस्थाई सहायक प्रोफेसरों के पद स्थाई तौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा से भरे जाने हैं परन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार यह सब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से नियम तय न होने के कारण अभी तक इन पदों की परीक्षा नहीं ली जा सकी है जिससे विभिन्न विभागों में उक्त पद स्थाई तौर पर नहीं भरे गये हैं जो विभागों में सहायक प्रोफेसरों के पद स्थाई तौर पर भरे जाने हैं वे हैं :-

1. चैस्ट व टी बी.
2. आर्थोपेडिक
3. निश्चेतक विभाग,
4. यूरोलोजी
5. नाक कान गला
6. नेत्र रोग विभाग
7. प्लास्टिक सर्जरी
8. सामान्य शल्य चिकित्सा
9. शिशु रोग विभाग

राज्य सरकार का मानना है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सब आरक्षित पद भर दिये गये हैं जबकि वास्तविकता यह है कि गत दो साल से विभिन्न विभागों में आरक्षित पद राज्य सरकार ने अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी तक स्थाई तौर पर भरने हेतु पद एडवरटाइज ही नहीं किये हैं।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि सभी मेडिकल कालेजों में स्थाई सहायक प्रोफेसरों के पदों को स्थाई रूप से भरे जावें। जिससे असमंजसता की स्थिति समाप्त हो तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कभी भी बाधा न आवे।

अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव है जिस पर शीघ्र कार्यवाही करवायें।

(1.00 म. प)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 295 में दिया है, इन्होंने कहा, अस्थाई रूप से तो सरकार ने तो भर रखे हैं किन्तु लोक सेवा आयोग ने नहीं भरे हैं, उसका स्वास्थ्य मंत्री क्या कर सकता है? इसलिए हमने वहां रिक्विजिशन भेज दिया है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष :.... कर चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने लिखा है; उनकी प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा है हमने इसलिए अस्थाई रूप से यहां भर रखे हैं। उनके पास रिक्विजिशन बहुत पहले चले जा चुके हैं। हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वे जल्दी से जल्दी आर. पी. एस.सी. का सलेक्शन करके भिजवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बालचंद आर्यवीर

झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर्स

श्री बालचंद आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा को

(श्री बालचंद आर्यवीर)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र के 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले हुए है। वर्षा के अभाव के कारण किसान अपनी फसलों को पानी देना चाहते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण किसानों में भारी रोष है। किसानों की फसलें जल रही हैं, जिला केन्द्र झालावाड़ में जो भी ट्रांसफार्मर आते हैं वह एस ई. और जिला केन्द्र के एक्स. ई.एन. अन्य स्थानों पर भेज देते हैं। जबकि जिले में अन्य स्थानों पर ट्रांसफार्मर सरप्लस पड़े हुए हैं। इसमें अधिकारियों की चाल है और डग विधान सभा क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। इसी प्रकार विद्युतीकरण का जितना भी मैटेरियल, तार, खम्बे, जो भी सामान आता है, वितरण में भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय तथा जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनकी तुरन्त व्यवस्था की जाय और डग विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और एलॉट की जाय, जिले में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीचंद मेहता।

सांचौर में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त बांध

श्री लक्ष्मीचंद मेहता (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में राजस्थान के बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री का ध्यान राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन सम्बन्धित प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं।

इस वर्ष अतिवृष्टि से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई एवं सितलवाना एवं केरीया के बने बन्धों के टूटने से पानी ने बहाव दिया है जिससे सितलवाना ग्राम व केरीया ग्राम की आबादी को भयकर खतरा हो गया है व उन बन्धों का सर्वे कर स्थिति को नहीं सुधारा गया तो दोनों गांवों की आबादी को भारी नुकसान होगा व सब लोग बेघरबार हो जावेंगे व जन व धन की भयंकर क्षति होगी अतः राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के295 के अन्तर्गत माननीय बाढ़ एवं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उपरोक्त बांधों की पुनः सर्वे कराई जाकर गांवों को बाढ़ से बचाये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित)

माननीय श्री शिव किशोर सनाढ्य। ....(व्यवधान) ... कृपया शान्त रहिये। प्लीज।....(व्यवधान)...

आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनुशासनहीनता

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : पड़ौस में पधार जाइये; थोड़ा व्यवधान नहीं होवे।....(व्यवधान)....

(श्री उपाध्यक्ष)

और भी बहुत जगह हैं ऐसी बातें करने को तो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अकुशलता दायित्वहीनता व भ्रष्टाचार से आयुर्वेद विभाग जिस तरह से ग्रस्त है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने ही आदेशों की पालना नहीं करा पाता है। परिणामस्वरूप अनुशासनहीनता, उदण्डता चरम सीमा पर पहुंच गई है।

आयुर्वेद निदेशालय के आदेश क्रमश: 16191 दिनांक 30.6.90 की पालना में आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने दिनांक 8.7.90 से श्री सत्यनारायण शर्मा कम्पाउण्डर का आयुर्वेदिक औषधालय, सिन्धी बाजार, उदयपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फुलिया खुर्द, भीलवाड़ा में स्थानान्तरण किया गया। श्री शर्मा ने पालना नहीं की। श्री शर्मा को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त रहा है और पूर्व कांग्रेस मन्त्रियों के संरक्षण के फलस्वरूप वे उदयपुर से जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आयुर्वेद औषधालय के प्रभारी अधिकारी की रत्तीभर परवाह नहीं की तथा कमरों पर ताले लगाकर छुट्टी लेकर चले गये। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी ने श्री शर्मा को आदेश दिनांक 3.8.90 से फुलिया कलां भीलवाड़ा हेतु कार्यमुक्त कर दिया तथा श्री शर्मा को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना दे दी गई। यह सूचना संबन्धित सभी अधिकारियों को भेज दी गई पर श्रीशर्मा ने अग्रिम राशि भी उसके लिए प्राप्त कर ली जो दिनांक 31.7.90 द्वारा आयुर्वेद अधिकारी ने 2,220/– रुपये दिए। इसी तरह एल. पी. सी. क्रमांक 5053 दिनांक 21.8.90 को जारी कर दिया गया।

लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि श्री शर्मा ने फुलिया खुर्द औषधालय में कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया। तत्कालीन आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर की मिलीभगत व राजनैतिक संरक्षण के होते हुए उन्हें कतई चिन्ता नहीं थी। इसी बीच अजमेर में अदालत से स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश लेकर आ गये और आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 26.10.90 के द्वारा उन्हें औषधालय, सिन्धी बाजार, उदयपुर में नियम कर कार्य पर लेने के आदेश दिये और श्री शर्मा दिनांक 27.10.90 से वापस सिन्धी बाजार, औषधालय, उदयपुर में कार्य करने लग गये।

स्पष्ट है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी और निदेशालय में श्री सत्यनारायण शर्मा के प्रति विशेष सहानुभूति थी, जब श्री शर्मा को 30.8.90 को फुलिया खुर्द, जिला–भीलवाड़ा चिकित्सालय में रिलीव कर दिया और एल. पी. सी. काट दिया गया तथा अग्रिम राशि दे दी गई तो वापस किन तथ्यों को देखते हुए अदालत की बात को बीच में लेकर 26.10.90 के आदेश से सिन्धी बाजार, उदयपुर में रखे जाने की कोई तुक नहीं थी। यह स्पष्टत: राज्यादेश की उपेक्षा और मनमाने रूप से एक व्यक्ति को राजनैतिक संरक्षण देने का मामला है जिसमें विभाग लिप्त है। श्री शर्मा ने राज्य सरकार के विरुद्ध एक वाद न्यायालय में दायर किया और स्थगन आदेश प्राप्त किया था जो बाद में खारिज हो गया। यह कहना कि श्रीशर्मा को आदेश

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नहीं मिला और उनका रजिस्टर्ड पत्र वापस लौट आया तथा वे अवकाश पर थे, तर्कहीन, बेईमानी और प्रशासनिक शिथिलता का उदाहरण है। श्री शर्मा को रिलीव होने पर फुलिया खुर्द जाना चाहिये था और चार्ज अगर नहीं दिया था तो पुनः उन्हें बुलाकर के चार्ज लिया जा सकता था। इस बीच श्री शर्मा अनेकों मीटिंगों में, जिसमें उनको ऑन ड्यूटी प्राप्त हुई, वह समय-समय पर इन अधिकारियों से मिलते रहे, सचिवालय में आते रहे हैं लेकिन इनको कहा गया कि यह छुट्टी पर हैं।

श्री शर्मा ने गत चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के पम्पलेट छपवाये, लोगों को कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार वे राजनैतिक दल के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। श्री शर्मा के स्थानान्तरण को यों ही सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आयुर्वेद अधिकारी के चिकित्सालय के कमरों को अपने ऐशो-आराम की जगह बना रखी है। एक कमरा उनके सोने-रहने के काम में आने लगा है और वे गरीबों के मरीजों को, जो वहां आते है, उनकी बिना चिन्ता किए आराम से उस औषधालय में बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में जनता की मांग पर किये गये इस स्थानान्तरण को उद्देश्यहीन करार देना सरासर राज्यादेश की उपेक्षा, जन भावना के विरुद्ध और राजनैतिक सरंक्षण अधिकारियों द्वारा दिया जाना है। उदयपुर की जनता में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है। श्री सत्यनारायण शर्मा अभी भी सिन्धी बाजार, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उदयपुर में हैं और प्रशासन लाचार होकर देख रहा है। इससे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। श्री शर्मा पर अन्य अनेकों तरह के भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता के आरोप हैं।

आयुर्वेद मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह इनकी पूरी फाईल मंगा कर देखें और तत्काल आदेशों की पालना कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। हां, कह रहे हैं आप।

श्रीमती विद्या पाठक (आयुर्वेद मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि जो इस तरह की जानकारी 295 की सदन से डिपार्टमेण्ट को और मन्त्री को मिल जाती थी। मुझे नहीं मालूम डिपार्टमेंट को मिली है कि नहीं पर सदन से मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि यह मिल जाती तो यह तो डोक्यूमेण्ट्री चीज है, बाहर कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ता। इस पर कोई निश्चित जवाब दिया जा सकता था परन्तु यह सही है कि माननीय सदस्य ने जो कहा वह बहुत गम्भीर अनुशासनहीनता है। इस अनुशासनहीनता के लिए जो इन्कंबेन्ट हैं, कम्पाउण्डर्स हैं या इसको पालना नहीं करवाने के लिए किसी की कण्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, उस पर कार्यवाही एक महीने के भीतर कर ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नहर बांध एवं खड़ीनों की मरम्मत

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये सिरोही शिवगज में वर्ष 1990 तथा 1992 में हुई अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए बांधों, खडीनों, नहरों एवं एनीकट्स के बारे में सिचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वर्ष 1990 में जो बांध, नहरें, एनीकट आदि क्षतिग्रस्त हुए थे, अभी तक उन-सभी की पूरी तरह मरम्मत भी नहीं हो पाई थी, इस बार की वर्षा से फिर अनेकों नहरें, बांध एवं खटीन इत्यादि पुनः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह पर नदी नालों के बहाव बदल जाने के कारण पानी बस्तियों में घुस जाने से लोगों के जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, बुवाई का समय भी नजदीक आ गया है तथा परमात्मा की असीम कृपा से इस बार सभी बांध लबालब भर गये हैं। मानसून देरी से आने के कारण इस बार खरीफ की बुवाई तो नहीं हुई परन्तु रबी की भरपूर फसल प्राप्त करने के लिए हमारा किसान आशान्वित है। महोदय, अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में नहरों द्वारा पानी देना अति आवश्यक हो जायेगा परन्तु सारी नहरें टूटी फूटी होने के कारण पानी खेतों में पहुंचाना मुश्किल हो जायेगा। अतः मेरा सदन के माध्यम से सिचाई मन्त्री जी को अनुरोध है कि समय की कमी को देखते हुए सिरोही शिवगंज की निम्नलिखित नहरों की मरम्मत हेतु प्राथमिकता से राशि उपलब्ध करावें:-

1. ओडा नहर एवं उसकी माइनरें, 2. गोडाना बांध की नहरें, 3. ध्रुवाना बांध की नहर, 4. कृष्णा सागर नहर, 5. काना कोलर नहर, 6. करणं सागर नहर, 7. अणगोर बांध माइनरें 8. धान्ता बांध की माइनरें, 9. ओडा फीडर। साथ ही निम्नलिखित बांधों की मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध करावें:-

1. ओडा बांध, 2. गोडाना बांध, 3. बाना ध्रुबांध, 4 करसागर, 5. काना कोलर, 6, कमेरी बांध, 7. तून बांध।

मेरे क्षेत्र में निम्नलिखित खडीनों एवं एनीकट की मरम्मत करवानी भी आवश्यक है:-

1. पुरानी खडीन, 2. ईडर खडीन, 3. बड़प खडीन, 4. कृष्ण गंज खडीन तथा नाला एनीकट, मोछाल एनीकट, देवों का बेरा एनीकट, झलदरी एनीकट छीबागांव एनीकट, बड़ावेर एनीकट।

इसके अलावा निम्नलिखित गांवों में बाढ़ बचाव कार्य करवाया जाना भी बहुत जरूरी है:-

1. राड़बवर बाढ़ बचाव, 2. चूली बाढ़ बचाव, 3. सुधारों का गुढ़ा बाढ़ बचाव, 4. रूखाडा बाढ़ बचाव, 5. पोसालिया बाढ़ बचाव, 6. जोयला बाढ़ बचाव, 7. केराल बाढ़ बचाव, 8. लखमावा बाढ़ बचाव, 9. मोचाल बाढ़ बचाव, 10. जोगापुरा बाढ़ बचाव, 11. छोटा लोटीवाड़ा बाढ़ बचाव, 12. जुबेली गंज बाढ़ बचाव, 13. माडांनी बाढ़ बचाव, 14. बरलूट बाढ़ बचाव. 15. मंडवारिया बाढ़ बचाव एवं 16. मणाटर बाढ़ बचाव।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मान्यवर उपरोक्त सभी कार्यों को करवाया जाना अति आवश्यक है जिसमें नहरों की मरम्मत अविलम्ब करवानी जरूरी है क्योंकि बुवाई शुरू हो गई है तथा लगभग एक माह बाद खेतों की पिलाई शुरू हो जावेगी। यदि नहरों की मरम्मत शीघ्र नहीं करवाई गई तो काश्तकार परमात्मा द्वारा की गई मेहरबानी से वंचित रह जायेंगे। इसी प्रकार सिरोही के कमेरी बांध में वर्ष 1990 में पहली बार पानी आया था तथा बांध पूरा भरे बिना ही टूट गया था। इस बांध को टूटे आज दो वर्ष हो गए हैं परन्तु बांध के पुनर्निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की गई जबकि इस बांध की फीडर पर प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। जब बांध की मुख्य पाल टूटी हुई है तथा बांध भरेगा नहीं तो इस फीडर का क्या उपयोग है और इस पर विभाग द्वारा किये जा रहे खर्चे का क्या औचित्य है? इस बांध के टूट जाने के कारण, आज वर्षा बन्द हुए लगभग 20 रोज हो जाने के बावजूद कमेरी नदी चल रही है तथा इसके कारण बाड़ी गांव का समस्त आवागमन रुका हुआ है और बाड़ी गांव की जनता को इस नदी के कारण बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार एक-एक बूंद जल के उपयोग की बात करती है और दूसरी तरफ कमेरी बांध जैसे उदाहरण हैं जो आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार एवं विशेष तौर से सिंचाई मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि उपरोक्त सभी नहरों, बांधों, एनीकट, खडीन आदि की मरम्मत हेतु शीघ्र व्यवस्था कर राशि इत्यादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां, माननीय मन्त्रीजी कह रहे हैं कुछ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह केवल सिरोही जिले तक ही सीमित नहीं रहती। आपने जिस तरह की चिन्ता व्यक्त की है, राजस्थान के विभिन्न भागों से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने मुझे इस बारे में अवगत भी कराया है और इस बात की मांग भी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष जिस तरह की बरसात हुई है यह बहुत लम्बे समय के अन्तराल से हुई है और अप्रत्याशित नहरें भी टूटी हैं, बांधों की भी क्षति हुई है। सामान्यतः जिस तरह का बजट प्रावधान रखा जाता है उस बजट प्रावधान से यह सारी मरम्मत हो सकेगी या बांधों की क्षति ठीक हो सकेगी, यह मैं नहीं मानता। मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उपलब्ध बजट है उससे तो हमने तुरन्त जहां जहां भी सम्भव हो सकता है, नहरें भी ठीक करने और व्यापक स्तर पर यह काम लिया जा रहा है। लेकिन जो उपलब्ध बजट प्रावधान है, उनसे शायद यह सारा काम सम्भव नहीं हो सके। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र विशेष बजट प्रावधान करके अगली फसल के लिये पानी जब मांग हो उसके पूर्व करीब-करीब

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभी नहरों की मरम्मत करके उनको पानी देने की स्थिति में ले आयेंगे।

दूसरा, कमेरी बांध के बारे में जो माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने जो तथ्य बताये हैं, मैं उनको देखूंगा। कमेरी बांध दो साल पहले टूटा था उसकी जांच हुई है, ऐसी सूचना मेरे पास आई है। वह जांच रिपोर्ट मैंने मंगवा ली है। जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की जा सकती है, वह की जायेगी और यह जो सिक्वेंस बताया कि बांध टूटने के बाद भी दूसरी नहरें बनाने में जो खर्चा हो रहा है, जिस तरह से खर्चा हो रहा है, इसकी उपयोगिता या इसके औचित्य का परीक्षण करवा लिया जायेगा और यथा-सम्भव जो भी कार्यवाही की जानी चाहिये वह होगी, मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री रामस्वरूप मीणा (अनुपस्थित) माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

अहमदपुरा (पीलीबंगा) में हरिजन महिला की मृत्यु का मामला

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस तरह से है ..

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह राज्य मंत्री जी के बस का यह विभाग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर जिले में पीलीबंगा कस्बे के पास अहमदपुरा गांव में एक हरिजन महिला छिद्रकौर को जबरदस्ती कुए में धकेल कर मार दिया गया। स्थानीय पीलीबंगा की पुलिस के थानेदार त्रिलोकचन्द व बड़े थानेदार मदनसिंह ने एक लाख रुपये की बड़ी रकम डकार ली और केस को आत्महत्या का दिखाकर खुर्द-बुर्द कर दिया।

छिद्रकौर एक बेवा औरत थी और जमींदार तेजासिंह, गुरदेवसिंह इत्यादि के घर पर मजदूरी करती थी। उसके नाजायज सम्बन्ध तेजासिंह से हो गये। यह बात परिवार की औरतों व उसके भाइयों को अखरती थी। उन्होंने 13.5.92 को अपने घर में उसे पकड़ कर डंडों, घूंसों और लातों से मिल कर पीटा। वह बेहोश हो गई। उसके बहुत चोटें लगी तो उसे पीलीबंगा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहां के डाक्टर ने चोटों की रिपोर्ट नहीं दी और न ही पुलिस को सूचित किया। उसका इलाज दिखा दिया, तीन-चार दिन तक उसको भर्ती दिखाकर रिकार्ड में उसको बीमार दिखा दिया। 18.5.92 को उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी और वे सरदार तेजासिंह, गुरदेव सिंह और उनके परिवार वाले ही उसको अहमदपुर गांव में ले गये। 19.5.92 को तेजासिंह के और गुरदेवसिंह के खेत में ट्यूबवेल के कुए में, जिंदा ही धकेल दिया, जिंदा ही उसको कुए में डाल दिया। वह चिल्लाती-चीखती उस कुए में धकेल दी गई। उसकी 11 वर्ष की लड़की और एक छोटा लड़का उसके साथ था। वे दोनों चिल्लाते रहे और उनको पकड़ लिया और मां छिद्रकौर को कुए में धकेल दिया गया। गांव के लोगों ने आकर उसे कुए से

(श्री हेतराम बेनीवाल)

निकाला, जब वह निकाली गई तो जिंदा थी परन्तु उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और कुछ देर के बाद वह मर गई।

इस मुकदमे में पुलिस ने केवल आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सबसे बड़ी बात यह है यह महिला हरिजन होते हुए भी इसकी तफ्तीश डी.वाई. एस.पी. ने नहीं की और डी.वाई. एस.पी. के बजाय केवल थानेदारों ने ही इसको रफा-दफा कर दिया। छिद्रकौर के दोनों बच्चे उसका लड़का और लड़की उसके एक भाई के साथ श्रीगंगानगर जिले के उच्च अधिकारियों को पेश हुए और उन्होंने पुलिस थाना पीलीबंगा में जून के महीने में एफ.आई.आर. लिखवायी है और वह एफ.आई.आर. लिखी गई पर आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीगंगानगर जिले में बड़े जमींदार शराब के ठेकेदार और समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोग सफेदपोशी की आड़ में जो जुर्म करते हैं पुलिस की उसमें मिलीभगत रहती है। थानों के अधिकारी वे ही हैं जो श्रीगंगानगर जिले में दसों सालों से जमे हैं और अपराधों की बढ़ोतरी में पुलिस का कई स्थानों पर सक्रिय सहयोग रहता है। उम्मीद है कि गृहमंत्री जी इसमें स्वयं जांच करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री मदनलाल सैनी।

डूंगरपुर में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा खनन पट्टेधारियों का उत्पीडन

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख के माध्यम से वन मंत्री महोदय का ध्यान डूंगरपुर के वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी, अनियमितताओं व खनन पट्टेधारियों को उत्पीड़ित किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान पत्थर उद्योग में भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया के देशों में अपनी प्रसिद्धि रखता है। राजस्थान में खनिज सम्पदा का विपुल भण्डार है। भूगर्भ में जहां अनेक प्रकार की धातुएं बड़ी मात्रा में यथा तांबा, जिंक, टंगस्टन, लोहा आदि उपलब्ध हैं। उसी प्रकार राजस्थान का पत्थर उद्योग भी विशेष महत्व रखता है। मकराना का संगमरमर मूर्तिकला के लिये विश्व भर में प्रसिद्ध है। पिछले वर्षों में राजस्थान सरकार ने विशेष अनुसंधान किये जिसके परिणामस्वरूप कई प्रकार के पत्थरों के भण्डारों की जानकारी हुई जिसमें चूना, पत्थर, मारबल, ग्रेनाइट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान व देश के बाहर बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता रहा है। जिसके कारण राजस्थान ही नहीं, देश को विदेशी मुद्रा की बड़ी प्राप्ति होती है।

मेवाड़ का क्षेत्र जहां त्याग, तपस्या एवं बलिदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। वहां अनेक प्रकार के पत्थरों के भण्डार मिले हैं। राजनगर का सफेद संगमरमर तो प्रसिद्ध है ही इसके अतिरिक्त डूंगरपुर में विश्व विख्यात हरे मार्बल के भण्डार हैं जो इस वनवासी क्षेत्र के गरीब लोगों को जहां एक ओर रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं राजस्थान को प्रतिमाह लाखों रुपये की रायल्टी भी प्राप्त होती है।

(87)

(श्री मदनलाल सैनी)

इस हरे मार्बल पर विश्व की ही नहीं हमारे स्थानीय अधिकारियों की भी बड़ी नजर पड़ रही है और उनका व्यवहार उनके चरित्र को संदेहास्पद बना रहा है। ग्रीन मार्बल हाउस डूंगरपुर के साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। डूंगरपुर के डी. एफ. ओ. एवं उनके साथ अन्य सहयोगी अधिकारी इस क्षेत्र में काम करने वाले खनन पट्टेधारियों को अनेक प्रकार से कानून में बाल की खाल निकाल कर अपने मन की बात पर कानून का लबादा डालकर परेशान करने पर तुले हुए हैं ताकि तंग आये हुए खनन पट्टेधारक इन अधिकारियों की शरण में चले जायें, भले ही इसके कारण राजस्थान सरकार को लाखों रुपये की रायल्टी एवं अन्य हानि क्यों न उठानी पड़े। उनको व्यक्तिगत लाभ की चिन्ता अधिक है। ग्रीन मार्बल हाउस डूंगरपुर में पिछले नौ वर्ष से खनन कार्य कर रहा है और पट्टे पर ली गई खान पर ही देश व विदेश में भेजे जाने वाले पत्थर का लदान करवाता रहा है। इसी बीच राजस्थान सरकार तथा वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी आते जाते रहे हैं और पिछले नौ वर्ष से अबाध रूप से ग्रीन मार्बल हाउस काम कर रहा है लेकिन न जाने किस बात से प्रेरित होकर डी.एफ.ओ डूंगरपुर ने जिस रास्ते से होकर ग्रीन मार्बल हाउस के लोडेड एवं अनलोडेड ट्रक आते जाते थे, उस रास्ते पर पेड़ लगा कर व दीवार बना कर दिनांक 12.6.92 को बन्द कर दिया। इसके बाद ग्रीन मार्बल हाउस ने रास्ते बंद किये जाने को गलत मानते हुए रास्ता खोले जाने की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ की। वन मन्त्री महोदय ने इस खनन क्षेत्र से निकलने वाले माल को लाने एवं ले जाने वाले मार्ग की आवश्यकता को समझते हुए विभाग को निर्देश दिया कि जब नौ वर्ष से निरन्तर माल की आवाजाही हो रही थी तो पेड़ लगा कर रास्ता रोकने की क्या आवश्यकता पड़ गई और उन्होंने रास्ता खोलने का आदेश दिया। वन विभाग ने ग्रीन मार्बल हाउस को पेड़ लगाने, दीवार बनाने, छोटी गुमटी बनाने का खर्चा लेकर रास्ता खोलने का डी. एफ. ओ. डूंगरपुर को (34,600) चौतीस हजार छः सौ रुपये जमा लेकर रास्ता खोलने का आदेश दिया जिस पर विभाग द्वारा निश्चित की गई राशि ग्रीन मार्बल हाउस ने निर्देशानुसार 3.9.92 को रकम जमा करा दी और उसकी रसीद डी. एफ. ओ. डूंगरपुर को प्रस्तुत कर रास्ता खोलने को निवेदन किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि ग्रीन मार्बल हाउस को और अधिक हानि पहुंचाने की नीयत से अधिकृत अधिकारी डी. एफ. ओ. छुट्टी लेकर चला गया ताकि रास्ता खोलने की कार्यवाही में और विलम्ब कर उसकी इच्छा के विरुद्ध रास्ता खुलवाने के आदेश ग्रीन मार्बल हाउस को सबक सिखा सके।

मान्यवर, इस प्रकार से उद्योगपतियों को परेशान एवं उत्पीड़ित कर क्या हम अपनी रायल्टी, बिक्री कर का नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्या विदेशी मुद्रा की हानि नहीं हो रही है, मजदूर बेकार नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उन गर्भित कारणों का पता लगाया जाये जिसके कारण जिस जगह को पेड़ पौधे, फल, फूल

(श्री मदनलाल सैनी)

उगाने के लिए दिनांक 4.6 92 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहां पर पेड़ लगा कर रास्ता क्यों रोका गया? 34 हजार 600 रुपये जमा करवाने के बाद रास्ता क्यों नहीं खोला गया? 12.6.92 अथवा 34,600 रुपये जमा करवाने के बाद 3.9.92 से होने वाली आर्थिक हानि का उत्तरदायी कौन है? क्या ऐसे अनुत्तरदायी अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी। धन्यवाद।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अपने 295 के माध्यम से यह मामला सदन में लाये हैं, मुझे इसकी जानकारी है और इस परेशानी को मैंने समझा था। इस वास्ते जैसा आपने कहा, मैंने आदेश भी किया था कि यह जो खर्चा लगा है, उसके पैसे जमा करवा कर रास्ता खोल दिया जाये। उसके बाद कुछ परेशानियां हुई हैं कजरवेंशन एक्ट के साथ। उसका रास्ता निकालकर हम जल्दी रास्ता निकालने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री माहिर आजाद।

उच्चाधिकारियों व राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्यवाही

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा सहित उच्चाधिकारियों, न्यायाधीशों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा गलत तरीके से अर्जित सम्पत्ति की जांच न होने से छोटे कर्मचारियों व आम जनता में व्याप्त रोष की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिनके पास (कार्मिक व प्रशासनिक सुधार) विभाग भी है, का ध्यान आकर्षित कर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख के रूप में दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य में प्राय: यह देखने में आया है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात बड़े जोर-शोर से कही जाती है परन्तु जब उस पर अमल या कार्यवाही करने की बात आती है तो एक्शन के नाम पर छोटे कर्मचारियों, पटवारियों, थानेदार, सिपाही, डाक्टर, लिपिक, नाकेदार, स्टोरकीपर, आदि के खिलाफ छापे मार कर भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्षेत्र में इतिश्री समझा जाता है। लेकिन प्रशासनिक व पुलिस सेवा के बड़े अधिकारियों, जिसमें एस.पी., जिला कलक्टर, सेक्रेटरी, आई जी., डी आई.जी., न्यायाधीश, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसदों और पूर्व सांसदों सहित अन्य राजनीतिज्ञों जैसे बड़े लोगों द्वारा गलत तरीके से अर्जित धन व सम्पत्ति की न तो जांच की जाती है और न ही कोई कार्यवाही की जाती है। सुनने में तो यह भी आता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जयपुर में अपने वेतन व भत्तों के मुकाबले कहीं अधिक धन व्यय कर आलीशान कोठियां अवैध तरीके से बनाने वाले उच्चाधिकारियों की एक तथाकथित सूची बना रखी है परन्तु उस पर कार्यवाही क्या हुई इसका न तो आम जनता को पता चला और न ही कोई कार्यवाही होने के ठोस प्रमाण हैं।

श्रीमान् उन उच्चाधिकारियों व

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कोई सक्षम कार्यवाही नही होने से जिन्होंने अवैध सम्पत्ति अर्जित की है, छोटे कर्मचारियों व आम जनता में काफी रोष व्याप्त है।

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 में इसका विशेष उल्लेख कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु नीचे के साथ-साथ ऊपर के अधिकारियों से भी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी तो आज जयपुर से बाहर हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीयत है, क्या वाकई बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह सरकार कुछ करने जा रही है, वह जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सब का जवाब दिया है, वन का जवाब दिया, विधान सभा क्षेत्र के एनीकट और पुलिया तक का जवाब दिया और यह इतना गम्भीर मामला है, नये पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मैंने पहले कहा कि भ्रष्टाचार की बात पर हम पटवारियों, सिपाहियों और नाकेदारों को पकड़ा करते हैं। बड़ों के खिलाफ साहस हम में है नहीं। है तो फिर मंत्रीजी जवाब दें, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। इनका इरादा है कि नहीं यह तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। सम्बन्धित मंत्री थे उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इरादा है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इरादे वाली बात नहीं है। हां, सुचित्राजी बोलिये।

रावतसर या पल्लू को उपनिवेशन तहसील बनाने बाबत

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कालोनाइजेशन तहसील बनाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय, साहबा लिफ्ट कैनाल को बनाने में कम से कम 10 साल लगेंगे और कालोनाइजेशन तहसील भी स्वीकृत नहीं की, उससे पहले ही जो वहां के गांवों के कागजात हैं वे बीकानेर भेज दिये गये जो लिफ्ट कैनाल के नीचे आते हैं। सरकार यह अन्याय किसानों के साथ ही क्यों कर रही हैं। इन कागजों को बीकानेर भेजने से नोहर व रावतसर के किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोहर और रावतसर तहसील के 62 गांव उनके नीचे हैं। आज अगर कोई किसान जमाबन्दी की भी नकल लेना चाहता है तो उसे बीकानेर जाना पड़ता है। बीकानेर जाने के लिये एक आदमी का खर्चा 500/- रुपये पड़ता है। एक छोटे से काम के लिये इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं अगर उसके बाद भी कोई अधिकारी वहां पर नहीं मिलता तो उसे दुबारा जाना पड़ता है। इस प्रकार कोई गरीब आदमी कैसे भार सहन कर सकता है और फिर किसान तो गरीब ही होता है। फसल में आमदनी तो यूं ही कम होती है क्योंकि हर वर्ष अकाल

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

पड़ता है या अतिवृष्टि हो जाती है। आखिर सरकार किसानों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हुई है। जो भी कठिनाई के काम होता है वह किसानों पर थोप दिये जाते हैं। अधिकारी तो जयपुर में वातानुकूल कमरों में बैठ कर आदेश निकाल देते है लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि किसान की हालत कितनी नाजुक है। यह पता तो उसी को लगता है जो किसान के घर में पैदा होता है, उसे ही मालूम होता है कि किसान को अपनी दो वक्त की रोटी के लिये भी कितना करना पड़ता है फिर भी उसे भूखे पेट सोना पड़ता है। ऐसी हालत में वह किसान बीकानेर कैसे अपने जमीन के काम के लिये जा सकता है और हमेशा अकाल की चपेटों में रहने के कारण वह पैसा कहां से लाये। इसलिये सरकार अगर किसानों का हित चाहती है तो उसे बीकानेर से वे कागज वापस भेजने चाहिये और कालोनाइजेशन तहसील पल्लू बनानी चाहिये व इसकी घोषणा शीघ्र करनी चाहिये। जितनी देरी सरकार इस सम्बन्ध में कर रही है उतना ही किसानों का शोषण कर रही है अगर यह सब कार्य कुछ ही दिनों में नहीं हुआ तो नोहर, रावतसर के लोगों को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा। इस आन्दोलन में जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर सरकार किसानों के हित का ध्यान सोचती है तो यह काम शीघ्र करने का कष्ट करें। राजस्व मंत्रीजी को भी बार-बार निवेदन किया और मुख्य मंत्रीजी को भी बार-बार लिखित में दिया उन्होंने वायदा भी किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांवों में जो जीडपाइतन की जमीनें पड़ी हैं उन पर बदमाश लोग कब्जा कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल कर जब बदमाश लोग कब्जा करने जाते हैं तो गांव के लोग एस. डी. एम. के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं तो एस. डी. एम. कहता है, मैं क्या करूं मेरे पास आपके कागज नहीं है, आपके गांव कालोनाइजेशन में चले गये और कागज बीकानेर है और बीकानेर कालोनाइजेशन कमीशकर के पास आपको शिकायत करनी पड़ेगी। मंत्री महोदय कितना अन्याय है किसानों के साथ। अगर उन किसानों को राहत पहुंचाना चाहते हैं और उनकी जमीनें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कालोनाइजेशन तहसील शीघ्रातिशीघ्र पल्लू की घोषणा करनी चाहिये। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपालसिंह जी (खण्डेला)।

श्री माधोपुर (सीकर) में महाविद्यालय की स्थापना

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री माधोपुर जिला सीकर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में सदन के मार्फत माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जब 295 के प्रस्ताव पढ़े जा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अधिकांश मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह कहना तो काफी नहीं है कि कह दिया गया। मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था करें कि 295....

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में जवाब आने की व्यवस्था है। आप जो भी देते हैं उसमें कार्यवाही होती है।

श्री गोपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर जवाब दिया जाये इस प्रकार का नहीं है, कोई मंत्री महोदय चाहे तो जवाब दे सकते हैं। अब आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री गोपालसिंह : मैं प्रारम्भ कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप सरकार को ताड़ना दें।

श्री उपाध्यक्ष : यहां कैबिनेट स्तर के मंत्री कई बैठे हैं आपकी बात का कोग्नीजेंस ले रहे हैं। आप बोलिये ना।

श्री गोपालसिंह : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के रक्षक हैं, आप माननीय सदस्यों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिये यहां पर बीच में विराजमान है। आपको सरकार को ताड़ना देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री गोपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिला मुख्यालय के बाद सीकर और जयपुर के बीच में कोई कालेज नहीं है। श्री माधोपुर घनी आबादी के क्षेत्र का तहसील मुख्यालय है जहां छात्र व छात्राओं की सीनियर हायर सैकण्डरी की अलग-अलग दो स्कूलें हैं और एक लड़कों की सैकण्डरी स्कूल भी है। इसके अलावा इस कस्बे में कई निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें भी बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस कस्बे में तहसील मुख्यालय के अलावा सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की लम्बे समय से अदालतें चल रही हैं तथा एक रेफरल अस्पताल भी है। जयपुर और गंगानगर के बीच में कृषि उपज की यहां सबसे बड़ी मण्डी है और इस कस्बे के चारों ओर दुकसला इलाका है। वर्तमान में इस कस्बे में लगभग 4,000 छात्र-छात्राएं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें आगे चलकर कालेज शिक्षा के लिये जयपुर आना पड़ता है जो उनके लिये बहुत खर्चीला है।

श्री माधोपुर में कालेज की मांग को लेकर छात्र संगठन भी लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दस दिन से वहां के छात्र कालेज की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हुये हैं। कल दिनांक 23 सितम्बर, 1992 को सभी छात्र संगठनों के आह्वान पर संपूर्ण शहर बंद रहा और एक विशाल जन सभा भी हुई जिसमें कालेज की मांग की गयी।

यह एक लोक महत्व का प्रश्न है। अतः सदन के ध्यान में लाकर निवेदन है कि श्री माधोपुर में शीघ्रातिशीघ्र कालेज खुलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

बाली के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी का नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र

(श्री अमृतलाल परमार)

बाली में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी श्री मदनसिंह द्वारा व्यापक अनियमितता किये जाने और उनके विरुद्ध जिला रसद अधिकारी कार्यालय तथा उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में जांच विचाराधीन होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, विधान सभा के गत सत्र में विभिन्न माध्यमों से उठाये गये प्रस्तावों के विशेष उल्लेख के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उपरोक्त विषय में इस स्थिति से अवगत कराया गया था कि श्री मदनसिंह सांखला को आदेश क्रमांक एफ–2 (338) खा. वि./प्रवर्तन दिनांक 3.12.1987 द्वारा निलम्बित किया गया था जिस पर न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 9.5.89 द्वारा निलम्बन आदेश को निरस्त करते हुये बहाल किया गया और आदेश दिनांक 22.12.89 द्वारा स्थानान्तरण पाली से श्रीगंगानगर किया गया जहां उन्होंने उपस्थिति नहीं की। आखिर आदेश दिनांक 5.9.90 द्वारा पुनः पाली ही पदस्थापन किया गया। इसके बाद आदेश दिनांक 20.9.90 द्वारा जयपुर मुख्यालय पर बुलाया गया तथा आदेश दिनांक 20.11.90 द्वारा पुनः पाली से बाली पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 22.2.91 द्वारा पुनः बाली से खाद्य विभाग मुख्यालय तथा आदेश दिनांक 30.3.91 द्वारा झालावाड़ स्थानान्तरण किया गया लेकिन उसने स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दिनांक 24.4.91 को उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया। अतः न्यायालय के आदेशों की पालना में इन्हें पुनः बाली में दिनांक 16.9.91 को पदस्थापित किया गया। इसके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन को खारिज कराने का पूर्ण प्रयास किया गया परन्तु न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई में नहीं आया। प्रकरण में माह जुलाई में सुनवाई होने की सम्भावना है। श्री मदनसिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत उप खण्ड अधिकारी बाली के पास जांच हेतु विचाराधीन है एवं एक मामला जिला रसद अधिकारी कार्यालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति के स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्राप्त उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को वेकेट कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्यवाही कराने की आवश्यकता है लेकिन यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह नहीं किया गया। लगभग तीन-चार माह का समय निकल जाने के बावजूद न तो श्री मदनसिंह, प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा जांच कार्यवाही की गयी और न ही जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उनके विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही में कोई प्रगति हुई है।

राज्य सरकार ने यह माना है कि उनके विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने के कारण उनका कई स्थानों पर स्थानान्तरण समय समय पर किया गया और राज्य सरकार द्वारा उनका बाली में पदस्थापन नहीं चाहते हुए भी सरकार पूर्ववत कारणों से विवश रही। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदेश को वेकेट कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त नहीं की गई। उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि सरकार श्री मदनसिंह को अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतों में प्रथम दृष्टया दोषी मानती है। अग्रेत्तर आदिवासी क्षेत्रों में गरीब वनवासी

(श्री अमृतलाल परमार)

बन्धुओं को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के जिला कलक्टर के आदेश जिसके द्वारा आदिवासी क्षेत्र के 6 व्यक्तियों को योग्यता अनुसार उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गयी थी उनमें से तीन–चार व्यक्तियों की उक्त प्रवर्तन अधिकारी ने उन्हें अधिकार न होते हुए भी अपने स्तर पर केन्सिल कर दी। यही कारण है कि उक्त प्रवर्तन अधिकारी की हठधर्मी निरन्तर बढ़ती जा रही है और क्षेत्र की जनता को उचित मूल्य की दुकानें खाद्य एवं रसद का उचित वितरण नहीं होने के कारण आदिवासियों में भयकर आक्रोश बढ़ रहा है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं खाद्य एवं रसद मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध अविलम्ब जांच कार्यवाही पूर्ण कर उसे दंडित किया जाये और उन्हें तुरन्त वहां से हटाने के लिए सभी उपाय किये जाय। मेरी मांग है मंत्री महोदय से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके विरुद्ध जांच चल रही है चार-पांच तबादले हो चुके हैं उसके बाद भी बाली में ही लगाये हुए हैं। गत विधान सभा में भी मैंने यह निवेदन किया था मेरी मांग है कि उसको अविलम्ब हटाया जाय। मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि जवाब दें।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से उनको नहीं हटाया जा सकता। जांच करायी है, जांच से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने से कलक्टर ने पुनः डी. एस. ओ. को जांच के लिए भेजा है और मैंने खाद्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि उनको तुरन्त ही मुख्यालय पर बुला लें और यदि उनको पावर्स को सीज करना पड़े तो पावर्स सीज करके जल्दी कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नारायणलाल जी।

सोपस्टोन व मार्बल की खानों के मजदूरों का शोषण

श्री नारायणलाल (लसाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूंगाभट भरकूण्डी देवला, लोहागढ़ क्षेत्रों में सोपस्टोन एवं मार्बल माइन्सों में मजदूरों के शोषण, खान मालिकों द्वारा किये जाने विषयक नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, भूंगाभट–भरकूण्डी देवला, लोहागढ़ क्षेत्र के गांवों में सोप स्टोन एवं मार्बल की माइन्सों में हजारों मजदूर दैनिक वेतन (मजदूरी) पर कार्य करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि उक्त माइन्सों के मालिकों द्वारा हमेशा से मजदूरों का भरपूर शोषण किया जाता है। राजस्थान पत्रिका दिनांक 22.9.92 को गांव अंचलों में भी आदिवासियों का भयंकर शोषण का उल्लेख किया। मैं जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में किन-किन लोगों को कब से खान मालिकाना अधिकार दिया हुआ है, सूची देने का कष्ट करें। साथ ही अभी हाल खान राज्य मंत्रीजी की यात्रा उस क्षेत्र में हुई, आदिवासियों के हालात पर जरूर ही नजर गयी होगी। जो खदान मालिकों को करोड़पति बनाकर अपनी हीनता की कहानी अपने में लिये बैठे हैं। विरोध इस बात का है कि करोड़ों की खदानों में एक कम्पाउण्डर तक

(श्री नारायण लाल)

मौजूदा हालात में नहीं है। मजदूर के साथ जानवरों का सा बर्ताव रखा जाता है।

श्रम विभाग की तो हालत यह है कि हजारों गरीब आदिवासी मजदूरों में से कोई जानता ही नहीं है कि कोई श्रम निरीक्षक होता है और वह आपको (मजदूरों) निर्धारित राशि का भुगतान कराने का रक्षक है इससे ज्यादा और क्या आश्चर्य हो सकता है। सदन से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिलाया जावे। इस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषमताएं अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि ज्वलंत शोषण तत्काल रोका जावें। खदान मालिकों को श्रम विभाग एव खान विभाग जिम्मेदार ठहरा कर आदिवासी मजदूरों को इन खदानों में मासिक वृत्ति दिलायी जावें। करोड़ों की आय के खदान मालिक एवं खान विभाग द्वारा आज तक सड़क मार्ग पर कोई भी धन राशि नहीं व्यय की। मैं जानना चाहूंगा कि खान विभाग द्वारा कौन से विकास के लिए व्यय कर विकास किया गया बतावें। साथ ही निवेदन है कि लोहागढ़ से पारसोला मार्ग तो अविलम्ब ही निर्माण किया जाना चाहिए।

मुख्यतया खदान क्षेत्र में यह मार्ग पड़ता है। इस मार्ग पर निवास करने वाले आदिवासी मजदूर खदानों में मजदूरी करने आते जाते रहते हैं तथा माल ढुलाई भी इस मार्ग के बनने से अत्यन्त ही सरल हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

बस्सी क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 295 के तहत बस्सी विधान सभा क्षेत्र के आगरा रोड के किनारे और कस्बों में मंदिर–स्कूलों में लग रही शराब की अवैध दुकानें हटाये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शराब की अवैध रूप से बिक्री होने से जहां जन-जीवन प्रभावित हो रहा है वहां आये दिन इन दुकानों के बाहर असामाजिक तत्वों के बीच लड़ाई झगडे की वारदातें हो रही हैं। इन घटनाओं के चलते आस-पास के गांवों में सभ्य ग्रामीणों एवं स्त्रियों के बाहर निकलने की समस्या बनी हुई है। मुख्य रूप से आगरा रोड में कच्ची बस्ती खानिया, पालड़ी मीना, कानोता, बस्सी चक, रेलवे स्टेशन, बड़वा, पाटन बांसखों रेलवे स्टेशन, दूधलीग्राम, झर रेलवे स्टेशन, बड़वा, पाटन बांसखो स्कूल के पास, माधोगढ़ देवगांव, काशीपुरा, दणाउ कलां, टोडाभाटा, बस्सी रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड, बस्सी रैगर बस्ती, बस्सी कल्याणगंज, मूण्डली, सांभरिया, चाकसू में गरडवासी, राडोली, कोटखावदा, रामचन्द्रपुरा, देलावाला आदि में अवैध शराब की दुकानें हैं। झर बांसखों रेलवे स्टेशन पर 4 व्यक्तियों की मौत शराब ज्यादा पीकर पडे रहने से ट्रक के नीचे आकर हो चुकी है। यह दुकानें पुलिस आबकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही है कई ऐसे स्थान भी है जहां शराब के ठेके स्कूल मंदिरों के आसपास हैं।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इस मामले में अगर सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की तो क्षेत्र में कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है।

इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी यह मामला विधान सभा में उठाया था और मंत्री महोदय ने जांच करायी थी लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जांच अधिकारी जाते हैं तो उन दुकानदारों को कैसे मालूम पड़ जाता है कि यह जांच करने जा रहे हैं। जो जांच अधिकारी जाता है उसे आने से पहले ही बोतलों को रफूचक्कर कर देते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराकर अविलम्ब दुकानों को हटाया जाय जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कहना चाहेंगी, आबकारी मंत्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्सी क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें होने की जानकारी माननीय सदस्य ने पिछले हाउस में भी दी थी। अब इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह की बातें हो गयी हैं कि या तो अवैध दुकानें हैं या अस्वीकृत दुकानें हैं। अवैध रूप से छोटे-छोटे स्थानों पर गांवों में थोड़ी-बहुत बोतलें ले जाकर बेचने की जानकारी आने पर अगर जांच की जाती है तो जांच के समय लोग उपस्थित नहीं होते, मिलते नहीं या फिर उसकी जानकारी मिलने पर भाग जाते हैं। अभी पिछले महीने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अभियान के रूप में इस तरह का एक आपरेशन चलाया था, जिसमें काफी केसेज बने हैं। इसी बीच में जिला आबकारी अधिकारियों को पाबन्द कर दिया गया है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध दुकानें मिलीं तो उन समेत उनके जूनियर अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके बावजूद भी कभी-कभी दुकानें मिलती हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर कार्यवाही की जाती है। इस निगरानी को और भी टाइट किया जाएगा और माननीय सदस्य से बात करके मैं उनकी इस अव्यवस्था को दूर करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर।

इमानुएल स्कूल, कोटा के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र का जबर्दस्ती धर्मान्तरण करवाना

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा इमानुएट स्कूल के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र का जबर्दस्ती धर्मान्तरण करवाने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि कोटा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास स्थित इमानुएल स्कूल के अधिकारियों द्वारा श्री उमाशंकर पुत्र स्वर्गीय श्री बजरंगलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी बांगस्या, तहसील सांगोद, जिला कोटा को इस ईसाई स्कूल में अनाथ बालकों की फ्री पढ़ाई-लिखाई तथा भोजन इत्यादि की सेवा प्रशंसा सुनाकर, बहला-फुसलाकर इस विद्यालय की नवीं कक्षा में प्रवेश दिलवाया गया था। परन्तु प्रवेश के दूसरे दिन ही उक्त विद्यालय में कार्यरत एम.एस. थॉमस, प्रॉस्टेल छात्रावास अधीक्षक तथा थॉमस के पुत्र शामू के द्वारा बालक को जबर्दस्ती चर्च जाने, बाइबल पढ़ने, उसका

(श्री मदन दिलावर)

प्रचार करने के लिए बाध्य किया गया। बालक के प्रतिकार करने पर उसको मुर्गा बनाकर जूतों-चप्पलों से मारते हुए "नीच जाति के मिण्टा" "तेरे बाप तो है नहीं" "तुझे ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा"- ऐसा कहा गया। उसके पश्चात् भी बालक के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की गयी तो उसकी हनुमान चालीसा की किताब को फाड़कर शामू द्वारा उस पर पेशाब किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त तथ्य उक्त बालक द्वारा कहे गये शब्दों में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे।

"मैं उमाशंकर मीणा, आत्मज स्वर्गीय श्री बजरंगलाल मीणा, निवासी ग्राम बांगस्या तहसील सांगोद का रहने वाला हूं। मेरे माता-पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी पढ़ने की इच्छा थी। इस कारण लोगों से जानकारी मिलने पर मुझे बताया गया कि कोटा जंक्शन पर इमानुएल स्कूल पर, जो ईसाइयों का है, मुफ्त पढ़ाई-लिखाई तथा रहने-खाने की व्यवस्था है। इस कारण मैं वहीं आकर 7 जुलाई, 1992 को नवीं कक्षा में भर्ती हो गया। प्रवेश के एक-दो दिन बाद ही छात्रावास का एम. एस. थॉमस ने, जो इस स्कूल का बड़ा अधिकारी है, छात्रावास के वार्डन आंग्स्टन से कहा कि इसे चर्च ले जाकर बाइबल पढ़ाया करो। उसने मुझे दूसरे दिन से ही चर्च भेजना चालू किया व बाइबल पढ़ाने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं तो जाति से मीणा हूं व रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। तो उन्होंने मुझे मुर्गा बनाया। एम.एस. थॉमस, आंग्स्टन व शामू ने मुझे जूतों-चप्पलों से मारा तथा बाहर नहीं जाने दिया। कहा कि अब तू ईसाई है, मीणटा-बीणटा कुछ नहीं। मैं डर की वजह से कुछ दिन तो चर्च जाने लगा, परन्तु मुझे बार-बार हनुमान चालीसा पढ़ने की याद आती थी। तो एम. एस. थॉमस के लड़के शामू ने मेरे पास से हनुमान चालीसा निकाल कर फाड़ दी व उस पर मेरे सामने ही पेशाब कर दिया। कहा कि अब देखते हैं, तेरे हनुमान जी क्या करते हैं। श्रीमान, इस कारण से वे लोग मुझे एक ही समय का भोजन कराते तथा बाहर भी नहीं जाने देते। कहते कि जहां तक तू बाइबल नहीं पढ़ेगा और चर्च नहीं जाएगा तब तक तुझे खाना पूरा नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार पीटा जाएगा।

"छात्रावास में अनेक बालक हैं। एक बार मुझे पीटते हुए गजेन्द्र दाधीच व मनोजपुरी ने भी, जो छात्रावास में आते रहते थे, देखा है। फिर मैं 4 सितम्बर को यहां से चुपचाप भागकर आया तथा गांव जाकर मेरे मामा छीतर लाल जी को सारी घटना बतायी। मुझे जब पीटते थे तो धमकी दी जाती थी कि यदि तूने किसी से यह बात कह दी तो तुझे इतनी दूर भेज देंगे कि तू वापस नहीं आ सकेगा। इस कारण, श्रीमान, वहां मेरी जान का खतरा है। वहां मेरे जैसे अनेक बालक हैं जो डर के कारण बोलते नहीं हैं। यदि उन्हें एक माह तक खुला छोड़ दें तो वे सारी बता सकते हैं। ये लोग मेरी हत्या भी करवा सकते हैं इसलिए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

यह पुलिस अधिकारी के सामने उसने कहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या

(श्री मदन दिलावर)

इस स्वतन्त्र भारत में अभी-अभी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को डरा धमका-कर, रोटी का प्रलोभन देकर उनका धर्मान्तरण कराया जाता रहेगा ? मेरे द्वारा पिछले सत्र में भी इसी सदन के समक्ष कोटा में धर्मान्तरण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस प्रकार का जवाब दिया गया था कि कोटा या पूर्ण राजस्थान में कहीं पर भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुकदमा नम्बर 211/92 थाना भीमगजमण्डी जिला कोटा में 24.9.92 को दर्ज हुआ है । चाहे तो एक-एक माननीय सदस्य उक्त बालक से मिलकर घटना सुन सकते हैं । मैं 25 तारीख को उक्त बालक को साथ लाया था और कई पत्रकारों एवं माननीय सदस्यों से उसकी बात कराई थी । धर्मान्तरण नहीं करने पर उक्त बालक पर अमानवीय अत्याचार किये गये । अभी भी उक्त बालक को डर है कि मेरी हत्या कर दी जायेगी अतः उक्त विद्यालय की मान्यता रद्द कराए तथा दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थानीय सी. आई. इसकी जांच कर रहे है, मुझे अपेक्षा नहीं कि वे निष्पक्ष जांच करेंगे । क्योंकि उन्होंने मेरे ही सामने कहा था कि आप इसकी जिन्दगी क्यों बिगाड़ रहे हैं । ये थोड़ी बहुत ज़ोर-जबर्दस्ती कर रहे हैं और धर्मान्तरण भी करवा रहे हैं तो आपका क्या जाता है, यह पढ़ तो जाएगा । इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं कि वह सी. आई. इसकी निष्पक्ष जांच करेगा । अतः मेरा निवेदन है कि वहां के पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय । वे बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, मुझे आशा है वे निष्पक्ष जांच करेंगे ।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य । ऐसा है कि तारीख 25-26 और 27 को इसी हाउस में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया है आपके पाइन्ट के ऊपर, फिर भी आप और कह रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृहमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस मुकदमे की सी. आई. जो जांच कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है । मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह जांच सी. आई. से लेकर दूसरे अधिकारी को, जैसा आपने कहा, एस. पी. लेवल के या उसके विश्वासपात्र दूसरे व्यक्ति को दे दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री श्रीकिशन सोनगरा, प्रो. सांवरलाल जी सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरवाड़ एवं केकड़ी के तालाब व अम्बापुरा बांध टूटने से जान माल की क्षति

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में माह

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

अगस्त में हुई वर्षा से लाखों रुपये की लागत से बने अम्बापुरा बांध के अधिकारियों की लापरवाही से टूट जाने से हुई जान-माल की क्षति के सम्बन्ध में मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में अम्बापुरा बांध आवक क्षेत्र में नया सागर बिड़ला, कंवर पदा बिडला तथा चांदोलाई तालाब लघु सिंचाई बांध बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य पंचायत समिति के तालाब भी आवक क्षेत्र में बने हुए हैं। इस क्षेत्र के श्रीनगर, सरवाड़ एवं केकड़ी तहसील में दिनांक 10.8.1992 व 11.8.1992 को अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

साथ अम्बापुरा बांध में जो दि. 9.8.92 तक खाली थी, पानी बांध के ऊपर तक (ओवर टोप) हो जाने से दि. 10.8.1992 को सायं लगभग 4 बजे टूट गया। इसके उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त अजमेर के पत्रांक 7614 दि. 21.8.1992 के साथ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, अजमेर एवं सहायक अभियन्ता केकड़ी की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बांध को ओवरटोपिंग से दिनांक 10.8.1992 को सायं 4 बजे टूटने का उल्लेख था।

(2.00 म. प.)

दिनांक 18.8.1992 को मेरे द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह प्रतिपादित हुआ कि बांध के ऊपर पानी नहीं चला तथा बांध ओवरटोपिंग होने से नहीं टूटा। यद्यपि इस निरीक्षण के पश्चात अधीक्षण अभियन्ता,

रेन गेज स्टेशन	9.8.92 को प्रातः 8 बजे से 10.8.92 को 8 बजे तक मापी गई वर्षा मिलीमीटर	10.8.92 को प्रातः 8 बजे से 11.8.92 को प्रातः 8 बजे तक मिलीमीटर	दोनों दिनों में कुल वर्षा मिलीमीटर
केकड़ी	87.00	113.00	200.00
श्रीनगर	225.00	28.00	253.00
सरवाड़	65.00	20.00	85.00

अतः उक्त अतिवृष्टि के परिणामस्वरूप ऊपर वर्णित बांध व अन्य पंचायत समितियों के बांध टूट गये। प्रथम सूचना अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया कि उपरोक्त बांधों के

सिंचाई वृत्त, अजमेर के उपरोक्त पत्र के साथ प्राप्त प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि बांध से ओवरटोपिंग हुआ परन्तु बाद में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 7823

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 31.8.1992 द्वारा सूचित किया कि ओवरटोपिंग से बांध के टूटने की दी हुई सूचना सही नहीं थी। वास्तव में बांध से ओवरटोपिंग नहीं हुआ था।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बांध में पानी की अधिकतम आवक टूट के विभिन्न स्थलों व अन्य कारणों का जायजा लेने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 11.9.1992 को मुख्य अभियन्ता, सिंचाई मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग जयपुर के साथ निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण अधिकतम पानी के आवक के निशानों के माप तथा बांध की मिट्टी के अवलोकन से निम्न तथ्य परिलक्षित हुए हैं। दिनांक 10.8.1991 को बांध टूटने से पहले के अधिकतम पानी के लेवल का माप चार स्थानों पर मापा गया जो कि बांध की टी. बी. एल. से लगभग 4 फुट 2 इंच नीचे आंका गया। इस बांध के टूटे हुए स्थानों पर अंकित फेरेटिक लाइन से भी लगभग मेल खाती है। बांध के ओवर-फ्लो के अन्त में नीचे की ओर गाइड बांध बना हुआ है जो कि मुख्य बांध से काफी नीचा है। यह गाइड बांध अभी तक सुरक्षित है। इससे भी बांध के ओवर-टोप नहीं होने की पुष्टि हो जाती है। डिजाइन के अनुसार मुख्य बांध का टोप (टी. बी. एल.) 119 फीट है। उपरोक्त उल्लेख के अनुसार बांध के टूटने से पूर्व पानी स्तर टोप से 4 फुट 4 इन्च नीचे रहा है। इस पर पानी की अधिकतम आवक 114.80 फीट आती है जो कि एन. डब्ल्यू. एल. (अधिकतम पानी की तल) 114.50 फुट से मात्र 0.3 फुट ऊपर है। इससे यह स्पष्ट है कि चादर 4.4 फुट चली थी तथा बांध के ऊपर से पानी नहीं निकला।

मुख्य बांध की लम्बाई 11.400 फुट है जिसमें ओवरफ्लो बांध की लम्बाई 560 फीट तथा मिट्टी के बांध की लम्बाई 10.840 फीट है जो कि लगभग $3\frac{1}{2}$ कि.मी. बनती है। मिट्टी का बांध चैन 51,00 से 88.00 के मध्य 13 स्थानों पर तथा चैन 117 डाउनस्ट्रीम में कट लगने से कुल 14 स्थानों पर टूटा है। अधिशाषी अभियन्ता से प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न एल सेक्शन में बांध कुल 10 स्थानों पर टूटा हुआ दर्शाया गया है। इस सन्दर्भ मे निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चैन 51.50 से 53.90, चैन 68.50 से 70.30 तथा चैन 70.50 से 71.70 के तीन हिस्सों में प्रत्येक के बीच एक एक छोटे-छोटे भाग (जो कि पुन: निर्माण के समय गिर जावेंगे) बन गये हैं जब कि उक्त प्रतिवेदन में इन 6 भागों के स्थान पर तीन भागों में बताया गया था। बांध कुल 14 जगह से टूटा है जिसमें ऊपर वर्णित 6 हिस्से शामिल हैं।

बांध स्थल पर यह भी देखा गया है कि अम्बापुरा गांव बांध से 2 किमी. दूर नहीं होकर लगभग 1/2 किमी. ही डाउनस्ट्रीम की ओर स्थित है। यह भी आभास हुआ कि बांध दिन के समय टूटने से गांव में जनधन की हानि नहीं हुई, परन्तु अगर रात्रि में बांध टूटा होता तो गांव अत्यन्त निकट होने से जनधन की हानि होने की स्थिति बन सकती थी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

बांध के टूटने के वास्तविक कारण, मिट्टी की विस्तृत जांच, कम्पेक्शन की स्थिति आदि के उपरान्त ही सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस हेतु विस्तृत जांच के लिये आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

अम्बापुरा सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3(73) ए.एस./2/ सेल /85/711 दिनांक 13.1.1985 के अन्तर्गत रु. 45.32 लाख की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्राप्त हुई थी जिसमें मुख्य बांध पर रुपये 34 33 लाख तथा नहर फीडर व अन्य कार्यों पर रु. 10.99 लाख सम्मिलित थे। इस पर अभी तक रुपये 72.93 लाख व्यय किये गये हैं। इसमें से मुख्य बांध पर लगभग 44.65 लाख रुपये व फीडर व अन्य कार्यों पर लगभग 28.28 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीकिशन जी।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस बांध को 14 स्थानों से टूटना बताया है। मेरा इस सम्बन्ध में मतभेद है और मैं यह चाहुंगा कि सदन में इस परियोजना का पूरा मैप सदन के पटल पर रखकर मैं अपनी बहस प्रारम्भ करूंगा।

(सदन के पटल पर मैप रखा गया)

श्री उपाध्यक्ष : पहले रखोगे। इनका पढ़ा हुआ है, यह रखना चाह रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय मन्त्री जी ने इस बांध को 14 स्थानों से टूटा हुआ बताया है। इस सन्दर्भ में मेरा यह निवेदन है कि यह आज की स्थिति में बिल्कुल छलनी की तरह हो गया है। जो 4 किलोमीटर लम्बा बांध था उसमें से 15 जगह तो पूरी जमीन तक टूट गई है और उसमें से करीब 9 जगहों पर गुल्ले या पाइपिंग जिसको बोलते हैं, वे लगे हुए हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक-एक जगह का नाप और चैन की स्थिति सदन के माध्यम से माननीय मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं। चैन नम्बर 52 पर यह बांध 20 फीट लम्बाई में टूटा है, चैन नम्बर 53 पर यह बांध 100 फीट की लम्बाई में टूटा है, चैन नम्बर 60 पर यह बांध 40 फीट की लम्बाई में टूटा है और यहां माननीय उपाध्यक्ष जी, पानी का भराव केवल 4 फीट ही था। चैन नम्बर 68 पर यह बांध 30 फीट की लम्बाई में टूटा है और यहां पानी का भराव केवल पौने चार फीट था, इसी तरह चैन नम्बर 70 पर यह बांध 80 फीट टूटा है, चैन नम्बर 70 से आगे, सवा 70 कह दीजिये, 70 फीट करीब टूटा है और यहां पर पानी का भराव पौने चार फीट ही था। इसी तरह चैन नम्बर 71 पर यह बांध 30 फीट टूटा है और यहां भी पानी का भराव केवल पौने चार फीट था। इसी तरह चैन नम्बर 71 से थोड़ा आगे यह बांध 40 फीट टूटा है। इसी तरह चैन नम्बर 71 और 72 के बीच में यह बांध 30 फीट टूटा है, चैन नंबर 75 पर यह बांध 40 फीट टूटा

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

है और चैन नम्बर 75 से 76 के बीच यह बांध 100 फीट टूटा है और चैन नम्बर 85 पर यह बांध 30 फीट टूटा है, चैन नम्बर 85 पर ही यह बांध 40 फीट टूटा है और यहां पानी का भराव केवल सवा दो फीट ही था। इसी तरह चैन नम्बर 87 पर यह बांध 20 फीट टूटा है और यहां पानी का भराव केवल 2 फीट ही था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि चैन नम्बर 115 पर यह 15 फीट टूटा है जहां पानी का भराव नाममात्र का था। बरसात के पानी से यह बांध टूट गया है। यह स्थिति है अम्बापुरा बांध की।

इस परियोजना पर सरकार ने करीब 73 लाख रुपये यह सोचकर खर्च किये थे कि इससे क्षेत्र में खुशहाली आयेगी और यह योजना थी कि यहां पर 650 एकड़ भूमि में रबी की सिंचाई होगी। मगर उपाध्यक्षजी बड़े दुख की बात यह है कि इतना बांध टूटा और इस बांध के टूटने के बाद वहां जो स्थिति बनी, जहां खुशहाली की हम बात करते हैं, यह विध्वंश लेकर के आया, विनाश का तांडव इसने किया। यह बांध मार्च, 1991 में बनकर तैयार हुआ और 10 अगस्त को जो पहली बार बरसात हुई, उसमें जो पानी आया उससे इतनी जगह तो यह बांध टूट गया जो मैंने 15 जगह बोली हैं। इसके अलावा इसमें 9 जगह पाइप लगे हैं। उसकी वजह से आज यह बांध करीब 24 या 25 स्थानों से टूटकर एक छलनी के रूप में वहां खड़ा हुआ है।

यह दर्शाता है विभाग की अकर्मण्यता विभाग का भ्रष्टाचार। इससे जनता को जो फायदा होने वाला था उसकी जगह विनाश हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन बांध टूटा जुनिया में 300 मकान टूट गए, अम्बापुरा में 65 मकान ध्वस्त हुए, उसी तरह जुनिया में 1778 और अम्बापुरा में 378 लोगों के जो मकान थे वह टूटने की वजह से छप्पर: विहीन हो गए, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। केवल मकानों का ही नुकसान नहीं हुआ, वहां पर जितने उनके मवेशी थे बह बह गए, उनकी खड़ी फसल थी वह बह गई, वहां जो खेती-बाड़ी में जो उनके खेत थे उनके कटाव लग गया और सारी की सारी जो उपजाऊ जमीन थी उसकी मिट्टी बांध के टूटने की वजह से बह गई। यह हो नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा यह हुआ कि वहां जो दोनों गांवों में इसके सामने लोग रहते थे, जो बस्तियां आई हुई है उन बस्तियों में 10-10 फीट पानी भर गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 10-10 फीट पानी 20 घन्टे तक बस्तियों में भरा रहा। अब आप कल्पना कीजिए उन नागरिकों की क्या स्थिति हुई होगी, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति हुई होगी। वहां की सड़क टूट गई, आवागमन बन्द हो गया, मवेशी नष्ट हो गए। ऐसी बस्तियां जो निचली बस्तियां कहलाती हैं, इस बहाव से पानी नहीं निकल पाया, पुलिया की उन निचली बस्तियों में एस. सी./एस. टी. के लोग-बाग रहते थे वह सारे के सारे 20 घन्टे तक एक तरह से संघर्ष करते रहे अपनी इन सारी बातों के लिए।

अब मैं माननीय मन्त्री जी के कथनानुसार ओवर टोपिंग वाली बात पर आना चाहता हूं। यह बांध बना और बांध बनने

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

के बाद जिस स्थिति से यह टूटा उसके माननीय मन्त्रीजी ने अपने विवेचन में, अपने स्पष्टीकरण में यह कहा कि बांध के संदर्भ में पहले वहां के एक्स. ईएन. और अधीक्षण अभियन्ता ने यह रिपोर्ट दी। सर्वप्रथम यह बांध ओवर टॉपिंग से टूटा। फिर मन्त्रीजी वहां पर दौरे पर गये 18.8.1992 को, और आपने 4 मील पैदल चल कर एक-एक चीज को बारीकी से देखा और यह तय किया कि यह ओवर-टॉपिंग से नहीं टूटा था। उसके बाद वहां के अधीक्षण अभियन्ता ने रिपोर्ट बदल कर 31.8.1992 को यह रिपोर्ट दी, वह इसलिए दी कि माननीय मन्त्रीजी ने मौका देख लिया था कि बांध ओवर टॉपिंग की वजह से नहीं टूटा। फिर उन्होंने जो अपनी पूर्व में रिपोर्ट दी कि यह ओवर टॉपिंग से टूटा वह उन्होंने बदली और 31.8.1992 को।

मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह ओवर टॉपिंग की बात जो इस बांध के टूटने में सम्मिलित की गई थी यह सोची-समझी योजना थी वहां के अधिकारियों की। बात यह है कि अगर उसको ओवर टॉपिंग से टूटना सिद्ध कर दिया जाता तो उस बांध की लम्बाई जितनी उसकी बननी चाहिये थी उतनी उसकी नही बनी और बांध को लम्बाई से नीचे बनाया था और लम्बाई की बात रिकार्ड के हिसाब से भी सिद्ध होती है, उसको वह गायब करना चाहते थे। यह बांध बाढ़ में बह गया यह सारा उद्देश्य था ओवर टॉपिंग बताने का। यह ओवर टॉपिंग वाली बात माननीय मन्त्रीजी के वहां जाने के बाद आई अन्यथा विभाग तो सरकार को गलत सूचना देकर, गलत धारणा देकर एक तरह से लीपापोती करने वाला था। ऐसी कार्यवाही करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके बाद में उस क्षेत्र में बरसात माननीय मन्त्रीजी बता रहे हैं और बाढ़ का कारण बता रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हू इस संदर्भ में यह बांध जहां बना है वहां वर्षा का औसत 550 मिलीमीटर है। जब तक 500 मिलीमीटर बरसात उस क्षेत्र में होती है तब तक कोई बाढ़ वाली बात की स्थिति नहीं है। जैसा अभी मन्त्रीजी ने बताया है कि उस क्षेत्र में, केकड़ी और सरवाड़ के क्षेत्र में 200 मिलीमीटर बरसात हुई थी। सरवाड़ में आपके बताये अनुसार 85 मिलीमीटर बरसात हुई। इस तरह से 550 मिलीमीटर के उस क्षेत्र में इतनी कम बरसात होने से उस बांध का टूट जाना, उस बांध का नष्ट हो जाना न तो बाढ़ के कारण हुआ, न ओवर टॉपिंग के कारण हुआ। वह तो घटिया निर्माण के कारण हुआ। माननीय मन्त्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, रिलेवेंट बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्लेरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आज ऐसा है, व्यासजी, मैं एक मेम्बर के लिये नई परफार्मेन्स तैयार कर रहा हूं वह तो सम्भव नहीं है। बोल रहे हैं इसलिये...

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय मन्त्री महोदय को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो मालूम हैं श्रीमती सुमित्रासिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस तरह से आप....(व्यवधान)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह बांध टूटने के बाद माननीय मन्त्रीजी तीन दफा उस क्षेत्र में दौरे पर गये और उस दौरे में....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। आप अपने स्थान से बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्वयं भी कहा करती हैं इसलिये ध्यान रखेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कम से कम उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन की परम्परा है कि माननीय सदस्य अपने स्थान से ही बोलें। अब आप बोलिये .. बिराजिये क्यों इस बात को ले रहे हैं आगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सीट से बोलें माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने ही मुझे टोका है, आप नहीं बोल सकते हैं वहां से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको ही हाउस का उपयोग करने का कोई हक नहीं है। मैं बैठ जाऊंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप यह राइट बनाना चाहती हैं, आप मन चाहे स्थान से बोल जायेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर से.... (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो सुन लूंगा लेकिन अपने स्थान से जाकर बोलिये। यह तो ठीक नहीं रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यही तो कह रही हूं बात तो सुनिये मेरी।

श्री उपाध्यक्ष : कल यही लोग बाग.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी बात तो सुनेंगे ना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रासिंहजी, यह सदन का अपना नियम है कि अपने स्थान से बोलें और आप तो नियमों का पालन करने वाली हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, सामान्य तौर से कोई भाषण देता है तो उसे अपने स्थान से ही बोलना चाहिये लेकिन यदि कार्यवश कोई कहीं इधर उधर हो और उस बीच में इस तरह की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बात हो जहां बोलना अनिवार्य हो तो कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं आपके सदन का कि वह बोल ही नहीं सके। यही निवेदन करना था मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री सोनगरा जी पूरा कीजिए, काफी हो गया।.... (व्यवधान) ... फिर अब आप शुरू हो गए।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : बीच में यह व्यवधान हो गया था।

माननीय मंत्रीजी को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस सारे प्रकरण को लिया और तीन बार ये वहां पर दौरे पर गए, एक बार ये तीनों मुख्य अभियन्ताओं को साथ लेकर गये और इन्होंने वहां जाकर यह देखा कि बांध में अधिकतम पानी कितने फीट आया था। इन्होंने वहां पर 522 नम्बर की चैनल के टूटे स्थल के पास नाप किया जो उस टोप से साढ़े 4 फीट एम. एफ. एल. से नापा गया, उस जगह पुलिया की डिजाइन पहले ही डेढ़ फीट नीचे बनाई, वह डेढ़ फीट नीचे बनी हुई है जबकि डेढ़ फीट ऊपर तक बननी चाहिये थी। इस तरह से यह पानी 6 फीट नीचे होना प्रमाणित होता है। इस तरह से मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बांध में यही नहीं हुआ। इस बांध में तकनीकी रूप से एक तरह का भ्रष्टाचार हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बांध टोटल मिट्टी का बनाया गया था और मिट्टी से बांध बनाने का अपना एक तरीका है तकनीकी का। उसमें मिट्टी जो भी तय की जाती है उसकी लेबोरेटरी में जांच करवाई जाती है और जांच कराने के बाद में वह मिट्टी काम में आती है और जिस बांध पर जिस जगह यह डाली जायेगी उसको पहले गीला किया जाता है, गीला किये जाने के बाद वह मिट्टी वहां पर डलती है फिर उसकी कुटाई-पिटाई की जाती है। इसके अन्तर्गत तकनीकी आधार पर भ्रष्टाचार किया गया। मिट्टी की जांच करवाई गई या नहीं करवाई गई, मुझे इसमें भी डाउट है। निर्माण हो रहा था उस समय बीच-बीच में कैसी मिट्टी काम में ली जाती रही है विभाग ने वह भी बीच-बीच में जांच करवाई या नहीं करवाई इसमें भी मुझे संदेह है। इसमें जो मिट्टी की वाटरिंग 6 किलोमीटर दूर से पानी लाकर उसको गीला करने की बात बताई है इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि यह मिट्टी 6 किलोमीटर दूर से पानी लाकर गीली नहीं की गई थी। क्योंकि अगर ऐसी मिट्टी होती, और उसे गीला किया जाता तो 6 किलोमीटर दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पास ही ग्वालिया जुनिया का बांध है जो केवल ढाई किलोमीटर दूर है। वहां से पानी आ सकता था और वह बांध ऐसा है कि जिसमें कभी पानी टूटता नहीं है और जब वह भरा रहता है तो उसके आस-पास के कुओं का जल स्तर भी ऊंचा रहता है। मगर इसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मिट्टी की लेहर जमाई जाती है, बांध के लिये उसका एक सिस्टम है कि 6–6 इंच की लेहर बनाई जाती है, उसके ऊपर रोलर घुमाया जाता है उसके बाद उस मिट्टी का नाप लिया जाता है। इन्होंने 6-6 इंच

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

के बजाय डेनसिटी रजिस्टर में एक-एक फिट मिट्टी का रेकार्ड है, इनका रजिस्टर जब्त करके जांच की जाये तो अपने आप प्रमाणित हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही वहां पर ग्रामवासियों से जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि यह मिट्टी ट्रेक्टर की ट्राली से उठा-उठा कर दो-दो, ढाई-ढाई, तीन-तीन फिट ही डाल कर ट्रेक्टर उसके ऊपर लाया गया वही उसकी कुटाई हुई। न तो इसकी मिट्टी की लेहर सही तरीके से जमी, न वाटरिंग सही तरीके से की गई और न इसमें वह कुटाई सही की गई। यह जो ऊपर कुटाई होनी चाहिए थी इसमें सारे सिस्टम बतलाये। विभाग के अनुसार, मगर न तो रोलर चला, न रोलर ड्राइवर ड्यूटी पर गया, न अधिकारी गये। उसका तेल, पेट्रोल, उसको ठीक करने का खर्चा वह पूरा बराबर उठता रहा और यही कारण है कि जब वहां पर मुख्य इन्जीनियर पहुंचे और उन्होंने सारी जांच की, वहां से सेम्पल लाये। डेनसिटी नियमानुसार 1.80 होनी चाहिए उस मिट्टी की जांच करवाई और जांच करने के बाद डेनसिटी 1.60 आई जो साधारणतया हमारे फेमिन के काम चलते हैं और जिनमें मिट्टी डलती है उसकी 1.55 डेनसिटी होती है, उतनी थी। इसलिये यह पानी के नाम पर पैसे खा गए। जो लेहर जमाने में मिट्टी की कुटाई-पिटाई होती है, उसमें जो उनका रोलर चलता है उसके नाम पर पैसे खा गये और वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ इसीलिये जो मिट्टी डाली गई थी उसमें डले रह गये और ज्योंही पहली बरसात आई वह डले निकल गये और वह बांध टूटा हुआ, छलनी के रूप में आज हो गया। यह इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार यह बिल्कुल सिद्ध है अपने आप में। मैंने विगत बजट अधिवेशन में इसी अधिकारी के खिलाफ यह सारी बात और कई तरह के प्रकरण प्रस्तुत करके आरोप लगाये थे और मुझे मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि मैं मुख्य अभियन्ता से एक महीने में जांच करके अवगत करवा दूंगा। आज तक उसकी जांच नहीं हुई। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि माननीय मंत्रीजी क्यों संरक्षण दे रहे हैं। एक ऐसा अधिकारी जिसकी गलती से बांध टूटा। सुबह के बजाय रात्रि में टूट जाता तो उपाध्यक्षजी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सैकड़ों व्यक्ति बह जाते और मर जाते। आज तो केवल खेत गये हैं, खलिहान गये हैं, फसल गई है, मवेशी गये हैं, रास्ते टूटे हैं। अगर यह घटना रात्रि को हो जाती तो लोग सोते के सोते रह जाते। माननीय मंत्रीजी, पता नहीं इस अधिकारी को क्यों बचाने में लगे हुये हैं? इस अधिकारी की बात यहां तक ही सीमित नहीं रहती है, इस अधिकारी ने जो ठेके दिये हैं, इस बांध में, एक ठेकेदार है उसका नाम है मिस्टर गफूर। उस ठेकेदार को इन्होंने तीन ठेके दिये हैं 61.61 अबोव के, नई बी.एस.आर. की रेट से तीनों के तीनों 61.16 अबोव के, न कम न कोई ज्यादा इस सबके बाद इतना घटिया निर्माण ठेके के बाद और उस पुल की राशि को यह अधिकारी और ठेकेदार बराबर खाते रहे और यह घटिया निर्माण हुआ। यहां तक ही नहीं है इस अधिकारी ने मुख्तयार....

श्री उपाध्यक्ष : सोनगरा जी ओवर कीजिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : भुगतान के साथ ही इन्होंने फाइनल बिल पास किया और उसके साथ ही एस.डी. पास कर दी। यह एक नियम है एस.डी. की राशि जब तक रोकी जाती है या तो वह 6 महीने तक का समय पूरा हो जाये या उस 6 महीने के बीच में अगर कहीं बरसात आती है उसके बाद वह पेमेण्ट की जाती है तो बिल का भी पेमेण्ट कर दिया, एस.डी. पेमेण्ट कर दी। आज यह स्थिति है कि आज यह जो बांध टूटा है इस सबके लिये इस ठेकेदार को किस तरह जिम्मेदार ठहरायेंगे यह सारी स्थितियां इन अधिकारीजी ने खत्म कर दी है यह इसी तरह के ठेकों में, इसी तरह के एस.डी. में और इसी तरह के बांध निर्माण में और कितने ही तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किये हैं, इसकी जिस तरह से गलत सूचना मंत्री महोदय को, सरकार को दी है मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी के साथ जो आपने पिछली विधान सभा में मुझे यह कह कर शान्त किया था कि आप के तथ्यों में दम है, सही है। मैं जांच करवाऊंगा उसके बाद आज तक जांच नहीं हुई। एक महीने का समय, 6 महीने के बाद वापस इस सेशन में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। जिस मौके पर तीन दफा मंत्रीजी जा आये एक दफा मुख्य मंत्रीजी जा आये और यह बात सिद्ध हो गई है कि बांध 25 जगह से टूटा हुआ है। यह बात भी सिद्ध हो गई कि मिट्टी की क्वालिटी गलत है यह बात भी सिद्ध हो गई कि डेनसिटी भी गलत है, उस सबके बाद मुख्य अभियन्ता भी जा आये इनके, फिर कौनसी जांच बाकी रह गई है कि जो मंत्रीजी आज कह रहे हैं कि मैं जांच करवा कर कार्यवाही करूंगा जिस स्थान पर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उस विभाग के मंत्री तीन-तीन दफा जा कर आ जाये और मुख्य अभियन्ता भी जाकर आ जाये उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं रहती है, जिसमें जांच वाली बात है। अगर आप जांच की बात करते हैं तो डेढ़ महीना बीत गया, इस डेढ़ माह के समय में आपने कौनसी जांच करवाई ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये सोनगराजी। प्रो. सांवरलाल।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जिसकी वजह से इतनी बड़ी जन-धन की हानि हुई, जिसकी वजह से विभाग का एक करोड़ रुपये के करीब का नुकसान हुआ, प्रशासन की लाखों रुपये मुआवजे के देने पड़े और आगामी कई वर्षों तक वहां की जनता त्रस्त रहेगी। कब तक यह संरक्षण देते रहेंगे ? क्या ऐसे अधिकारी को निलम्बित करके कार्यवाही करने का मंत्रीजी विचार रखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अगस्त महीने में मंत्री महोदय ने अभी बताया था कि बिड़ला चांदोलई और अन्य तालाब टूटने से अम्बापुरा बांध टूट गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका तो सिंचाई महकमा है और हमारे यहां पर हमारे पुरखों ने छोटी-छोटी नालियां बना रखी है वह इस बरसात में नहीं टूटी। जो करोड़ों रुपये की योजना का, जो आपका पूरा विभाग लगा हुआ है जो बांध बना और बनते ही उसी

(श्री सांवरलाल)

साल टूट गया। आपको धन्यवाद इस बात का हम दे सकते हैं कि आपको मालूम पड़ते ही जैसे ही हमने कहा आप पधारे। दो बार नहीं तीन बार गये। माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये, हेलीकाप्टर से दो राउण्ड किये कि बांध कितनी जगह से टूटा है। 14 जगह से टूटा। केवल आप चले गये, जांच चल रही है यह कहने से काम चलेगा नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिचाई विभाग और इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं, काफी विचार-विमर्श और सोच-समझ के बाद बनते हैं। हर चीज की जांच होती है और पैसा भी केवल राज्य सरकार का आपको नहीं मिलता है, विदेशों से भी आप पैसा लाते हैं। किस मुंह से आपकी योजनाएं आप वापस स्वीकृत करवायेंगे कि जिस साल बना उसी साल टूट गया। मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, निर्माण में घपला हुआ, सही मिट्टी काम में ली गई कि नहीं ली गई यह तो आप जांच करवा लेंगे। परन्तु जो जांच की हुई चीज है कि आपके सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया कि अम्बापुरा बांध उस गांव से दो कि.मी. दूर है उसको तो आपके विभाग वाले हिला नहीं सके सिर्फ दो फर्लांग ही है तो क्या अधिकारी उस गांव को बहाना चाहते थे? यह एक तथ्यात्मक बात है, इसकी जांच करने की आपको आवश्यकता रह गई है तो मेरा निवेदन है कि अगर दिन के समय यह हादसा नहीं होता रात को होता तो वहां अम्बापुरा में कोई इन्सान नहीं मिलता। आपके आने के बाद आपका विभाग सक्रिय रहा। टूट जाने के बाद वापस ठीक उनका कराना है। मेरा निवेदन है कि सारी बातें तो आपने ही बता दी। आपने स्वीकार कर लिया कि ऐसा हुआ, ओवर टोपिंग की रिपोर्ट भी गलत हुई। जब सारी बातें आपके सामने है. आपने जांच करवा ली, पेमेण्ट भी उसका हो गया, जो नियमों में नहीं होना चाहिये था। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता केवल यही कहना चाहता हूं कि इस बांध के टूटने से किसानों की, गरीबों की कितनी मार हुई है उनको आप क्या सहायता देंगे? आप यह बात कहेंगे कि आप जांच करवा लेंगे बांध की, सब कुछ कर लेंगे, वापस भी बनायेंगे पर जिनके खेत बरबाद हो गये, उनके खेतों को आप कैसे वापस करेंगे, जिनका यह साल बेकार हो गया, उनको आपकी सरकार क्या सहायता देगी?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी तालाब टूटे हैं, आप देख लेना किसी भी किसान की निजी नाड़ी जिसमें कितना पानी आता है इस बरसात से नहीं टूटी पर आपके तालाब टूट गये। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जांच करवाइये, जांच तो आप करवा रहे हैं उसी टाइम कह दिया कार्यवाही कीजिये और दूसरी जो भी योजना बने भविष्य में आप किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे, यह व्यवस्था आप जब तक नहीं करेंगे 10 साल में यह योजनाएं बन कर तैयार होंगी, आपके प्रोजेक्ट और पहली बरसात में अगर गांवों को साफ करती रहेगी तो आप अन्दाजा लगा लीजिये आपके विभाग की कैसी छवि रहेगी, कैसी छवि सरकार की रहेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं चूंकि सारी बातें बता दी गई है, आप कब तक यह कार्यवाही करेंगे इस बात के लिये आश्वस्त कर दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जूनिया गांव है, अम्बापुरा के बांध से जूनिया गांव बह गया और अम्बापुरा में तो केवल साठ मकान टूटे हैं, वहां पर तीन सौ मकान टूटे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षजी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं आपने इन माननीय सदस्य को इतने लम्बे-लम्बे भाषण देने के लिये जो अनुमति यहां पर दी है मैं समझती हूं नियमों के विरुद्ध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नियमों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : काल अटेन्शन मोशन में वास्तव में प्रश्न पूछे जाते हैं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्या जो बोल रही हैं इनका क्या इन्ट्रेस्ट है मैं यह भी बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि टोंक जिले में जो जुनिया गांव है, आपने स्वीकार भी किया है कि तीन सौ मकान बह गये, आपने यह भी स्वीकार किया है कि वहां पर यदि रात में बरसात होती तो जन-धन की भारी हानि होती। आपने यह भी स्वीकार किया है कि वहां पर सूचना गलत दी गई है कि जो वहां अधीक्षण अभियन्ता या एक्स. ईएन. था उन्होंने जानबूझ करके सरकार को अंधेरे में रखा है और यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने जो निर्माण करवाया है वह दब जाये और वेग से पानी आया इसलिये टूट गया है, इसलिये सरकार को अंधेरे में रखने की कोशिश की है और आपका यह कहना है कि 2 मुख्य अभियन्ता और एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जांच के लिये भेजे गये 11 तारीख को और उनकी जांच रिपोर्ट भी मिल गई और उस जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ गये कि उसमें घटिया सामग्री लगाई गई है और उसमें यह तथ्य सामने आ गये कि एज पर स्पेशिफिकेशन काम नहीं हुआ है। उसके बाद कौनसी जांच रिपोर्ट बाकी है ? उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। दो मुख्य अभियन्ता और एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को आपने जांच के लिये भेजा है। मुख्य मन्त्री जी वहां स्वयं निरीक्षण करने के लिये गये हैं। एक करोड़ रुपये का जहां पर सरकारी नुकसान हुआ हैं। मैं यह चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलती की है, क्या उनसे ये राशि वसूल की जायेगी ? जिनको मुआवजा देना पड़ेगा, जिनके मकान टूट गये हैं, उसका मुआवजा देना पड़ेगा सरकार निश्चित रूप से देगी। यदि नहीं देगी तो हम दिलवायेंगे लेकिन सरकार के राजकोष पर....

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकार नहीं देगी तो आप कहां से दिलवायेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम सरकार के ऊपर दबाव डाल कर दिलवायेंगे। हम लोगों से मांग कर दिलवायेंगे (व्यवधान) लेकिन 1985 में (व्यवधान) ये दलाल हैं उनके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह विचार का बिन्दु नहीं है। आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये उनके खरीदे हुए दलाल हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान मत कीजिये।

109

श्री प्रेमसिंह दहिया : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जांच में सारा मामला स्पष्ट आ चुका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये आप। ना ना इसमें इन्टरफियर नहीं करिये आप। बिराजिये आप। (व्यवधान) क्या सवाल कर रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे पड़ोस में गुजरात में आज काश्तकारों को........

श्री उपाध्यक्ष : वह बात आप कह चुके हैं दो दिन पहले, बिराजिये आप। वह बात आ चुकी है यहां पर।

श्री रतनाराम चौधरी : मंत्रीजी यह बतायेंगे, हमको जवाब देंगे और गुजरात में जो काश्तकारों के कुए, जमीन बरबाद हो गई थी, उनको सरकार के खर्चे से सारी जमीन को समतल किया गया, उन कुओं का सारा खर्चा, हर्जाना किसानों को सरकार ने भुगतान किया। आज बांध अगर कहीं इरिगेशन या एनीकट्स से नुकसान हुआ, उन डिपार्टमेंट को पनिशमेंट दिया और पदों को छोटा बना दिया। अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी ठहराकर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। चौधरी साहब बिराजिये। बिराजिये ना।

श्री प्रेमसिंह दहिया : कांग्रेस का शासन है वहां पर इसलिए हुआ है। और आप क्यों कर रहे हैं। आपकी सरकार कहीं दे रही है मुआवजा ? (व्यवधान).... सरकार को मुआवजा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये। हां, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके कहने से बिल्कुल संरक्षण नहीं देगी। कठोर कार्यवाही करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,,, (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : वहां का प्रतिनिधि भाजपा का है। यह मामला 1990 से चला आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पेपर पर ला चुके हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : .... मेघवाल साहब इसमें रुचि ले रहे हैं। हमारा विश्वास है। परन्तु पहले वाले सिंचाई मंत्रीजी ने सारा भट्टा ही बैठा दिया सिंचाई विभाग का।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : मालाजी को मैंने 10 बार ज्ञापन दिया और उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। हां, हां बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : महावीर, जो आप कह चुके हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कहां कह चुका हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सदन के सामने लाना चाह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्यों ला रहे हो ? आप सवाल कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक जिले का....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे में कोई भाषण नहीं देकर अपना पाइंटेड सवाल कीजिये। आप पाइंटेड सवाल कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कोई बात रिपीट नहीं की। सिर्फ पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि आपको दोनों मुख्य अभियन्ताओं और एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट 25 तारीख को ही मिल गई है ? उसमें क्या यह भी सही है कि उसमें यह पाया गया कि घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई है और इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दबाकर इस प्रकार की रिपोर्ट करवाई है, वह भी छलपूर्ण कार्यवाही है। सरकार को धोखा दिया कि कार्यवाही की गई है। यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी वहां का दौरा करने गये इसलिए सारी बातें सामने आ गई लेकिन यदि यह प्रयास सफल हो जाता तो करोड़ों रुपये का सरकार को घाटा होता और करोड़ों रुपया माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... यह तो दिन का समय था और यदि यह....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात 10 बार आ चुकी है कि दिन का समय था, दिन का समय था। 4 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप रिपीट कर रहे हैं।

माननीय कैलाश मेघवाल जी, उत्तर दीजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय है,

चिन्ता का सवाल यह है कि इनका कोई मुआवजा हो सकता था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका राइट रिजर्व रखता हूं। आप बाद में पूछ लेना। चांस मिलेगा। मंत्रीजी के उत्तर के बाद और चांस है आपको बोलने का। आप पूछ लीजिये बाद में, माननीय मंत्री महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....ये कैलाश जी से उम्मीद नहीं कर सकते कि........ (व्यवधान) लीपापोती का जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बाई चांस और मिल रहा है आपको पूछने का। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन गलत सजेशन दे रहे हैं।

श्री शम्भू दयाल बड़गूजर : एक मिनट, एक निवेदन है मेरा। टू दी पाइंट बात कर हूं। ऐसा है, मेरा निवेदन है, मेरा विधान सभा क्षेत्र है। दिनांक 10 को यह घटना हुई, उसके बाद 18 तारीख को सिंचाई मंत्रीजी वहां गये और 29 तारीख को मुख्य मंत्रीजी वहां गये। उसके साथ ही जितनी संवेदना शासन और प्रशासन ने बरती बाढ़

(श्री शम्भू दयाल बड़गूजर)

पीड़ितों के लिए और मंत्रीजी के प्रति जैसी इस क्षेत्र में ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ और जाँच के आदेश मुख्य मंत्रीजी ने दिये तो मैं आज यह अपेक्षा करूंगा सदन में कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने जिस तत्परता से जाँच को गति दी है और तीन बार खुद मुख्य अभियन्ताओं को साथ लेकर गये हैं, मैं यह चाहूंगा आज विधान सभा में कि उस बांध निर्माण कार्य में लिप्त कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और एस.ई., जो भी उसमें लापरवाही बरती है, उन्हें आज विधान सभा के प्रांगण में निलम्बित करें तो आपकी छवि इस प्रदेश में ज्यादा बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा सवाल....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछिये आप, प्रेमसिंहजी, सोरी। बिराजिये आप। आप बैठिये। सोरी प्लीज। यहां नहीं चलेगा इस प्रकार का। (व्यवधान) उपाध्यक्ष से आखिर राइट है क्या बोलने का? (व्यवधान) आप बिराजिये। मैं कह रहा हूं, मैंने कह दिया कि आपको चांस मिलेगा। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सम्पत सिंह : बाई चांस की परम्परा क्यों डाल रहे हो?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आप डांटोगे नहीं आप, आप तो बच्चों की तरह डांटने लग गये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण जब सदन के सम्मुख आया है, उसमें जितना माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस सारी चर्चा में दो तरह से मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि कुछ तथ्य मैंने रखे थे, कुछ माननीय विधायकों ने रखे। और एक बार फिर अगर आप मौका देंगे, मैं चाहता था कि पहले ही पूछ लेते तो मैं सबका जवाब एक साथ में दे देता।

श्री उपाध्यक्ष : इससे मिला हुआ नहीं है। आप अपना भाषण कीजिये। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : Time is Very Limeted.

श्री कैलाश मेघवाल : 10.8.92 को यह बांध टूटा और 10.8.92 को बांध टूटने के बाद 11 को वहां पर रिपोर्ट बनी। अधिशाषी अभियन्ता ने निरीक्षण किया, सहायक अभियन्ता भी साथ था और माननीय मुख्य मंत्रीजी और मैं लगातार इस बात की कोशिश करते थे कि बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में कौनसा बांध कब टूटा है, कहां टूटा है, उसकी सुरक्षा की क्या स्थिति है, क्या बाढ़ आ रही है, क्या बाढ़ नहीं आ रही है, उसकी क्या स्थिति है और 12 तारीख से अपने अधिकारियों से और मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से माननीय मुख्य मंत्रीजी रिपोर्ट ले रहे थे और मैं भी रिपोर्ट ले रहा था और इस बात की सूचना दी जाती रही थी कि बांध ओवर टॉपिंग से टूटा है और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सूचना इस बात

(श्री कैलाश मेघवाल)

की भी दी गई थी कि बांध के कैचमेंट एरिया में सिचाई विभाग के 4 बांध भी टूट गये और 20 पंचायत समितियों के बांध भी टूट गये और जैसा अभी अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि बांध ज्यादा जगह से टूटा। मुझे जो उन्होंने एल-सेक्शन उपलब्ध कराया उसमें 10 जगह बांध का टूटा होना बताया। मैं पहली बार 18 तारीख को वहां गया था और 18 तारीख को मैं जूनिया गांव में गया था। जूनिया गांव में वहां के लोगों ने, दोनों माननीय विधायक प्रोफेसर सांवर लाल और शंभू दयाल जी बड़गूजर, इन्होंने यह कहा कि प्रचार यह हो रहा है कि बांध ओवर टोपिंग से टूटा है और यह बिल्कुल गलत बात है। गांव वालों ने कहा गलत बात है। मेरा इस बांध का उस समय निरीक्षण का कार्यक्रम नहीं था। मैं क्षति देखने गया था बाढ़ की वजह से जो लोगों की जन-धन की हानि हुई थी। बरसात बरस रही थी और मैं उस बरसती बरसात में मौके पर गया और उसमें सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, क्योंकि जब बांध में पानी भरता है तो पानी हिलोरे खाता है, हिलोरे खाने के बाद जो हल्की फुल्की टहनियां-वहनियां, घास-वास होती है वह अपने आप पानी में निशान छोड़ जाती है। सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस बात को कह रहे थे कि बांध में ओवर-टोपिग नहीं हुआ। अब बांध में ओवर टोपिग नहीं हुआ, मैंने भी वहां देखा, साथ में अधिकारी भी थे। मैं 18 तारीख को शाम को वापस आया, 19 तारीख को मैंने अपने अधिकारियों से जानकारी ली कि आप ओवर टोपिंग होने की सूचना किस आधार पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमको नीचे से सूचना मिली, मैंने कहा आप लिखित में भेजिये और उपाध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को एक पत्र आता है यहां के मुख्य अभियन्ता के पास और 22 तारीख को मुझे दिया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि निरीक्षण करने पर हमने देखा कि बांध में पानी इतना आ गया था और ओवर टोपिग हुई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं स्वयं देखकर आया हूं उसके बाद यह सूचना आई। उसके बाद 29 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा था उस क्षेत्र में। मुख्य मंत्रीजी के दौरे में मैं भी साथ था। वहां हमने हेलीकाप्टर को नीचे लेकर देखा तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सामने आया कि बांध 10 जगह से नहीं, ज्यादा जगह से टूटा है और पेरीफरी जो उस समय मैं नहीं देख पाया था कि कहां तक पानी आया है बाकी बांध के पोर्सन में देखा तो साफ समझ में आया कि बांध ओवर टोपिग नहीं हुआ और यह ज्यादा जगह से टूटा है। मैंने 29 तारीख को वहीं इनसे कहा कि क्यों गलत रिपोर्ट दे रहे हो ? तो आपको आश्चर्य होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को एक पत्र आता है कि हमने ओवर टोपिग की जो पहले सूचना दी है वह गलत दी है, बांध ओवरटोपिग नहीं हुआ। यह सूचना आने के बाद भी मैं यह चाहता था कि प्रमाणिकता से इस बात की जांच की जाय और 11 तारीख को मुझे जल्दी कार्यक्रम बनाने का समय नहीं मिला लेकिन 11.9.92 को मैं हमारे मुख्य अभियन्ता, एक अन्य मुख्य अभियन्ता, एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता इन तीनों अभियन्ताओं को लेकर मौके पर गया और यह बात अकाट्य रूप से सिद्ध हो गई कि बांध ओवर टोपिग से नहीं, बांध के टॉप से पानी चार-साढ़े चार फिट नीचे रहा था नम्बर एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

बांध 10 जगह से नहीं 14 जगह से टूटा, नम्बर दो ! बांध के कैचमेंट एरिया में सिंचाई विभाग के चार नहीं तीन बांध टूटे और बांध के कैचमेंट एरिया में पंचायत समिति के 20 नहीं 9 बांध टूटे। यह स्थिति सामने आ गई और अभी 25 तारीख को इन तीनों अभियंताओं की हस्ताक्षरित रिपोर्ट मेरे पास है। प्राथमिक रूप से 14 जगह की मिट्टी की जांच करा ली और प्राथमिक रूप से जो सूचनाएं सामने आई हैं उसमें वहां अनुपयुक्त मिट्टी थी जो प्रयोग में ली और उसका जो कम्पेक्शन होता है तो वो भी ठीक ढंग से नहीं होना पाया गया। यह एक प्राथमिक रिपोर्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए हम एक विस्तृत जांच कराने के आदेश दे रहे हैं और विस्तृत जांच के बाद इनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी।

मेरे ऊपर अजमेर पूर्व से आने वाले विधायक श्री सोनगरा जी ने एक आरोप लगाया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यह सच है, मैंने इसी विधान सभा में घोषणा की थी कि मैं एक महीने में जांच करा दूंगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वो मुद्दा तय करना चाहता था जो जांच के आधार बने क्योंकि मैं खुद भी वकील रहा हूं और सारी समस्या और सारी शिकायतें मेरे पास थी। विधान सभा के बाद अकाल में व्यस्त हो गया, बाढ़ में व्यस्त हो गया। वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वह जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त होने वाली है। मैं माननीय सोनगराजी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां किसी को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। अंबापुरा बांध की जो स्थिति हुई है, जिस तरह से टूटा हुआ है, जिस तरह से गलत सूचना दी है और जिस तरह के निर्माण की उसमें त्रुटि हुई है उसके लिए जो जितनी सजा का पात्र होगा पूरी कार्यवाही करके, जांच करके उसको सजा दी जायेगी। उसमें राज्य सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, विराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : यह जांच होगी, यह क्या केवल अजमेर जिले में ही होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आप क्या पूछ रहे हैं ? आप कह चुके हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : राजस्थान में तो हजारों बांध टूटे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं। यह इस प्रकार एक्सरसाइज करने का नहीं है। माननीय प्रेमसिहजी पूछिए।........ (व्यवधान).... आप बैठिए कोई जनरल डिबेट थोड़े ही है, पाइंटेड सवाल है। माननीय प्रेमसिंहजी। .... (व्यवधान) .... आप कह चुके हैं, बैठिए आप। पहले प्रेमसिंहजी का नाम पुकार लिया है। प्रेमसिंहजी पूछिए। (व्यवधान) .. क्या आप सहयोग नहीं करेंगे क्या ?

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बांध टूटे हैं वे सारे राजस्थान

(श्री रतनाराम चौधरी)

में ही टूटे हैं। करीब-करीब सभी जिलों में।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या उपदेश दे रहे हैं आप ? क्या जान नहीं रहे हैं सब ? आप बैठिए। सभी जान रहे हैं, सारे मेम्बर जानते हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : आप इनको थोड़ा फर्मा दीजिए, मंत्रीजी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। एक बांध का सवाल था मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया आपको। गुजरात की बात आप सारी कह चुके, बार-बार वो ही हाईलाइट कर रहे हैं। आप बिराजिए। माननीय प्रेमसिंहजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया 10.8.92 को टूटा और मंत्रीजी बताते हैं इन्होंने हैलीकोप्टर से उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया 29.8.92 को।

श्री उपाध्यक्ष : उसके पहले जा चुके हैं ये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : टूटा 10 को और आपने 29 को दौरा किया हैलीकोप्टर से।

श्री उपाध्यक्ष : 18 को गए हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : पहली बार मैं कार से गया था जूनिया गांव। वह पहला दौरा बना था। मैं पहली ब्रिज तक 18 तारीख को गया था।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी लिप सिम्पेथी बताते हैं कोई काम नहीं करते। मेरा मंत्रीजी से एक ही प्रश्न है। मंत्रीजी ने हैलीकोप्टर से जो दौरा किया है उसका पूरा मिसयूज हुआ है। मंत्रीजी कहते हैं, इनके कई जगह स्टेटमेंट है कि हैलीकोप्टर से इन्होंने दौरा किया और खाने की सामग्री नीचे डाली। ये जहां-जहां दौरा करने गए वहां पर अधिकारियों के अलावा कोई भी नागरिक नहीं था। हमारे यहां भीनमाल में दौरा करने आये तब भी सिर्फ अधिकारी थे, कोई भी नागरिक इनसे नहीं मिला और इन्होंने स्टेटमेंट यह दिया कि हमने वहां पर खाने की सामग्री गिराई। उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ तो इनका खुद का खाना भी नहीं था फिर कहां से सामग्री गिराते हैं ये ? ये इसका जवाब दें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सोनगरा जी, आप क्या कहना चाहते हैं ? बड़गूजर साहब बैठिए एक मिनट।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि जब माननीय मंत्रीजी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां ओवरटोपिंग की बात इनको गलत कही है। माननीय मंत्रीजी यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि वहां जो मिट्टी काम में ली उसकी जो डेंसिटी थी वो गलत थी और जब माननीय मंत्रीजी यह भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें होने के बाद वे खुद मौके पर गए और उसके बाद यह कह रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा तो मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि जब वो अधिकारी पिछले 6 महीने से इस मामले में आरोप लगा रहे हैं और इस काण्ड में भी

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

वो ही सम्मिलित हैं तो फिर यह उनकी जांच किस तरह सही करा लेंगे। मैं तो यह कहता हूं मुख्यमन्त्री जी और मंत्री जी तीन दफे चले जाय और आंखों से देखकर आ जाय तो फिर जांच के लिए बाकी क्या बचता है और जब तीन-तीन मुख्य इन्जी. नियर्स साथ चले जाय। तो आज सदन में यह घोषणा करें कि जिन्होंने भी यहां जो गलत काम किया है, जो भी इसमें दोषी हैं उनको मैं सस्पेण्ड करूंगा तो कोई बात हो, अन्यथा हर बार यह कह कर छूट जाते हैं कि मैं जांच कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए मान-नीय शम्भूदयाल जी।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : पहले वाली जांच के लिए कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आज तक नहीं आई, काहे की जांच।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन दिया है जांच चल रही है, एक महीने में कर दूंगा।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आज तक वो पहले वाली जांच नहीं आई। माननीय मन्त्री जी घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं। आप दोषी अधिकारियों को बचाना क्यों चाहते हो?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध में जिन अभियन्ताओं ने लापरवाही बरती है और इनकी जानकारी में आ गया तो आज सदन में उनके निल-म्बन की घोषणा करें तो माननीय मन्त्री जी की छवि बनेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी। आप बिराजिये महावीरजी।.... (व्यवधान) जनरल अलाउ नहीं करूंगा। घासीरामजी साहब, बैठ जाइये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री घासीराम चौपड़ा : मैं माननीय मन्त्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह जनरल डिबेट नहीं है मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री घासीराम चौपड़ा : सिर्फ एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घासीरामजी बैठ जाइये। आई विल नोट अलाउ। प्लीज सीट डाउन। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री घासीराम चौपड़ा : मेरी कांस्टीट्-वेंसी में बोटुण्डा बांध पिछले 7 साल से निर्माणाधीन था।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान में बहुत से बांध हैं। सभी माननीय विधायक बोलेंगे अभी।

श्री घासीराम चौपड़ा : राजस्थान का मामला है, सिंचाई का मामला है, इसमें क्या बात हुई? सिंचाई मन्त्री जी वक्तव्य देंगे। एक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह जनरल डिबेट नहीं है। यह कॉल अटेंशन मोशन है आप अपनी

(श्री उपाध्यक्ष)

तरफ से ले आओ कोई सवाल। 295 ले आओ, मना कौन कर रहा है? माननीय सिंचाई मंत्री जी जवाब दें। घासीराम जी का रिकार्ड नहीं किया जाय।

श्री घासीराम चौपड़ा : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक घासीराम जी ने जिस बांध की चर्चा की है वो टूट गया। आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं पहली बरसात में टूटा है और उस बांध के टूटने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच हो रही है और बहुत जल्दी उसकी जांच रिपोर्ट मिलने वाली है।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले विधायक ने पूछा है कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : इनका तो आपने रिकार्ड नहीं करने का आदेश दे दिया लेकिन अब मन्त्री जी किसका जवाब दे रहे हैं? यह आप देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वो हो चुका है। इनका इन्होंने अंकित करा दिया है। हो गया वो।

श्री कैलाश मेघवाल : परसों शाम को मुझे आपके सचिवालय से ध्यानाकर्षण की सूचना मिली थी तब से मैं सारी सामग्री एकत्रित कर रहा हूं और उसमें मुझे कुछ सामग्री और एकत्रित करनी है, अधिकारियों से चर्चा करनी है और एक वेलिड पाइन्ट है कि क्या इन अधिकारियों के वहां रहते जांच हो सकेगी या नहीं? मैं सारी सामग्री इकट्ठी करके इसमें एक अधीक्षण अभियन्ता, दो अधिशाषी अभियन्ता व दो सहायक अभियन्ता, कुल 5 अभियन्ता ऐसे हैं जो कि इसके निर्माण कार्य में लगे रहे हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आज शाम तक सारी सामग्री एकत्रित करके माननीय मुख्य मन्त्रीजी के विचारार्थ रख दूंगा क्योंकि एस. ई. और एक्स. ई.एन. को निलम्बित करना या दूसरी तरह की कार्यवाही करने के कार्मिक विभाग को अधिकार हैं। मुख्य मन्त्री जी को सदन की भावना से भी अवगत करा दूंगा और मुख्यमन्त्री जी जो इस पर निर्णय लेंगे, कल या परसों वो निर्णय आ जायेगा कि क्या स्थिति बनेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम जी, माननीय ऊर्जा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

मकराना पंचायत समिति के ग्राम भीचवा एवं बूडसू में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत पंचायत समिति मकराना के ग्राम भिचावा एवं बूडसू के 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत नहीं किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी की ओर

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

माननीय ऊर्जा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री रामनारायण बिश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मकराना क्षेत्र के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति 132 के. वी. जी. एस. एस. मकराना द्वारा की जाती है जो कि 132 के. वी लाइन फुलेरा मकराना से जुड़ी हुई हैं। पूर्व में फुलेरा 132 के.वी. जी. एस. एस. को विद्युत आपूर्ति 220 के. वी. जी. एस. एस. अजमेर या 220 के. वी. जी. एस. एस. जयपुर से तकनीकी सुविधानुसार दी जाती रही है। लेकिन उक्त दोनों 220 के. वी. जी. एस. एस. में लोड वृद्धि होने तथा भविष्य की मांग को देखते हुए तकनीकी दृष्टि से यह उचित समझा गया कि फुलेरा में एक 220 के. वी. जी. एस. एस. का निर्माण करवाया जाय। वर्ष 1991-92 में इस जी. एस. एस. का युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर माह अगस्त, 1992 में इसे चालू कर दिया गया है। यहां यह बताना उचित होगा कि इस जी. एस. एस. का निर्माण हो जाने से फुलेरा एवं मकराना क्षेत्र के सम्बन्धित ग्रामों की विद्युत व्यवस्था एवं वोल्टेज में काफी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मकराना क्षेत्र के ग्राम बूडसू, भरनाई, नानदोली एवं चान्दावता को विद्युत आपूर्ति 132 के वी. जी. एस. एस. मकराना से 11 के. वी. फीडर मकराना-बूडसू द्वारा की जाती थी। यह लाइन 25 किलोमीटर लम्बी तथा जिसका सम्बद्ध भार 4. 5 एम. वी. एस. था। इस लाइन की लम्बाई एवं वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण वोल्टेज कम मिलते थे। इसके निराकरण हेतु उक्त लाइन को दो भागों में विभक्त कर लाइन का भार कम किया गया जिससे वोल्टेज में अपेक्षाकृत सुधार हो गया। उक्त क्षेत्र के ग्रामों के विद्युत भार तथा भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुये ग्राम बूडसू एवं ग्राम भीचवा में 33 के. वी. सब स्टेशन का कार्य वर्ष 1992-93 के वार्षिक सब ट्रांसमिशन कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है। इस सब स्टेशन के निर्माण हेतु सम्बन्धित 33 के. वी. लाइन मकराना-बूडसू एवं मकराना भीचावा का कार्य भी प्रस्तावित है। मकराना-भीचावा लाइन कार्य प्रगति पर है तथा इस लाइन में 11 किलोमीटर तक पोल खड़े किये जा चुके हैं। 33 के. वी. लाइन मकराना-बूडसू कार्य प्रारम्भ किये जाने के प्रयत्न जारी हैं। उक्त दोनों कार्य वर्ष 1992-93 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इन दोनों सब स्टेशनों के चालू हो जाने के पश्चात् इस क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज में उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी रिप्लाई तो आ चुकी है बहुत सारी।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक तारांकित प्रश्न लगाया था उसके अन्दर भी आपने यही जवाब दिया था पिछली बार भी कि ग्राम भीचवा के अन्दर जो 33 के. वी. का जी. एस. एस. है, हमने स्वीकृत कर दिया और यह काम शीघ्र ही हो जायेगा। उसके अन्दर जो बूडसू की बात थी उसके लिये भी इन्होंने यही बात कही थी कि यह

(श्री बिरधाराम चौधरी)

स्वीकृत हो चुका है और यह ठीक हो जायेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को एक-दो बात यह कहनी है कि मकराना को विद्युत दी जाती है मकराना के 132 के.वी. के जी.एस.एस. से और मकराना एक ऐसी जगह है जहां पर तीन तरह के उपभोक्ता हैं। एक तो उद्योगपति हैं जिनकी करीब पांच सौ इकाइयां हैं। उनमें किसी के 100 एच. पी. का, किसी के 50 एच. पी. का कनेक्शन है, किसी के भी 25 एच. पी. से कम का कनेक्शन नहीं है और दूसरा जो ग्रामीण इलाका है उसको भी विद्युत 132 के. वी. मकराना से दी जाती है और जो मैंने आपसे निवेदन किया है, यह जो बूडसू फीडर है, यह लाइन मकराना के करीब 25 और 30 किलोमीटर की दूरी पर है और उपाध्यक्ष महोदय, जो लाइन 25 किलोमीटर से ऊपर है और वहां पर जो सिस्टम बना रखा है, जो वोल्टेज पहुचते हैं, वहां तक जाने में कम से कम 40 प्रतिशत तक वोल्टेज ड्राप हो जाते हैं, ड्राप कह दो चाहे छीजत कह दो। लेकिन बिजली की जहां तक लाइन का सवाल है, वह एक पानी का धोरा है और पानी का धोरा जितना दूर जायेगा और पानी जितना बीच के अन्दर जायेगा, वही बिजली की स्थिति हो रही है। तो मेरा यह कहना है कि जो यह बूडसू के इन्टीरियर गांव हैं-नानदोली, चांदावता, भरनाई, बरबाली वहां तक जाते जाते ऐसी स्थिति हो जाती है कि चालीस प्रतिशत तक वोल्टेज ड्राप हो जाते हैं और उन किसानों को जहां पर 440 वोल्टेज मिलने चाहिये वहां पर 150-175 वोल्टेज मिलते हैं, इनकी मोटरें जल जाती हैं बार-बार हम यही निवेदन करते आ रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बताया है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, यह 1989 से हमको स्वीकृत बताये गये हैं लेकिन आज तक बूडसू के अन्दर एक भी खम्भा नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं लगाया और इवन मकराना में भी एक भी खम्भा उपलब्ध नहीं है तो आप यह काम करायेंगे तो कैसे करायेंगे टाइम पर।

दूसरा यह निवेदन किया था मैंने, भीचवा का आज तीन साल से स्वीकृत है और यह बराबर यही कहते जा रहे हैं कि हम इसको पूरा करा रहे हैं। भीचवा की भी यही स्थिति है और भीचवा के जो भी इन्टीरियर गांव हैं उनके अन्दर भी जो वोल्टेज जाते हैं, वहां पर इनके यह नियम है कि आठ प्रतिशत से ज्यादा जहां पर वोल्टेज छीजत होगी, वहां पर वहां पर हम कनेक्शन नहीं देंगे लेकिन इनकी छीजत होती है चालीस और पैंतीस तक। तो यह जो इनका कहना है, मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह दोनों हैं, आप एक तो मेरे को निश्चित अवधि बतायें कि हम इस तारीख को काम शुरू कर देंगे और यहां तक बना देंगे। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, जो इनका सिस्टम है, यह इनको घाटा नहीं हो रहा है, जितनी इनकी छीजत होती है, उसको उपयोग करें तो हमारा 33 के. वी. का जी. एस. एस. बन सकता है उन्हीं रुपयों के अन्दर। जहां तक मकराना के अन्दर कनेक्शन की बात है, मैं समझता हूं, आपने कह दिया कि यह काम हो जायेगा, लेकिन जो नागौर जिले के बिजली विभाग की लापरवाही है, मकराना के एक्स. ईएन. और ए. ईएन. की

(श्री बिरधाराम चौधरी)

लापरवाही है उससे मेरे को ऐसा लगता है कि काम होना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मकराना के अन्दर जब हम इनके पास कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो यह एक ही बात कहते कि हमारे पास वोल्टेज नहीं है और आठ प्रतिशत से ज्यादा वोल्टेज की छीजत होगी तो हम कनेक्शन नहीं दे सकते। पिछली बार हमको मकराना के अन्दर 223 कनेक्शन आवंटित हुए और इन्होंने फरवरी तक दस प्रतिशत तक के डिमाण्ड-नोटिस नहीं निकाले और यहां पर विधान सभा के बजट सेशन में हमने प्रश्न लगाया तब इन्होंने 133 के डिमाण्ड नोटिस निकाले और डिमाण्ड नोटिस निकालने के बाद भी कनेक्शन करने की जो बात थी, जो कनेक्शन इन्होंने किए, 31.3.92 तक इन्होंने 133 के एवज में 60 कनेक्शन किये और उसके बाद में 82 कनेक्शन इन्होंने लैप्स कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय इनको कुछ कहते नहीं हैं, यह बहाना क्या बनाते हैं, बहाना यह बनाते हैं कि हमारे पास वोल्टेज नहीं है, तो यह वोल्टेज किसके गये ? मैं यह समझता हूं कि यह कनेक्शन लैप्स नहीं होते हैं और इनके विभाग की लापरवाही है, यह कनेक्शन दूसरों को ट्रांसफर कर दिये और आज स्थिति मकराना की यह है कि जो हमारे डिमाण्ड नोटिस पहले वाले हैं, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर हमको दो कनेक्शन मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कहते हैं कि पिछली बार वाले कनेक्शन पूरे होंगे। तो इस प्रकार मैं यह समझता हूं कि यह काम कब तक हो जायेगा, यह एश्योरेंस दे दें। मकराना के अन्दर औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें कम से कम 250 कनेक्शन बाकी हैं और उनका कहना यही है कि हमारे पास वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज कैसे बढ़ेंगे ? लम्बी-लम्बी लाइनें हैं और वोल्टेज बढ़ने का यही है कि यदि यह दो 33 के. वी. के जी. एस. एस. साथ में हो जाते हैं और यह बन जाते हैं तो हमको वोल्टेज मिलने की संभावना बन जाती है ? तो मंत्री महोदय से यह निवेदन है, मेरे विशेष तौर से दो-तीन प्रश्न हैं, एक तो भिचवा का जो 33 के. वी. का जी. एस. एस. है वह आपने कब स्वीकृत किया और बूडसू का कब स्वीकृत किया, भीचवा का आपने अभी तक कितना काम कर दिया और यह बूडसू का कितना काम कर दिया और कब तक यह पूरे हो जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रिछपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अब इसको जनरल क्यों बना रहे हैं आप।

श्री रिछपाल सिंह : नागौर जिले का मामला है, इससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : नागौर जिले का मामला है तो माननीय सदस्य, प्रश्न करने के तो और भी तरीके हैं। प्राइवेट सवाल कर लीजिए आप।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : इससे सम्बन्धित है वही बात मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम सांजू में 33 के. वी. जी. एस. एस. स्वीकृत हुआ-हुआ है, उसका कार्य भी चालू है लेकिन वह कार्य धीमी गति से हो रहा

(श्री रिछपाल सिंह)

है, कछुआ चाल से, छह महीने तो उसको हो गये शुरू हुए और छह महीने अभी और पूरा नहीं होने की संभावना है तो मेरा निवेदन यह है कि 33 के.वी. जी.एस.एस. जो सांजू में बन रहा है उस पर 3.15 का ट्रांसफार्मर लगाकर कार्य जल्दी पूर्ण कराया जाय क्योंकि उस क्षेत्र में किसानों को वोल्टेज की बड़ी समस्या है। एक मेरे क्षेत्र में खैरवा ग्राम है जहां 33 के.वी. जी.एस. एस. प्रस्तावित है, उसके सब प्रपोजल वहां से बन कर आ गये हैं उसको जल्दी स्वीकृत करा कर उस खैरवा ग्राम के 33 के.वी. जी. एस. एस. को बनाने की स्वीकृति दी जाये। इन दो बातों का जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय मन्त्री महोदय।

(3.00 म.प.)

श्री हबीबुर्रहमान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक भूचेरा और दारु में जी.एस.एस. का काम चालू है, दोनों की मंजूरी है लेकिन 8-8 महीने से काम बिल्कुल धीमा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप, बोलिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार पिछले वर्षों में राजस्थान में विद्युत विस्तार हुआ है और उद्योगों के लिये, कृषि के लिये जो कनेक्शन्स दिये गये हैं, उस अनुपात के अन्दर राजस्थान में ट्रान्समिशन लाइन और नये विद्युत सब स्टेशन का विस्तार नहीं हो पाया है और यही कारण है कि इस वजह से जगह-जगह उपभोक्ताओं को वोल्टेज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हर साल कम से कम इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए 33 के.वी. के सब स्टेशन करीब 150 नये प्रस्तावित किये जाते हैं और वित्तीय संसाधनों की कमी होने की वजह से 1/3 जो है, बड़ी मुश्किल से सब-स्टेशन बनाये जा सकते हैं तो इस स्थिति के अन्दर जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, वहां विद्युत मण्डल की तरफ से इन समस्याओं को दूर करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कार्य किया जाता है। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता जाहिर की है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि मकराना में जिस प्रकार से विद्युत भार बढ़ा है उसे सुधारने के लिये ही फुलेरा के अन्दर 220 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाकर के मकराना की विद्युत स्थिति में सुधार लाये गये हैं और मकराना से भीचवा की जो लाइन थी, वह 11 किलोमीटर तक लाइन बन चुकी है और मैंने जैसा कि आश्वासन दिया है कि इसी वर्ष 1992-93 के अन्त तक मकराना-भीचवा और मकराना बूड़सू का कार्य सम्पूर्ण कर दिया जायेगा। जहां तक....

श्री उपाध्यक्ष : आप डेट और चाहते हैं इसके अलावा तो और कोई सवाल नहीं है। आप चाहते हैं कि कौन सी तारीख को काम शुरू होगा लेकिन यह बता नहीं सकते।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सांजू जी. एस. एस. की 3.15 का ट्रांसफार्मर कब तक लगवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप विराजिये। ग्राप क्या पूछना चाहते हैं। पूछिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि मैं ग्रापको ग्रामंत्रित करता हूं कि ग्राप कम से कम बुड़सू में शिलान्यास के लिए पधारे तो क्या ग्राप तारीख बता देंगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा यह निवेदन था....

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा मैं नहीं बोलने दूंगा ग्रापको।

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मकराना नहीं है, इसमें दो गांव दिये हुए हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : ग्रौर सदस्य एक घण्टा बोले, मैं तो पांच मिनट ही नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो विषय पर निर्भर करता है। विषय की गम्भीरता पर बुलवाया गया था। ग्रब बिराजिये ग्राप।

श्री परसादीलाल मीणा : किसानों की बिजली का मामला है ग्रौर ग्रापकी कण्डीशन।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है कि 1992–93 में पूरा कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं उन्हें कम्पलाइज नहीं कर सकता।

श्री रिछपाल सिंह : यह जो बात कही उसमें मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कुछ भी नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कोई कम्पेल नहीं कर सकते, कहने के लिए वे कहेंगे ही ग्राप की बात, क्योंकि ग्रापने सवाल ही ग्राज उठाया है। जानकारी भी तो होनी चाहिए उनको।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक दूसरी बात पूछी थी। मैंने यह दूसरा निवेदन किया था कि जो हमारे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। ग्रापकी बात रिकार्ड पर ग्रा गई है।

श्री रिछपाल सिंह : यह 3.15 का ट्रान्सफार्मर कब तक लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रिकार्ड पर ग्राने के बाद हर बात पर कार्यवाही होती है। बिराजिये ग्राप। उत्तर देना कोई जरूरी नहीं है। बिरधाराम जी ग्राप जल्दी पूछिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न यह किया था कि मकराना के ग्रन्दर कृषि कनेक्शन ग्रावंटित हुए हैं ग्रौर यह बिजली विभाग वाले यह कहते हैं कि हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन ग्रधिक है इसलिए हम कनेक्शन नहीं दे सकते तो मैं ऊर्जा मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि हमारे मकराना में गत साल 223 कनेक्शन कुग्रों के ग्रावंटित हुए ग्रौर उनके एगेंस्ट में 60 कनेक्शन हुए तो हमारे कनेक्शन जो लेप्स हुए, वो 33 के. वी. का सब स्टेशन नहीं बना, उसकी वजह

(श्री बिरधाराम चौधरी)

से हुए या आपके अभियन्ताओं की लापरवाही से। यदि लापरवाही से हुए है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दें। अब बिराजिये आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तो यह मुद्दा नहीं उठाया गया है। ज्यादातर समस्या इसी बात पर आई है कि वोल्टेज रेगुलेशन ठीक नहीं होने की वजह से कनेक्शन्स नहीं दिये गये। लापरवाही की उसमें कोई हमारे ध्यान में ऐसी बात नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य यह कहेंगे कि किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी ने कोई जानबूझ कर के लापरवाही की है तो उसके विरुद्ध जांच कराके कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजयसिंह जी, गृह मंत्री। अब आप बिराजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल दूसरे का है और आप मकराना का ला रहे हो।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, नहीं, मकराना का है।

श्री उपाध्यक्ष : मकराना का काल अटेंशन मोशन नहीं है। बार-बार मकराना कह रहे हो आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : मकराना नहीं है। नहीं, मकराना की नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो मकराना कहां है। मकराना में जो सब स्टेशन दिया, आपके 33 के वी. के। वह बात कहनी चाहिए थी आपको।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पुनः इसको मकराना में ले जा रहे हो। काल अटेंशन मोशन में उसी पाइण्ट पर चर्चा की जा सकती है। जनरलाइज करना चाहते हो पूरी को, वह नहीं होगी। अब हो चुकी। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, नहीं। एक सवाल। उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरधा राम जी चौधरी, बिराजिये आप, बैठिये, प्लीज सिट डाउन। इनका अंकित न किया जाये।

श्री बिरधाराम चौधरी : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : कहां का तरीका ?

श्री उपाध्यक्ष : तरीका क्या है आखिर। क्या एक ही तरीका है। इट इज ओनली वन पाइण्ट ऑफ मकराना। और की क्या हालत है यह बात आपको मालूम नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : पैसा जमा

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

करवा दिया उनको कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : पावर की क्या हालत है, यह आपको और इनको सब को मालूम है । चर्चा तो समाप्त हो गई । बिराजिये । कृपया अंकित न किया जाये ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री रिछपाल सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये । मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं । बिराजिये आप । बिजली पर चर्चा करा दो हाउस में फिर भी वही बात कह रहे हो । लम्बा चौड़ा एक पूरा दिन चर्चा का दे दिया है फिर भी जनरल बात कर रहे हो । पूरा दिन दे दिया । माननीय सदन के कम से कम 40 सदस्य बोले हैं । वे किसानों के बारे में बोले, मजदूरों के बारे में बोले, फैक्ट्रीज के बारे में बोले, सब कुछ बोल दिया । अब आपकी समस्या है तो ऊर्जा मन्त्रीजी से मिल लीजिए आप । माननीय गृह मन्त्री जी ।

शासकीय वक्तव्य

खेतड़ी में किसानों एवं मजदूरों की सभा में पुलिस द्वारा बल प्रयोग

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था ठीक नहीं है । खेतड़ी के अन्दर मजदूरों पर लाठी चार्ज हुए उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार वक्तव्य दे । मजदूर, किसान, विद्यार्थी संघर्ष समिति खेतड़ी एवं उदयपुरवाटी द्वारा अपने मांग-पत्र जिसमें हरियाणा से खेतड़ी उदयपुर-वाटी तक नहर लाने, प्रदूषण की रोकथाम, अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने, प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने, प्रत्येक मालिक को एक लाख रुपया मुआवजा देने, आदि नौ सूत्रीय मांगें थीं, के संबंध में दिनांक 18.9.92 को एक रैली का आयोजन किया गया ।

माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव के जरिये स्थानीय पुलिस थाना खेतड़ी द्वारा घृणित कदम उठाने के जो आरोप लगाये हैं वह तथ्यों के विपरीत है । वास्तविकता यह है कि दिनांक 18.9.92 को रैली में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा मीटिंग के बाद श्री जगदीश प्रसाद वर्मा व श्री महावीर प्रसाद आदि के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला । खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रशासनिक भवन पर पहुंच कर प्रदर्शन-कारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर आज ही निर्णय किया जावे व प्रदर्शन जारी रखा । सायंकाल 7.30 बजे डिप्टी मैनेजर खेतड़ी तांबा परियोजना अपने कार्यालय से निवास के लिये जैसे ही रवाना हुए तो प्रदर्शनकारियों ने उनको कार से नीचे गिराकर अभद्र व्यवहार किया, प्राण-घातक हमला कर चोटें पहुंचाई और उनकी कार में रखी अटैची ले गये । मौके पर शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये उपस्थित उप जिला मजिस्ट्रेट, उप अधीक्षक पुलिस एवं पुलिस दल पर पथराव करके चोटें पहुंचाई जिसके फलस्वरूप 12 पुलिस-कर्मियों के चोटें आई । मौके पर उपस्थित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनी देने के

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

बावजूद भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे और प्रशासनिक भवन को आग लगाने पर उतारू हो गये। प्रदर्शनकारियों द्वारा उग्र रूप धारण कर शांति भंग करने, आगजनी करने पर उतारू होने, पुलिस पर पथराव करनेके कारण उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। परन्तु भीड़ नियन्त्रित न होने के कारण उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अश्रुगैस का उपयोग किया गया जिसके फलस्वरूप भीड़ तितर-बितर हुई। इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 108/92 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 379, 336, 341, 342 भा.द.सं. व 3 पी.डी.सी. एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा किये गये पथराव से जहां 12 पुलिसकर्मियों के चोटें आई है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारी पथराव के कारण किन्हीं प्रदर्शनकारियों के चोटें आई हो परन्तु चोटग्रस्त किसी भी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी है और ना ही अपना चोट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी करने पर उतारू होने से जानमाल की क्षति की सम्भावना व भारी पत्थरबाजी करने के कारण उन्हें तितर-बितर करने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में अनधिकृत भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। स्थिति अब नियंत्रण में है।

(3.10 म प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय श्री हजारीलाल.... कृपया बिराजिये.... मेरे पास नाम लिखे हैं आपको बुला लूंगा। माननीय हजारीलाल जी....

डा. चन्द्रभान : एक निवेदन आपसे है....

श्री सभापति : माननीय श्री हजारीलाल। आपका नाम आपके बाद में आ रहा हैं। बिराजिये आप।

डा. चन्द्रभान : हमने काल अटेन्शन भी दिया है।

श्री सभापति : मैं बोलने के लिए बुलाऊंगा। श्री हजारीलाल।

श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, गृह मन्त्रीजी ने इस लाठी चार्ज के बारे में जानकारी सदन को दी। मैं सबसे पहले अपनी चर्चा शुरू करूं उसके पहले एक बात पूछना चाहता हूं गृह मन्त्री महोदय से सभापति महोदय आपकी मार्फत कि घटना की कोई जगह होती है, उसका एक निश्चित स्थान होता है। मैं गृह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह घटना कौनसी पंचायत, कौनसी पंचायत समिति क्षेत्र की है, कौन से विधान सभा क्षेत्र की है और कौनसी ग्राम पंचायत की है। यह जानकारी गृह मन्त्री महोदय मुझे दें उसके बाद में इस पर चर्चा शुरू करूंगा। पहले गृह मन्त्रीजी स्पष्ट करें कि कौनसी पंचायत की, कौनसी पंचायत समिति और कौन से विधान सभा क्षेत्र की यह घटना है? क्या घटना घटी है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऐसे

(श्री सभापति)

टुकड़ों में प्रश्न नहीं किये जाते। आपको जो बात कहनी है पूरी बात कहियेगा।

श्री हजारीलाल : माननीय सभापति महोदय, यह बात यहीं से शुरू होती है....

श्री सभापति : शुरू कर दी। आपको आगे जो पूछना है पूछ लीजिए।

श्री हजारीलाल : यह बात बताने के बाद पूछूंगा, सभापति महोदय। पहले इस बात का जवाब मिलेगा उसके बाद पूछूंगा।

श्री सभापति : ऐसे नहीं। टुकड़ों में जवाब नहीं आ सकता....आप नहीं बोलना चाहते हैं तो बिराज जाइये।

श्री हजारीलाल : सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां से बाबूलाल जी खाण्डा हैं, मदनलाल जी सैनी हैं, डाक्टर चन्द्रभान हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य जब प्रश्न आ जायेंगे तब इनका जवाब आ जायेगा। आपको और पूछना है तो पूछिये.... नहीं पूछना है तो आप बिराज जाइये। माननीय डाक्टर साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइण्ट आफ आर्डर सर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना माननीय गृह मन्त्रीजी से चाही है वह वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से नहीं पूछी है इन्होंने। यह सूचना अनिवार्यत: इस स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी। सभापति महोदय, इसको समझने की चेष्टा करें कि स्टेटमेन्ट इनकम्पलीट है जो इनको मिला। यानी यह सूचना उसमें नहीं आई है इसलिए पहले आप यह सूचना दिलवाइये और फिर इनको बोलने दीजिए। उनकी कान्सटीटुएन्सी का मेटर है, आप समझने की कोशिश कीजिए।

श्री सभापति : मैं समझ गया। बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेटमेन्ट कम्पलीट नहीं है।

श्री सभापति : ठीक है जो कम्पलीट नहीं होगा वह कम्पलीट कर देंगे। माननीय डाक्टर साहब.... आप बिराजिये सुन ली आपकी बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आगे चर्चा तब तक प्रारम्भ नहीं हो सकती जब तक स्टेटमेन्ट कम्पलीट नहीं हो जाता। "यू ट्राई टू एप्रीशियेट सर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। मैं बाध्य नहीं कर सकता। माननीय डा. चन्द्रभान....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आपसे ही कह रहे हैं...

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये। सुन लिया मैंने आपको। अब आप बिराजिये.... माननीय मन्त्रीजी ने सुन लिया....

डा. चन्द्रभान : यह हमारे जिले से संबंधित मामला है।

श्री सभापति : माननीय गृह मन्त्रीजी ने वक्तव्य दे दिया। अब इसके बारे में जितने प्रश्न आयेंगे उनका उत्तर दे देंगे....

श्री हजारीलाल : घटना निश्चित जगह की होती है....

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। बैठ जाइये....

श्री हजारीलाल : क्यों बैठें साहब ? इसका क्या मतलब हुआ सभापति महोदय ? आप कैसे कह रहे हैं ? क्या मतलब हुआ इस बात का। एक तो लोगों पर लाठियां चार्ज हुई हैं, गोलियां चलती हैं, क्यों बैठें ?

श्री सभापति : आपसे निवेदन किया है। आपको और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।

श्री हजारीलाल : मैं कहना चाहता हूं कि यह बात शुरू कहां से हुई है। कोई भी तफतीश होती है, कोई भी जांच होती है पुलिस का कायदा होता है। हर घटना की पंचायत समिति और विधान सभा क्षेत्र होता है। मुझे इसकी जानकारी करवाइये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपके प्रश्नों का उत्तर आ जायेगा इतने विचलित मत होइये। बिराजिये। आ जायेगा। बैठ जाइये अब।

श्री हजारीलाल : मेरा उद्देश्य यही है कि यह घटना कहां की है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बैठ जाइये। हो सकता....

श्री हजारीलाल : जानकारी आने के बाद मैं मेरी बात यहीं पर ड्राप कर दूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये आप।

श्री हजारीलाल : आप कैसे कहते हैं बिराजिये ...

श्री सभापति : आप बिराज जाइये ... मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप बैठ जाइये ... माननीय सदस्य मैं आपको....

श्री नत्थीसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह इतना सेन्सिटिव मामला है, उनके क्षेत्र का है ..

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, सदस्य के अधिकारों की रक्षा करने का आपका फर्ज है। आप उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए।

श्री सभापति : मैं माननीय मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता इस मामले में।

श्री रामकरण सिंह : कम से कम आप हमारी बात तो सुनें। बात सुनने के बाद फिर कोई दूसरी बात करो।

श्री सभापति : सुन ली आपकी बात।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सदस्य के अधिकारों का आप हनन मत होने दीजिए। आप इसलिए इस चेयर पर बैठे है....

श्री सभापति : माननीय रामकरण सिंह जी माननीय सदस्य खुद सक्षम हैं अपने अधिकारों के बारे में। आप आनन्द से बिराजे रहिये। डा. चन्द्रभान।

श्री रामकरण सिंह : यह हमारी

(श्री रामकरण सिंह)

ज्वाइन्ट रिस्पोन्सिबिलिटी है। माननीय सदस्य निर्दलीय सदस्य हैं।

श्री हजारीलाल : आप मुझे वंचित नहीं कर सकते मेरे अधिकारों से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अव्यवस्था नहीं करें। बैठिये आप।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, आपने प्रश्न किया है कि कौन-कौन सी पंचायतें इसमें हैं और कौनसा एरिया है। इसमें तीन-चार पंचायतें लगती हैं। पर यह जो घटना हुई है खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट का जो काम्पलेक्स है वहां पर हुई है।

श्री हजारीलाल : मेरे पूछने का उद्देश्य गृह मन्त्रीजी यह है कि किस पंचायत, किस पंचायत समिति और किस विधान सभा क्षेत्र की है यह घटना। मैं कापर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जगह कौनसी है?

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, इसके अन्दर कहा गया है कि कौन-कौन सी पंचायत समिति हैं, मैं नहीं कह सकता लेकिन फाइल से कह सकता हूं कि तीन-चार पंचायतों की सीमाएं मिलती हैं और खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट कम्पलेक्स है इसके द्वार पर यह घटना हुई है। वहां पर यह लाठी चार्ज हुआ है।

श्री हजारीलाल : सभापति महोदय, अगर यह घटना कोटड़ा की है तो कोटड़ा और ई.डी. के आफिस की दूरी कम से कम 500 गज की दूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो 5 किलो का पत्थर उठाकर ई.डी. के शीशे को मार सकता है। प्रोजेक्ट के मैनेजमेन्ट की दूरी और कोटड़ा की दूरी में 5 किलोमीटर का फर्क है। अगर यह घटना बड़वा पंचायत, पंचायत समिति सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की है तो मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पास 500 जवान हैं। 20 फुट ऊंची दीवार है। अपने विधान सभा जलेबी चौक से कोई व्यक्ति घुसता है तो उसकी इंक्वारी और उसकी जांच होने के बाद आदमी आता है। वैसे ही ई.डी. के आफिस में व्यक्ति को घुसने के लिए इतनी दूरी 100 गज की दूरी बाहर, 500 गज लम्बा परकोटा और 20 फुट ऊंचाई का परकोटा बना हुआ है, जिसके ठीक चारों तरफ 2000 जवान खड़े होते हैं और किसी व्यक्ति को घुसने नहीं देते हैं। यह घटना की शुरूआत कहां से जोड़ रहे हैं आप? मेरे पूछने का उद्देश्य यहीं से शुरू होता है....

श्री सभापति : ठीक है, बिराजिये उत्तर आ जायेगा।

श्री हजारीलाल : सभापति महोदय, घटना के पूर्व यह सही बात है कि गृह मंत्री जी ने बताया कि उनकी 9 मांगें थीं और इन मांगों को लेकर 18-9-92 को रैली निकाली गई है और 11-9-92 के सायंकाल से मीटिंग चल रही थी। 11-9-92 को सायंकाल 7 बजे बागोली, 11-9-92 को पाकरिया, 12-9-92 को बबाई रामलीला मैदान, 12-9-92 को बबूना, 13-9-92 को पचेरी, 14-9-92 को बुहाना, 15-9-92 को मियाढ़ा, 16-9-92 को शिमला। इस तरह से लगातार गांवों में अलख जगाते हुए मजदूरों की कमेटी की मीटिंग होती आ रही थी और 18 तारीख को

(श्री हजारीलाल)

इनका एक सामूहिक निर्णय था खेतड़ी, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़ और पंचायत समिति चिड़ावा इन चारों पांचों का मिलकर, सभापति महोदय, आप मेरे साथ चलिये और देखिये आप उस इलाके में अपनी नाक से दो मिनट सांस लेकर दिखा दीजिए, कितना वहां पोल्यूशन हो रहा है। आप पानी की बाल्टी भरकर रख दीजिए सुबह उसमें अलग से तेजाब मिलेगी। वहां देखिये हालत, किसी की नाक टूट रही है, किसी का कान टूट रहा है, किसी का पांव टूट रहा है दुनिया भर का रोग फैल रहा है। पीने के लिए, सभापति महोदय, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने धरना दिया था, ई. डी. को और मैं आपको एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि एक करोड़ रुपये की डेली की आमदनी इस हिन्दुस्तान कोपर प्रोजेक्ट के तांबे की होती है। जहां 10 टन रोजाना तांबा तैयार होता है, 7 किलो सोना तैयार होता है, 26 किलो चांदी तैयार होती है और अन्य धातु भी तैयार होती है, कम से कम एक करोड़ रुपये डेली का वहां पर उत्पादन होता है। उस उत्पादन में से 10 पर्सेण्ट का हिस्सा है, वह हिस्सा यहां के कोपर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट और प्रबन्ध के अधिकारी विकास के नाम पर लाते हैं और विकास के नाम का यह फण्ड कोपर के ई. डी. के गेस्ट हाऊस के, तांबा श्रमिक भवन के बंगलों में और जिलाधीश कार्यालय जयपुर, झूंझुनूं के बंगलों में हो सकता है, उनके ऐशो-आराम के लिए हो सकता है और नर्सरी में, पार्टी में हो सकता है। इस तरह से जनता के साथ अन्याय हो रहा है और जनता ने अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करते हुए उन व्यक्तियों पर, अचम्भे की बात बताऊं, सभापति महोदय, इसमें एक व्यक्ति का रोल रहा है सिर्फ, गृह मंत्रीजी, वह रहा है आपके डी.वाई.एस.पी. लाडले का। आपको मैं बताना चाहता हूं, यह वार्ता के लिए डी वाई एस.पी. महोदय पहले गये हैं ई.डी. के पास में और ई.डी. और डी.वाई.एस.पी. को पता नहीं क्या गुपचुप बात हुई होगी, मैं नहीं कह सकता, एस.डी.एम., खेतड़ी नीचे खड़ा हुआ था और एस.डी एम आया है। एस. डी. एम. को बतायी है कि डिप्टी ने कहा है कि ई.डी. बात नहीं करना चाहते हैं, इनको खदेड़ कर निकाल दो। उसके बाद एस. डी. एम. ने समझाया है कि मैं ले जाऊंगा इन पांच आदमियों को और बात करवाना चाहता हूं इन पांच आदमियों की। एस. डी. एम. अपने साथ खुद 5 आदमियों को लेकर गया है तीसरी मन्जिल, जहां ई. डी बैठता है, उस समय जाकर के बैठे हैं। एस. डी. एम. भी बैठा है खेतड़ी का और पांच आदमी उनके चुने हुए भी बैठे हैं। सभापति महोदय, चौथी मांग पर जब चर्चा हो रही थी, डी. वाई. एस पी महोदय ने अपने खेतड़ी के थानेदार को आदेश दिया कि इनका माइक छीन लो और माइक छीन कर के घोषणा कर दो कि यह चले जायं, अन्यथा लाठियां चलायेंगे, गोलियां चलायेंगे, अश्रु गैस चलायेंगे। उसने पीछे से ऐसा ही किया और ऐसा ही हुआ और यह चौथी मांग पर वहां के ई.डी. साहब डिस्कस कर रहे थे। आपके एस. डी. एम. और 5 आदमियों के बीच में। खेद+++की बात है,

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री हजारीलाल)

सभापति महोदय, इस सर्वोच्च सदन में हमारे गृह मंत्रीजी 5 करोड़ जनता का भविष्य हाथ में लिये बैठे हैं और यह कहते हैं कि ई.डी. को कार से नीचे गिराया तब पुलिस ने हमला किया और एस. डी. एम. ने आदेश दिया। सभापति महोदय, इससे बड़ा बेपनाह *असत्य हिन्दुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर यह सत्य है तो मैं इस हाऊस में सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर यह सत्य नहीं हुआ तो गृह मंत्रीजी नैतिकता के नाते इस बात को स्वीकार करें कि इन पुलिस के अफसरों में, इनके पुलिस के दलालों में यह नहीं फंसें और कृपया अपना झोली-झण्डे यहां रखें और सन्यास लेकर उनियारा चले जाय। हमारा 500 व्यक्तियों का भविष्य आपने इतने छोटे स्पष्टीकरण से कैसे दे दिया। बड़े *खेद की बात है।

सभापति महोदय, एक और व्यक्ति के लिए मैंने परसों तरसों कहा था, एक व्यक्ति और मौजूद था वहां पर। मुंसिफ मजिस्ट्रेट उस घटना के दौरान में ई डी. के पास बैठा हुआ था। इस बात की आप जानकारी करिये। जो न्याय का रक्षक होता है, जो न्याय का पालक होता है, वह व्यक्ति उस समय ई.डी. के चैम्बर में बैठा हुआ था। ई डी. और डीवाई.एस.पी. और इन तीनों का डिस्कस होने के बाद में यह घिनौना अपराध हुआ है। इस घिनौने अपराध का एस. डी. एम. को कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, उस व्यक्ति के ऊपर तो जबरदस्ती यह बात इन्वाल्व की गयी है और इस बात में कहीं सत्यता प्रतीत नहीं हो तो आप जांच करवाइये और जांच में पुलिस के अफसरों से नहीं, सभापति महोदय, इस सर्वोच्च सदन के हाल में कहना चाहता हूं कि वहां से लेकर वहां तक के 3 मैम्बर्स को भेज दीजिए और जो जांच देंगे अगर मैं *असत्य हूं तो मेरे ऊपर जो जुर्माना होगा, जो सजा होगी उसको चुकाऊंगा। सरेआम इस हाऊस में कहना चाहता हूं, आपके सामने।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रभान। ....(व्यवधान).... माननीय मदेरणाजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। मदेरणा साहब कुछ बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, खेतड़ी से आने माननीय सदस्य ने अभी सदन में कहा कि वो राजनीति से सन्यास ले लेंगे, हमारे सदन का ऐसा सदस्य जो इस देश के सबसे बड़े *असत्य को यहां उजागर करता है. हम इसमें कमजोर पड़ जायेंगे। आप सन्यास मत लीजिए। यहां जमे रहिये इस सदन में.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रभान (व्यवधान) ...

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, (व्यवधान)....

श्री हजारी लाल : साहब, मैं मेरी बात पूरी करूंगा। (व्यवधान)

* शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री सभापति : माननीय नत्थी सिंहजी, बिराजिये। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय डा. चन्द्रभान।

श्री हजारी लाल : साहब मैं मेरी बात पूरी करूंगा।

श्री सभापति : बाद में पूछ लेना.... (व्यवधान) ...

श्री हजारी लाल : सभापति महोदय, पहले मेरी बात पूरी करूंगा मैं। सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं पहले।

श्री सभापति : पूरी कर लेने दो। (व्यवधान) आप बैठिये साहब, आपका नाम बुला लूंगा बाद में। मेरे पास सब के लिखे हुए हैं नाम।

श्री हजारी लाल : सभापति महोदय, उस समय जब घटना घटी, जब लाठी चार्ज हुआ और आपके पुलिस स्टेटमेण्ट में ये कहते हैं कि '0 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। आप मुझे बतायें सभापति महोदय, जब पुलिस लाठी बरसाती है, पुलिस यह कहती है कि इधर से पत्थर बरसते हैं, तो क्या उस समय दो हजार, तीन हजार आदमियों में से सिर्फ 10 वैसे ही व्यक्ति चुने गये जिनके सर में चोटें आयीं और हाथ में चोटें आयीं? पब्लिक के किसी आदमी को चोट ही नहीं आयी, इस तरह की बात आपने कही, साबित की है, आपने कही बतायी है, गृह मंत्री महोदय, अपने बयान मे, क्यों नहीं कही ?

पत्रिका में आपके जिलाधीश, झुंझुनूं का स्टेटमेण्ट है। सभापति महोदय, जिले के खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रशासनिक भवन के सामने अस्थाई श्रमिकों, प्रशिक्षित बेरोजगारों, कामगारों तथा कारखानों में धुंआ, पानी, प्रदूषण पर्यावरण के कारण खराब हो रही फसलों, काश्तकारों के परिवारों का पिछले एक पखवाड़े से चलाये जा रहे आन्दोलन में आन्दोलनकारियों पर 18 सितम्बर की शाम पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और आंसु गैस का प्रयोग किया गया जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये। आन्दोलनकारियों के प्रवक्ता, किसान, मजदूर संगठन के नाठाराम रावत और जे. पी. वर्मा के अनुसार, पर्यावरण, प्रदूषण, बेरोजगारी के खिलाफ एवं चिकित्सा, शिक्षा और पानी, की आपूर्ति के लिए मांगों को लेकर पिछले 14 अगस्त से यह संगठन आन्दोलन कर रहा है। 18 सितम्बर की शाम हिन्दुस्तान कापर के चेयरमैन को मांग पत्र देने के लिए जुलूस की शक्ल में तांबा परियोजना की प्रशासनिक भवन पर .. ....

श्री सभापति : इसमें जो सम्बन्धित बात है, वह पढ़ दीजिए। सारा अखबार काहे को पढ़ रहे हो ? जो सम्बन्धित बात है, वह पढ़ दीजिए।

श्री हजारी लाल : सम्बन्धित बात यह कहनी है कि साहब, आपका जिलाधीश यह कहता है कि कोई किसी प्रकार का पता ही नहीं कि लाठी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ और अब यह कह रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ है। आपके जिलाधीश, झुंझुनूं का स्टेटमेण्ट है और राजस्थान पत्रिका यह कहती हैं कि वहां डेढ़ सौ आदमी घायल हुए हैं। सभापति महोदय, इसके बाद कोपर प्रोजेक्ट ने और उन्होंने मिलकर अपने प्रयास से अपने जो व्यक्ति इस आन्दोलन में थे, उन आन्दोलनकारियों को दूसरे दिन अपनी

(श्री हजारीलाल)

कार्यवाही से, यह 14 9.92 की बैंक कार्यवाही करके जो 18 तारीख को आन्दोलन कर रहे थे, उनको 14 9.92 को कोपर प्रोजेक्ट के दो कर्मचारियों को टर्निमेट करती है। सभापति महोदय, पुलिस का कोई रिश्तेदार आता है और हमारे कोपर प्रोजेक्ट का ई.डी. का जयपुर में बंगला नहीं है, दिल्ली में उसका बंगला है। कोपर प्रोजेक्ट का, उन गरीब, मजदूर किसानों का, ई.डी. का दिल्ली में शानदार रेस्ट हाऊस है। उनके फोन के साथ उस दिल्ली वाले रेस्ट हाऊस में, उस कलकत्ता वाले रेस्ट हाऊस में उनके रिश्तेदार रहते हैं। कोपर प्रोजेक्ट ने आपके इन कर्मचारियों को, इन अधिकारियों को बढ़िया बढ़िया फ्लैट दे कर, बढ़िया-बढ़िया भोजन देकर, इतनी सुविधाएं दे रखी हैं जिसके कारण आपकी पुलिस उनकी गुलामी कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, हाल ही खेतड़ी थाने में, जहां डीवाई.एस.पी. का बंगला है, माननीय सदस्य बाबूलाल जी खाण्डा, जो वहां के मंत्री हैं, चन्द्रभानजी, सुमित्राजी, मदनजी, इन सब का देखा हुआ है, खेतड़ी थाने के आगे मध्य रोड़ पर वह कितना बड़ा गड्डा है, अगर वह किसी काश्तकार के पास हो, या किसी और विभाग के पास हो तो उसकी लेवलिंग करने में कम से कम 10 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है और वह 10 लाख का गड्ढा डीवाई.एस.पी. ने आपके ई.डी. से मिलकर लेबल करवाया है। बड़े+++ की बात है, बड़े दुःख की बात है कि पुलिस के कार्यालयों में, पुलिस के भवनों में इस तरह के आपने इस कम्पनी के व्यक्तियों द्वारा काम लिया और जिम्मेदारी इस बात की ली, ठेका इस बात का लिया कि इसके बदले में काश्तकार आन्दोलन करेंगे, किसान आन्दोलन करेंगे, मजदूर आन्दोलन करेंगे, इन आन्दोलनकारियों की हम कुटाई करेंगे, इन लोगों को हम ठीक करेंगे और इन लोगों पर हम केस, मुकदमें करेंगे। इस बात का ठेका आपने अपने जिम्मे ले रखा है। सभापति महोदय, उस डीवाई.एस.पी. की मैं पिछले आठ-नौ महीने से लगातार शिकायत कर रहा हूं। गृह मंत्रीजी के सामने मैं गया और गृह मंत्रीजी ने कहा कि नहीं, कल कह देंगे, बुला लेंगे। गृह मंत्रीजी का मैं आभारी हूं और डीवाई.एस.पी. को दूसरे दिन बुलाया और डीवाई.एस.पी. को दूसरे दिन बुला कर कहा कि, यह एम.एल.ए. साहब क्या करते हैं कि, साहब, यह तो +++ हैं। हम+++ हैं। बड़े+++ की बात है और इसके बदले में वह डीवाई.एस.पी. क्या कह कर गया, सभापति महोदय, मैं कुछ आपको अलग बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उस डीवाई.एस.पी. ने तीर-कमान खींचा वहां जाकर मेरे खिलाफ असामाजिक तत्वों को भड़काया और भड़काने के बाद तीन तारीख को, 3 तारीख को मेरे पिता का देहांत हुआ, 18 तारीख को पन्द्रह वीं थीं। मेरे पिता की चिता ठंडी नहीं हुई थी 18 तारीख को मेरे ऊपर पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा केस दर्ज करवाया और जिसमें मेरे भाई और भतीजे

+++शब्द-अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हजारीलाल)

इनवाल्वड थे। इस बात का मुझे पता लगा। माननीय फूलचंद जी नीम का थाना से आने वाले विधायक होंगे। मैं रात को सी एम. साहब से मिला। मेरे घर पर एक डीवाई. एस.पी. ने दबिश दिलाई तीन बार और सी.एम. साहब से मैंने कहा सी. एम. साहब यह क्या अन्याय हो रहा है ? उन्होंने कहा वास्तविकता क्या है ? मैंने कहा सी. आई. डी. या किसी व्यक्ति से आप इसकी जांच करवा लीजिए। सी.आई.डी के द्वारा जांच हुई और उस जांच में मेरा कहीं कोई लेन-देन नहीं था, इससे बड़ी +++ की बात और क्या होगी। इसी के साथ 20 दिन बीतने के बाद मेरे भतीजे को 379 में स्टेण्ड किया और 3.10 का रिमाण्ड लिया। फिर मैं सी.एम. साहब से मिला। सी एम. साहब से मिलने के बाद पुलिस की फाइल की तफ्तीश चेंज हुई और आपके ही महकमे में उस फाइल में से 379 की स्टेण्ड हटायी। इस डीवाई.एस.पी. ने ऐसे घृणित अपराध किये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय. डिप्टी साहब से भी कि आज तक तो हम कानून की पालना करते आये थे। इस तरह के डी वाई. एस. पी. रहेंगे तो हम कानून हाथ में लेना जानते हैं। हम इज्जतदार हैं, खानदानी हैं और हम हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं. चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए अभी 22 तारीख की बात है। 22 तारीख को एक चहड़ में कुमावत साहब 70 साल के, जिसकी 70 साल उम्र........

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। सभापति महोदय, यह सदन यह जानना चाहता है क्या गृह मंत्रीजी के सामने किसी विधायक को +++ शब्द कहा गया है ? और यदि कहा गया है तो उस डीवाई एस. पी के खिलाफ तुरन्त एक्शन होना चाहिए और... ....

श्री सभापति : जवाब में आ जायेगा। आप व्यवधान न डालें। जवाब में आ जायेगी यह बात। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब बता देंगे इस बारे में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सदन की गरिमा का सवाल है.......(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजिये। आपकी बात सदन में आ गई....(व्यवधान) आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे.... (व्यवधान) कृपया शांत रहिये। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक मुझसे मिले थे। मिलने के बाद मैंने कहा, मैं उनको बुलाता हू। मैंने तत्काल उनको बुलाया भी और वे आये भी आप भी वहां मौजूद थे। कोई इस प्रकार का शब्द उन्होंने नहीं कहा कि कोई विधायक +++ है और कुछ है.. (व्यवधान) मैं वहां मौजूद था मेरे सामने की बात है।

श्री यदुनाथसिंह : आप असत्य बोल रहे हैं फिर। आप अपने शब्द वापस लें।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके साथ गये हैं। मैं यह और कह दूं, वैसे तो मैं सदन में नहीं कहना चाहता था। आप ही के यहां से दो ग्रुप आये थे। एकतो उसके फेवर में था

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दिग्विजयसिंह)

और आपके साथ एक और आये थे। उन्होंने कहा था यह डीवाई.एस.पी. ठीक है और यह विधायक महोदय इनके काम में बाधा डालते हैं। बाकी तो कोई ऐसे शब्द नहीं कहे कि जिससे विधायकों को ठेस पहुंचे। मैं खुद भी वहां मौजूद था, मैं खुद टोक देता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी विधायक के लिए डीवाई.एस.पी. ने कहा था, वह बता दीजिए।

श्री सभापति : बतायी है.... तो फिर बात करने की थोड़ी है यहां पर। आप बिराजिये इस डिबेट को चलने दीजिए अच्छे तरीके से (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अधिकारियों की पैरवी की जा रही है .. (व्यवधान) और माननीय सदस्य का+++किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्यवधान डालकर उसको समाप्त कर रहे हैं। हां तो बोलने दीजिए ना उनको। (व्यवधान) महत्वपूर्ण मसले पर व्यवधान डालकर .... (व्यवधान) कराना चाहते हैं आप। बता दिया न कि ऐसा नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : फिर तो यह गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप बहुत पुराने हैं। यहां चर्चा नहीं होती है। यहां सवाल यह है कि माननीय मंत्रीजी ने यह कह दिया, वह सुन लिया। उनकी बात हो गई, उन्होंने कन्ट्रेस्ट भी कर दिया। समाप्त हो गया। इस मामले में कोई जजमेण्ट नहीं होता है।

श्री हजारीलाल : क्या कहा था गृह मंत्रीजी ने, मैंने नहीं सुना।

श्री यदुनाथसिंह : डीवाई.एस.पी. ने चोर नहीं कहा।

श्री हजारीलाल : कैसे नहीं कहा था। आपके बंगले के सामने कहा। आपने कहा कि यह........

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हजारीलाल : मैंने कहा मैं ओनेस्ट हूं और आपने कहा था कि यह ओनेस्ट परसन है। मैंने कहा कि मैं भी ओनेस्ट हूं और उस डीवाई.एस.पी. ने आपके सामने कहा कि डिसओनेस्ट है। अब डिसओनेस्ट और चोर में क्या फर्क होता है, मुझे पता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने जो कहा, उसका स्पष्टीकरण आ गया। अब आगे कोई बात करनी हो तो कह दीजिए। ऐसे आवेश में मत आइये।

श्री हजारीलाल : मैं आवेश की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : तो आपने कह दिया

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

उसका स्पष्टीकरण दे दिया। बात समाप्त हो गई। हां तो बोलिये।

श्री हजारीलाल : आवेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि नहीं कहा।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं, चोर नहीं कहा बेईमान कहा है। डिसग्रोनेस्ट तो बोल रहे हैं।

श्री सभापति : तो वह भी जवाब में आ जायेगा। आप बिराजिये, उसको चलने तो दीजिए आगे। यदि ऐसी बात है, जवाब में बता देंगे कहा कि नहीं कहा। अब बार-बार खड़े होकर थोड़े ही मंत्रीजी बतायेंगे कि यह कहा, यह कहा, यह कहा। उन्होंने कहा ऐसे शब्द नहीं कहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सदन की गरिमा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी ने कहा....

श्री यदुनाथसिंह : आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन करना चाहिए।

श्री सभापति : हम सभी को आसन की गरिमा रखनी है इसलिए गरिमा के आधार पर आप बिराजिये, बात को आगे बढ़ने दीजिए।

श्री हजारीलाल : सभापति महोदय, बड़े खेद की बात है कि पिछले 8-10 महीने से डी.वाई.एस.पी. खेतड़ी है और खेतड़ी पीसफुल जगह है, शांतिपूर्ण जगह है। यहां पर पिछले 40 साल में कोई 2-4-5 घटनाएं मुश्किल से ऐसी हुई होंगी, बाकी यह डी वाई.एस.पी. के आने के बाद इसके डीवाई. एस.पी. सर्किल में कम से कम 8-9-10 महीने में 12-13 हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं में मजे की बात यह है कि अभी तक लोग गिरफ्तार नहीं हो पाये. सरे आम, पिछले महीने की 5 तारीख को आपने फ्रण्ट पेज पढ़ा होगा.......

श्री सभापति : घटना के बारे में बोलें। आप बोल चुके हैं। मेरे ख्याल में अब आप समाप्त करें।

श्री हजारीलाल : यह भी घटना है।

श्री सभापति : घटना के बारे में और कुछ बात है क्या ?

श्री हजारीलाल : यह उस डीवाई. एस.पी की घटना है पिछले महीने की 3 तारीख... ....

श्री सभापति : नहीं, है तो बोलिये। घटना के बारे में और बात बोलनी है तो बोलिये।

श्री हजारीलाल : तीन हत्याएं हुई और सरेआम गोलियां चलाकर हुई। वह हत्यारे नहीं पकड़े गये। कितनी चोरियां हुई, डकैतियां हुई, आज तक उन चोरी और डकैतियों का माल बरामद नहीं हुआ और यहां तक कि डीवाई.एस.पी. वहां जाकर असामाजिक तत्वों से मिला और उन असामाजिक तत्वों को मेरे खिलाफ करना चाह रहा था। उन असामाजिक तत्वों ने हमारे यहां जो सुन्दरदासजी का मेला लगता है, उस मेले में करीब एक लाख आदमी इकट्ठे

(श्री हजारीलाल)

होते हैं। 9.9.92 का मेला था। उसमें 8 बजे डीवाई. एस. पी. तीन आदमियों के द्वारा धाभाई की कोठी के सामने पिटा है और पिटने के बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया है, बाकी तीन आदमियों को उसने छोड़ दिया और कहीं किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया। उन व्यक्तियों को वह पनाह देता है। अगर डीवाई. एस. पी. खेतड़ी इस तरह से सरेआम पिटता है और वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है, एफ.आर.आई. दर्ज नहीं करवाता है। और वह असामाजिक तत्वों को दंड नहीं देता तो इससे बड़ा +++ और इससे बड़ा +++ और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह के विश्वास के डीवाई. एस. पी. को आपने वहां भेज रखा है, आप पता नहीं क्यों डरते हैं उनसे और आपको पता नहीं क्या देते होंगे या क्या लेते होंगे। बाकी समाज के लिये +++ हैं और मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि या तो डीवाई. एस. पी. को संसपैण्ड किया जाये, नहीं तो मैं उसके खिलाफ खेतड़ी में बिगुल बजाना चाहता हूं और आपको फोर्स से कहता चाहता हूं, आपकी पुलिस से कहना चाहता हूं कि हम भले ही गरीब हो सकते हैं, खेतड़ी के लोग भले ही भूखे हो सकते हैं, इस आन्दोलन को शान्त नहीं होने देंगे। यह हमारा हक है पानी और बिजली का और इस सरकार से हम इस हक को लेकर ही रहेंगे। बड़े मजे की बात है आपने एक डीवाई. एस. पी. को वहां भेज दिया और वह सरेआम कहता है....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री हजारीलाल : कि हम रगड़ देंगे, मसल देंगे, पीट देंगे। मैं कहना चाहता हूं गृह मन्त्री महोदय से कि आप तो उसको कह दीजिए कि किसको रगड़ देगा, किसको मसल देगा....

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। डा. चन्द्रभान।

श्री रामकरण सिंह : सभापति जी, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। अभी माननीय मंत्री जी के सामने कोई चोर की बात कही। मंत्री जी ने उस बात को यह कहते हुये बता दिया कि डिसओनेस्ट कहा है। एक डीवाई. एस. पी. माननीय सदस्य को पब्लिकली डिसओनेस्ट कहे, या उसके साथ में मैं और भी कुछ कह सकता है, उस बारे में व्यवस्था चाहता हूं। क्या यह आसन ऐसे शब्द कहे हुए अधिकारी की किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी अन्य अधिकारियों की शह पर रक्षा करेंगे, या माननीय सदस्य की रक्षा करेंगे, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : गृह मंत्री जी जब जवाब देंगे, उसमें स्पष्टीकरण कर देंगे। माननीय डाक्टर साहब।

श्री रामकरण सिंह : वह तो देंगे जवाब माननीय सदस्य का, मेरे लिये तो आप ही आदेश देंगे।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सभापति : असंसदीय शब्द कोई किसी को नहीं कह सकता। बिराजिये अब आप।

श्री रामकरण सिंह : नहीं जो कहा है उसके बारे में....

श्री सभापति : नहीं यह स्पष्ट नहीं है कहा है कि नहीं कहा है।

श्री रामकरण सिंह : नहीं-नहीं वह स्पष्ट कैसे हो, थोड़ा और बता दें तो मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब ना करूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी जब बतायेंगे तो बता देंगे कि कहे गये थे या नहीं कहे गये थे।

श्री रामकरण सिंह : उस समय निकालकर निर्णय और उसके बाद मेरा जो पाइण्ट आफ आर्डर है उसको अभी पैण्डिग रखेंगे और बाद में देंगे व्यवस्था।

श्री सभापति : हां-हां बाद में। धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय,... (व्यवधान) मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसे कोई शब्द कहे ही नहीं हैं ...

श्री सभापति : नहीं, बेईमान शब्द तो नहीं कहा ना।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य इसने उत्तेजित हो गये। आप एम. एल. ए. हो गये हो तो एम्युयन हो गये क्या इस बात से। पब्लिक के अन्दर अकाउन्टेबिल हैं और पब्लिक के अन्दर अकाउंटेबिलिटी आपकी है। अगर कोई आदमी एसपरसन करता है तो यह उसकी लिबर्टी है लेकिन मेरे सामने यह कोई शब्द नहीं कहे। जैसी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : बस यह बात है। ठीक है।

श्री रामकरण सिंह : फर्स्ट बात तो आपने मानी है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं।

श्री रामकरण सिंह : डिसओनेस्ट नहीं कहा। नहीं जैसे चोर तो इन्होंने कहा, तो चोर आपने नहीं माना लेकिन डिसओनेस्ट तो उन्होंने कहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने डिसओनेस्ट भी नहीं माना और मैं आपसे कह रहा हूं कि एम. एल. ए. हो जाने से आप कोई एम्युयन नहीं हो गये इस बात के लिये ..

(3.40 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :.... एम. एल. ए. हो जाय तो कोई अलग बात नहीं हो जाती। इस के लिये पब्लिक में और एम. एल ए. के प्रिविलेजेज में फर्क है तो मैं यह बड़े विनम्रतापूर्वक चाहूंगा कि इस तरह से डीवाई. एस. पी. चाहे जो उनसे कहलवाना चाहो आप तो हमें कह दीजिये। हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। सब मिनिस्टरों में सबसे अच्छे आदमी हो आप लेकिन ऐसा अगर आप पुलिस के अफसरों से हमें कहलवाना चाहते हो तो कहो। क्या कहलवाना चाहते तो आप।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, पुनः फिर आपके सामने कहना चाहता हूं। कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य इसको इन्टरप्रिटेशन कर रहे है। मैं कहलवाना चाहता हूं या मैंने कहलवाया, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि न तो मेरे सामने यह शब्द कहे डिस-ओनेस्ट के बारे में या कोई चोर है, कुछ है। यह सब गलत है और न कोई ऐसे व्यक्ति को फ्लोर आफ दी हाउस के ऊपर मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। डा. चन्द्रभान। सवाल पूछिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : मैं तो सवाल ही पूछूंगा। लेकिन यह जो मसला इतना गम्भीर है इस पर दूसरे सवालों पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : इस हाउस में सभी मसले जो गम्भीर है वही उठाये जाते हैं।

डा. चन्द्रभान : इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : नान-सीरियस तो उठता ही नहीं है इसलिये सभी गम्भीर है।

डा. चन्द्रभान : दिक्कत यह है अध्यक्ष महोदय, कि खेतड़ी में ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्षजी, मेरी दिक्कत क्या हो रही है। मैं आपसे इस संबंध में एक व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन के हम सदस्य हैं, हम जो यहां पर अभिव्यक्ति दे रहे हैं अपने विचारों की उसमें जो भी अभिव्यक्ति दें उनसे हम इम्युयन है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल इम्युयन है यहां पर।

एक माननीय सदस्य : फिर माननीय गृह मंत्रीजी ने कैसे कहा।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में।

श्री अध्यक्ष : हां, सदन में इम्युयन हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात, फॉर फ्रीडम्स हैं जिनमें से एक उसमें जो फ्रीडम आफ स्पीच है कि नहीं गृह मंत्रीजी यह मुझे, सदन को जानकारी आप बता दीजिये क्योंकि आप थर्ड डिग्री मैथड से सब काम करना चाहते है ....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से पूछिये सवाल।

श्री परसराम मदेरणा : आपसे नहीं पूछेंगे अध्यक्ष महोदय, सही बात है, आप तो हमारें आदरणीय, हमारे प्रोटेक्टर है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। वह तो आपको जानकारी के लिये जो इम्युयन नहीं है, जो सदन में इम्युयन है। कौन कहता है नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां बिराजिये। डा. चन्द्रभान।

श्री परसराम मदेरणा : We are not Liable to damages. We are not liable to any suit. और अध्यक्ष महोदय को इसका अधिकार है कि किसी ने कोई बात ऐसी कही है और वह अन-पार्लियामेण्टरी है तो एक्सपंज कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर देंगे, ठीक बात है। अपने आप में सब कुछ नियंत्रण

(श्री अध्यक्ष)

स्वयं सदन ही करता है। हां, बोलिये आप। सवाल पूछिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्षजी, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में पानी और प्रदूषण की पुरानी समस्या है और इसको लेकर के गांवों का किसान और मजदूर समय-समय पर आन्दोलित होते रहे हैं। 14 अगस्त, 1952 को मजदूर किसान संगठन की ओर से वहां के मजदूरों और किसानों से सवालात को लेकर के वहां के प्रबंध मण्डल को एक विज्ञापन दिया गया और फिर उन मांगों के लिये वहां का किसान और मजदूर संगठित होता गया। सवाल यह है जिसका जवाब माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया नहीं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो किसान और मजदूर वहां इकट्ठे थे जिनकी संख्या 10 से 15 हजार के बीच में थी और प्रशासन जिन्हें 5 हजार मानता है। वे वाइलेंट थे या पहले भी वे लोग धरना, कभी उन्होंने पत्थर बाजी या वायलेंस किया। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं यदि वे लोग वायलेंट होते, पीसफुल नहीं होते तो वे लोग अपने साथ आटे की बोरी, प्याज, आलू, खाने पीने का सामान, दरियां और कपड़े भी लेकर आये थे कि यदि अबकी प्रशासन, चूंकि उस दिन अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट के चेयरमैन आने वाले थे और उनके सामने चूंकि मैनेजमेण्ट ने कोई बात नहीं सुनी इसलिये चेयरमैन के सामने वे अपनी बात कहना चाहते थे। चेयरमैन साहब आये और वहां के एम डी ने वायदा किया कि मैं आपके पांच प्रतिनिधियों को चेयरमैन साहब से मिलाऊंगा। जो सवाल थे, सात सूत्री मांग पत्र था और उसमें नौजवानों के लिये रोजगार या जो लोग टेम्परेरी थे उनके पर्मानेंसी का सवाल भी था, वाटर पाल्युशन और खेतड़ी प्रोजेक्ट के कारण जो कुओं में पानी गहरा जा रहा है और एक ग्रामीण का पैसा होता है वह गांवों में किसान को नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मण्डल को मिलवाइये। अध्यक्ष महोदय, इनके प्रतिनिधि जब गये अन्दर मिलने के लिये तो वहां चेयरमैन साहब और एम डी साहब दोनों उठ कर चले गये और कहा कि जो सीनियर्स आफिसर्स है उनको आप अपनी बात कह दीजिये। यह थी हकीकत। उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन प्रजेंट है, 10 से 15 हजार आदमी जब बाहर बैठे हैं हम उनके प्रतिनिधि हैं, आप हमारी बात को सुनिये और समाधान कीजिये। चूंकि अध्यक्ष महोदय, यह समझौता हुआ था जब कापर प्रोजेक्ट बना था कि पानी बहुत ही गहरे कुये से लिया जायेगा जो खुदे नहीं और गुडगांवा कैनाल से लिया जाय यह गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य बतायेंगे। इनके क्षेत्र से अभी भी पानी जा रहा है और गांवों में कुएं गहरे हो गये यह समस्या है। ग्रामीण विकास का पैसा गांवों में दिया नहीं, कापर प्रोजेक्ट को दिया नहीं, पाल्युशन के कारण किसानों की फसले बरबाद हो रही है। इसलिये वह लोग पीसफुल बैठे थे। जब उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं की अध्यक्ष महोदय, और वह बाहर आये तो उन्होंने कहा कि हमसे बात नहीं हुयी। तो यह स्वाभाविक है कि वहां नारेबाजी और कुछ गरमागरमी हुयी लेकिन ऐसा कोई वाक्य नहीं था जिसमें पत्थरबाजी हुयी। जो माननीय मंत्रीजी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब

(डा. चन्द्रभान)

निकलेंगे यहां से और साहब दूसरे कमरे थे, साहब निकलेंगे, चेयरमैन साहब और एम डी साहब, इसलिये जब इन्होंने कहा कि हम यहीं पर पीसफुली धरना देंगे और रात भर बैठेंगे। तो इस पर एकाएक लाठी चलाई, अश्रु गैस भी चली और आपने तो कहा नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि वहां पर हवा में फायर भी किये जिसमें कम से कम 30 से ज्यादा लोग घायल हुये हैं, मैं यह मानता हूं कि कोई गोली की चोट नहीं है, चार आदमी सीरियस है अस्पताल में भर्ती है, फ्रेक्चर भी हुआ है और इतना हैवी लाठी चार्ज और अश्रु गैस, जो पास में बस स्टेण्ड है वहां तक जाकर के जो लोग बैठे थे उनकी पिटाई हुयी, वहां पर पास में एक अस्पताल है वहां पर मिलने के लिये घर वाले जाते है उन तक की पिटाई हुयी और अचानक लाठी चार्ज हुआ जिसमें 70 साल से 80 साल के बुड्ढों तक की पिटाई हुयी है जिनके चोटें आयी है। माननीय प्रोफेसर साहब और विस्तार में कई सवाल पूछेंगे। तो आप इन सब चीजों को गोल कर देंगे ? कितने लोगों को चोटें आयी ? वहां पर फायर हुआ कि नहीं हुआ, क्या वहां पर चेतावनी दी गयी और क्या पहले कभी धरना, प्रदर्शन किया ? चेयरमैन साहब और मैनेजिंग डाइरेक्टर ने जिन्होंने पहले मिलने का आश्वासन दिया प्रतिनिधि मण्डल को और फिर बाद में दूसरे कमरे में चले गये और नहीं मिले प्रतिनिधि मण्डल से जिसके कारण से गुस्सा होना स्वाभाविक था.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय को कि आप साफ कीजिये और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह विधान सभा सत्र चल रहा है और ऐसे समय में लाठी चार्ज हो जाय....

श्री अध्यक्ष : आपकी सारी बात आ गयी है।

डा. चन्द्रभान : खेतड़ी जैसी जगह पर हो जाय। 10 और 15 हजार किसान वहां पर इकट्ठे हुये और आप कोई कार्यवाही नहीं करते उनके खिलाफ। मैं आफिस के बारे में कुछ नहीं कहता, आपके डी आई जी आनेस्ट आफिसर है, मैं जानता हूं पर वह क्रेक भी है थोड़े इस बात को समझिये। वह अपने आपको सब से ऊपर मानता है, वह अपने आपको बहुत ऊपर मानता है। तो आपके पुलिस प्रशासन के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन इतना समझ लीजिये कि जो अपने आपको सब कुछ मानता है जो चाहे वह कार्यवाही करता है और इसी के साथ में खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में जो भी किसानों की, मजदूरों की समस्या है उनका निदान करने के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिये। किसानों को मुआवजा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी और लोग भी पूछने वाले हैं। श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से करना चाहूंगा। क्या चंवरा में 11.7.92 को कोई किसानों का इसी विषय को लेकर कोई प्रदर्शन हुआ था और उस समय जब प्रदर्शन हुआ था उसमें गुढ़ा

(श्री मदनलाल सैनी)

थाने के थानेदार ने कापर प्रोजेक्ट के द्वारा खरीदे हुये बदमाश लोगों को माइक लगाने की वहां पर पर्मीशन दी जब कि वहां पर जो दूसरे माइक मेले चल रहे थे। मैंने पहले बातचीत करके पूर्व निर्धारित 20 दिन पहले कार्यक्रम निश्चित था। मैं इस बात से यह बताना चाहता हूं कि उस प्रकार की स्थिति, क्या यह दूसरा प्रदर्शन हुआ मान्यवर, 18·9 को इस 18·9 से पहले क्या खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट पर किसानों के और मजदूरों के कोई प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 52 दिन की हड़ताल हुई थी कोपर प्रोजेक्ट के मजदूरों की। उस समय एक भी दिन की लाठी चार्ज हुई और एक भी मजदूर के द्वारा मेनेजमेण्ट या किसी दूसरे व्यक्ति को आहत किया गया ? या चोट की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूर पत्थर फेंकता है। मजदूर और किसान 20 हजार की संख्या न सही लेकिन पांच हजार की संख्या हो तो माननीय गृह मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि वहां पुलिस कर्मी कितने थे और वह पुलिसकर्मी मजदूरों और किसनों की चपेट में आने के बाद गोली और बम्बार्डमेण्ट भी उनको जीवित नहीं बचा सकता था मैं मजदूर आन्दोलन चलाता हूं मुझे जानकारी है वह बचे कैसे इतने लोगों के बीच में ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि अश्रु गैस के कितने गोले छोड़े गये और कितने राउण्ड गोली चलायी गयी ? माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने जवाब में फायरिंग को बिल्कुल ऐसा बताया कि वहां फायरिंग नहीं हुई। फायरिंग तो वहां होगी मेरा मानना है अभी भी हुई है लेकिन आगे भी होगी ऐसी स्थिति खड़ी की है डी. वाई. एस. पी. ने कि वहां स्थिति को कोई सम्भाल नहीं सकेगा। फायरिंग हुई तो कितनी गोलियां चली ?

लाठी चार्ज किया गया उसका समय क्या था ? उस समय मजदूरों के प्रतिनिधि थे वह मैनेजमेण्ट के साथ वार्ता कर रहे थे या मजदूर नेता बाहर भाषण कर रहे थे ?

क्या मैनेजमेण्ट इस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हो गयी है कि जिसके कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है इस प्रकार का कोई लिखित निवेदन किया ? पुलिस की सहायता मांगी गयी या मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती कोपर प्रोजेक्ट के मेनेजमेण्ट को ओब्लाइज करने के लिए क्या लाठी चार्ज की, लाठी चार्ज के बाद अश्रु गैस और अश्रु गैस के बाद फायरिंग खड़ी करके यह स्थिति पैदा नहीं की गयी ?

मान्यवर, क्या वहां जिन 70-80 वर्ष के बुड्ढों को, महिलाओं को, बच्चों को, मारपीट से दूर जाने का रास्ता एक किलोमीटर पड़ता है और उसमें जो दूसरा सिंघाना की तरफ का बस स्टेण्ड है नारनोल की तरफ की बस जाती है वह भी पौन किलोमीटर बनती हैं वहां तक लोगों को मारा नहीं गया ? क्या वहां पर बस से जाने वाले व्यक्ति, बस से बाबूलाल को उतारकर नहीं मारा गया। क्या टूडाराम को 9 टांके सर में नहीं आये और बस स्टेण्ड पर जो आजाद मार्केट में बस स्टेण्ड है वहां पर मातादीन वगैरह के चोट आयी है उनको वापस बस स्टेण्ड पर नहीं मारा गया।

(श्री मदनलाल सैनी)

इन्द्रराज सिंह के सर और हाथ पर चोट आयी है ? एक असत्य मुकदमा मान्यवर, गृह मन्त्रीजी 307 का बनाया गया और आश्चर्य की बात है पुलिस की रिपोर्ट के खिलाफ क्या वहां के सिविल जज ने यह कमेंट पास नहीं किया कि यह 302 का मुकदमा ही नहीं हो सकता। पुलिस ने उसके गलत ढंग से तथ्य प्रस्तुत किये हैं और जमानत नहीं ली गयी ?

श्री अध्यक्ष : 307 या 302। हो गये आपके।

श्री मदनलाल सैनी : 307 बोल रहा हूं। कमेण्ट्स किया है। मान्यवर, राजस्थान सरकार का एस. डी. एम. कोपर प्रोजेक्ट के क्वार्टर में रहता है या हमारी सरकार की ओर से कोई अलग व्यवस्था है। हम ने क्वार्टर दे रखा है तो कितने दे रखे हैं ? कोपर प्रोजेक्ट्स ने कितने दे रखे हैं। एस. एच.ओ. को कितने दे रखे हैं वहां के मुंसिफ को कितने क्वार्टर्स दे रखे हैं। पुलिस थाना माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस थाना राजस्थान सरकार ने बनाया था उसमें राजस्थान सरकार का पैसा लगा है उस पुलिस थाने को भैंसाघर बनाने में आपके पुलिस अधिकारियों ने कितनी मदद की है। पुलिस थाना आज तक नहीं बनाया गया। लालच पड़ गया कोपर प्रोजेक्ट के सुविधा वाले क्वार्टर्स का इसलिए पुलिस थाना जो शहर के बाहर है, नहीं बना। वह सब मेनेजमेण्ट के क्वार्टरों में रहना चाहते हैं सब अफसरों को यहां पर दो दो क्वार्टर मिले हुए हैं।

मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गई मैं तो कह रहा हूं कि इन्द्रराज सिंह वहां गये, मातादीन गये, बाबूलाल गया अपने सर पर बंधी हुई पट्टी लेकर गये यदि हाउस और माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वीकृति दें तो मैं उन लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन वह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और डीवाई. एस. पी. जिसको ईमानदारी का गर्व है, घमण्ड है। ईमानदार है तो उससे एक बलिष्ट और ऊपर ईमानदार दुनिया में और भी जीवित हैं यह घमण्ड वहां पर कर रहा है और ईमानदार है या नहीं यह तो तथ्य सामने आयेंगे हाउस के। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, वह व्यक्ति नहीं है, मैंने स्वीकृति नहीं ली है अन्यथा मैं आरोप लगाकर यह साबित करता....

श्री अध्यक्ष : आरोप नहीं लगा रहे तो फिर क्या कह रहे हैं ?

श्री मदनलाल सैनी : संदेह। संदेह है यह बोल रहा हूं। पहले ही ध्यान से बोल रहा हूं। मैं मर्यादा में रहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके बहुत प्रश्न हो गये और लोग भी पूछने वाले हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मैं बोल रहा हूं उसके बाद सवाल कम ही बचेंगे। 10 दरियां 6 माइक सैट विथ बैटरी 10 हजार रुपये चन्दे के। रसीद बुकें खाली जिन पर पुलिस के लोग चंदा कर हैं 2 रसीदें हाउस परमिशन दे तो मैं पेश कर दूं। पुलिस के लोगों की काटी हुई है। खाने पीने का सामान जो आटा बोरी, और सामान था यह सारा सामान आपने जप्त किया या नहीं। आपको जप्त करने का अधिकार है या नहीं है। क्या वहां पर धरना लगाना

(श्री मदनलाल सैनी)

मैनेजमेण्ट ने या आपने या दूसरे सक्षम अधिकारी ने वर्जित कर दिया था जिसके कारण से आपने उसको अवैध मान रखा था पुलिस थाने में खाने पीने की कमी है उसको पूरा करने के लिये जप्त किया है क्या ? जो आज तक वापस नहीं दिया गया। अब पुलिस कार्यवाही कर रही है दूसरे प्रकार की। मान्यवर, आग तो अब भड़केगी और इसलिये भड़केगी कि वहां दो कर्मचारी जगदीश और महावीर को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। इसके कारण से यह सारी स्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सारी स्थिति है ? मेरे सारे प्रश्नों के जवाब अगर आप प्रश्न भूल गये हों तो लिख कर दे दूं फिर आप देने की कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल। पाइण्टेड क्वश्चन पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि किसानों में जो असन्तोष था क्या राज्य सरकार ने पता लगाया कि उसके कारण क्या थे ? क्या राज्य सरकार ने पता लगाया कि किसानों की जमीन पर्यावरण खराब होने की वजह से खराब हो गयी है ? क्या राज्य सरकार ने पता लगाया कि कोपर प्रोजेक्ट जो है उसके बड़े अधिकारी हैं उनके जो रेस्ट हाउसेज हैं उसके अन्दर किस तरह का आचरण करते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा प्रचार वहां है उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूं आस-पड़ौस के लोगों में है कि वहां सब तरह के ऐश करने के लिये धन्धा होता है इसका बहुत बड़ा गुस्सा लोगों में था और इसकी शिकायत करने के लिये एक तो यह कि उनकी जमीन खराब हो रही थी, दूसरा यह कि उन गांवों से लड़कियों का धन्धा भी हो रहा था। यह कुछ शिकायतें थीं।

यह कुछ शिकायतें थीं किसानों को, इसके लिये लोग इकट्ठे हुए और चेयरमेन से शिकायत करने जा रहे थे।

(4.00 म.प.)

क्या होम डिपार्टमेंट ने, राज्य सरकार ने यह पता लगाया कि उनको रोकने वाले कौन अधिकारी थे ? मैनेजमेंट के कौन-कौन से आदमी पुलिस के साथ मिले हुए थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की ? नम्बर एक। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप चार पूछ चुके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक ही। दूसरा सवाल यह पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : पांचवां सवाल पूछ लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई, वहां प्रशासक है उस प्रशासक ने भीड़ से पहले मिल कर, क्योंकि पहले से जुलूस की तैयारी चल रही थी, पहले से उनका प्रचार था, कोशिश की कि उनका मांग पत्र उनको दे दे या उनका काण्ट्रेक्ट करवा दे ? मेरा निश्चित तौर से इल्जाम है कि वहां का मैनेजमेंट यही चाहता था इसलिये उसने वह सम्पर्क होने ही नहीं दिया और यह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

गड़बड़ करवा दी। इसमें आप क्या करने जा रहे हैं, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। प्रो. केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, पहला प्रश्न तो यही है कि असेम्बली का सेशन है, असेम्बली के सेशन के दौरान 18 तारीख को वहां पर रैली निकलती है, पुलिस क्या अपना कोई रैस्ट्रेन एक्सरसाइज नहीं करा सकती थी। सेशन चलता है इसकी कोई रैस्पैक्ट नहीं, सेशन का कोई असर नहीं, कोई रौब उन पर नहीं, इसका मतलब रैम्पेज पर हो गये पुलिस वाले। असेम्बली के दौरान यह घटना होती है। मैं, माननीय गृह मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 तारीख को आपको इत्तिला कब हुई ? अश्रु गैस चलायी गयी; लाठी चार्ज हुआ, लोगों को मारा-पीटा। आपको इत्तिला मिलने के बाद किस अफसर को वहां जांच के लिये भेजा ? भेजा एडिशनल एस. पी. को। एस. पी. नहीं गया, कलक्टर नहीं गया, डी. आई. जी. नहीं गया। इसे क्रिमिनल नैग्लिजेंस कहेंगे। यह क्रिमिनल इनडिफरेंस है। यह कोई सरप्राइज नहीं है। 14.8 से शुरू किया उन्होंने आन्दोलन। 28.8 को उन्होंने धरना दिया है। इस दौरान कोई वाकया, कोई अनटूवर्ड इन्सिडेण्ट नहीं हुआ, तो 18 तारीख को कैसे हो गया ?

अध्यक्ष जी, अभी जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे, बड़े डिफिडेंट थे। मैंने ढाई साल में पहली दफा देखा। हार्फ हार्टेड भी थे। ऐसा लगता था कि स्टेटमेंट देते हुए इनके दिमाग में कुछ इल्यूजंस हैं कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है। खुद के दिमाग में इल्यूजंस थे। अध्यक्ष जी, आप भी अनुभवी हो, अनरूली मॉब हो जाय, उसमें गुस्सा हो, एक-डेढ़ महीने से गुस्सा हो। उस पर आप धारा 144 क्लैम्प नहीं करते और पहले अश्रु गैस छोड़ देते हो आप। 144 धारा लगायी नहीं आपने। एस.डी.ओ. वहीं है, मुन्सिफ वहीं है। धारा 144 लगाये बिना अश्रु गैस छोड़ी, लाठी चार्ज किया, फायरिंग की – यह उस आफिसर के खिलाफ पहला केस है कि उसको फौरन सस्पैण्ड कर दो आप। यह फैटल फ्लॉ है।

दूसरी बात, अध्यक्ष जी, कि पत्थर मारना शुरू किया। कहानी क्या बनाते हैं कि एग्जीक्यूटिव अफसर गेट से बाहर निकलता है, उसको पकड़ लिया। कार से बाहर निकाल लिया, धक्के-मुक्के मारे और पथराव शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं तो जब गृह मंत्री था, खूब मौके पर गया। डेढ़ महीने तक राजस्थान की सरकार इनडिफरेण्ट रही। मीडिएशन किया नहीं इन्होंने जानबूझ कर और गुस्सा इकट्ठा होता रहा। और, माननीय अध्यक्ष जी, पत्थर तो वहां हैं ही नहीं। डेढ़ किलोमीटर दूर पहाड़ी है। बिना किसी कार्ट के, ट्रैक्टर के पत्थर आ ही नहीं सकते वहां पर।

श्री अध्यक्ष : चट्टानें हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : दूर हैं। अब बताइये, दूर से अगर पत्थर ला रहे हैं तो पुलिस खड़ी क्या देखती रही फिर ? अगर पत्थर ला रहे हैं इस इरादे से कि हम मारेंगे तोड़ेंगे। फिर केस 307 का बना दिया। फिर सेशन कोर्ट क्या कहता है, बहुत ब्रूजेज

(श्री केदारनाथ शर्मा)

लगे हैं उसके। मामूली स्क्रैचेज हैं। मेडिकल रिपोर्ट जब उसने पढ़ी तो उसने कहा, इसमें 307, 309 का मुकदमा और बना दिया। उसकी पेटी छीन ली, कैम्प जाकर गड़बड़ी की, 10 हजार रुपये लिये, माइक उठा लिये, दरियां उठा लीं, शामियाने उठा लिये।

अध्यक्ष जी, दूसरी चीज है कि गिरफ्तार किया 18 तारीख को। तीन आदमी गिरफ्तार किये इन्होंने। दो तो, गोठड़ा गांव है पास में, ढ़ाई-तीन किलोमीटर, वहां जाकर पकड़ा है। एक और है उसको पांच किलोमीटर जाकर। इसका मतलब, पुलिस ने जानबूझ कर उनको फालो किया, उनका पीछा किया। घरों में पीटा, दुकानों में पीटा, बाजारों में पीटा, गांव में जाकर पीटा। यह जो इरादा है यह रैम्पेज के बिना हो नहीं सकता। इसका मतलब उनको प्रलोभन दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि आप जाकर इनको सबक सिखाओ कि आइन्दा कभी जुलूस वगैरह निकाले नहीं। यह बहुत सीरियस मैटर है, इसकी जांच की जाय। पुलिस की जांच में हमें विश्वास नहीं। डी आई.जी. मौके पर गये नहीं, एस. पी. मौके पर गये नहीं। आप रेवेन्यू बोर्ड के किसी अफसर से, जुडीशियल कम आफिसर है उससे जांच करायें। हाउस की तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप यह कर दो, अध्यक्ष जी. तो एक एग्जाम्पल पेश हो जाय। ये बैठे हैं चन्द्रभान जी वहां के, सैनी साहब वहां के हैं। बहिन सुमित्रा वहां की हैं। बहुत ही स्टैंण्डिग के आदमी हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं कर सकता। आप एक बार उदाहरण पेश कर दो, पांच आदमी जायं और तीन दिन में रिपोर्ट पेश कर दें। इससे मालूम पड़ जाएगा पुलिस की फंक्शनिंग. खास तौर से लोअर फंक्शनरीज का कैरेक्टर, काम करने का तरीका और वहां पर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के बारे में। और कि वहां पर पुलिस किस ढंग से रखैल बन कर काम करती है, सारी बातें आपके सामने आ जायेंगी। आइन्दा आपके सामने भी सफाई देने का मौका मिलेगा। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से इसकी जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो है नहीं, पाइण्टेड क्वश्चन पूछ लीजिये। एक-दो, ज्यादा नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले का मामला है, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और साथ ही श्रम मंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा कि आखिर ये हालात क्यों बने ? क्या यह सही है कि जब खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट वहां एस्टैब्लिश किया गया उस वक्त समझौता हुआ था कोई ? क्या उसमें यह तय किया गया था कि 75 प्रतिशत श्रमिक झुन्झुनू जिले के इसमें लेंगे, उनको रोजगार देंगे ? हम जो पानी काम में लेंगे वह खेतड़ी का, झुन्झुनू का पानी काम में नहीं लेकर हरियाणा से अपना स्वयं का सोर्स डवलप करके पानी लायेंगे ? वहां से भी पानी लेंगे तो इतनी गहराई से लेंगे ? ये समझौते की शर्तें रखी गयी थीं क्या ? उन पर अमल नहीं हुआ, क्या यह उसका रीएक्शन था ? आप कह रहे हैं कि उनकी खेती बर्बाद हुई उसके प्रदूषण से। उनका पानी लिया जा रहा है उससे कुओं में वहां का वाटर लेवल कितना

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

नीचे चला गया ? आज डार्क जोन बना दिया गया उदयपुरवाटी और खेतड़ी को। उनके हद अधिकार छीन लिये। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, वहां जो श्रमिक लिये जा रहे हैं वे भी बिहार और दूसरी जगह के, जहां के अफसर हैं। वे अपने साथ अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और उनको भर्ती कर देते हैं। स्थिति यह है कि "घर का पूत कवारा डोले, पाड़ोसी का फेरा"। चारा चर रहे हैं खेतड़ी और झुन्झुनू का और दाना देने का काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों को। यह स्थिति इसलिए बनी। यह राजस्थान के हितों का सवाल है, खेतड़ी प्रोजेक्ट का सवाल नही। एक घटना हो गयी उसके लिए हम दोषी करार दे रहे हैं, लेकिन यह मजदूरों के हक और अधिकारों की लड़ाई का सवाल है। ईमानदार व्यक्ति हो डी.एस.पी., लेकिन उसकी बदनीयती इसी से झलकती है कि उसने एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर की शह पर मजदूरों को कुचलने का पहले से ही प्लान किया। इनका आंदोलन तो 11 तारीख से ही शुरू हो गया था। यह भी सही है....

श्री अध्यक्ष : ये बातें तो आ गयीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक नयी बात कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा, प्रशासन से मिलीभगत करके उन्होंने ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, बिराजिये। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि उनका सामान लाये वह सामान कहां है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो रिपीट कर रहे हैं आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हैं कहां वे, यह बात तो किसी ने नहीं पूछी। उन्होंने कहा, पुलिस ले गयी।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी ने लम्बा-चौड़ा कहा कि उनको कमी थी क्या खाने की जो ले गये। और क्या सुनोगे उनसे ? बहुत डिटेल में हो चुका है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अन्त में यह मांग कर रहा हूं आप से, विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने के बाद यह घटना हुई है, आप हाउस की कमेटी से जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : यह सारा कह दिया प्रोफेसर केदार ने।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर पुलिस द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किये। इसके अन्दर कुछ प्रश्न तो स्टेट से सम्बन्धित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह काम्प्लेक्स सेण्टर के पास है। इनके मांग-पत्र में 9 मांगें थीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, मेरा सरकार से निवेदन है कि जब कभी भी आप स्टेटमेंट दें तो उसकी एक एडवांस कापी मेरे पास भेजी जाय ताकि हम उसको पढ़ लें। यह परम्परा पार्लियामेंट में भी है, सब जगह है। मुझे पता नहीं कि आपने क्या जवाब दिया, मैं सुन भी नहीं सका। यदि मेरे पास कापी होती तो मैं पढ़ भी

(श्री अध्यक्ष)

लेता तथा बहुत सी बातें हैं जो इर्रेलेवेंट होती है आपके जवाब को देखकर, मैं भी अपनी ओर से कह सकता हूं। अतः भविष्य में एक कापी हमको भी दे दी जाय पहले, विधान सभा में।

श्री दिग्विजय सिंह : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, यह गलती हुई।

अध्यक्ष महोदय, ये 9 मांगें वहां के क्षेत्र में काम करने वाले, वहां के किसानों और मजदूरों ने कॉपर प्रोजेक्ट के अधिकारियों और प्रशासन से की और उसमें यह भी था....

श्री अध्यक्ष : मुझे एक बात पूछनी है। यह जो प्रदर्शन हुआ, केवल मजदूरों का था या और लोग भी शामिल थे ?

श्री दिग्विजय सिंह : किसान और मजदूर दोनों थे।

श्री अध्यक्ष : दोनों थे।

श्री दिग्विजय सिंह : यही मैं अर्ज कर रहा हूं। उसमें उनकी यह मांग थी कि उनकी जमीन जो खराब हो रही है और प्रदूषण वहां हो रहा है, उसको भी रोका जाय। इसका पूरा कार्यक्रम उन्होंने बनाया था और कार्यक्रम लिख कर के जिसे कहा जाय कि जनचेतना करके और 18 तारीख को फिर अल्टीमेटम दे दिया कि 18 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानीं तो हम निश्चित रूप से एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। वह प्रदर्शन उन्होंने किया और प्रदर्शन करते वक्त वह भीड़ जब रामलीला मैदान से चली, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि 15-20 हजार की भीड़ थी, हमारी जानकारी के अनुसार 7-8 हजार की भीड़ थी, तो मान लें कि 15.20 हजार की भीड़ भी थी तो जब उस स्थान पर पहुंची, कॉपर काम्पलेक्स के गेट के ऊपर, उन्होंने इस बात को कहा कि या तो हमारी मांगें मान लो, नहीं तो आज इस प्रदर्शन में इस चीज का नतीजा निकाल कर ही रहेंगे।

माननीय सदस्यों ने कहा कि क्या यह सही है कि कॉपर काम्पलेक्स के किसी अधिकारी ने या मैनेजर ने जिला प्रशासन को कोई सूचना दी कि ऐसा कोई प्रदर्शन होने वाला है और कॉपर काम्पलेक्स के ऊपर ये प्रदर्शनकारी आयेंगे। जिला प्रशासन को वहां के मैनेजर ने सूचित किया कि 18 तारीख को इस तरह का प्रदर्शन होगा और उसमें काफी किसान और मजदूर आ सकते हैं और सम्भावना है कि वहां पर अव्यवस्था हो। तो उसके लिये प्रशासन ने माकूल इन्तजाम किया। पब्लिक मीटिंग वहां शांति से हो रही थी। उसमें कोई बात नहीं थी। उसके बाद जब उन्होंने वहां से कूच किया और जब वहां गेट पर पहुंचे, उस वक्त यह घटना मैनेजर से हुई और जो चेयरमेन निकले, उसके बाद में यह एकदम से भीड़ के ऊपर और उसमें जब तनाव यह चला तो कुछ हल्का लाठी चार्ज जरूर हुआ है और उसमें चोटें आई हैं। उस वक्त पथराव भी हुआ। माननीय सदस्यों का कहना है कि वहां कोई पत्थर थे नहीं, पर जैसी मेरे पास जानकारी है और दी गई, उसके अनुसार वहां पर कुछ पत्थर थे, पत्थर उठाये गये, पत्थर से चोट आई है और हमारे करीब 12 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। जैसा आपने पूछा कि किन-किन के लगी है तो उनके नाम भी मैं बता सकता हूं-

(श्री दिग्विजय सिंह)

अजान मोहम्मद, एस.आई., एस.एच.ओ. खेतड़ी, विश्वराज आर्य, एस.आई., एस. एच. ओ. पी. एस खेतड़ीनगर, अशोक कुमार, एस.आई., एस एच.ओ., पी.एस. सिंगाना, जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल नं. 710 पुलिस लाइन झुन्झुनू, वेद प्रकाश, कांस्टेबल नं. 325, पुलिस लाइन झुन्झुनू, बनवारीलाल, कांस्टेबल नं. 321, पुलिस लाइन झुन्झुनू, दीनदयाल, कांस्टेबल नं. 257, पुलिस लाइन झुन्झुनू, भूराराम, कांस्टेबल न. 431, पुलिस लाइन झुन्झुनू, सतवीर, 539, पुलिस लाइन झुन्झुनू, राजेन्द्र सिंह, 611, पी.एस. मुवाना, इवासिंह, 127, पी.एस. खेतड़ी व दयाराम 535, पुलिस लाइन खेतड़ी। तो, अध्यक्ष महोदय,....

श्री केदारनाथ शर्मा : सारी सिम्पल हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, सुन लो। पुलिसकर्मियों को किन-किन को चोट लगी है, वह बताई है। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही साफ किया है कि ...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह चोटों की नेचर क्या है ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि पब्लिक में से किसी को चोट नहीं लगी हो। मैंने, अध्यक्ष महोदय, पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पब्लिक में से भी कई लोगों के चोट लगी है और वहां जाकर इलाज भी कराया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मन्त्रीजी, 307 कैसे बनता है, यह बता दो आप।

श्री दिग्विजय सिंह : पर हमारे पास जिनके चोट लगी है, उन्होंने कही भी आकर के कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मैं डिनाई नहीं करता हूं, जैसे माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि निश्चित रूप से वहां पर काफी लोगों के चोट लगी है और कइयों के गम्भीर चोट भी आयी है, उसका उपचार उन्होंने अपने स्तर पर कराया है। वह हमारे पास जानकारी नहीं है, वह जानकारी भी हम उनसे कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने एक बात और कही है डीवाई. एस.पी. के सम्बन्ध में जो इससे कोई सीधा, पर खेतड़ी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी उन पर आरोप लगाये। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि व्यक्तिशः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को इस बात के लिये इन्वाल्व करके उसको डिमोरेलाइज किया जाय कि इस घटना के अन्दर उसने जानबूझकर के कुछ किया हो तो ऐसी स्थिति नहीं है। रहा सवाल उसकी ओनेस्टी के बारे में, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसकी ओनेस्टी, इण्टेग्रिटी पर डाउट नहीं है, उनके स्वभाव में कुछ गड़बड़ जरूर है तो वह एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात जो कही, वह आपने कही कि वहां पर जो चेयरमेन आये और उनके साथ अन्दर बैठ कर क्या वार्ता हुई, कौन वहां थे, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि अन्दर क्या बात हुई। पर मैं यह भी कह सकता हूं कि उसके बाद में जब बाहर

(श्री दिग्विजय सिंह)

निकले, जो यह घटना हुई, उसके बाद यह हादसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मदन लाल जी सैनी ने जो बात कही कि गोली चलाई गई, फायरिंग हुआ, यह बात कोई रिकार्ड में हमारे पास नहीं है। मैं आपको साफ कह सकता हूं कि कोई गोली नहीं चलाई गई, कोई फायरिंग नहीं हुआ, हमने बल प्रयोग किया, हमने माना है कि पथराव हुआ है, उससे भी घायल हुए हैं, यह भी माना है।

इसके साथ साथ जो आपने एक बात कही कि जिन-जिन को चोटें आई और उनका उपचार कहां हुआ है। तो वह जब कोई हमारे पास रिपोर्ट कराये, उसके बाद मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने उपचार कहां कराया है या कहां हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार और श्री हेतराम बेनीवाल ने एक दो प्रश्न पूछे कि वहां पर किसानों की जो जमीन खराब हो रही थी और वहां प्रदूषण हो रहा था, उसकी राज्य सरकार को जानकारी थी कि नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं इस सम्बन्ध में, इस कोपर प्रोजेक्ट को, जो एक सैन्ट्रल प्रोजेक्ट है कई दफा राज्य सरकार ने भी कहा है कि वहां प्रदूषण काफी हो रहा है और उस प्रदूषण को कम करने के लिये कापर प्लांट में एन्टी पोल्यु-शन प्लांट लगाया जाय और उसकी क्षमता बढ़ाई जाये। यह कापर प्लांट देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति है जिससे हमें काफी धन अर्जित होता है। लेकिन इसके साथ काश्तकार को नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था भी की जाये। पानी की वहां कमी है और उस पानी की कमी के लिये पहले भी वहां आन्दोलन चले हैं। गुड़गांव कैनाल से पानी मिल जाये उस प्रोजेक्ट को तो किसान को भी दिया जाये, उसके लिये भी हम प्रयत्न करेंगे। अगर वह पानी दे दें तो हम किसान को भी उपलब्ध करा दें।

प्रोफेसर केदार ने अपनी बात कही, उसको मैं सिद्धांततः स्वीकार करता हूं कि जब यह एपीसोड हो गया था तो निश्चित रूप से कलेक्टर को, कमिश्नर को और डी. आई. जी. को तुरन्त मौके पर जाकर सारी स्थिति का जायजा लेना चाहिये था। विशेष तौर से जब सदन चल रहा है और उस दौरान अगर ऐसी घटना होती है, तो निश्चित रूप से प्रशासन का जिम्मा बनता है कि उन लोगों को वहां जाकर स्थिति देखनी चाहिये थी। यह उन्होंने नहीं किया, तो इस सम्बन्ध में मैं उनसे जानकारी करूंगा। साथ ही आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि आप जो नए तथ्य हमारे सामने लाये हैं, आपने कहा कि किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है और काफी लोग आहत और घायल हुये हैं, तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिये सरकार ने फैसला किया है कि हम मैजिस्ट्रीयल एन्क्वायरी करायेंगे ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी सामने आ सके और आपके सामने प्रस्तुत कर दी जा सके।

श्री केदारनाथ शर्मा : मेरा निवेदन है कि रैवेन्यु बोर्ड का मैम्बर इसकी जांच करें, और इस जांच तक कोई भी फर्दर इन्स्टीट्युशन आफ केस कोई फर्दर अरेस्ट न हो, किसी काश्तकार और मजदूर की

(श्री केदारनाथ शर्मा)

गिरफ्तारी न हो, और जिन काश्तकारों और मजदूरों की पिटाई हुई हैं, उनका मैडीकल इग्जामिनेशन हो और उसकी एफ. आई. आर. दर्ज की जाये। दोनों आफिसर्स, एस. डी. एम. और डीवाई. एस. पी, - डीवाई. एस. पी. तो सस्पैण्ड होना चाहिये, नहीं कर सकते तो वहां से तबादला हो जाए"' (व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह : कर क्यों नहीं सकते, कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर से जांच। ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, पाइन्टेड पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)... वह पूछ रहे हैं। आप बिराजिये। इनके पाइन्टेड सवाल हैं।

श्री मदनलाल सैनी : दो स्पेसिफिक सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करता हूं। आप किसी बात को निर्णायक स्थिति पर पहुंचने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रोफेसर साहब ने जो बात कही कि राज्य सरकार इस बात के लिये आश्वस्त करें कि आगे से कोई काश्तकारों की इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी नहीं हो। मैं उस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध के अन्दर जो हमने मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के आर्डर कर दिये हैं तो वही इस प्रकार के लिये, सारी कार्यवाही वहीं करेंगे और उसके बाद ही आगे कोई कार्यवाही होगी। कोई अरेस्ट वगैरह इस केस को लेकर नहीं होंगे और कोई दूसरे प्रदर्शन होता है, दूसरा मामला होता है तो वह इससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा।....

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी को इसके सम्बन्ध को लेकर, इस प्रकरण को लेकर कोई अरेस्ट नहीं होगा और मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी इसकी करवा दी जाएगी। आप अगर इनसिस्ट करते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है' रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से इसकी आवश्यक जांच करवाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।....(व्यवधान).... बैठिए। ... (व्यवधान)....क्लोज हो गया, आखिर किसी बात की सीमा है, डेढ़ घंटा हो गया, डिटेल्ड आउट उसका निष्कर्ष निकल गया। अब भी आप बात पूछना चाहते हैं।... (व्यवधान).... बोलिए।

श्री हरलाल सिंह जी खर्रा।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री हरलाल सिंह खर्रा (राज्यमंत्री) : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (8) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/91/622 दिनांक 14.2.1992 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य-पुरस्थापित किये जाने वाले विधेयक-प्रभारी मंत्री जी राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूल) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री शान्तिलाल चपलोत (राज्य मंत्री विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री जी पुरःस्थापित करिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर निगम (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अमुद्रित तथा हिन्दी भाषा में विधेयक का पुरःस्थापन

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : As a point of order sir, I draw your attention to Rule 64 of the Rules of procedure and Conduct of Business, which reads as under :

"If a motion for leave to introduice a Bill is opposed, the Speaker, after permitting if he thinks fit, a beief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question :"

Sir, I seek your permission to say a few words.

मेरा निवेदन यह है कि जिस बिल को आज लोकल सेल्फ मिनिस्टर इन्ट्रोडयूज करने जा रहे हैं यह कल रात को हमको सकुलेट किया गया था, कोई भी बिल प्रिन्टेड नहीं है प्रेस में, यह पहला मौका है जब अन-प्रिन्टेट साइक्लोस्टाइल्ड बिल जिसमें 389 क्लाजेज हैं ....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : पेन से जगह-जगह कटे हुये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं पेन से कटे हुए नहीं 8-9 जगह स्टेप्लड है, खोलते ही, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक खोला 8, खोलते ही धड़ाम से गिर गया हाउस आफ काड्स की तरह, यह उस बिल की कन्डीशन है, नम्बर दो, नम्बर तीन इस बिल में जो डेफिनेशन है 84 आइटम्स को डिफाइन किया गया है जो इस राजस्थान के इतिहास में किसी भी बिल को इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रिविलेज रहा है शायद 1977 तक मैं 80 ओरिजनल या अमेंडिंग बिल का प्रभारी रह चुका हूं लेकिन कभी भी इस तरह से अन-प्रिन्टेड बिल सदन में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने....(व्यवधान) ...

श्री रामकिशन : मदेरणा साहब मैं कहूंगा कि इस सदन में बी० जे० पी० का राज कब आया था ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं वह राज के बारे में भी यहां बता दूंगा। राज आते-आते ही जो इन्होंने पहली दफा गवर्नर साहब से कहलवाया वह भी मैं पढ़ देता हूं

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय से विधान सभा आहून करने के बाद 10 सितम्बर को जो भी विधायी कार्य लिये जाने हैं सम्भावी, पासिबलेबल लेजिस्लेटिव बिजनेस, फाइनेंशियल मैटर्स उसकी आपने एक सूची हमको दी थी। उस सूची में 13 नए बिल थे, 2 आर्डिनेंस थे, 6 आलरेडी पिछले सत्र में सर्कुलेट हो चुके थे और 2 प्राइवेट मैम्बरर्स बिल थे।

अध्यक्ष महोदय, यह जानकर इस सदन को बड़ी खुशी होगी कि इस थोड़े से पीरियड के अन्दर 4 तो छुट्टी हो गई, 4 छुट्टी होने के बाद में 14 बिल अभी ले लिये गये हैं, पास हो गये हैं यह समझ लें आप, दो आज सदन में विचाराधीन हैं दो 29 तारीख को आने वाले हैं। यह बिल माननीय चीफ व्हीप महोदय ने परसों यह कहा कि आज हमारा यह पब्लिश नहीं हुआ तो यह पब्लिश करवा दिया गया और वह अंग्रेजी में है।

अध्यक्ष महोदय, आफिशियल लैंगवेज एक्ट लागू होने के बाद इस राजस्थान में जो भी आथेन्टिक कापी बिल की होती है, आज ही देख लीजिये, आपके सामने, सदन के सामने दो बिल विचाराधीन हैं। एक ओरिजनल बिल है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ा अन्तर है। वह बिल जाएगा असेन्ट के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसीडेंट के पास।

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो प्रेसीडेंट को लाने के बाद ही इन्ट्रोड्यूज करना चाहिए इसको।

श्री अध्यक्ष : कारपोरेशन का जो बिल है।

श्री यदुनाथसिंह : हिन्दी में नहीं जाना चाहिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राष्ट्रपति महोदय हिन्दी के विद्वान हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इन्ट्रोडक्शन के बाद थोड़े ही जाता है। कभी भी नहीं गया ऐसे।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये सैन्टर

(श्री अध्यक्ष)

में कौनसी राज भाषा चल रही है यह पता है आप सब मैम्बर्स को।

श्री परसराम मदेरणा : राज भाषा चल रही है या नहीं चल रही है यह कहां जाएगा उसकी इंगलिश तो साथ ही होती है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सदन की जो परम्परा और जो परिपाटी रही है, मैं आर्टिकल 348 की व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं यहां पर। लेकिन आज दो बिल्स हैं, एक ओरिजनल बिल है, जिस पर सदन विचार करने वाला है और एक अमेंडिंग बिल है, अमेंडिंग बिल जो है उसका टाइटल, हेडिंग अंग्रेजी में है, क्योंकि 1954 में पास हो गया था। नया बिल जो आया है–राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992।

श्री अध्यक्ष : इसी पर बोलिए ना आप।

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दी में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। इसमें पुरःस्थापित की जो आपत्ति है उसी पर बोलिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) बोलूंगा अभी तो बिल आऐगा जब मैं देखूंगा, उस वक्त क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बिल....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपकी आपत्ति। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : उसका इन्ट्रोडक्शन हो रहा है, हमको प्रिन्टेड कापी देनी चाहिए और जब तक प्रिन्टेड कापी नहीं दी जाए....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : तब तक इनको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जो प्रतिलिपि प्रति यहां दी है उसमें कोई टाईपिंग मिस्टेक आप समझते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : बहुत मिस्टेक हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां है उसको तो ठीक कर देंगे, हो सकती हैं। बाकी जो यहां मैंने पेश किया है उसका ध्यान रखा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसको आप पढ़ तो लो, बहुत से पेज तो पढ़े ही नहीं जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस बात का ध्यान रखा गया है ...... यह टेक्नीकल बातें हैं।

श्री परसराम मदेरणा : रात को साइक्लोस्टाइल्ड मशीन का स्क्रू ढीला हो गया था और उसका परिणाम यह है कि कहीं तो इसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल कहीं ऐसा कोई पेज ऐसा आ गया हो माननीय सदस्य के पास तो उसको तो परिवर्तन कर देंगे लेकिन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जो आपने यह कहा है कि इसको अंग्रेजी में रखा है और रखा नहीं जा सकता है। उसको आफिशियल एक्ट है अपना, उसकी धाराओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं परम्परा की बात कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 348 की व्याख्या नहीं कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा ; मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन अभी तक यह परम्परा और परिपाटी रही है यहां पर कि नया बिल हमेशा उसकी पहली और आथेन्टिक कापी हिन्दी रही है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन रही है और आथेन्टिक जब हिन्दी में है और हमने अगर कोई अंग्रेजी में अमेंडमेंट दिए हैं तो इस विधान सभा सचिवालय से हमको डाइरेक्शन दिया गया है कि इसका हिन्दी ट्रांसलेशन करवा कर लाएं और यह अभी मैं करवा कर लाया था 4 दिन पहले। उसका ट्रांसलेशन करवा लाया हूं तब इन्होंने एक्सेप्ट किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन की परम्परा रही है ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, कोई परम्परा नहीं है। उन्होंने रूल कोट किया है आप रूल को पढ़िये। आप बैठ जाइये। मैंने आपसे जवाब तो पूछा नहीं मंत्रीजी को जवाब देना है, उसके बाद में निर्णय करेंगे। आप जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं बीच में। आप परम्परा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जब मंत्री जवाब दे रहे हैं, वह सक्षम है जवाब देने में आप यह बताना चाहते हैं कि यू आर चीफ मिनिस्टर। केवल चीफ मिनिस्टर को अधिकार है। आपको यह अधिकार नहीं है कि मंत्री बोल रहे हैं तब खड़े हो जायें आप।

श्री परसराम मदेरणा : दो ही मेम्बर्स को अधिकार है 64 में।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह है दी राजस्थान आॅफिशियल लेंगवेज एक्ट 1956 जिसके कारण राजभाषा हिन्दी की गई थी। यह खुद जो कानून है यही अंग्रेजी में है। यह हिन्दी के लिये जो कानून बना है यह खुद ही अंग्रेजी में है और यह है 1956 इसमें लिखा है

"Hindi written in Devnagri script shall, with effect from such date as the state Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, be the language used in respect of all or the official purposes of the state, other then those mentioned in section 4, and different dates may be appointed for such different purposes."

सब काम हिन्दी में होंगे। 4 में एक्सेप्शन दिया है

'Subject to the provisions of Article 348 of the constitution of India and not withstanding anyth-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ing contained in section 3, the language of (i) all Bills introduced in the state Legislative Assembly (ii) all Acts passed by the state Legislature, (iii) all ordinances promulgated under Article 213 of the constitution of India, and (iv) all orders, rules, regulations and bye-laws issued by the state Government under the constitution of India or under any Central or State law, sh^all be either in Hindi or English."

इसमें एक्सप्शन है सैक्शन 4 में।

श्री रामकिशन : पहले हिन्दी और इंगलिश है। पहले हिन्दी है ना उनका अर्थ यह है कि पहले हिन्दी और इंगलिश।

श्री नत्थीसिंह : आप हिन्दी में कमजोर पड़ते हैं क्या?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हिन्दी समझ में नहीं आई तो इंगलिश में....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिये जहां तक कानूनी आपत्ति है उसका तो मैंने यहां उत्तर दे दिया....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रोवीजो भी पढ़े। वह प्रोवीजो पढ़ना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रोवीजो पढ़ दीजिये, सारी बातें क्लीयर हो जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे आप पूरा करने देंगे तो मैं सब बात बता दूंगा आपको। फिर भी कोई रह जायेगी तो आप गाइड कर दीजिये। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जहां तक हिन्दी में पेश करना चाहिये था इसमें प्रोवीजन दिया हुआ है।... (व्यवधान) आप दोनों में कर सकते हैं। हिन्दी में करना चाहिये यह अच्छी बात थी, हमको कोशिश यही करनी चाहिये कि हिन्दी में आये। लेकिन कोई कारण है जिसके कारण मजबूरी में हम लाये हैं। फिर आगे लिखा है

"Provided that in every such case where the English language is used, there shall be published, under the authority of the state Government, as soon as may be, a translation there of in the Hindi lauguage written in Devnagri script"

'as soon as' है। साथ पेश करने के आदेश नहीं है। इसको साथ करने का आदेश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि यह विचारार्थ जब तक आयेगा मैं कोशिश करूंगा कि हिन्दी की भी आप लोगों को प्रतिलिपि मिल जाये। इसलिये मेरा निवेदन है इसको पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जावे।

श्री अध्यक्ष : इस बिल पर जहां तक मैं समझता हूं राज्य सरकार भी तैयार है इसके लिये कि यह कोई जल्दबाजी में नहीं होगा। आज पुरः स्थापित करने का इसलिए तय किया गया, पहले पारण का था परन्तु चूंकि इसकी कोपी प्रिन्ट नहीं हो

(श्री अध्यक्ष)

सकी इसलिये केवल आज इसको पुर: स्थापित कर रहे हैं और 30 तारीख को जब लिया जायेगा तो उस समय माननीय सदस्य इसके बारे में जो भी बात कहें, आपको और कोई जानकारी करनी हो तो इसके बारे में विचार कर लिया जायेगा। जैसा माननीय सदस्य चाहेंगे उसी हिसाब से कर लिया जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : यह बिल्कुल सही है कि आज पुर: स्थापित करेंगे और 30 तारीख को विचारार्थ लेंगे। 30 तारीख को जब विचारार्थ लेंगे तो इसमें संशोधन देने की मियाद होगी और जो हिन्दी जानते हैं अंग्रेजी नहीं जानते हैं वह कब पढ़ेंगे और कब दिमाग अप्लाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यदि यह परिस्थिति जो आप बता रहे हैं पैदा होगी तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा। जो माननीय सदस्य चाहते हैं वही करेंगे दूसरा नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, समय हमारे पास में दो दिन का रहा है और इतने बड़े बिल के ऊपर, जब तक आप पूरा बिल तीन दफा नहीं पढ़ लो, एक अमेण्डमेंट उसका मूव करूं तो कान्सिक्वेंशन कितने अमेण्डमेंट होते हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों पर विचार कर लेंगे। इस लेकूनाज के रहते हुये उस पर पूरे तौर से विचार नहीं होगा, पूरा मौका देकर आपको, जब आप आश्वस्त होंगे, विचारार्थ या पास करने के लिये लिया जायेगा।

विधेयक का पुर: स्थापन

राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके पूरे ज्ञान का लाभ लेकर ही पास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शान्तिलाल चपलोत (राज्य मंत्री विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : जनमत हेतु श्री रामकिशन।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में पेश किया गया है करीब करीब इस देश में नये प्रकार का लेजिस्लेशन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार का कानून पारित किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके सम्बन्ध में इतनी सी बात कहनी है कि आज हमारी परीक्षा प्रणाली, परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति और इस प्रवृत्ति में सहयोग देने की स्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर बन चुकी है और इस दृष्टि से राज्य सरकार जिस कदम को उठाने जा रही है उसमें मेरा विरोध नहीं है। विरोध केवल इतना सा है कि इसमें सजा का प्रावधान किया है, जितनी लम्बी सजा का प्रावधान किया है, हमने इस पर अमल किया तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे और कानून का हश्र होता है उसी तरह से इसका हश्र नहीं होवे तो हमारे पास जेलों में जगह नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग फर्जी डिग्री लाते थे, नकल करते थे, उस नकल का नतीजा यह होता था अध्यक्ष महोदय कि उत्तर प्रदेश के लड़के जब हमारे यहां आते थे तो उनके नम्बर बहुत ज्यादा होते थे। राजस्थान के लड़के उनके सम्बन्ध में बहुत पीछे रह जाते थे। उसका मेरिट में भी उनको लाभ मिलता था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाया है मैं समझता हूं प्रशंसनीय कदम है, बहुत सही कदम है लेकिन जोश में उठाये हुये ऐसे कदमों से हमारे विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा इस पक्ष को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिये। आज नकल की प्रवृत्ति आखिर बढ़ी क्यों है। अध्यक्ष महोदय, असल कारण इसका यह है कि हमारी शिक्षण संस्थायें जिस तरह से काम करना चाहिये था, काम नहीं कर पा रही है। शिक्षण संस्थाओं में अधिकांश शिक्षक लोग जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं और नहीं पढ़ाते हैं तो सीधा सा यह नतीजा होता है, सीधा सा रास्ता निकाल लिया है कि उस समय परचों को आउट करा दो, किसी प्रकार से उनकी नकल करा दो। इस तरह से सीधा रास्ता निकाल लिया तो अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस सम्बन्ध में इतनी सी बात कहनी है। इसी सदन में इस सरकार की मार्फत एक बात कही गई थी कि हम नैतिक शिक्षा को शामिल करेंगे पढ़ाई लिखाई के कोर्स में। मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ। हमें कानून और धर्म दोनों का इस्तेमाल साथ-साथ करना चाहिये। हमारे समाज में आज नैतिक मान्यताएं समाप्त हो रही है। नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो रही है। वह केवल विद्यार्थियों में ही नहीं है, समाज के सारे वर्गों में, हर वर्ग में जो जहां बैठा हुआ है, वह कोई न कोई छोटा-मोटा अनैतिक कार्य कर रहा है और उसका नतीजा यह हुआ कि...

(4.40 म. प.)

(श्री रामकिशन)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज हमारे विद्यार्थी भी नकल पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 3 साल की सजा जो परचा वगैरह आउट करायेंगे या परीक्षक होते हैं उसको खतरा हो उस पर तीन साल की सजा और 5,000 का जुर्माना रखा है। मैं समझता हूं जुर्माना और सजा बहुत ज्यादा है। रखना जरूर चाहिये और जितना रखना चाहिये उसको अमल भी करना चाहिये लेकिन जैसी हालत का मैंने निवेदन किया जैसी हमारे समाज में बन चुकी है, अगर इस पर इसी प्रकार से अमल हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा। हमारी सारी जेल एक तरह से विद्यार्थियों से भर जायेगी जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई, एक तो सुझाव मेरा यह है उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार का कानून बनाते समय सब तरह से जन शिक्षण को मौका देना चाहिये, विद्यार्थियों को भी जानकारी होनी चाहिये, एक्जामिनर्स को भी जानकारी होनी चाहिये और एग्जामिनर्स और विद्यार्थियों के साथ जो इस तरह की गलती करते हैं, उनको भी पूरा का पूरा प्रचार का मौका देकर उनको सजग करना चाहिये कि इस प्रकार का लेजिस्लेशन हम लाने जा रहे हैं। अगर समाज की प्रवृत्ति नहीं रुकी तो इसके नतीजे होंगे। इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए जो बातें कही हैं, यह जो इस प्रकार का लेजिस्लेशन है, देश में इस तरह का लेजिस्लेशन केवल उत्तर प्रदेश में आया है, इसलिए निवेदन करना तो मेरा इस सम्बन्ध में यह है।

एक दूसरा निवेदन मुझे करना है उपाध्यक्ष महोदय, वह है कि क्या हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को सुधार सकते हैं। केवल कानून पास करके, इसका जो दूसरा पक्ष है उस पर हम ध्यान दे नहीं पा रहे हैं आज शिक्षण संस्थाओं में, जैसा मैंने निवेदन किया, कुछ कर्त्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं कुछ सचमुच ऐसे लोग भी हैं जिनकी सेवाओं की जितनी सराहना की जाय, की जानी चाहिये लेकिन अधिकांश शिक्षक ट्यूशन करते हैं, स्कूल जाते नहीं हैं और नहीं जाने की वजह से आज यह सारी अराजकता पैदा हो रही है और राज्य सरकार की हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आप खुद सुनते रहते हैं कि आपके पास खाली जगह पड़ी हुई है। पढ़ाने के लिये शिक्षक नहीं। जहां स्कूल भी खुल गये, वहां विषय के टीचर्स नहीं हैं, हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इन दोनों चीजों को साथ-साथ लेकर के हम इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन बनाते हैं तब तो होगा समाज को लाभ और केवल हम प्रचार के लिये बनाते रहे कि हमने इतना सख्त कानून बना दिया है और उस पर अमल नहीं हुआ तो एक प्रकार से नुकसान भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में संकट यह है कि हमारी नैतिक मान्यताएं तो हो गई समाप्त, एक तरह से हम, जिस तरह के क्राइसस में चल रहा है सारा देश, उसमें हमारी नैतिक और धार्मिक मान्यताएं तो हो गई है समाप्त और राज का भय हो गया है खत्म, इसलिये बीच के समय में यहां तरह-तरह का संकट चाहे विद्यार्थियों का वर्ग हो, चाहे व्यापारियों का वर्ग हो, चाहे राजनेता का हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का वर्ग हो, हम कहीं पर किसी भी ढंग से

(श्री रामकिशन)

देखें, जहां हमें जाकर उसके उज्जवल पक्ष की बजाय काला पक्ष ही ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यह सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, वह इन दोनों व्यवस्थाओं के असफल होने की वजह से हुई है। तो मेरी राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई लम्बी बहस नहीं। जिस तरह का यह कानून है, इसकी मंशा की कोई विरोध नहीं। अच्छी शुरूआत है लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा यह सजा और जुर्माने का जो प्रावधान रखा है, इसको थोड़ा कम करें। इसका प्रयोग करके देखें, उसके बाद अगर नहीं सुधरता है तो शनैः-शनै इस मामले को सख्त किया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे इतनी सी बात कहनी थी और इसीलिये मैं चाहता हूं, इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 जो पेश किया है और जिसको मैंने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव किया है, उसका कारण यह है, उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन हम केवल कानून बनायेंगे। छोटी-छोटी बातों के लिये पहले जो कानून बने हुए हैं, उसकी पालना कितनी हो रही है, यदि हम यह नहीं देखेंगे और राज्य का भय नहीं रहेगा, कानून में विश्वास नहीं रहेगा तो आप कितने ही कानून बना दो, आप कितनी ही सजा का प्रावधान कर दो, कितने ही आप इस प्रकार के कानून ले आयें, इन कानूनों की केवल हम धज्जियां उड़ाना चाहते हैं।

आज बाल-विवाह पर रोक है। नव-भारत टाइम्स में आपने पढ़ा है। जिस महिला ने बाल-विवाह रोकने का प्रयास किया है, उसके साथ क्या हालत हुई। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। राज का लोगों को डर नहीं है, राज की पकड़ नहीं है तो आप कानून कितने ही बनायें, इस तरह कोई भी परीक्षा लेने के लिये जायेगा, वह वहां पर डरा-डरा जायेगा चाकू से। आपने कानून बनाकर उसको प्रोटेक्शन दे दिया है और उसके बाद वह नहीं बोलेगा, वह तो चाकू से डरता है....

श्री यदुनाथ सिंह : और राज की पकड़ है नहीं।

श्री रामकिशन : राज है नहीं, पकड़ तो तब हो जब राज हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और राज की पकड़ है नहीं। अब ऐसा है। मैं आपकी तरह दुतरफा बात बोलता नहीं। राज में आप भी रहे, शामिल भी रहे। कभी आप वो पार्ट अदा करते हैं, कभी ये पार्ट अदा करते हैं। राज में रह कर राज की गलती नहीं बताते हैं तो इसलिए गलतियां रहती हैं और उसमें कभी-कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जब आपको विरोध करना पड़ता है, उस समय विरोध नहीं करते, उस समय आप चुप्पी लगाते हैं इसलिए यह सदन और माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वस्तु स्थिति सामने लाएं। हमारा यह फर्ज है कि जनता में हम क्या संदेश दे रहे हैं, जनता की क्या भावनाएं हैं और कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। जब तक उस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे, तब तक केवल ये कानून बनाने से क्या

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

होगा। इसलिये इसकी मन्शा बहुत अच्छी है लेकिन ये परिस्थितियां निर्मित क्यों हुई। आज आप और हम में ज्यादातर सदस्य ऐसे होंगे कि आपके पढ़ाये हुए मास्टर यदि सामने आ जायं, मिल जाय तो आपकी नजरें झुक जायेंगी, हाथ उठ जायेंगे और आप उनको सम्मान देंगे लेकिन आज जिस प्रकार का वातावरण बन गया है, जिस प्रकार से समाज में कानून निष्प्रभावी हो गया है, ये सारे कानून अप्रभावी हो गये हैं। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है इस लिये मेरा निवेदन है कि इस वातावरण को ठीक किया जाय, राज का भय रहे, ये कानून कम से कम बनाये जाय लेकिन जितने कानून बने है, उसकी पालना हो। यह जब तक नहीं हो सकता जब तक हम उत्तरदायित्व फिक्स नहीं करेंगे और सारा भार जनता पर डालते चले जायेंगे इसलिये मेरा निवेदन है, यह सजा भी कम की जाय और कानून केवल कागजों में ही रहेगा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मेरा प्रस्ताव है कि इस सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय बुलाकीदास कल्ला जी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को मैं एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु प्रस्ताव करता हूं। सार्वजनिक परीक्षाओं में चाहे विश्वविद्यालय द्वारा ली जाय अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आर. पी. एस. सी. अथवा पी. यू सी. के द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें यदा कदा ऐसे अवसर आते हैं जहां अनुचित साधनों का प्रयोग होता है लेकिन मैं माननीय प्रभारी मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां अभी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति नहीं बनी। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले अढ़ाई साल में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और राजस्थान विश्वविद्यालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कितने केस ऐसे रेकार्ड में आये जिनमें विद्यार्थियों ने बलपूर्वक अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश की। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप ने इसमें शिक्षक वर्ग को भी सम्मिलित कर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिया है। शिक्षक एक नोबल प्रोफेशन से आता है और जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे थोड़ा-बहुत अनुभव है उसके आधार पर लाखों में कोई एक केस हो गया तो उसकी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जिसने नकल कराने में कोई सहयोग दिया हो या प्रश्न-पत्र आउट करने की हिमाकत की हो। आपने ऐसा कानून बना कर उस शिक्षक वर्ग पर चोट पहुंचाई है कि प्रश्न-पत्र अथवा अनुचित साधनों का जैसे विद्यार्थी प्रयोग करता है, आपने शिक्षक वर्ग को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, यदि शिक्षक इस प्रकार के किसी भी विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अथवा वह किसी भी प्रकार से नकल करने में सहयोग करता है तो वैसे ही पहले से कानून में प्रावधान है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, आपने उसको तीन साल की सजा का प्रावधान किया है। आज इस कानून का कोई दुरुपयोग करना चाहे तो कोई भी 3–4 व्यक्ति मिल करके और आज आप जानते हैं ऐसा समय है कि किसी भी भले व्यक्ति की टोपी उछाली जा सकती है और उसको कानून के दायरे में लेकर प्रताड़ित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नैतिक मूल्यों का संस्कारों का हनन हो रहा है। जहां जिस देश में "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात परम ब्रह्मा तस्मैय श्री गुरुवे नमः।" इस प्रकार का जो हमारे देश का वातावरण था, ऐसी संस्कृति थी उसको समाप्त करके आपने शिक्षकों को भी एक अपराधियों की तरह एक ही डण्डे से हांकने की कोशिश की है। यह निश्चित रूप से निन्दनीय है, आपको इसमें उनको निकालना चाहिए।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी प्रायः-प्रायः ऐसे नहीं हैं। जैसा मैंने आपको बताया है आप मुझे जानकारी दें कि ढाई साल में कौनसी परिस्थिति आ गई कि विद्यार्थियों ने कितने मर्डर्स कर दिये, कितने चाकू निकाल लिए, कितने मामले दर्ज हुए जिससे इस तरह की नौबत आ गई कि आपको इस तरह का कानून लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि प्रदेश के विद्यार्थी इतने उद्दण्ड नहीं हुए हैं उसके लिये कोई भी कानून, जैसा अभी माननीय रामकिशन जी बता रहे थे कि आपको इस कानून को लाने से पहले जनमत जानने के लिये और लोगों को बताने के लिये थोड़ा समय देना चाहिए था और इस प्रकार की घटनाएं न हों यह हम भी चाहते हैं इसके लिए और कोई उपाय किया जा सकता है और हमारी नई शिक्षा नीति में प्रत्येक जिले में डाइट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग कॉलेजेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, एकेडेमिक कॉलेज इनमें हम अपने शिक्षकों को पूरे तरीके से यह बतायें कि वे किताबी ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों में संस्कार डालें। नैतिक मूल्यों के प्रति वे आस्थावान बनें और इसके साथ-साथ ऐसी ट्रेनिंग देने के बाद विद्यार्थियों को कक्षा कक्षों में पढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से किताबी ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी डालेंगे। संस्कार डालने के लिए तीन स्थान माने गये हैं। एक तो जिस शिक्षण संस्था में वह व्यक्ति पढ़ता है वह संस्कार सिखाती है, दूसरा घर में सीखते हैं और तीसरा आस-पास के वातावरण से सीखते हैं।

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

गन्दा कर देती है। अब मछली तो है वो, जो गन्दा कर रही है। तो ऐसे लोगों के प्रति कैसे कानून के तहत, किस एक्शन के तहत उससे निपटा जा सकता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि इसके अलावा हमारे पास क्या साधन हैं जिससे उनको रोका जा सके। हम रामायण का पाठ पढ़ें, हम गीता का अध्याय लें, सत्यनारायण की कथा करें उससे दुष्प्रवृत्ति के लोग कभी मानते नहीं हैं। "शठे शाठ्यम् समाचरेत्।" शठ को हमेशा शठलाई से ही निपटा जाता है। जिस व्यक्ति को दण्डित करना आवश्यक है उसको यदि दण्डित हमने नहीं किया तो मैं समझता हूं कानून का राज, रूल का राज, रूल व लॉ का जो हमारा कंसेप्ट बना हुआ है वो रूल और लॉ का कंसेप्ट सदा-सदा के लिए समाप्त हो जायेगा।

माननीय पण्डितजी ने अच्छे सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि तीन साल की सजा हो जायेगी। यह तो मजिस्ट्रेट पर डिपेण्ड करता है कि वो कितनी सजा देता है। एक महीने से लेकर तीन साल भी हो सकते हैं, 5 हजार तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं इस प्रकार की कोई बात रख दी हो जिसकी वजह से किसी प्रकार का भूचाल आ जायेगा। लड़के अनफेयरमींस करने के लिए....

श्री सम्पत सिंह : मन्त्रीजी, जब छात्र पढ़ना नहीं चाहते, अभिभावक पढ़ाना नहीं चाहते तो आप क्यों तुले हुए हो कि वे पढ़े ही पढ़ें। बन्द करो।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं सबको सम्पतसिंहजी की तरह देखना चाहता हूं राजस्थान में कि वो एम.एल.ए. बनें और अच्छे ओरेटर भी बनें। इसलिए मैं चाहता हूं कड़ाई से इन निर्देशों का पालन हो और जो लोग अनफेयरमींस यूज करते हैं उन्हें सजा दी जाय।

(5.00 म.प.)

मैं यह समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, इन प्रोविजन्स को इसीलिए लागू किया गया है कि लोग टेबल पर चाकू लगा कर बैठते हैं, अध्यापकों को डराते हैं, उसके पेरेन्ट या और कोई लोग, और कुछ नहीं तो एक चिट्ठी अन्दर भेज देते हैं, चिट्ठियां साथ में लेकर आते हैं, मास्टरजी कानाफूसी कर-करके उसके कान में कुछ कह देते हैं, पेपर सोल्व कराने का जो तरीका निकाला है उसको मिटाने के लिए कुछ न कुछ हमको एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। केवल मात्र यह कहने से कि इससे हमारे काफी लोग जेलों में चले जायेंगे, जायेंगे तो जायेंगे, कुनैन की दवा कड़वी होती है पर बुखार तो उसी से जाता है और कुनैन की दवा हमको देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, हमने इसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं किया है जो राष्ट्र हित में नहीं हो, समाज के हित में नहीं हो, प्रांत के हित में नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पारित करायें, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : पारित का नम्बर कहां है अभी, अभी तो जनमत का कहो।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दुर्भाग्य से आज इस भौतिक युग में घर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आस-पास का वातावरण खराब है। उन शिक्षण संस्थाओं के भरोसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी निर्भर हो गई और वहां पर जिस तरह का वातावरण आप पैदा कर रहे हैं मैं समझता हूं इसका जो असामाजिक तत्व हैं वे दुरुपयोग करेंगे और मुझे भय है कि आपने जो शास्ति धारा 3, 4 और 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की कैद और दो हजार रुपये तक का जुर्माना और उसके बाद की धारा में आपने 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की बात कही है यह बहुत अधिक है। इन सब बातों के लिये आप एक हाउस की कमेटी बना कर अथवा जनमत जानने के लिये इसको एक माह के लिए परिचालित करें। मैं आपको यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आपने जो अनुसूची बनाई है धारा 2 के अन्तर्गत, इसका भी आप विस्तार करें और बैंकों के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं अथवा सरकारी या अर्द्ध सरकारी निगमों द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है उनको भी इसमे सम्मिलित करें और कोई भी व्यक्ति सजा से ठीक नहीं होता है जितना समझाने से अथवा नैतिक मूल्यों के प्रति लोगों में आस्था पैदा करने से, इसका अच्छा परिणाम आता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करेंगे और आप हमारी बात न मानकर बहुमत के आधार पर इसको पारित करवाना चाहते हैं तो इसका बहुत मिसयूज होगा और मिसयूज की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसलिये मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि एक माह के लिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिये और सबने यह कहा है कि वाकई में बिल तो बहुत अच्छा है और यह आना भी चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना भी चाहिए, शिक्षा में अनैतिकता आ गई वह रुकनी भी चाहिए, पर साहब शिवाजी पैदा होने चाहिए, राणा प्रताप भी पैदा होना चाहिए, देश में क्रांति लाने के लिये पैदा होने चाहिए परन्तु मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। यह तो कोई बात नहीं हुई। यह कहना कि हमारे यहां ही क्यों कर रहे हो, बिहार में भी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है, सब जगह हमने देखा है किन्तु यहां पर यह क्यों ला रहे हो?

उपाध्यक्ष महोदय पिछले दिनों लोगों ने पेपर आउट कराये। मैं मानता हूं—

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।।"

"गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय।।"

यह कहने के लिये बहुत अच्छी बात है और गुरु को हम पूरी श्रद्धा से देखते भी हैं उसकी किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बिगाड़ने का राज्य सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है किन्तु कुछ लोग अपवादस्वरूप होते हैं। कहा भी गया है कि एक मछली सारे तालाब को

श्री यदुनाथ सिंह : अभी पारित कहां ... ले लेते श्रीमन् ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 8 –

श्री नत्थी सिंह : विचारार्थ पर बात करनी है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बाद में आयेगा, (व्यवधान) बाद में है, एक स्टेज और है....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं इस पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, जगह है, अभी टाइम है ...

श्री नत्थी सिंह : नहीं, उसके बाद में

श्री उपाध्यक्ष : पारित के समय बोलने का है....

श्री नत्थी सिंह : विचारार्थ पर भी बोलने का है श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ पर बोलने का नहीं है....

श्री नत्थी सिंह : क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : पारण के समय है ।

श्री नत्थी सिंह : नहीं, विचारार्थ पर भी बोलने का है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पारण के समय रखा है, अभी एक चांस जल्दी ही आ रहा है ।

खण्ड 2 से 8 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी ।

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : उपादध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास कोई और साधन नहीं था इस सब को रोकने के लिए और सब सदस्यों ने कहा कि बहुत अच्छा किया है लेकिन फिर भी विरोध किया है। मेरा विरोध इतना है कि यह सरकार काम तो करती है आधे-अधूरे मन से काम करती है और जो आधे-अधूरे मन से काम किये जाते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। आपने यू. पी. में....

एक माननीय सदस्य : जैसे ?

श्री नत्थीसिंह : बता रहा हूं सुनते चले जाईये। जैसे यू. पी. में एक कानून बन गया आपने कहा चलो, हम भी अपना नाम लिखा लें और इसलिये यह कानून बना दिया। मैं यह चाहता हूं कि बिल्कुल परीक्षाओं में नकल नहीं हो, न विद्यार्थी नकल करे, न उनके कोई सहायक, भागीदार बने और न जिनको अभी आप गुरू वन्दना कर रहे थे, वह इसमें किसी तरह शामिल हों, लेकिन जब हम इस बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी आप विधेयक लायें उससे पहले सोचें कि परीक्षा प्रणाली में स्वयं में क्या दोष है और उस परीक्षा प्रणाली को हम सुधारना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और परीक्षा प्रणाली में आप सुधार लाओ नहीं और यह कानून बना दो कि तीन साल की सजा देंगे, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, यह सजा आप दे नहीं पाओगे, यह कानून भी शारदा बिल की तरह, शारदा एक्ट की तरह कोल्ड स्टोरेज में रखा रह जायेगा। केवल आपका नाम लिख जायेगा कि यू. पी. में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री यह कानून लाये तो माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार भी पीछे नहीं रही। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को तो लो वापस, आधे-अधूरे मन से लाये हो और पूरा मन लगाओ, हाउस की एक कमेटी बनाओ कि परीक्षा प्रणाली में क्या संशोधन हों जिससे कि यह नौबत भी नहीं आये। आज डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रह गया, रोजगार उससे मिलता नहीं है. लोग समझते हैं कि कैसे ही डिग्री हासिल कर लो। इसलिये भी यह सब की सब बुरी प्रेक्टिसेज चलती हैं। उस विषय पर आप सोचते नहीं। आपने कहा है, एक ठोकर मार दी हमने तो, यह कानून पास कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिये इसके मूल में जो कमी है, शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली आज कई विचार आ रहे हैं परीक्षा प्रणाली क्या हो, एक साथ यह प्रश्न पत्र हो ही नहीं, हर महीने टैस्ट होने चाहिये, उनका एग्रीमेंट हो, फिर ओरल हो जाय, इस सब पर आप

(श्री नत्थीसिंह)

विचार करिये और मेरी राय है कि इस बीमारी को वास्तव में आप दूर करना चाहते हैं तो आधे-अधूरे मन से नहीं लाओ, इसको तो ले लीजिए वापस, इससे कुछ नहीं होने वाला है– It will be a dead latter. और फिर उस पर पूरे मन से एक कमेटी बनाओ सदन की, विचार करिये और अगले सत्र में उसको लाइये। हम बड़े सहर्ष पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाम मुस्तफा जी।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह जो अधिनियम लाया गया है, बहुत अच्छा है क्योंकि एक बार मुझे याद है कि 78-79 के अन्दर राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पेपर आउट हुए थे। बहुत भारी घपला हुआ था और वहां पर जब मुकदमा दर्ज करने की नौबत आई तो पुलिस ऑफीसर्स वगैरह ने यह तय किया कि कौनसी धारा लगाई जाय क्योंकि कोई आफेन्स उस वक्त बन नहीं रहा था। अगर उस वक्त यह एक्ट होता तो शायद इसमें कुछ कार्यवाही कर सकते थे तो मजबूरी के अन्दर हमें, मैं भी उसमें शामिल था, 379 आई. पी. सी. की धारा लगानी पड़ी। आज भी वह केस अजमेर की कोर्ट के अन्दर विचाराधीन हैं। उसके अन्दर यह हुआ, हालांकि उसको, मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, यू. पी. एस. सी. ने बड़ी भारी गल्तियां की थी, शायद अब भी चल रही हो और विधान सभा के माननीय सदस्यों को ध्यान नहीं होगा कि ज्यूडिशियल सर्विसेज का जो पेपर था वह किस तरह आउट हुआ। मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : मत जाइये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : जरूरी है। राजस्थान के हित की बात है और हमारे को उस बात को ध्यान में रखना चाहिये। पेपर एक प्राइवेट प्रेस के अन्दर छपने के लिये भेजे गये। यू पी. एस. सी. के चेयरमेन अकेले को ध्यान में था। उस प्रेस के अन्दर आठ सौ रुपये का एक कर्मचारी था, वह राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को अकेला आदमी, आठ सौ रुपये के तनख्वाह उसको मिलती थी और वह तैयार करता था और वही लिफाफे में डालकर यू पी. एस. सी. भेजता था। एक आठ सौ रुपये के आदमी के ऊपर पूरे राजस्थान के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स का जो अपाइंटमेंट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कितनी भारी कमी थी। आफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लागू नहीं हो सकता था क्योंकि पब्लिक सर्वेन्ट वह था नहीं, प्राइवेट एक फर्म थी, वहां पर पेपर छपते थे और यू. पी. एस, सी. के चेयरमेन तक यह लिफाफे मे बन्द होकर आते थे और यह आठ सौ रुपये का आदमी लेकर आता था। आज पता नहीं, कौन सी स्थिति है, अभी यू. पी. एस. सी. में क्या हो रहा है या राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो रहा है। अगर यही स्थिति अभी भी है तो इससे राजस्थान के जो भी सर्विसेज के अन्दर आदमी आते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो जहां तक यह जो अधिनियम लाया गया है यह बहुत ही अच्छा है और उस कमी को, जो 78 के अन्दर हुई थी, उसे यह अवश्य दूर करेगा। और

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

भी कहना चाहता हूं कुछ। इसमें कुछ कमियां भी हैं। लॉ के आदमियों ने तो मेरे ख्याल से इसको तैयार किया नहीं। इसमें पब्लिक एग्जामिनेशन की जो डेफिनेशन दी गई हैं इसमें ओरल शब्द का कहीं एड ही नहीं है, इसमें रिटन वगैरह के अन्दर, ओरल भी तो इन्वीजीलेटर्स वगैरह जाकर बताते हैं कि यह यह है। वह भी उसमें शामिल होने चाहिये। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कहा कि बोर्ड के और यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन के लिये सजा तीन साल रखी गई है, मेरे हिसाब से यह तीन साल तो ठीक है लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज के एग्जामिनेशन्स होते हैं उसके लिये तो सजा इससे भी ज्यादा होनी चाहिये, मेरा यह निवेदन है। क्योंकि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वह अगर नकल करके किसी भी तरीके से, या तीन साल की सजा अगर एक आदमी के ध्यान में रख ली कि क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो जायेगी और वह इस तरह अगर आफेन्स करता है और उससे दो-चार ऑफिसर्स भी अगर आ जाते हैं तो उससे पूरे राजस्थान के अन्दर जो उम्र भर सर्विस करेगा, उससे कितना बुरा असर होगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन और भी कन्डक्ट होते हैं, इसमें सिर्फ शिड्यूल-3 के अन्दर दिया है Any examinations conducted by the Rajashan Public Service Commission or the Union Public Service Commission. इसके अलावा कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन और भी होते हैं, एल. डी. सी., यू. डी. सी. के, प्रमोशन टैस्ट वगैरह, उन सबको इसके परव्यू में नहीं लाया गया है, न शिड्यूल वन में आते हैं, न शिड्यूल टू में आते हैं, न थर्ड में आते हैं तो मेरे ख्याल से यह जो अधिनियम बनाया गया है वह जल्दी में बनाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि कम से कम यह दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाय ताकि इसका सबके ऊपर बराबर असर हो सके और वह जो सर्विस है उन पर भी कन्ट्रोल हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह ही हमने एक कानून पास किया था जिसमें सी. आर. पी. सी. के सेक्शन 21 के अन्दर अमेन्ड्मेन्ट किया था कि यूनीवर्सिटी के कोई प्रोफेसर या कालेज के टीचर्स जो भी इम्तिहान लेते हैं उनको राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में ला दिया जाये जिससे कोई छात्र का कोई आदमी जो अपना कार्य कर रहा है उसमें रुकावट आये तो उसको 186 के तहत सजा दे दी जाये। अब आज आप यह कानून ला रहे हैं और इस कानून में भी यह बात है ऐनी परसन रांगफुली रेस्ट्रेनिंग ऐनी परसन ने इसके तहत की सजा है। दोनों एक ही काम है। उसमें सजा दी है 6 महीने की या 500 रुपये जुर्माना की और इसमें सजा है 3 साल की या 5000 रुपये की। अब थानेदार साहब के मन में आ गई कि किसी को फेवर करने का है तो वह सी. आर. पी. सी. के 21 के तहत में कर लेगा और किसी के साथ में बदमाशी करनी होगी या उसको बहुत

(श्री रमाकान्त शर्मा)

तंग करना होगा तो इसके तहत कर लेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को एक और भ्रष्टाचार का मौका मिल जायेगा। जब आप यह कानून ला रहे थे जो इतना व्यापक है, जिसमें सारी बातें शामिल हैं, कोई रेस्ट्रेन करेगा, कोई रुकावट डालेगा, कोई यह करेगा कोई वह करेगा, कोई चीज छोड़ी नहीं है तो उस कानून को आपने 5 दिन पहले क्यों पास कराया था? क्यों हमारे सारे सदन का टाइम जाया कराया था और कानून की किताबों के अन्दर दो और किताबें जुड़वा दी गयी? जब विधि विभाग या कहीं भी जब इस तरह के कानून पास होते हैं, मैंने उस रोज भी निवेदन किया था कि हम काम्प्रेहेन्सिव तरीके से सोचते ही नहीं हैं। पीस मील तरीके से, एक पेचवर्क के तरीके से कोई नीचे से कागज आ जाता है और ऊपर तक चला आता है और विधान सभा के अन्दर पेश कर दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन आपसे यह है कि इस तरह के कानून को आप स्टेचु में रखते हैं। यह चीजें विदेशों के अन्दर जाती हैं और विदेशों के अन्दर जाती हैं और विदेशों के लोग यहां आकर जब वह मदारी और बन्दर आदि इस तरह की फोटो लेकर जाते हैं तो यह किताबें भी लेकर जाते हैं और इन चीजों को दूसरे देशों में बताते हैं कि वहां पर न कोई पढ़ाई है न लिखाई है और वहां तो नकल होती है वहां तो पर्चे आउट होते हैं और वहां पर तीन साल की जेल रखी गयी है। हमारे देश की जो इज्जत है, एक प्रतिष्ठा है वह दिन व दिन इस प्रकार के बेकार के कानून लाकर हमारी प्रतिष्ठा को हम गिरा रहे हैं। फिर एक बहुत अच्छी बात आई इस तरह की यू.पी. के बाद में कौन सा राजस्थान इतना डिस्टर्ब एरिया है? मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर तो कोई मुश्किल से कभी कोई चीज आती होगी। हमारे दूसरे जो प्रान्त हैं, दूसरे प्रान्तों के अन्दर तो पिछले बीसों साल से बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं कोई दूसरे प्रान्तों ने इस तरह की बात सोची नहीं। दूसरे और अच्छे काम थे, बहुत सारे दूसरी बातें सोचने की थी जो हमारे प्रान्त में विकास संबधित बातें हैं, हमारे प्रान्त में कोई ऐसी छात्रों के सिलसिले में या अध्यापकों के सिलसिले के कोई वन्स इन थ्री ईयर्स फोर ईयर्स कोई चीज होगी और उसके लिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि बहुत बड़े विचारक ने बात कही है कि राजनैतिक या राजनेता को समाज सुधार के काम में नहीं पड़ना चाहिए। यह काम समाज सुधारकों को देना चाहिए। राजनीतिज्ञ काम करेगा तो न तो समाज सुधार का काम कर सकेगा और न सत्ता का कर सकेगा, न सत्ता ही ठीक तरह से चला सकेगा। यह समाज सुधारकों का काम है और जो नेतृत्व के लोग हैं उनको इस तरह का एक वातावरण तैयार करना होगा हमारे छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए जिससे इस प्रकार की चीजें हमारे सामने नहीं आयें। अब इन छोटी-छोटी चीजों के लिए, इम्तिहानों के लिए आप कानून पास करने लगे, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक अर्ज करूं कि अमेरिका के अन्दर यदि मेडिकल साइन्स में जाना चाहते हैं तो पहले एक इम्तिहान हुआ करता था ई.सी.एफ.एम.जी. और वह हिन्दुस्तान में होता था। इस तरह की चीजें

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पैदा करके अब हिन्दुस्तान में नहीं होती। अब किसी को जाना है अमेरिका में मेडिकल साइन्स में जाने के लिए तो उसको इम्तिहान देने के लिए या तो बैंककाक जाना पड़ता है या फिर इम्तिहान देने के लिए फ्रेंकफर्ट जाना पड़ता है। यह चीजें पैदा कर दी गयीं तो बाहर के दूसरे जो फेलोशिप के एग्जामिनेशन हैं वह भी एग्जामिनेशन यहां पर नहीं होंगे। इसलिए इन चीजों के बारे में हमको बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखानी चाहिए और फिर मैं मेरे ख्याल में उधर से माननीय नत्थीसिंह जी ने कही थी या माननीय पंडित जी ने कही थी, मैं उनके साथ सहमत हूं। पंडित जी ने कही थी कि यह कानून भी बिल्कुल शारदा एक्ट की तरह से इनफेक्टिव पड़ा रहेगा। किस की हिम्मत पड़ी है, किस ने दूध पीया है कि बच्चों के मामले में इस तरह से जाकर कोई पकड़ेगा और जाकर उनको तीन साल के लिए बुक करेगा। कोई इन छात्रों के और अध्यापकों के मामलों के अन्दर पड़ने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपनी एक नेकनामी ले लीजिए कि हमने कानून पास कर दिया है। अब सारा का सारा टीपना टापना बन्द हो गया है इसलिए मैं बहुत पुरजोर शब्दों के अन्दर हृदय से आग्रह करता हू कि सरकार को इस कानून को वापिस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा,

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो यह बिल सदन में अभी पारित करने का प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम का। मैं थानागाजी से आने वाले माननीय से इत्तफाक करता हूं। इन्डियन पोनल कोड में अभी 5 दिन पहले आपने इसको आफन्स बनाया। काम्प्रेहेन्सिव बिल जब आप ला रहे थे और यह स्पेशल ला है तो अपने दो कानून के अन्दर इसको कागनीजेबल आफेन्स बनाया है, यह बैड ला है और मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों से भी सहमत हूं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अन्दर जो सबसे बड़ी मेलेडी है एण्ड वन आफ दी मेलेडीज है उपाध्यक्ष महोदय विद्यार्थी यह चाहता है कि मैं किसी तरह से डिग्री होल्डर बनूं और डिग्री होल्डर हायर मार्क्स के साथ बनूं ताकि मुझे, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य हायर मार्क्स वह इसलिए चाहता है कि उसको व्हाइट कालर जाब मिल जाये और व्हाइट कालर जॉब के लिए वह सभी प्रकार के प्रयत्न करता है और जब सभी प्रकार के प्रयत्न करता है तो आज नतीजा यह हुआ कि कई प्रांतों में यूनिवर्सिटी की डिग्री की सेंक्टिटी और क्रेडेबिलिटी कम्पलीटली इरोड हो गयी है। डिग्रीज की ही नहीं एग्जामिनेशन प्रोसेस की सेंक्टिटी को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि पूरे एग्जामिनेशन के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाये। अभी प्रभारी मंत्री जी गुरू के द्वारा एक गुरू ने यहां एक उदाहरण पेश किया और दूसरा गुरू है वह गुरू घन्टाल मिल गया सामने और क्योंकि एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम के अन्दर यह बीमारी आई है, यह विकृति आई है, यह मेलेडीज डीप चली गयी है, डीप इन्टू दी बाटम, और इसलिए आपके पास में अध्यापक नहीं। अध्यापकों की

(श्री परसराम मदेरणा)

हालत ग्राज यह है कि ग्राज किसी भी हायर सेकण्डरी स्कूल में देख लीजिए 60-60 ग्रौर 70-70 किलोमीटर से ग्रौर सौ-सौ किलोमीटर से यह लोग ग्रप-डाउन कर रहे हैं। ट्रेन का टाइम है 11.05 पर पहुंचने का ग्रौर शाम को मेल ग्रा रहा है बीकानेर वाला 3.30 बजे, हायर सेकन्डरी स्कूल दूर है करीब 5।। किलोमीटर ग्रौर एक ग्राधि घटा दस्तख्त करते हैं फिर वहां से भागते हैं ग्रौर जब मानिंग का टाइम हो जाता है उपाध्यक्ष महोदय तो स्थिति यह होती है कि सुबह छोटी छोटी गाड़ियां किराये पर लेते हैं। वह वहां खड़ी रहती हैं डेली। हायर सेकन्डरी स्कूल ग्रोसियां के ग्रन्दर स्कूल के पीछे गर्मियों के मानिंग टाइम में प्रति दिन बेगन में जाते हैं। वह बेगन लेकर वापिस ग्रा रहा है। इस चीज को ग्राप रोक नहीं सकते क्योंकि ग्राप ग्रभी खड़े होकर यह कह देंगे कि ग्राज मैं तो कानून दूसरा बना रहा हूं। ग्रांख मीचकर उत्तरप्रदेश वालों ने बनाया। ग्राप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो प्रोवीजन हैं वही, प्रोवीजन ग्रापने किये हैं ? ग्रौर ग्रगर ग्राप यह करना चाहते हैं तो ग्राप रिफाम कीजिए उसके ग्रन्दर। एजुकेशन सिस्टम के ग्रन्दर ग्राप इन्डियन पेनल कोड को स्पेशल लॉ से काग्नीजेबल नानबेलेबल पनिशेबल बनाने जा रहे हैं यह प्रवृत्ति सरकार की बहुत घातक प्रवृत्ति है। मैं यह जानता हूं कि इसमें बहुत से इनविजिलेटर्स सम्मिलित हो जाते हैं वह प्रभारी मन्त्रीजी इसलिए सम्मिलित होते हैं कि उनके ऊपर भी फोर्स ग्रौर दबाव रहता है। रिलेटिव्स का रहता है, फ्रेन्ड्स का रहता है, वैलविशर्स का रहता है ग्रौर इस तरह से वह उस दबाव के ग्रन्दर भी जाकर सख्त कार्यवाही जो उनको करनी चाहिए ग्रौर इनविजिलेशन ठीक ढंग से करना चाहिए वह नहीं करते हैं ग्रौर परिणाम यह होता है कि एग्जामिनेशन सेण्टर्स का एटमॉसफियर विसियेट हो जाता है मैं एक सेजेशन ग्रौर देना चाहता हूं ग्रापको। बैंकिंग सर्विस में जो रिक्रुटमेण्ट टेस्ट होता है उस रिक्रुटमेण्ट टेस्ट में डिफ्रेण्ट सैट्स ग्रॉफ मल्टिपल च्वाइश क्वेश्चन दिये जाते हैं किन्हीं 2 लड़कों के पास Not two students get the same set of questions. उनके पास दूसरे क्वेश्चन जाते हैं। ग्राप इस तरह की एग्जामिनेशन प्रणाली लागू कर दीजिए। कभी भी दो लड़कों के पास में एक तरह के क्वेचन नहीं जायेंगे ग्रौर कॉपी करने की ग्रौर दूसरी बात करने की ग्रौर बाहर भेजने की बात भी नहीं होगी। यह भी नहीं, ग्रापको एग्जामिनेशन के ग्रन्दर भी कुछ गड़बड़ियां रहती हैं क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के जो पूजनीय गुरू हैं, यह सब जानते हैं कि कई दफा यूनिवर्सिटी में मार्क्स एग्जामिन कराने की, री-एग्जामिन कराने की, मार्क्स को, कम्पीटिशन ठीक हुग्रा है या नहीं हुग्रा है, कई दफा गलतियां निकलती हैं, इसलिए मेरा एक सुझाव है, प्रभारी मंत्रीजी, कि ग्राप मार्क्स शीट को कम्प्यूटराइज कराइये ग्रौर कम्प्यूटराइज कराने के बाद में, क्योंकि मैं सिण्डिकेट का मेम्बर था, उस वक्त वहां पर दो मामले ऐसे ग्राये थे कि मार्क शीट को टैम्पर विद कर दिया गया है। ग्रगर टैम्पर विद के ग्रगेंस्ट में ग्रगर कोई प्रूफ चाहते हैं ग्राप, टेम्पर प्रूफ, तो कम्प्यूटराइज्ड मार्क सीट प्लेस करें। इसको लागू कीजिए, जिसको ग्राप नहीं कर रहे हैं ग्रौर

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा इसमें आप जो सुधार कर सकते हैं right at the stage of paper setting. पेपर सैटिंग के वक्त सरकार को विजिल रहना चाहिए और पेपर सैटिंग के वक्त भी नहीं right from the paper setting to the completion of examination. सरकार की तरफ से कोई विजिलेन्सी नहीं हैं। केवल यह सरकार तो आजकल एक ही बात कर रही है, जितने भी राजस्थान के अधिनियमों में जो पहले पनिशमेण्ट की पैनल्टी थी, चाहे वह पिक्यूनियरी पैनल्टी थी और चाहे वह टर्म की थी। पिछले 14 बिल्स के अन्दर से 10 में उन्होंने उस पैनल्टी को इक्रीज किया और आज भी कर रहे हैं। यह जो आप स्ट्रिन्जेंण्ट रेगुलेटरी मेजर लॉ जा रहे हो, यह डेमोक्रेसी की स्प्रिट के खिलाफ है। लम्बा-चौड़ा भाषण तो दे दिये जब सत्ता में आये कि टू/थर्ड की हम को मेज्योरिटी मिल गयी है और जो कुछ भी हम राजस्थान में अब कार्यवाही करेंगे उसमें बिल्कुल प्रशासन और जनता के बीच में खाई नहीं होगी, विधान सभा और सरकार के बीच में कोई खाई नहीं होगी, उसको हम बिल्कुल पाट देंगे और सरकार की सभी नीतियां जनता की भागीदारी में निर्धारित की जायेगी, यह हम आपको वचन देते हैं। यह गवर्नर का भाषण है, 16 मार्च, 1990 का। आपका आचरण बिल्कुल डाइमेट्रिकली अपोजिट है, आप बिल्कुल इसके प्रतिकूल चल रहे हैं। आपका आचरण प्रतिकूल है। आप अभी विधेयकों में और अधिनियमों में संशोधन करने जा रहे हैं, इसके अन्दर जो प्रावधान रख रहे हैं वह बहुत डेरोगेटरी रख रहे हैं, बहुत रेगुलेटरी रख रहे हैं, जनता को बहुत परेशान करने वाले और दुविधा में डालने का रख रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप एजुकेशन सिस्टम की मैलेडीज को समाप्त कीजिए। यह उसका कोई उत्तर नहीं है और अगर इस प्रकार का आप करना चाहते हैं, आप यह कानून लाये, यू.पी. में आ गया, यू.पी. वालों का हमने पेपर्स में पढ़ा था, यू.पी. में भी इस प्रकार का एक अधिनियम बना है इसलिए पीछे कैसे रहें और जब तक आप कोई भी कार्यवाही डिटरेण्टली साथ में करना चाहते हैं, साइमलटेनियसली मैंने और सजेशन दिये, उसके साथ....

श्री केदारनाथ शर्मा : यू.पी. अयोध्या का है।

श्री परसराम मदेरणा : अयोध्या वाला तो मामला अब लुप्त हो गया है वह। बैलेंस सीट में अगर इन्होंने इसको रख दिया न तो यह आपने अभी बार्सिलोना में लाइव देखा था न, एक नीचे चला जाता है और कोई सीधा, उसमें सीधे जायेंगे यह। करीबन नीचे पैंदे में।

श्री शान्तिलाल चपलोत : कल्पना के शीश महल में नाचे मन की कठपुतली.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कल्पना नहीं है, दी ग्राउण्ड और रियलिटी और वास्तविकता में बात करता हूं। कल्पना की दुनिया में तो, प्रभारी मंत्रीजी, आप विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अभी तो हम राज में हैं साहब।... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : वह परियां उड़ती आ रही हैं। वह पिक्चर थी "महल", उसमें परियां उड़ रही थीं। आप उस महल पिक्चर के एक्टर हैं। आयेगा आने वाला, वह। परियां उड़ रही थीं न, आने वाला आयेगा या नहीं आयेगा, सत्ता में आने वाला जो भी आयेगा वह इस पक्ष का आयेगा, उस पक्ष का तो नहीं आने वाला. यह मैं आपको फिर कहता हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं।

आप जो यह लाये हैं, यह कानून ऐसा है जिसे कोई एग्जामिनेशन सिस्टम के अन्दर अनफेयर मीन्स में सुधार होने के लिए नहीं बल्कि रेगुलेटरी और ऐरोगेटरी है और इसलिए मैं प्रिंसिपल ऑफ बिल के ऊपर बोलते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी। आप और कहेंगे, कल्ला साहब, आप तो कह चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक मिनट बोल लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने अपनी बात कही थी तो यह प्रभारी मंत्री ने जानना चाहा था कि राजस्थान में ऐसे कितने केसेज हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत और यूनिवर्सिटीज में जिसके कारण आपको यह बिल लाने की नौबत पड़ी? मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जो स्थिति यू.पी. की थी। एक तरह से नकल में भी अकल की जरूरत होती है लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से एक बिल पहले लेकर आये थे, नगर पालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण और यू आई.टी. एक्ट में परिवर्तन कर के इन्होंने जैसे कोई व्यक्ति का पुराना सात पीढ़ी का मकान है और वह अपनी खिड़की को भी बदल लेता है तो उसको 3 साल की सजा और खिड़की में जिस कारीगर ने ईंट लगाई है उसको भी सजा, जिसने खिड़की बनाई है, उसको भी सजा और जो खच्चर गाड़ी में लाया है, उसको भी सजा और उस मकान में कोई किरायेदार रहता है, उसको भी सजा, इस प्रकार का कानून यह बना रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक जे.डी.ए. का कानून बनाया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जे.डी.ए. का जो आपने कानून बनाया था उसके बाद हजारों कब्जे हो गये जयपुर में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय क्या हश्र हुआ था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह त्रिथड़ा करना पड़ा था, उस पर विचार हुआ और दूसरा ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : विथड्रा हो गया वह, दूसरा लाना पड़ा था आपको, आपके समय की याद दिला रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं है। आप तो धूल में लठ मार रहे हैं। आपको पता ही नहीं है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अभी पिछले बजट अधिनियम में जब बिल आया था, हम लोगों ने विरोध किया था तो राज्य सरकार के घुटने टिक गये और वह बिल वापस लेना पड़ा। उसमें जो प्रावधान किये थे, यह सब प्रावधान हमने वापस करवाये।.... (व्यवधान).... क्या आपने दिये हैं ? आप तो तासड़ी तोलो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, कल्ला साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भंग घोटो, भंग।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही मैं उसकी ताइद करता हूं कि हमारी परीक्षा प्रणाली में सतत सुधार की आवश्यकता है। एक वर्ष में एक परीक्षा हो, निश्चित रूप से उस परीक्षा में लाखों मे एक ही असामाजिक तत्व और दूसरे सोहबत के असर से कुछ लोग इस प्रकार की गड़बड़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसका एक कण्टिन्युअल इवोल्यूशन प्रोसेस बनाना चाहिये। परीक्षा प्रणाली मे आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों का ऐकेडेमिक कैलेण्डर विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली के कारण पूरे राजस्थान में लेट हो गया है। जहां जुलाई में कॉलेज खुल जाने चाहिये वहां पर आपके सितम्बर, अक्टूबर में पढ़ाई शुरू हुई है और आगे क्या होगा ? इसका तो कोई ऊपर वाला ही मालिक है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय और यह राजस्थान में ऐसी, जिसे आप बिमारी समझते हैं यह बीमारी हमारे विद्यार्थियों और अन्य लोगों में है नहीं, इसमें दुष्प्रेरण करने वाले कोई 10 व्यक्ति जाकर एक गैस पेपर कहीं से ले आये और कह दिया कि अमुक प्रोफेसर ने यह पेपर में एक प्रश्न बताया है और वह इत्तफाक से आ गया तो आप उस को 3 साल की सजा दे दोगे, इसलिये आप हाउस की एक कमेटी बना कर और उसमें आप हाउस की कमेटी के लोगों के विचार सुन कर....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सजा तो कोर्ट देगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सलेक्ट कमेटी हाउस की बना कर और उसकी राय लेकर फिर इस बिल को आप एक नये रूप में लायें ताकि जो परीक्षा प्रणाली में कमियां हैं, उनको सुधारा जा सके। राजस्थान में खास तौर से इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसको आप पारित नहीं करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने लाया गया है, मैं समझता हूं राजस्थान में जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने इस बिल को लाते वक्त यह महसूस नहीं किया कि जिस बुराई के लिये वह ला रहे हैं, उसको उन्होंने दूर करने में क्या किया ? अगर उस चीज में कुछ भी प्रयत्न किये होते और उसमें आपको नाकामयाबी होती तो मैं समझता हूं कि वाकई आप बिल ले आये। आपने उस तरफ कोई प्रयत्न नहीं किया। एजूकेशन सिस्टम में वही सिस्टम है। उसको

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बिगाड़ा है आपने। जो क्लासेज हैं, अभी तक क्लासेज नहीं लगी। उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में अभी क्लासेज कोई शुरू नहीं हुई। किसी भी टीचर ने आज तक एक भी पीरियड नहीं लिया, क्या चिन्ता की बात नहीं है? अक्टूबर आने वाला है और एक भी पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ, कहीं पढ़ाई शुरू नहीं हुई, कोई टीचर पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे। आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के लिये आप यह बना रहे हो कि उस एग्जामिनेशन में गड़बड़ी न हो। पर एग्जामिनेशन हो कैसे? उसकी पढ़ाई हो कि न हो, उसके लिये क्लासेज लगे, या न लगे, यह आप ध्यान नहीं देते हो और आपकी सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। इस बात से दूसरे शब्दों में मैं समझता हूं एजूकेशन के अन्दर आपका प्रशासन, चाहिए तो यह था कि एजुकेशन के अन्दर एक्जिक्युटिव का कोई दखल न हो और उसके बजाय आप पुलिस का दखल कर रहे हैं। आप एग्जिक्यूटिव छोड़ो, आप तो पुलिस के संरक्षण में हो, पुलिस को पूरा हक होगा। वह वहां जायेगी। सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं पकड़ेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह उनको भी पकड़ेगी जो परीक्षा लेते हैं। उनको मदद करना नहीं, आपने मदद की, आपने गड़बड़ी करवायी, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप सजा देकर इस सारे सिस्टम में जो उम्मीद करते हैं निश्चित तौर से सजा से इस तरह का जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन की कोई उम्मीद हो नहीं सकती। एक बड़ा कानून परिवर्तन हुआ है हमारे देश में नारकोटिक्स में। नारकोटिक्स में पहले मामूली सी बात थी और आज जो एण्टी नारकोटिक्स एक्ट बनाया, उसमें 20 साल की सजा, ट्वन्टी ईयर्स इम्प्रीजनमेंट और एक लाख रुपये जुर्माना, इससे रुक गया? क्या आप समझते हैं नारकोटिक्स का सेवन लोगों ने कम कर दिया। अफीम उतनी ही मिलती है। अफीम उतनी ही बिकती है। अफीम उतनी ही स्मगलिंग होती है, खाते हैं लोग। इसलिए आप समझते हो कि सजा देकर, आपको चाहिए यह था, एजुकेशन जैसी चीज है, मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में अगर कोई सबसे बढ़िया सिस्टम है तो जज ए मैन। वह उसको एक घण्टे में से एग्जामिनेशन्स दे दें, कोई पेपर दे दें और उससे उसकी नोलेज जज हो जायेगी, उस हिसाब से दे दें। दुनिया में सबसे बढ़िया जो सिस्टम माने जाते हैं वह ग्रेडिंग के सिस्टम हैं और उनके पढ़े हुए यूनिवर्सिटियों और उन कालेजेज के पढ़े हुए विद्यार्थी आज दुनिया में बहुत बड़े-बड़े साइन्टिस्ट, बहुत बड़े विद्वान और समाज के बहुत बड़े लोग माने जाते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में सिस्टम यह है कि बहुत कम एग्जामिनेशन लिया जाये और ज्यादा उनको जज किया जाये। उनको जज करके नम्बर दिये जायें। आप उस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं? आपने यह ध्यान दिया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अन्दर जो शिक्षा दे रहे हैं, वह किस तरह के लोग हैं। यहां तो एक व्यापार हो गया, धन्धा। बिजनिस हो गया है बिल्कुल और सारी चीज बिकने लग गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिसने इस सिस्टम में कोई चैक लगाया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देऊंगा, यह आज से 20-25 साल पहले, 18-19 साल पहले सबसे बड़ा रोग बंगाल में था। तीन तीन साल एग्जामिनेशन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नहीं होते मेडिकल के, इन्जीनियरिंग कालेजेज के। बिल्कुल गुण्डागर्दी होती थी। बम लेकर जाते थे अन्दर विद्यार्थी और बम रख कर नकल करते थे। पूरा का पूरा हाउस जो है, हॉल जो है जहां एग्जामिनेशन ले रहे हैं। पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अन्दर किसकी हिम्मत है। अब भी क्या करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह शुरू हो गया तो आपका कानून क्या काम आयेगा। उस सिस्टम को बंद करने के लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। आज बंगाल की असेम्बली या बंगाल की सरकार ने उस परिवर्तन को करने के लिए कोई कानून सजा देने का नहीं बनाया। विद्यार्थियों को सजा दी जाये या डण्डे का इस्तेमाल किया जाये। उन्होंने उस सिस्टम में चेंज किया। उन्होंने यह तय किया कि कालेज के अन्दर यह शिक्षक नहीं पढ़ायेगा। जो शिक्षक नहीं जायेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो कालेज नहीं लगेगा, उसको सरकार गारण्टी देगी कि हर हालत में पहले साल के अन्दर चार महीने, साढ़े चार महीने क्लासेज लगें। आप यह गारण्टी दे रहे हैं? आप क्या हाउस के अन्दर यह गारण्टी दे सकते हैं? माननीय शिक्षा मन्त्री जी बैठे हैं, इनसे गारण्टी दिला सकते हैं कि साल में 15 पीरियड भी लगेंगे या आप गारण्टी देने की हालत में नहीं हैं कि किसी क्लास में साल के अन्दर 10 घण्टे भी कोई पढ़ायेगा। जब यही गारण्टी नहीं दे सकते तो एक कानून लाने से शिक्षा में सुधार हो जायेगा, मैं समझता हूं सिर्फ यह प्रचार है और प्रचार ही नहीं है, यह आपके खिलाफ भी होगा। यह जो आप समझते हो कि इससे कोई अच्छाई आ जायेगी, या आपका बहुत नाम हो जायेगा कि आपने उनको सजा दिला दी इतने विद्यार्थियों को, इससे सुधार हो गया, मैं समझता हूं सबसे बड़ी लानत होगी।

सरकार और परसराम जी ने सही कहा है कि इस सरकार की निगाह में एक ही चीज आ गई सजा बढ़ाओ, जुर्माना बढ़ा दो। मेरी समझ में एक तो बिल यहां ऐसा डिसकस हुआ जिसमें यह कह दिया महंगाई बढ़ गई इसलिये जुर्माना बढ़ा। महंगाई इसमें तो बढ़ गई, पर सजा जो छह महीने थी, उसको तीन साल करदी, उसमें महंगाई बढ़ गई। यह तो महंगाई बढ़ गई तो फिर घटाना चाहिए। सजा में तो महंगाई आ गई, इसमें तो घटाना चाहिए। तो इसलिए आपका नजरिया यह नहीं है। आपका साइंटिफिक एप्रोच है ही नहीं। आपने इस का अध्ययन किया ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में इस तरह के प्रोवीजन आने, इस तरह पुलिस का दखल देने से, मैं समझता हूं आपने अपने घोषणापत्र में और आपने जनता के सामने शिक्षा के बारे में जो नीति तय की थी, या इस देश में जो प्रचार किया था, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने तो यह वायदा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में पुलिस का दखल कम से कम होगा, सरकार का दखल कम से कम होगा। आज तो सरकार का दखल तो है ही, मैं समझता हूं सरकार तो चाहे जिसको मर्जी आये डिग्री दे दे। मर्जी आये जो कुछ कर दें। आप तो सारा कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। बात सही है। प्रभारी मन्त्रीजी बोल रहे थे। आप तो लिख रहे हैं सारा ही। यू.पी. के अन्दर, मध्य प्रदेश में तो पूरी ही टैक्सट

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बुक बन्द हो। अकबर को कुछ बना रहे हो, बाबर को कुछ बना रहे हो और किसी को कुछ बना रहे हो। हो सकता है हिन्दुस्तान के अन्दर सारा इतिहास ही बदल हो। आप सब कुछ परिवर्तन कर रहे हो। वह कोशिश, मैं समझता हूं आपने जो जनता से वायदा किया, वह करने के बजाय आप हमारे प्रदेश में दंगा और करा रहे हो। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को तो आप वापस ले लो और माननीय मन्त्रीजी दूसरे बैठे हैं, उनसे इस तरह का प्रपोजल रखो राज्य सरकार की तरफ से कि जिससे यह हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, एग्जामिनेशन का सिस्टम ठीक हो। हमारे शिक्षक इतने ऊंचे स्तर के हो कि वह अपने कलम से जो लिख दें, वह छात्र वाकई उस योग्यता का हो जैसा वह लिखें। यही सबसे बड़ी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अपनी स्प्रिट, जो स्प्रिट उनकी पार्टी की रही है। जो उन्होंने वायदा किया, उसके मुताबिक वापस लेंगे और हाउस में इसके पास करने पर जोर नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने क्लाज टू में और शिड्यूल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, यू. पी. एस. सी के जो एग्जामिनेशन हैं, उस सम्बन्ध में भी सजा का और जुर्माने का प्रावधान रखा है और इसके शिड्यूल में पब्लिक एग्जामिनेशन में इनक्लूड किया है। मैं यह जानना चाहूंगा क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको इस प्रकार से एमपावर किया है, या इस प्रकार का कोई निर्देश दिया है कि आप यू.पी.एस.सी. के एग्जामिनेशन को भी पब्लिक एग्जामिनेशन मान कर के और उसके लिये इस प्रकार का अधिनियम लागू कर दीजिये। उसके प्रावधानों में यू.पी.एस. सी. को भी रख दीजिये, ऐसा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी।

डा. रतनलाल जाट (उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा मन्त्री होने के नाते मैं भी माननीय सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम के विधेयक के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और उसमें खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि ऐसी दो-तीन सालों में क्या परिस्थिति हो गयी जिसकी वजह से राज्य सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाने की जरूरत पड़ी। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मैं पिछले तीन सालों के आंकड़े परीक्षाओं में अनफेयर-मीन्स यूज किये उनके अगर मैं पढ़ कर सुनाऊं तो सदन का काफी समय लग जायेगा। मैं केवल इसी वर्ष 1992 के कुछ आंकड़े अनफेयरमीन्स के आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनेशन में 6 हजार 95 अनफेयरमीन्स के केसेज हुये 1992 में। राजस्थान विश्व-विद्यालय में 881 केसेज हुये, अजमेर यूनि-वर्सिटी में 475 हुये, लोक सेवा आयोग में 5 अनफेयरमीन्स के केसेज हुये हैं 1992 में बोर्ड आफ सैकण्डरी एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन पेपर आउट हुये हैं। 1989 में

(डा. रतनलाल जाट)

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 12 क्वेश्चन पेपर आउट हुए हैं और 1992 में जो मारपीट की बात हुई थी, 9 प्रकरण मारपीट की जानकारी में आये हैं। इस दृष्टिकोण से यह बड़ा आवश्यक हो गया, मैंने केवल 1992 के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। अगर हम पिछले दो सालों के भी आंकड़े देखें तो यह प्रतीत होता है कि वास्तव में अनफेयरमींस काफी बढ़ गया है। प्रशासन और विश्वविद्यालय और बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन बार-बार....

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। यह पेपर आउट के केसेज किस स्टेज पर हुए हैं....(व्यवधान)...क्या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के स्टेज पर होते हैं। चूंकि सजा का जो प्रोविजन है वह यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी आते हैं वह इसमें नहीं है। चान्सलर, स्टेट मे यदि कोई पेपर आउट होता है .. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। सारे इसमें इन्क्लूड है।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था, मैंने केवल एक वर्ष के आंकड़े पेश किये हैं। पिछले जब तीन सालों के आंकड़े देखें तो वास्तव में हमें यह लगेगा कि राजस्थान में विभिन्न परीक्षायें, शैक्षणिक हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो उन सब में इस प्रकार का कदम उठाना राज्य सरकार के लिये आवश्यक हो गया था। परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन द्वारा, आर.पी.एस.सी. द्वारा और यू.पी.एस.सी. द्वारा और विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है लेकिन इन सब बातों से यह प्रतीत होता है कि परीक्षा की विशिष्ठता पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय, बोर्ड सब बराबर प्रयत्नशील हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार हो लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी आ गयी थीं, इस बिल को लाना बड़ा आवश्यक हो गया था। मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ बताना चाहूंगा कि 8 अगस्त को दिल्ली में मानव संसाधन केन्द्रीय मन्त्री माननीय अर्जुनसिंह जी की अध्यक्षता में सैण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन की जो बैठक हुई थी उसमें मैंने स्वयं ने हिस्सा लिया और उस समय सभी राज्यों से आने वाले शिक्षा मन्त्रियों ने और शिक्षाविदों ने इस बात को स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया गया है नकल रोकने का वह प्रशंसनीय कदम है और सराहनीय कदम है सरकार का। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं माननीय सदस्यों से सूचनार्थ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कल ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन जो जयपुर में आये हुए हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने भी राजस्थान सरकार द्वारा आज जो यह विधेयक लाया गया है उसकी उन्होंने बड़ी सहाहना की कि राजस्थान सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का विधेयक इस हाउस के माध्यम से लाने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ...

श्री परसराम मदरणा : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपकी इतनी तारीफ करता हो और आपकी प्रशंसा के पुल बांध दिये तो ग्रांट तो ले लेते।

श्री नत्थी सिंह : आप समग्र विधेयक लाते तो आपकी और ज्यादा प्रशंसा होती।

श्री शान्तिलाल चपलोत (राज्य मन्त्री, विधि) : कैसा ही मामला हो केन्द्र सरकार हमारी सराहना कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : जाट साहब आप बोलना चाहेंगे कुछ और।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और पूछ लूं। क्या हम यह आश्वस्त हो जाय कि भविष्य में अगले वर्ष जितने उन्होंने आंकड़े बताये हैं उसमें घटोतरी होगी या बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो काल्पनिक सवाल पूछा है आपने।

श्री रमाकान्त शर्मा : यह विश्वास दिला दें या इसमें 10 पर्सेण्ट कटौती होगी। कुछ तो आश्वासन दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : इस बिल के अन्दर यह कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस बिल में एग्जामिनी, इन्विजीलेटर या who is conducting the examinalion एग्जामिनर, इनको तो आपने बनाया है, पेपर सेंटर, पेपर प्रिंट करने वाले उसके बाद पेपर आउट करने वाले इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन का मामला है लेन-देन वाले और हेराफेरी वाले जैसे हुआ कि नहीं इधर से उधर 26 का। इस तरह का जो मामला होगा उसके लिये आपने क्या इसमें प्रावधान रखा है। कोई प्रावधान नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपका मार्गदर्शन इसमें चाहेंगें।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि इस विधेयक के पास होने के बाद इसका क्या फ्यूचर में इस प्रकार का अन्दाजा लग सकता है कि इसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो सार्वजनिक परीक्षा नकल विरोधी अध्यादेश, 1992 और बाद में जो विधेयक लायी है उसके बारे में उसका क्या असर रहा। उसके बारे में मैं आंकड़ों में आपको बताना चाहूंगा, 1992 का बता रहा हूं, इस वर्ष 18.63 लाख छात्रों में से 2.3 लाख छात्र ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर पाये हैं यानी पिछले वर्ष 48.4 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे और इस बार यह प्रतिशत 14.7 ही रहा है। इण्टर मीडियट का नतीजा थोड़ा बेहतर था। इसमें 7·64 लाख छात्रों में से सिर्फ 2·11 लाख ही उत्तीर्ण कर पाये। यह आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि वास्तव में इस अधिनियम का, इस विधेयक का बहुत ही ज्यादा प्रभाव हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : It is a sad comment on the whole educational system in Uttar Pradesh. आप क्या बात कर रहे हैं। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि इनके पास कोई असेस्मेण्ट नहीं है। आपने जो इन्स्टीट्यूट बनाया You are a technocrat. उस इन्स्टीट्यूट, कम्प्युटर के अन्दर कल से ही डालने शुरू कर दो कागज।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री शान्तिलाल चपलोत : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये, माननीय नत्थीसिंह जी साहब ने भी सुझाव दिये और कहा कि आधे-अधूरे मन से....

श्री परसराम मदेरणा : आपको क्या मालूम है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैंने ही कहा था आपको। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हों, बिल मैं ही लाया हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सोचा था कि (Interruption) आप पहले इन्टरवीन कर रहे थे। यह कम्युनिकेशन हो रहा है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : बिल मैं लाया हूं। तो आपने यह फरमाया कि आधे-अधूरे मन से लाये हैं और यू. पी. गवर्नमेंट की और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की नकल की है। कल्याण सिंहजी की भैरोंसिंहजी ने नकल की है ऐसा आपने फरमाया। नहीं हम तो नत्थीसिंह जी की नकल कर रहे हैं। हम तो सिंहों के मिश्रण में, हम तो सिंहों के बीच में बात कर रहे हैं और शेर की तरह ही पेश आयेंगे। अगले समय आपको इतना भ्रष्टाचार नजर नहीं आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा भ्रष्टाचार ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : इस एग्जामिनेशन का।

एक माननीय सदस्य : कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : Paper setting paper out इस प्रकार का भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय मदेरणा साहब ने यह कहा था कि पैसे का लेनदेन क्या होगा, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कम से कम इस बात के लिए तो आभार प्रदर्शित करना चाहिये कि इन्होंने यह कहा कि इस समय जो भ्रष्टाचार है उससे कम नजर आयेगा। इसका मतलब अभी तो है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि 1989 के वर्ष में जब मदेरणा साहब रुलिंग में थे उस वक्त....(व्यवधान) मदेरणा साहब का मतलब पार्टी उनकी आपकी पार्टी से मतलब है मेरा ...

श्री परसराम मदेरणा : Unfortunately the Minister-in-charge should know that I was not a Member of this August House from 1985-90,

श्री शान्तिलाल चपलोत : मुझे बड़ा खेद है कि आप अपनी पार्टी को अपना नहीं मान रहे हैं, पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो 1989 में 12 प्रश्न पत्र आउट हुये। यह हमारे लिये एक अलार्मिंग सिच्युएशन है।

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

हमारी सैंक्टिटी खत्म हो रही है कि हम किसी प्रकार अच्छे एग्जामिनेशन कण्डक्ट कर सकते हैं क्या ? सारे राजस्थान का नाम एजुकेशन के मामले में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पिछले ढाई साल में सौ से ज्यादा प्रश्न पत्र आउट हो गये, ये क्या बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिये प्लीज।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं आंकड़े दे रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यूनिवर्सिटी तो ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेण्ट का इससे क्या लेना देना ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : प्रश्न पत्र आउट करने का कम्पिटीशन कर रहे हैं क्या ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में 9 प्रश्न पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय में आउट हुए, 1991 में नहीं हुए। 1992 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 हुए। 1990 में 810 केसेज अनफेयर मिस के राजस्थान विश्वविद्यालय के पकड़े। 1991 में 840 और 1992 में 882, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में 381, 611 और 475. कल्ला साहब ने अलग-अलग पूछा है इसलिये बता रहा हूं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 1990 में 134, 1991 में 184 और 1992 में 86. कोटा खुला विश्वविद्यालय में 1989 में 68, 1990 में 149 और 1991 में 65. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में एक और दो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में 1992 में 4। कुल मिलाकर 1992 में पकड़े गये लोग 6095. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी आपको बताया, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में इस वर्ष। मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि जब लगातार 3-4 साल का आंकड़ा हमारे पास है तो यह हमारे लिये सफीशिएण्ट ग्राउण्ड है कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। एक लड़का इम्तिहान देने के पहले चाकू लेकर टेबल पर बैठता है, अध्यापक को धमकाता है, पैन में या पेन्सिल में कोई न कोई चीज डालकर नकल की चेष्टा करता है–यदि इन तरीकों को रोका नहीं जायेगा तो, माननीय मदेरणा साहब ने कहा व्हाइट कॉलर क्लास बनाना चाहते हैं ...

श्री परसराम मदेरणा : पहले वर्क लोड तय कीजिए एजुकेशन इन्स्टीट्यूशंस में। वर्क लोड तय नहीं, टीचर वहां पर मौजूद नहीं। You are also a white collar.

श्री शान्तिलाल चपलोत : आगे-आगे देखिये होता है क्या। आप सुनते तो जाइये। आपने फर्माया था इसलिये कह रहा हूं। आपने यह कहा था कि व्हाइट कॉलर क्लास....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको पूरा सुनें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और उसी बात को कह

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

रहा हूं। व्हाइट कॉलर क्लास पैदा हो रही है इसलिए हो रही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें। रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा : व्यवधान नहीं, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। टोटल नम्बर आफ आफेंसेज इन्होंने बताए हैं, 800-900-2000-6000 तो बता दिये, लेकिन 10 लाख छात्र बैठते हैं उनके अन्दर दो हजार या आठ सौ कितना प्रतिशत होता है ? अलार्मिंग कैसे है, यह बताएं आप।

श्री शान्तिलाल चपलोत : जो पकड़े जाते हैं वे ही तो नाम आएंगे। जो नहीं पकड़े जाते हैं हजारों की संख्या में ऐसे भी रह जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की किसी चीज को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। किसी भी हालत में नकल को, चाहे उसमें अक्ल लगाई गई हो या नहीं, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये, जैसा कि माननीय कल्ला साहब ने कहा कि नकल में अक्ल की जरूरत होती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो आपके लिये कहा था कि आपने बिल की नकल की है। थोड़ा अक्ल से करते, यह कहा था।

श्री शान्तिलाल चपलोत : हमने किसी की नकल नहीं की है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छी बात की नकल भी अच्छी होती है। अच्छी बात की नकल करना कोई बुरी बात थोड़े ही होती है।

श्री परसराम मदेरणा : ये एग्जामिनेशन की नकल की नहीं कर रहे हैं। आपने नकल उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की की है, आप शान्ता कुमार, चीफ मिनिस्टर आफ हिमाचल प्रदेश की नकल कीजिए। पूरी आपकी नकल हो जायेगी, दो की की है, तीसरी स्टेट की भी कर लीजिये आप।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी के कार्य और कार्य शैली की नकल सारे हिन्दुस्तान में हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर तक नकल कर रहे हैं। क्या बात कर रहे है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि जो लोग नकल करते हैं विश्वविद्यालय उनको 3-4 साल के लिए डिबार कर देता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप चार बार बोल चुके हैं, अब थोड़ा सुनने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं कि पहले से ही इस तरह का प्रावधान है। यह 0.0001 प्रतिशत भी नहीं है, ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ओरल एग्जामिनेशन का इसमें नाम नहीं है। Examination includes every examination, धारा 2 (बी) में यह बहुत स्पष्ट किया हुआ है। काफी इसमें डिबेट हो चुकी है, आपके बहुमूल्य सुझाव आ

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

चुके हैं....(व्यवधान).... एक मिनट, ठहरिये तो सही। शिड्यूल में आपने कहा कि आर. पी. एस. सी. और यू. पी. एस. सी. को भी लिया जाय। जब इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी कि और किसी एग्जामिनेशंस में भी अनफेयर मींस हो रहे हैं, किसी भी श्रेणी में हो रहे हैं तो उनको बाद में देख लिया जाएगा। अब आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : Every type of examination ? You are misleading the House. कैसे कर लोगे आप ? ओरल आज मैं ले रहा हूं I am the examiner. मैं चुपचाप एक क्वश्चन बता देता हूं। वह न तो आउट होगा न नोटिस में आएगा और न उसका काग्निजेंस लिया जा सकता है। काग्निजेंस नहीं लेंगे तो आफेंस नहीं बनेगा और आफेंस नहीं बनेगा तो वेलेबल आफेंस कैसे होगा ? इसका कोई प्रावधान नहीं है। Examination is always a written examination. आप पढ़िये लेंग्वेज को अच्छी तरह से। ओरल एग्जामिनेशन को आप कैसे इन्क्लूड करते हैं ? इसके ओरबिट में आप ला रहे हो; गलत ला रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : नो

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं, बिराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार अगेन पढ़ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, प्रभारी मन्त्री श्री भंवरलाल शर्मा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम नारायण जी वर्मा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा (निनवां) : राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी (सैकण्ड अमैण्डमैण्ट) बिल, 1992 कुछ सैक्शंस में अमैण्डमैण्ट के लिए पेश किया गया है। कुछ दिन पहले कुछ नगर पालिकाओं को पंचायत में कन्वर्ट किया गया। अब जो बिल पेश किया जा रहा है वह बाकी बची हुई नगर पालिकाओं पर तलवार लटकाने समान स्थिति पैदा की जा रही है। इसमें कोई इस तरह का नहीं कहा गया है कि कितनी आबादी तक नगर पालिका रहेगी। डैफिनिशन जो दी गयी है....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे संशोधन का।

(6.00 म.प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका प्रस्ताव आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, इसी में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान म्यूनिसिपल (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1992 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं जो आज की कार्यसूची में क्रम 3 पर हैं। पढ़ देता हूं

(a) In sub-clause (c) of clause 2, for the "Explanation II" as being inserted by the sub-clause, the following be substituted namely :-

"References in any provision of this Act, including these construed in Explanation- I as being references, to a council or a municipal council or to a councillor, officer or servant of a council or a municipal council or to the president, vice-president or municipal commissioner of a council or a municipal council shall, in the case of a city where a municipal corporation is established under this Act, be construed as being references respectively to such corporation or to a carporater, officer or srvant of such corporation or to the mayor. deputymayor or commissioner of such corporation unless such construction is repugnant to the subject or context."

Insertion of clauses 6-A, 6-B and 6-c

(b) after the existing clause 6, the following new clauses be inserted, namely :-

"6-A. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 38 of 1959.-

After the existing sub-section (15) of section 65 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted namely :-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"(16) The mayor of a corporation may receive out of the municipal fund such monthly emoluments, all owances and facilities as may be prescribed."

"6–B. Amendment of section 68, Rajasthan Act No. 38 of 1959.–

After the existing sub-section (2) of section 68 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :–

"provided that in relation to a corporation this sub-section shall have effect as if the words "the collector of the district and" were omitted therefrom.", and

"6-C. Amendment of section 170, Rajasthan Act No. 38 of 1959.–

After the existing sub-section (12) of section 170 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :–

"provided that in relation to a corpoation, this sub-section shall have effect as if for the expression "the Collector" the expression "the state Government or such officer as may be authorised by it in this behalf" were sub stituted therein."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव की प्रतियों का वितरण

श्री प्रेमसिंह बहिया : पाइण्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्षजी, जो हमको यह म्यूनिसपेलिटी अमेंडमेंट एक्ट, 1992 दिया गया है, उसके अन्दर जो अभी माननीय मंत्रीजी ने पढ़कर सुनाया, जो बाद के अन्दर जोड़ी गई, इसका एक्सट्रेक्ट हमको नहीं दिया गया है। जो बाद में उद्धृत मूल एक्ट को किया जाना चाहिये। तो या तो इसको साथ लिखा जाना चाहिये था तो हम उसको समझते और उसके अनुसार करते। यह जल्दी में लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुबारा ले आये, और कभी ले आये। इसमें जल्दी क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यसूची में प्रसारित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल पहले इण्ट्रोड्यूस हो रहा है। ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्यसूची में यह तो दे दिया गया है, यह बात सही है लेकिन इससे सम्बन्धित धाराओं का एक तरीके से सारांश देते हैं, वह धाराएं मूल एक्ट की देते हैं। वह इस में नहीं दी हैं वे देनी चाहिये थी। ....(व्यवधान) नहीं दी गई हैं। यह जो अमेंडमेंट एक्ट देते हैं,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसके साथ दूसरी धाराओं के बारे में कोट किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो एक्ट में लिखा हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक्ट हमारे सारों के पास तो नहीं हो सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको कल रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक्ट तो ऐसा है, आप लाते अगर इतने आप पर्टिकुलर है, विशेष रूचि रखते हैं। आपको लाना चाहिये। अब इसमें कितने एक्ट आते हैं... (व्यवधान) जो संशोधन लाया गया है, जो संशोधित बिल है, उसके अन्दर कोई अमेंडमेंट पेश किया है इन्होंने तो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन धाराओं में अमेंडमेंट करते हैं, उन धाराओं को सप्लाई करते हैं यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह तो परम्परा रही है। वह तो दे रखा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह परम्परा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी वर्मा।....(व्यवधान) आप कह चुके अपनी बात को।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप मुझे सुन लें उसके बाद...। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो कह रहे हैं, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। मंत्रीजी ने जो कहा है, उससे हमको कोई गिला नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि इसके अन्दर एक्ट का जो एक्सट्रेक्ट है, जो सारांश है, वह इसके साथ में इसलिये लिखा जाता है कि हर विधायक के पास में एक्ट उपलब्ध नहीं होता। लाइब्रेरी में भी एक ही है। सुविधा को देखते हुए यह किया गया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो धाराएं जोड़ी गई है, जो 65 इस एक्ट की जोड़ी गई है, इसी तरह इस एक्ट की धारा 68 जोड़ी गई है, इसी तरह इस एक्ट की धारा 170 का कुछ संशोधन किया गया है। हमारे पास जब इसके एक्सट्रेक्ट ही नहीं है, हमारे पास एक्ट ही नहीं है, हम उसके ऊपर क्या विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : एक्सट्रेक्ट तो बिल के साथ दिया जाता है। यह बिल के साथ दिया जाता है, यह तो केवल अमेंडमेंट है उसी बिल में।

श्री प्रेमसिंह दहिया : और क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या, बिल क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, लाइब्रेरी में हम गये, वहां पर इतने बिल ही नहीं हैं। एक-आध बिल पड़ा रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल तो पहले पेश किया हुआ है। बिल तो आलरेडी इण्ट्रोड्यूस किया हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन धाराओं में संशोधन इन्होंने दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : वह आपको दे दिये कार्यसूची में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनके एक्सट्रेक्ट तो हमारे पास है नहीं। अब यहां

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। मंत्रीजी, प्राइवेट मेम्बर में और गवर्नमेंट में फर्क है। अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी मेम्बर से आप अमेंडमेंट दिलवा देते, उसके देने के बाद में अमेंडमेंट असेप्ट कर लेते। वह एक अलग सिचुएशन होती। लेकिन एक अलग अमेंडमेंट जो आप प्रपोज कर रहे हैं, वह गवर्नमेंट का अमेंडमेंट है। Then it becomes part of the Bill. जो अमेंडमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं that becomes part of the Bill. और पार्ट आफ द बिल हो गया तो जिस सैक्शन में आप अमेंडमेन्ट कर रहे हैं, उस सैक्शन का एक्सट्रेक्ट देना जरूरी है। ये स्टेट्यूटरी पोजिशन है। आप समझ गये? यह अमेंडमेन्ट आप प्राइवेट मेम्बर से दिलवा देते और आप एक्सेप्ट कर लेते। अगर आपको इतना ही रश-थ्रू करना था अक्ल लगा के करते। आप तो यह कर ही नहीं सकते। .. (व्यवधान) उसमें एक्सट्रेक्ट नहीं देना पड़ेगा प्राइवेट मेम्बर्स के लिये, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अपन देते हैं उसका एक्सट्रेक्ट देते हैं अपन? लेकिन प्राइवेट मेम्बर तो दे ही नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके विचारार्थ एक बात बहुत जरूरी बतानी है। यह जो बिल के अन्दर अमेंडमेन्ट सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, इन पेरामीटर्स के भीतर-भीतर हम लोग अमेंडमेन्ट दे सकते हैं और उसके बाहर कोई अगर अमेंडमेन्ट देना चाहे दूसरे सैक्शंस के अन्दर एग्जिस्टिंग एक्ट के अन्दर तो हम नहीं दे सकते इस बिल के अन्दर। मंत्रीजी, Kindly correct me. Since Mr. Bhanwarlal Sharma is a minister, he is Government. So he has a prerogative. कि यह एडिशनल अमेंडमेंट ले आते। तो जो यह एडिशनल अमेंडमेंट आता है that become part of the Bill. और बिल कम्पलीट तभी होगा जब एक्सट्रेक्ट देंगे आप।

तो इसलिये जो अमेंडमेंट आपका है वह तो बिल का पार्ट हो गया। हम तो मूव कर ही नहीं सकते। आप बेसिक डिफरेंस समझिये। इसलिये आप अपने आप को एक्वेट मत कीजिये मेम्बर्स से। आपके लिये यह स्टेटयूअरिली मेंडेटरी एण्ड रिक्वायर्ड है कि आप यह प्रोवाइड करें, उसके पहले टेक-अप नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है आपसे क्योंकि आप व्यवस्था देते समय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है, आपकी व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में कोट की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में यह विषय आया है जब बिल चर्चा में आ जाता है और सारा हाउस यह समझता है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाय तो प्रभारी मंत्री ऐसा अमेंडमेंट मूव कर देते है तो कौनसा एक्सट्रेक्ट देते हैं साहब। यह परम्परा कोई ऐसी नहीं है कि कभी नहीं हुई हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जब चर्चा में बिल आता है और यह अनुभव किया जाता है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए उस समय अमेंडमेंट देते हैं और वह मंजूर हो जाता है, तब कौनसा एक्सट्रेक्ट देते हैं। इविन, दी गवर्नमेंट मूवज इट, यह हमेशा रहा है अब केवल इस टैक्नीकल बात को लेकर लम्बा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सदन में बैठें या लाइब्रेरी में बैठें ? बताइये आप ।

श्री प्रेमसिंह बहिया : एक ही है एक्ट लाइब्रेरी में। 200 विधायक हैं। आप इतनी जल्दी में क्यों लाना चाहते हैं ? ऐसी भी क्या जल्दी है इसके लिये ? इसके ऊपर चर्चा रहेगी नहीं तो इसमें और कमियां रह जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जल्दी की बात कह रहे हैं, वह दूसरी बात है। दैट इज ए सैकण्डरी थिंग। जल्दी की लाने में, वह दूसरी बात है। लेकिन जो बिल है, बिल आलरैडी इण्ट्रोड्यूस है और उसी में अमेंडमेंट्स पेश किये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस बिल के अलावा भी कई धाराएं हैं जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उसी में किये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह जो बिल सर्कुलेट किया है, इस बिल में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, जिन सैक्शंस में अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं, उन सैक्शंस के एक्सट्रैक्ट दिये हुए है। अब यह कुछ नये अमेंडमेंट्स मिनिस्टर साहब और लाना चाहते हैं, लाने का इनको अधिकार है लेकिन जिन सैक्शंस में अभी यह अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं, उनका एक्सट्रैक्ट भी इनको देना पड़ेगा। यह रूल्स के तहत मैंडेटरी है। यानी आप देंगे तभी तो मैम्बर उसके अन्दर संशोधन देगा। तो गवर्नमेंट का व्यू पहले आना चाहिये और गवर्नमेंट व्यू के लिये जो एक्सट्रैक्ट है, वह साथ में लगाओ। अदरवाइज यह जो प्रपोजल है, यह इन्कम्पलीट है।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप जो व्यवस्था दे रहे हैं, उस पर विचार कीजिये। यह बिल्कुल अव्यवस्था हो जायेगी।.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी व्यवस्था कोट की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बिल तो इण्ट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद मान लीजिये कि कोई माननीय सदस्य..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल तो बहुत बाद में आता है। पहले आप बोलते हैं, उसके बाद में ही तो व्यवस्था देता हूं। अकेले मैं नहीं रखता हूं व्यवस्था। पहले आपको सुनता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल के डिस्कशन पर कोई भी माननीय सदस्य अमेंडमेंट दे तो वह एक्सट्रैक्ट देना जरूरी है, हर एक मैम्बर का ?

श्री यदुनाथ सिंह : जिस सैक्शन में आप करोगे। जिन सैक्शंस में आप अमेंडमेंट कर रहे हो, उसका एक्सट्रैक्ट तो दोगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कहना कि यह अमेंडमेंट आपकी जानकारी में नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करने का कोई लाभ नहीं है ।....(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए पहले ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं टैक्नीकल नहीं हैं, इट इज़ वैरी सीरियस मैटर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, मेंडेटरी है वह रूल बता दीजिए । आप कह रहे हैं कि मेंडेटरी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड मेरे को पूरी बात करने दीजिए । ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि—here it is rule 72 :-

"72. conditions of admissibility of amendment.- the following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a Bill :-

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates."

श्री सुरेन्द्र व्यास : छोड़िये इसको आप ।

श्री उपाध्यक्ष : Please first hear me.

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सैकण्ड, आपने फरमाया कि–"an amendment should be within the scope of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : yes, it is.

श्री सुरेन्द्र व्यास : विदिन दी स्कोप आफ दी बिल वह अमैंडमेंट हम मूव कर देते हैं । यह बिल क्या है, यह बिल है, यह बिल के अन्दर आपने अमैंडमेंट मूव किए हैं, उसके एक्सट्रेक्ट की बात आ गई, यह एक्सट्रेक्ट वहां तमाम आपने दे दिए हैं साथ में । अब बीयोण्ड स्कोप आफ दी बिल वह सिर्फ सरकार मूव कर सकती है और बीयोण्ड आफ दी बिल अगर जब आप अमैंडमेंट मूव कर देते हैं-then it becomes a part of the Bill. तो उसके बीयोण्ड तो हम कर ही नहीं सकते हैं ।....(व्यवधान) एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं कि इसका अमैंडमेंट लाया नहीं जा सकता है बिल इन्ट्रोड्यूज होने के बाद- वह बात मैं कह रहा हूं कि अमैंडमेंट तो बिल में लाया जा सकता है । that is not mandatory.

श्री सुरेन्द्र व्यास : साहब, लाया जा सकता है लेकिन एक्सट्रेक्ट देने पड़ेंगे । बिल का पार्ट हो गया ना । उपाध्यक्ष महोदय, बिल का पार्ट हो गया ना ।

श्री उपाध्यक्ष : yes, it is part of the Bill.

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is part of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : yes.

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो बिल में जो भी आप सैकण्ड अमैंडमेंट करेंगे, जो आपके अमैंडमेंट के प्रपोजल्स उन सैक्शन्स को एक्सट्रेक्ट आप देंगे । यह मेंडेटरी रूल है । जब से ये हाउस चल रहा है तब से आप

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि आज तक फालो हुआ या नहीं हुआ। आप पहली दफा पास करेंगे इसको, पहली दफा वायोलेट करेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है ? ऐसा क्यों करेंगे आप ? Why do you want to rush through this amendment ? कोई आपका कलैन्डस्टाइन इन्टेंशन है। हमको प्रापरली स्टैडी करने दीजिए, प्रापर्ली अमेण्डमेंट मूव करने दीजिए। यह क्या तरीका है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तर्क दिये हैं मैं उनसे इत्तफाक रखता हूं। जो भी बिल इस सदन में आये हैं उनके सम्बन्ध में एक्सट्रेक्ट हम को समय पर हमेशा दिये गए हैं। चाहिये तो यह था कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी किसी सदस्य के माध्यम से यह संशोधन रखवा लेते और उसको सदन पास कर देता लेकिन इन्होंने स्वयं ने चूंकि यहां अमेण्डमेंट दिये हैं तो इनको एक्सट्रेक्ट उसके साथ देने चाहिये। इसी सदन में जितने भी आपने बिल हमको दिये हैं उन बिलों के साथ-साथ आपने सम्बन्धित धाराओं के एक्सट्रेक्ट हम को सप्लाई किये हैं। इसलिये आप इसको गम्भीरतापूर्वक पूरी स्थिति का अवलोकन करते हुए, सब लोगों के विचारों को सुनकर फैसला दें ताकि ऐसा फैसला नहीं हो जाये कि आइन्दा कभी भी किसी भी अमेण्डमेंट बिल में, कोई भी बिल आये आप संशोधन करना चाहें और उसमें मूल बिल नहीं मिले तो कम से कम 200 प्रतियां असेम्बली में हरेक बिल की रखवानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में एक पुरानी जो अपनी ही विधान सभा की व्यवस्था दी गई है 14-8-1974 को प्रभारी मंत्री विधेयक के किसी भी स्टेज पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय (अध्यापक तथा अधिकारी) सेवा विशेष शर्तें अधिनियम, 1974 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने आपत्ति प्रस्तुत की कि संशोधन प्रस्ताव देने के लिये जो 11 बजे तक का समय निश्चित किया गया था और उन्होंने निर्धारित समय में संशोधन की सूचना दे दी थी। परन्तु उसे यह कह कर अस्वीकार किया गया कि वह अंग्रेजी में है जबकि प्रभारी मंत्रीजी के 11 बजे के बाद दिये गए संशोधन स्वीकार किये गए हैं। प्रभारी मंत्री, श्री खेतसिंहजी के इस स्पष्टीकरण के पश्चात् की उन्होंने संशोधन की सूचना हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दी है। श्री उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी है।

"हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 11 बजे के बाद में भी संशोधन मंत्री महोदय के दे दिये हैं तो वे नहीं दिये जा सकते है। नियमों में प्रावधान है कि सदन की कार्यवाही हिन्दी में हो, विधेयक जो पेश हुआ वह भी हिन्दी में है। इसलिये हिन्दी में ही अमेण्डमेंट स्वीकार करके अंग्रेजी में स्वीकार नहीं हो सकते हैं।

अब मैं आपरेटिव पोर्शन पढ़कर सुनाना चाहता हूं :–

"जहां तक प्रभारी मन्त्री द्वारा देर जल्दी संशोधन पेश करने का प्रश्न है नियमों में प्रावधान है कि वे किसी भी स्टेज पर संशोधन पेश कर सकते हैं इसलिये उनके

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधनों के प्रत्युत्तर में या संदर्भ में आप कोई और संशोधन पेश करना चाहें तो इसके लिये समय दिया जाना सम्भव नहीं है, न नियमों में इसका प्रावधान है। इस-लिये जो आपने ऐतराज उठाया है उसे मानने में आसन असमर्थ है।"....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह रिलेवेंट नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इट इज वैरी रिलेवेंट। इट इज वैरी रिलेवेंट। रिलेवेंट इसलिये है कि किसी भी स्टेज पर प्रभारी मंत्री संशो-धन पेश कर सकते हैं। उसका अमेंडमेंट दिया जाए या नहीं दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था दे दी है फिर काहे पर बोल रहे हैं ये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिये तो सही। उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी किस बात को सुनूं। आसन की व्यवस्था के बाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आपने व्यवस्था नहीं दी है.... (व्यवधान)....आपने व्यवस्था कोट की है।

श्री उपाध्यक्ष : कोट की है तो मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रभारी मन्त्रीजी ने अमेंडमेंट पेश किये हैं इसमें वह पेश करने की आसन द्वारा स्वीकृति दी गई है और यह नियमानुसार है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : संशोधन पेश किये हैं लेकिन उस समय एक्सट्रेक्ट दिये या नहीं दिये हैं यह कौन कह सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : वह सही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस समय एक्सट्रेक्ट दिये गए हैं। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिये व्यासजी क्या कह रहे हैं आप ?.... (व्यवधान).... प्रेमसिह जी, एक बोलेंगे या दोनों बोलेंगे.... रिजेक्ट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अमेंडमेंट देने का अधिकार को कतई चुनौती नहीं दी जा रही है उनका अधिकार है ड्यूरिंग दी कोर्स आफ दी डिस्कशन आन दी बिल। दिये जा सकते हैं मैं यह नहीं कहता लेकिन जो भी वह अमेंडमेंट देंगे वह बिल का पार्ट हो जायेगा और बिल के अन्दर जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड करेगी गवर्नमेंट वह उसका एक्सट्रेक्ट देंगे, यह परम्परा सदन की है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यासजी आप द्वारा उठाई गई आपत्ति को निरस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिह राठौड़ : आपने व्यवस्था दे दी। उसके बाद....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम-नारायणजी वर्मा।....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्षजी,

(श्री कालीचरण सराफ)

व्यासजी आप नियमों के बड़े जानकार हैं.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत तरीके से विधेयक पारित करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, मैं रामनारायण जी वर्मा का नाम पुकार चुका हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो ला रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी तो फिर यह कैसे और किस बात पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रेमसिंह दहिया मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा।....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनकी बात सुन कर अपनी व्यवस्था दे दी, व्यवस्था देने के बाद क्या.... रिलेवेंट है यह कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसमें व्यवस्था नहीं दी है, व्यवस्था नहीं हुई यहां पर। (व्यवधान)...उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह बिल ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी आपत्ति अमान्य कर दी है। माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा का नाम पुकार लिया है। माननीय रामनारायण जी वर्मा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था का आदर करने वाले लोग हैं लेकिन आपको कम से कम हमारी बात को .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी बात 15-20 मिनट सुनी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपने जब व्यवस्था दे दी है तो फिर ये किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी विद्वता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं, आप विद्वान हैं, बहस करनी चाहिये, सारी बातें उठानी चाहिये लेकिन जिस तरह से व्यास जी और आपने जो सवाल उठाये, उन सब बातों से हम सब सेटिस्फाइड हो गये। आपकी बात सुन ली गई है ऐतराज था उसके ऊपर व्यवस्था दे दी गई है। माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा। (व्यवधान) माननीय रामनारायण जी आप शुरू कीजिये नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन सर.... (व्यवधान) आप बी.जे.पी. के ही डिप्टी चीफ व्हिप नहीं हो पूरे सदन के डिप्टी चीफ व्हिप हो इसलिये आप केवल दिग्विजय सिंह ग्रुप तक ही सीमित मत रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना में आपको यह देना चाहता हूं कि एक तो किसी परिस्थितिवश मान लीजिये अभी भी माननीय मन्त्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ इन्फारमेशन है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : No point of information.

श्री बुलाकीदास कल्ला : Let me complete first, Sir. इन्फारमेशन यह है कि बिल के अमेण्डमेंट्स हमको कल रात को मिले। सदन में अमेण्डमेंट्स आते हैं उनमें एक्सट्रेक्ट की आवश्यकता मान लीजिये नहीं होती है लेकिन जो पहले अमेण्डमेंट्स दे दिये जाते हैं उनमें एक्सट्रेक्ट्स दिये जाने चाहिए। यही मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। कल तो सरक्यूलेट हो गए, सदन में यह लेकर आते हैं फिर हम प्रेस नहीं करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी वर्मा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई एक्सट्रेक्ट नहीं देगी, आपकी इस व्यवस्था के आधार पर हमारा नुकसान हो जाएगा। हम अपने हक की बात कर रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी व्यवस्था ठीक है लेकिन आप यह व्यवस्था तो दे दें कि सरकार ध्यान रखेगी, आइन्दा गलती नहीं करें।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार हमेशा ध्यान रखती है हाउस की परम्परा का। हाउस में बिल किस प्रकार इन्ट्रोड्यूज किये जाते हैं उन बातों का हमेशा ध्यान रखती है। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अबकी बार तो नहीं रखा।

विधायी कार्य

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह बिल पेश किया गया है, यह जल्दबाजी में पेश किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के अमेण्डमेंट पेश किये गये हैं, यह सही है मैं इसमें अमेण्डमेंट इसलिये नहीं दे सका कि यह हमें टाइमली नहीं मिला अमेण्डमेंट 24 घण्टे पहले दिये जाने चाहिये थे इसलिये कुछ अमेण्डमेंट्स नहीं दे सका यह कोई बात नहीं लेकिन जिस आशय को लेकर के बिल पेश किया गया है उसी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रभारी मंत्रीजी से। माननीय उपाध्यक्षजी, यह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये इसमें कुछ अमेण्डमेंट्स किये हैं सरकार ने। एक लाख तक की आबादी तक की स्थिति में आने वाली बात जो कही गई है उसकी कोई मिनिमम सीमा आपने

(श्री रामनारायण वर्मा)

प्रेसकाइब की है ? बल्कि मिनिमम आप खतम कर रहे हैं। कुछ समय पहले कुछ नगरपालिकाओं को आपने पंचायतों में तब्दील किया, इस बिल के माध्यम से आप ऐसे अधिकार हाथ में लेना चाहते हैं जिन अधिकारों के तहत आप किसी भी नगर को, नगरपालिकाओं को पंचायतों में बदल सकते हैं, पंचायतों को नगरपालिका में बदल सकते हैं यह जो अधिकार है आपका, एक पक्षीय तानाशाही की स्थिति में आने की बात जो आप कर रहे हैं यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सरकार की क्या मन्शा है यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष जी, इससे पहले बिल सदन में आया था यह जिस लेजिस्लेचर से बिल पेश किये जा रहे हैं उसके बारे में पहले वाले बिल के बारे में प्रभारी मन्त्रीजी ने कहा था कि चाकू टेबिल पर रख के और नकल करते हैं। मेरा जहां तक ख्याल है यदि एक लिमिट से ज्यादा चाकू किसी के पास होते हैं तो उसकी कितनी सजा है। आज जो अमेण्डमेंट पेश करके सजा देने जा रहे हो आप। नकल आदि के मामले में क्या सजा है, किसी बात को देखे बिना केवल बिल पेश करना और इतने सालों से संसदीय परम्परा में जो आपने एक्ट बनाये हैं, कानून जो बनाये गये हैं उन कानूनों को एक तरह से मखौल की तरह रखना यह साबित करना कि सरकार ने इतने बिल सदन में पेश किये और उसका गावों में प्रचार करना चुनाव के टाइम पर यदि कोई ऐसी मन्शा सरकार की है तो यह हमारा दुर्भाग्य है इस मन्शा के साथ सरकार कोई बिल पेश करती है कोई कानून में अमेण्डमेंट करती है तो यह सरकार की अपनी मर्जी है बाकी पब्लिक सारी बातों को देख रही है। सरकार की नगरपालिकाओं के मामले में, नगर परिषद की परफोरमेंस के मामले में और नगर निगम के बारे में सरकार की क्या मन्शा है, जनता को क्या देना चाहती है और किस आशय से और किस दृष्टि से यह बिल पेश किये गये हैं यह सारी बातें काउन्ट की जानी चाहिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पांच लाख से ज्यादा की आबादी में आप नगर परिषद की बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी नगर है जिनमें पांच लाख से ज्यादा आबादी है, जयपुर जैसा शहर है इसके लिये आप क्या कर रहे हो। नगर निगम बिल आप पेश नहीं कर रहे अभी नगर निगम बिल पेश तो आपने कर दिया उसको आप परसों ले रहे हैं आज आप इसको पारित कर रहे हैं तो दो दिन के लिये आपकी क्या व्यवस्था है। यह कानून के लेकूना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना जल्दबाजी में आप नगर निगम बिल पेश करते हैं, आप किस शहर में नगर निगम बनाने जा रहे हो वह बात दूसरी है, कायदे की बात, लेकिन यह सरकार जो कहे आसन सर्वोपरि है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और आसन पर जो महानुभूति बिराजमान है आज की तारीख में पूरा सदन उससे आशाएं लेकर चलता है तो वह सरकार का ध्यान रखे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सरकार का ध्यान उतना सा रखना चाहिये जितनी सी सरकार उसके लिये क्षमता रखती है सरकार की क्या क्षमता है आसन अच्छी तरह से जानता है, हम कहें नहीं कहें सारा राजस्थान जानता है यह सारी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के देखने की बात है। मैं इस बारे

(श्री रामनारायण वर्मा)

मैं ज्यादा कहने के बजाय एक बात निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप नगर पालिकाओं में क्या सुधार ला रहे हैं, इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, नगर पालिकाओं में आप कितना अनुदान दे रहे हो, ऐसी ऐसी नगर पालिकाएं हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें सुबह रोजाना गन्दगी बढ़ती जाती है उसकी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है । कोई निर्माण कार्य आप नहीं कर रहे हैं, इतने थेप्ट केसेज हो रहे हैं, यहां तक कि आपकी पार्टी के शासकीय दल के चेयरमेन चुंगी चोरी के आरोपों में जैसे नैनवा का मामला लीजिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुंगी चोरी के मामले में आरोपी थे, जांच की गई, कमेटी ने जांच कर दी खुद का स्टेटमेंट है । आप उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, दोषी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसे नगर पालिका में चेयरमेन बैठे हुये हैं उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । जमीनें जिस तरह ताबरतोड़ में बेची जा रही हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के नमूने जहां-जहां इस दल के आदमी बैठे हुए हैं, जिला कलक्टर को जांच के लिये दे रखा है, उसकी जांच आप दबाने जा रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है । साधारण से अमेण्डमेन्ट लाने के लिये कितनी कानूनी खामियां छोड़ीजा रही हैं, इससे दुर्भाग्यशाली बात क्या हो सकती है और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है । कानून का इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं, राजस्थान में नगर पालिका और नगर परिषद में आपका प्रशासन ठीक नहीं, और कानून का अमेण्डमेन्ट ले करके इतने बिल हमने इस शासन में बनाये इसके अलावा आप राजस्थान में कुछ कर नहीं रहे हो और राजस्थान का भट्टा बैठाने के अलावा आपने क्या किया है यही मुझे आपसे कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी । ....(व्यवधान) बोलना चाह रहे हो क्या । जरूरी नहीं है बोलना कोई ।

श्री रामनारायण वर्मा : इनको गिनीज बुक में नाम लिखवाना है ।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्यूनिसिपल सैकिण्ड अमेंडमेंट बिल 1992 जो लाया गया है इसमें मैं समझता हूं एक तो इसलिये कि नगर निगम का बिल ला रहे हैं इसके लिये आवश्यक था कि उसमें पांच लाख से ऊपर के उसमें प्रावधान किया जाना था कि नगर निगम पांच लाख की आबादी पर होगा । परिवार नियोजन की दृष्टि से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसमें यह प्रोवीजन कि नगर पालिका चुनाव जो लड़ेंगे उनके दो सन्तान अब होगी वही लड़ सकेंगे इस प्रकार का प्रोवीजन है कितनी नगर पालिकाओं के चुनाव इस समय करायेंगे....

श्री टीकमचन्द कान्त : अब होगी क्या ।

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक कह रहे हैं उसके बाद होगी तो । पंचायत एक्ट की भावना ही है इसमें कोई नई बात नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन माननीय मन्त्री महोदय के रहते हुए वर्तमान शासन के समय इस बात की छूट है कि कितनी भी सन्तानें हों चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अब ये प्रावधान रहेगा कि नहीं रहेगा लेकिन हमने यह प्रावधान रखा है कि आगे जब चुनाव होंगे तब इस पर यह पाबन्दी लगाई जावेगी तो मैं समझता हूं अभी तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हम और आप तो गये। अपना क्या होगा। विधान सभा में भी लागू करवा देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपन तो यहां विधान सभा में बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, इसीलिए यह बिल ला रहे हैं और इसको पास हम ही करेंगे। इस बात का प्री-कोशन्स रखा गया है कि पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो या आगे आने वाले कोई भी चुनाव हो, पहले जो गलती कर चुके हैं, उस पर कोई लागू नहीं होगा। और एक आयुक्त का प्रावधान था क्योंकि नगर निगम में कई आयुक्तों की आवश्यकता होगी, इसलिए कई आयुक्तों को लगाये जाने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं यह ठीक है इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय रामकिशन जी (अनुपस्थित), माननीय बिरधाराम जी चौधरी (अनुपस्थित), माननीय जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित), माननीय रमा पायलट (अनुपस्थित), डाक्टर उजला अरोड़ा (अनुपस्थित), माननीय चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मन्त्री जी जो बिल अमेंडमेंट लाए हैं, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन मेरा निवेदन इसमें यह था कि आपने जो आबादी का हिसाब-किताब रखा है, वह पहले भी आपको ध्यान है। कई एक नगर पालिकाएं इस प्रकार की थीं जिनको आबादी के आधार पर हमने नगर पालिका ग्राम पंचायत से बना दी लेकिन उन नगर पालिकाओं की स्थिति यह थी कि वे अपनी तनख्वाह भी नहीं चुका सकती थी। वहां पर आन्दोलन हुये और नगर पालिकाओं की स्थिति बद्तर हो गई। आपको मजबूर होकर के उनको पुनः ग्राम पंचायतें बनानी पड़ीं और अभी भी यही बात है। आपने एक लाख की आबादी से ऊपर नगर पालिकाओं की आबादी हो जायेगी उनको नगर परिषद कर देंगे लेकिन जो पहले से नगर परिषदें हैं, जिनकी आबादी लाख से कम है, क्या उनको आप फिर नगर पालिकाओं में कन्वर्ट करेंगे और नगर परिषद होने के बाद भी क्या गारन्टी है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होगी कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से चला पायेगी। आज मीश्र नेक नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनकी आबादी 50,000 से अधिक या 50,000 के आसपास हैं लेकिन उनमें नगर परिषद

(श्री चम्पालाल बांठिया)

होने के बाकी के सारे गुण हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और उनको तो आप नगर परिषद बनायेंगे नहीं लेकिन इस प्रकार की नगर पालिकाओं को आप नगर परिषद बना देंगे और ऐसी नगर परिषदों को आप नगर निगम में कन्वर्ट कर देंगे लेकिन मेरा कहना यह था कि इसके साथ में आप आर्थिक पहलू और दूसरी ओर जो उनकी क्षमता है और सारे एरिये को देखकर चाहे वहां की 50,000 की आबादी हो लेकिन आस-पास 50-60,000 लोग नित्य प्रति वहां पर आते हों तो उन क्षेत्रों को आप नगर परिषद बनाने से वंचित रखेंगे। ऐसे कई स्थान हैं, मैं नाम लेकर के गिना सकता हूं, तो माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन था कि आप इस पर विचार करें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने राजस्थान म्यूनिशिपल अमेंडमेंट बिल जो पेश किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं और यह भी स्वागत करता हूं माननीय मन्त्री महोदय कि आज भारत वर्ष में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है और पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन के तहत मनाया जा रहा है। जनसंख्या के ऊपर अंकुश लगाने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रावधान रखा है यह प्रावधान बहुत ही स्वागत योग्य है परन्तु जैसा बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस हिसाब से चिन्ता व्यक्त की है कि आज पापुलेशन का जो क्राइटेरिया रखा है, जनसंख्या का क्राइटेरिया रखा है। उदाहरण के तौर पर बाड़मेर की जनसंख्या 50,000 के करीब है। बाड़मेर, जालोर और बालोतरा, इनकी जनसंख्या ....वैसे जहां नगर परिषद है, अब आपने क्राइटेरिया एक लाख से अधिक को नगर परिषद रखने का रखा है तो क्या इन्हें पुनः नगरपालिकाएं बनायेंगे। जैसा पूर्व में नगर पालिकाओं के बारे में बताया कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जनसंख्या कम थी उनको वापस ग्राम पंचायत में आपने परिवर्तित किया। तो ऐसी अनेक नगर परिषदें हैं जिनकी जनसंख्या तो कम है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। उदाहरण के तौर पर जैसा बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि 3 करोड़ रुपये के करीब नगर पालिका बालोतरा के अन्दर बैलेंस है। जहां आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन पापुलेशन के हिसाब से संख्या कम है तो इन परिस्थितियों के अन्दर क्या पुनः उन्हें नगर पालिका बनाया जायेगा। यह एक विचित्र स्थिति हो गई है इसलिए इनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस वस्तु स्थिति का ध्यान, प्रशासनिक क्षमता का ध्यान है, उन मुद्दों के ऊपर भी ध्यान दें ताकि इन व्यवस्थाओं के अन्दर सुधार किया जा सके और माननीय मन्त्री महोदय से एक और मेरा निवेदन है कि पंचायत के चुनावों की व्यवस्था में आपने रिजर्वेशन की व्यवस्था, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, महिलाओं के लिए रखी थी। यह प्रावधान भी स्वागत योग्य था, इसके साथ ही चेयरमैन के लिए भी आप रिजर्वेशन महिलाओं के लिए और एस. सी. के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

व्यक्ति के लिए रखना नितांत आवश्यक था ताकि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और नगर पालिकाओं के विकास में, नगर परिषद के विकास में, नगर निगम के विकास में, जो आप बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी इसमें प्रावधान रखें ताकि महिलाए और एस. सी. के बंधु भी इसमें नगर निगम के अन्दर और नगर परिषद के अन्दर चेयरमैन के दावेदार हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रेमसिंह दहिया।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में अभी निवेदन किया था मंत्रीजी से कि यह विधेयक बहुत जल्दी में ले आये हैं, विधेयक जल्दी में लाने के कई दुष्परिणाम हैं, मैं उनकी ओर नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान मैं कुछ ऐसे मुद्दों की ओर, जो एक्ट में भी नहीं है और जो किये जाने चाहिये, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं और कुछ एक्ट में है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये, उनकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं का पुनर्गठन करने की इच्छा व्यक्त की है। जहां 5 लाख से अधिक की आबादी है, वहां नगर निगम बनाने की अभी मंशा है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 में 4-5-6 की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें डिलिमिटेशन्स की बातें कही गई है। डिलिमिटेशन कैसे किया जा सकता है और डिलिमिटेशन करने के क्या आधार हैं, आप कहीं उन आधारों के विपरीत जाकर तो काम नहीं कर हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। कहीं पर नगरपालिका का कोई भी हिस्सा घटाया जा सकता है, यह सरकार का अधिकार है। किसी नगरपालिका का कोई हिस्सा जोड़ा जा सकता है, किसी एक नगरपालिका का हिस्सा दूसरी नगरपालिका में जोड़ सकते हैं और कहीं दो नगरपालिकाओं को मिलाकर आप एक नगरपालिका बना सकते हैं। यह मूल धारा के अन्दर बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में यह बात साइलेंट है कि किसी नगरपालिका को तोड़ा जा सकता है और नगर निगम में मिलाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार है, यह सरकार शहर के ज्यादा वोटों के आधार पर शहरों में जीतने वाली सरकार है। गांवों में इसका वर्चस्व कम है और इसी आधार पर यह नगर निगम के अन्दर नगर पालिकाओं को तोड़कर मिलाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये मिलावें परन्तु पहले तो इनको इस डिलिमिटेशन के अन्दर संशोधन करना चाहिये, उसके बाद ये किसी को मिलावें। जहां तक मिलाने का सवाल है, सरकार को अधिकार है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय जो नगर पालिका अपने 3 साल, 5 साल की लिमिट के लिए चुनकर आई है, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उस नगरपालिका को तोड़ा जाता है। जैसे आमेर में इन्होंने तोड़ा चुनाव से पहले तोड़ा। अब एक नोटिफिकेशन निकालकर सांगानेर नगर पालिका को तोड़

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कर नगर निगम में मिलाने का इनका इरादा है। उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर नगर पालिका चुनकर आई हुई है। जिस तरह हम जन प्रतिनिधि विधायक चुनकर आए हैं, उसी तरह पार्षद और चेयरमैन चुनकर आए हैं और उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता जब तक सरकार को उनके जनमत पर उन नागरिकों ने वोट देकर उनको जो अधिकार दिये हैं उस नगरपालिका से और उन पार्षदों से उससे वह अधिकार लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उन अधिकारों की ओर मंत्रीजी का मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सरकार तो बी.जे.पी. की है और वह सांगानेर नगरपालिका कांग्रेस की है और कांग्रेस का बोर्ड है। मंत्रीजी आप इस स्तर पर पोलिटिक्स में मत जाइये, उसका कार्यकाल पूरा होने दीजिये, उसके बाद आप उसको तोड़कर नगर निगम में मिलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। सरकार की ऐसी अभी कोई मंशा है, सरकार के अधिकार हैं वह उन अधिकारों को काम में ले। दूसरा मैं आपका ध्यान दूसरी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। नगरपालिकाओं के अन्दर बाइलाज बनते हैं। बाइलाज इसलिए बनते हैं कि एक्ट के अन्दर जो नियम और उपनियम हैं। बाइलाज बनते हैं वहां क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, उन क्षेत्रीय वहां पर परिस्थितियों के अनुसार बाइलाज बनते हैं। मंत्रीजी आपकी किन नगरपालिकाओं में पूरे बाइलाज बने हुए हैं ? और किन नगरपालिओं में बाइलाज नहीं हैं ? नगरपालिकाएं कितने साल से चल रही हैं। 1959 के अन्दर इसके एक्ट में संशोधन हुआ, उससे पहले भी कोई एक्ट था। 1959 के बाद आज दिन तक यह एक्ट अपने प्रभाव के अन्दर है, परन्तु कई नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें मूल बाइलाज भी नहीं है। 176 की धारा जिसमें आपने मकान बनाने का अधिकार दिये हैं, मकान बनाने की स्वीकृति नगरपालिकाएं देती हैं। और भी दूसरे कई तरह के बाइलाज हैं। अभी आपने पिछले गत सत्र में एक एमेण्डमेंट लेकर आये थे कि 170 और 203 के अन्दर अतिक्रमण रोके जाने चाहिए, उसमें अवैध निर्माणों को रोका जाना चाहिए। अगर बाइलाज ही नहीं होंगे, तो अवैध निर्माणों का किस तरह से खुलासा होगा। कोर्ट में तो जाकर के वे पार्टियां वहीं जीत जाएगी और उससे नगरपालिकाओं में कई अवैध निर्माण हो जाएंगे, रास्ते बन्द हो जाएंगे, नालियां रूक जायेंगी, रास्ते सकड़े हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान मैं आपकी मार्फत एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। गत सत्र में आपने एक एमेण्डमेंट लेकर के आये कि नगरपालिका की सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण नहीं किये जाने चाहिए और उसके ऊपर यदि कोई अतिक्रमण कर रहा हो तो अपन ने उसके ऊपर सजा और उसके ऊपर जुर्माने वगैरह अपन ने लगाये, वह करने की बात थी। मुझे तो मंत्रीजी आप यह बता दीजिये कि अपने ने 170 धारा की उपधारा के अन्दर एक बात लिखी है, उस समय भी मैंने एतराज किया था कि यह जो अतिक्रमण जान बूझकर करवा रहे हैं गवर्नमेण्ट सरवेण्ट, बिल्कुल करवाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। यह एक्ट बने हुए पिछले सत्र से अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी बार या कितने मामले ऐसे हैं जिसमें आप कोर्ट में गये या जितने

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

एनक्रोचमेण्ट कराते हैं उनमें से आधे एनक्रोचमेण्ट में यह गवर्नमेण्ट मशीनरी का हाथ होता है, आप उन पर अंकुश लगाना चाहते थे, परन्तु आप यह अंकुश नहीं लगा पाये। मैं जहां तक समझता हूं कि आपकी जानकारी में भी नहीं होगा। आपने ऐसे कितने मामले दर्ज करवाये उपाध्यक्ष महोदय, यह तो 170 की धारा में एमेण्डमेंट करके जो सख्तियां लगाई गई हैं कि अतिक्रमण नहीं हो, परन्तु इनकी अवहेलना होने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। पहले एनक्रोचमेण्ट करता था तो वह अधिकारी से नहीं डरता था और अधिकारी जाता तो वह कुछ देकर रफा-दफा हो जाता। अब इसकी स्केल बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो रफा दफा कोई जमीन का कुछ होता। एक तो 203 का नोटिस निकलवाने के लिए वह पैसा देता है। अब वह 203 का नोटिस नहीं निकलवाने का भी पैसा देता है। एनक्रोचमेण्ट होते हैं, एनक्रोचमेण्ट दर्ज नहीं होते हैं। जो अधिकारी करवाते हैं उनके खिलाफ कोर्ट के अन्दर सरकार नहीं जाना चाहती, प्रशासन नहीं जाना चाहता लेकिन एक्ट में बार बार संशोधन करने का क्या औचित्य है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह जल्दी में लाया गया विधेयक है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्दर इसको पुनः लिया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेण्डमेंट हमारे सामने हैं, मैं समझता हूं किसी भी राज्य सरकार का जो अपना अनुभव है और जो उसकी कार्यप्रणाली इस प्रदेश में लागू की है, उसमें जो मुश्किलें है उसके ऊपर वह उस समय उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ संशोधन लाती है। यह अध्ययन माननीय मंत्रीजी ने नहीं किया, न सरकार ने किया कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको किस तरह की मुश्किलें इस प्रशासन को चलाने में आती है। वाकई देखा जाये तो धीरे-धीरे म्युनिसिपैलिटीज के जो अधिकार हैं वे पहले जितने भी म्युनिसिपैलिटीज में संशोधन हुए इस एक्ट में। उन संशोधनों की मंशा एक रही कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे जिस तरह से व्यवस्था करना चाहते हैं उस नगर में, उनके अधिकारों को छीन लिया जाये और उनके अधिकारों को छीनकर जो प्रदेश में सरकार चलाने वाले लोग हैं, वे अपने हाथ में ले लें। वे इसे प्रयोग करते रहे, चाहे चुने हुए चेयरमैन के अधिकारों का सवाल हो किस तरह से उस नगर का विकास हो, उसकी कोई योजना बनाने का सवाल हो, उन सारे सवालों में राज्य सरकार अपना दखल रखती है और यह दखल इसके बारे में पूरी तरह से विचार नहीं किया गया कि जो हम समझते हैं कि इस काम में अच्छी तरह से काम चलेगा। उसमें कौनसा सुधार लाने की आवश्यकता है, यह नहीं लिखा गया, सिर्फ एक जो पंचायतों में हमने किया या नीति के आधार पर यह समझिये कि प्रचार करना था. उस प्रचार के लिहाज से जो किया वह म्युनिसिपैलिटीज का कर दिया और नगर निगम बनाने के लिए एक दूसरा प्रस्ताव हम ले आये। नगर निगम को जो पावर्स हैं।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नगर निगम तो देश में जो चल रहे हैं, उनके पावर्स की हमने नकल की है, जो उनको अधिकार हैं, जिस तरह से दिल्ली है, या यू. पी. में नगर निगम चल रहे हैं, उन नगर निगमों को जो अधिकार हैं, जिस तरह से उन्होंने नगर निगमों का विकास किया है शहर का, योजना बनाकर, उस तरह के पावर्स हमने उनको दे दिये, पर हमने यह नहीं सोचा कि जो म्युनिसिपैलिटीज, हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उसमें कौनसे हम छाटेंगे। हमने तो सिर्फ यही देख लिया। क्राइटेरिया में आबादी देख ली। हम सिर्फ यह देखेंगे कि 5 लाख की 6 लाख की या 8 लाख की आबादी, उनको हम देखकर के अलग कर देंगे, उनको अलग अधिकार देंगे। जो नगर निगम हैं उनके अधिकारों और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों में रात-दिन का अन्तर है। नगर निगम को खुद को नियोजन करने का अधिकार है, जमीन लेने का अधिकार है, एक्वायर करने का अधिकार है, उसको पूरी तरह से योजना बनाकर शहर का विकास करने का अधिकार है। म्युनिसिपैलिटीज को हमने ऐसा पंगु बना रखा है कि म्युनिसिपैलिटीज को कोई अधिकार ही नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के बजाये जो बड़े शहर हैं, उनमें सब में यू आई.टी. लगा रखी है और बहुत सी यू.आई.टी. तो अभी सरकार ने कुछ महीने पहले किया है कि उसमें कुछ नुमाइंदे नोमिनेट किये हैं, इससे पहले तो सरकारी मशीनरी उन्हें चला रही थी तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि यह जो 2-3 अमेण्डमेंट किये हैं, यह अमेण्डमेंट तो एक मुश्किल हमारे सामने आई और उसको हल करने के लिए सरकार ने अमेण्डमेंट रख दिये। असल में अमेण्डमेंट का परपज जो है, मैं समझता हूं वह यह होता है, हम म्युनिसिपैलिटीज की एक्टीविटी देखें, आज म्युनिसिपैलिटी में क्या होता है राजस्थान में। आज क्या शहर के लोगों की आवश्यकता म्युनिसिपैलिटीज पूरा कर रही है राजस्थान में 70 परसेण्ट म्युनिसिपैलिटीज तो ऐसी है जिसके पास कोई बजट नहीं है। जो हमेशा सरकार के सामने भिखमगे की तरह खड़ी रहती है अनुदान लेने के लिए कि कोई अनुदान मिले तो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह चुकाये। बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज जिसके अन्दर अगर राज्य सरकार चाहे तो जब मर्जी आये तब दखल दे सकती है। इस तरह से जो म्युनिसिपैलिटीज द्वारा वहां नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को पूरा न करके और जो स्थिति बन गई है उसको अगर हम सुधारना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इसमें अमेण्डमेंट इस तरह का रखना चाहिए कि जिससे चुने हुए नुमाइंदों को ज्यादा अधिकार मिले जिससे वो पूरे शहर की व्यवस्था को चला सके। मैं समझता हूं सारे राजस्थान में इस बात की कमी महसूस की जाती है कि म्युनिसिपैलेटीज के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं अनुभव होगा, अब तो सत्ता पक्ष के लोगों का अनुभव है उनको वक्त मिल गया तो उनकी म्युनिसिपैलेटी पावर में है और पावर में होने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी दोनों पावर एक जैसी है। उनकी सत्ता म्युनिसिपैलेटीज में हैं और इधर से राज्य सरकार में सत्ता है इसलिए शायद उस लालच को ये छोड़ना नहीं चाहते और उस अधिकार को अपने पास दबाए रखना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

करना चाहूंगा कि वास्तव में आप चाहते हैं कि शहरों में जो चुने हुए नुमाइन्दे उस शहर का विकास करें तो निश्चित तौर से इन म्युनिसिपैलेटीज को ज्यादा पावर देने चाहिए।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि कुछ म्युनिसिपैलेटीज के अन्दर अभी जो बिल लाए हैं उसके तहत कुछ म्युनिसिपैलेटीज को आप तोड़ देंगे कुछ को आप मिला दोगे। उसको एक तरफा जनता की इच्छा के बिना किसी कानून के द्वारा मिलाते हो तो निश्चित तौर से यह गलत परम्परा पड़ेगी और यह गलत परम्परा सत्ता में बैठे लोग हैं वे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आपने जो यह अधिकार लेने की कोशिश की है उस पर भी आप पुनर्विचार करें और निश्चित तौर से देखें कि आप इसमें दूसरा अमेण्डमेंट करें। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि आज इस अमेण्डमेंट को इस म्युनिसिपैलेटी एक्ट में रखा जाय। इसको एक कमेटी को दे दिया जाय वो पूरी स्थिति देख कर विचार करे।

मैं एक निवेदन और कर दूं, राज्य सरकार ने अभी विचार किया है कि हम ऑक्ट्राय को खत्म करेंगे। ऑक्ट्राय खत्म करने की नीति है सरकार की। सरकार इन म्युनिसिपैलेटीज के आर्थिक स्रोतों को खत्म करने के प्रोग्राम बना रही है उस लाइट में नये स्रोत क्या होंगे, किस तरह के होंगे उस पर भी विचार करने की जरूरत करेगी तो मैं समझता हूं इतनी जल्दी में यह संशोधन नहीं किया जाय उसके बाद उस नीति के बाद फिर विचार करके कमेटी को रेफर करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नगरपालिकाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं कही जा सकती। उसके कई कारण हैं। नगरपालिकाएं स्वयं जिन टैक्सेज को लगा सकती हैं उनको अधिकार हैं, लेकिन कई कारणों से लगा नहीं पाती, अपने सोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाती। उसका परिणाम यह होता है कि जो उनके पास इनकम आती है उसके आधार पर और फिर सरकार की मदद पर चलाई जाती है। हम लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नगरपालिका की आय के स्रोत कैसे बढ़ाये जा सकते हैं और जो उनके अधिकार हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आज जो अमेण्डमेण्ट आये हैं उनमें आपने जो सुझाव दिये हैं उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है यद्यपि वो उपयोगी हो सकते हैं लेकिन जो अमेण्डमेण्ट बिल हमारे सामने है उसमें इनका जिक्र नहीं है। आपने दफा 5 की बात कही वो आज विचारणीय ही नहीं है।....(व्यवधान)... मैं खुद ही कह रहा हूं। बिल में सेक्शन 5 का कोई मतलब नहीं है। आपका एक अप्रेहेंसन यह है कि नगरपालिकाओं को भंग करके जहां चाहेंगे वहां बना देंगे और जहां नहीं चाहेंगे वहां नहीं बनायेंगे। उल्टा है यह तो। अभी तक यह व्यवस्था थी कि 10 हजार से 20 हजार के बीच में नगरपालिका बनेगी। अब जिन नगरपालिकाओं की जो आलरेडी है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनकी जनसंख्या कम है तो वे तो अगर भंग होगी तो इससे बच जायेगी। तो इनको बचाने का है और आप भंग करने की बात सोच रहे हो। अब जनसंख्या की कोई पाबन्दी नहीं है। एक लाख तक के नगर में भी एक नगरपालिका, एक से लेकर एक लाख तक की जनसंख्या में अगर उसकी 10 हजार की जनसंख्या भी है और उसका कलेवर अगर नगरीय हो गया है और सरकार यह समझती है कि इसको नगरपालिका रखनी चाहिये तो रखने का अधिकार है। उसको तोड़ने का नहीं है। इसलिये तोड़ने का कोई सवाल नहीं है और जो अमेण्डमेंट है बहुत ही इनोसेंट अमेण्डमेंट है। इसमें कानून में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है कुछ परिभाषा बदली है। कमिश्नर एक होगा या 2 होंगे। दो हो सकते हैं। सेक्शन 14 जिसके पावर डेलिगेट नहीं किये जा सकते थे यह वार्ड का डिलिमिटेशन करने का सेक्शन है। सरकार ही वार्ड का डिलिमिटेशन करेगी। सरकार तय करेगी कौनसा वार्ड बने। उसका अधिकार किसी को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था। अभी तक यह प्रतिबन्ध था। हमने उसको हटा दिया। तो यह कलक्टर या किसी भी अधिकारी को जिसे सरकार उचित समझे अधिकार दिये जा सकेंगे। तो सरकार अधिकार ले रही है या दे रही है? मेरा निवेदन यह है कि यह अमेण्डमेंट बहुत ही लोगों को या हमारी शक्ति को विकेन्द्रित करने के लिये है, केन्द्रित करने के लिये नहीं है। इसलिये इसमें मेरा निवेदन है कि जो आप सुझाव दे रहे हैं वे इस एक्ट में अमेंडमेंट के लिये या सुधार के लिये आवश्यक हो सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि हम अलग से बैठें। 4-5 माननीय सदस्य जो इसमें रुचि रखते हैं वे अमेण्डमेंट के लिये सुझाव दे दें, अमेण्डमेंट कभी रुकते नहीं। जब भी आवश्यक हो अमेण्डमेंट ला सकते हैं। परन्तु अभी जो अमेण्डमेंट है वह केवल इसी परपज के लिये है। जैसे मेयर की हमने परिभाषा की है। मेयर को पैसा कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा वो खाली इसमें एड किया है कि नगरपालिकाओं के फण्ड से उसको पैसा मिल जायेगा। तो यह थोड़ा परिवर्तन इसमें है। जिसके बारे में आप चिन्ता कर रहे हैं वह नगर निगम का एक्ट है वह 30 तारीख को विचारार्थ लिया जायेगा। वह एक व्यापक अधिनियम है, बिल है उस पर चर्चा के लिये जिस दिन विषय आयेगा तो उस समय आप सबका पूर्ण सहयोग लेकर, पूर्ण विचार-मंथन के बाद उसको पास करने की व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं इसमें वे सब बातें न तो समाविष्ट की हैं जो पुराने कानून में है। वह वैसा का वैसा ही है। दफा 5 में कोई परिवर्तन नहीं है। वह तो आज भी वैसा ही है।

आपने जो सांगानेर की बात कही है कि सांगानेर को मत मिलाइये। अगर सांगानेर की जनता मिलने के लिये राजी है तो सरकार क्या करेगी?

श्री प्रेमसिंह दहिया : वहां की जनता की इच्छा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जनता ने कही है?

श्री प्रेमसिंह दहिया : जनता ने कहा

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

है, पार्षदों ने कहा है। वहां के यह जो मंत्री हैं इनकी भी इच्छा वो ही है परन्तु कह नहीं पा रहे हैं। यह जनता की इच्छा से बाहर रह कर कोई विधायक थोड़े ही रह सकते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : वहां की जनता तो बहुत राजी है मिलने के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सांगानेर से आपका को सम्बन्ध नहीं है। सांगानेर की जनता से आप बिल्कुल अपरिचित हैं। सांगानेर कहां है, उसकी क्या सीमायें हैं यह भी आपको मालूम नहीं होगा। सांगानेर को तो हम जानते हैं। ये वहां की सदस्या हैं और मन्त्री भी हैं, ये जानती हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपको वहां की जनता की सहमति तो लेनी चाहिये, यह बात मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी सहमति से ही लेंगे।

श्री प्रेमसिंह दहिया : परन्तु मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है। आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे सांगानेर की सीमायें क्या है, सांगानेर की क्या प्रोब्लम्स है। वो सांगानेर की नहीं, राजस्थान की नगरपालिकाओं की प्रोब्लम्स में सांगानेर भी शामिल है और उसकी प्रोब्लम्स क्या है उस आधार पर भी बात कही है और वह अधिकार है एवं वह जानकारी है। जानकारी तो कोई कहीं पर रह रहा हो उसको भी हो सकती है। दीपक तले भी अंधेरा हो सकता है और दूर का दीपक प्रकाश दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके सुझाव में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां जनता सहमत है तभी तो मिलायेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कोई ऐसा लम्बा विषय नहीं है कि सार्वजनिक चर्चा के लिए इसको भेजा जाय इसको यहीं निरस्त करें और इसको पास करें।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जाने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(7.00 सायं)

खण्ड 3 से 6—कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 6 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड–6(क), 6(ख) और 6(ग)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 (क), 6 (ख) और 6 (ग), अन्तःस्थापित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 (क), 6 (ख) और 6 (ग), अन्तःस्थापित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 और 8 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 और 8 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 और 8 स्वीकार किए गए।
(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एज हैव इट....

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस बात पर नोज हैव इट....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : आगे और है, आगे है, वाचन है आपका, बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, वह तो ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस पर वोट की मांग की थी नोज हैव इट.... (व्यवधान) हम जहां वोट की मांग करें वहां उसको आप सुनिये कम से कम....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो चुका आपका, आपको बोलने का मौका दूंगा, हो चुका है, It has been completed.

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको थोड़ा धीरे-धीरे चलना चाहिए, यह एक्ट पास हो रहा है, जुर्म हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will give you a chance. विराजिए आप।

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में अभी स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जो पारित करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उस सम्बन्ध में कुछ बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इन्होंने जो क्लाज 2(क) में धारा 3 का जो संशोधन किया है उसमें नगर की आबादी को पचास हजार से बढ़ा कर एक लाख किया है तथा खण्ड 7 के पश्चात् नगर निगम वगैरह बनाने के बारे में इन्होंने निगम शब्द अन्तस्थापित किया है तथा धारा 5 का संशोधन इन्होंने करके उप धारा 1 में खण्ड 1 में जो शब्दों बीस हजार या अधिक किन्तु एक लाख से अधिक, और एक लाख तक की जनसंख्या प्रतिस्थापित की है। इन चीजों से मैं समझता हूं, कोई विशेष राजस्थान में असर पड़ने वाला नहीं। खास बात यह है कि इन्होंने नगर निगम बनाने के बारे में जो अमेण्डमेंट किया है वह बहुत जल्दी में किया है। इसके बारे में सोच-विचार कर सब लोगों की राय लेकर नगर निगम कैसे बनें, उसका स्वरूप क्या हो, इस में खास तौर से इन्होंने आबादी के बारे में विशेष व्यवस्था की है, पांच लाख से अधिक। इसमें मेरा यह सुझाव है कि इसकी आबादी चार लाख और इससे अधिक की आबादी वाले नगरों को ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये। बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इससे ऊपर वाली आबादी के नगरों को नगर निगम बनाना चाहिए। जहां तक कोई भी बिल पारित होता है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों की ऐसी भावना है कि तीस तारीख को बोलिये इस पर ज्यादा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उसके ऊपर कहां बोल रहा हूं। जो इस एक्ट में पांच लाख से अधिक की आबादी पर नगर निगम बनाने की बात है, इसके सम्बन्ध में बोलना मेरा बहुत रेलेवेन्ट है। मैं नगरपालिका से सम्बन्धित कुछ मुद्दों के बारे में भी बात कहना चाहता हूं। आज नगर-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पालिकाओं की स्थिति क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय नगरपालिकाओं की तनख्वाह समय पर नहीं चुकाई जाती, नगरपालिकाओं के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं है, नालियां टूटी हुई हैं, शहर सड़ रहे हैं। आज जयपुर के गोपालजी का रास्ता, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, किसी भी रास्ते को जाकर देख लो, सड़ रहे हैं हमारे बीकानेर की जोधपुर की, उदयपुर की, कोटा की स्थितियों का यदि आप अवलोकन करें तो नालियों का निर्माण भी ढाई वर्ष में नहीं हुआ है। मेरे यहां तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां दो सौ मीटर नाली भी नहीं बनी। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका से सम्बन्धित विधेयक आप ला रहे हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हम आपकी तारीफ करेंगे कि आप राजस्थान में नगरपालिकाओं से संबंधित वित्तीय सहायता देने के लिए जिस तरह के फाइनेन्स कमीशन की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए की हुई है उसी तरीके से नगरपालिकाओं की वित्तीय सहायता के लिए आप कोई फाइनेन्स कमीशन की स्थापना करते और इस एक्ट में कोई प्रोविजन करते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी तरीके से आपने राजस्थान में....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नगर निगम की तारीफ नहीं करेंगे क्या ? नगर निगम बनाने की और यह बिल रखने की तारीख नहीं कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष ; अब इनको जितना छेड़ोगे उतना ही ज्यादा समय लेंगे, इसलिए इनको बोलने दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आपकी, उपाध्यक्षजी, राय मानते ही नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में यह प्रावधान किया था और उस समय इनके नेताओं ने लोगों को सब्जबाग दिखाये थे कि हम आते ही चुंगी को माफ कर देंगे। उस चुंगी का क्या हुआ ? मथुरादास माथुर समिति की रिपोर्ट आ गई लेकिन इन्होंने चुंगी की माफी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। इसके साथ-साथ प्रदेश में कई जगह नगरपालिकाओं के चुनाव होने थे, हमारे बीकानेर में इन्होंने चुनाव नहीं कराये, उदयपुर में चुनाव नहीं कराये। ऐसी अनेक नगरपालिकाओं के चुनाव आप कब करायेंगे ? इसी तरीके से कर्मचारियों की कमी है, सन् 1962, 1971 के बाद बहुत कम नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती हुई है और पुराने पैटर्न के आधार पर वहां के कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनको कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए ताकि नगरपालिकाओं की व्यवस्था अच्छी हो सके। एन्टरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार वसूल कर रही है, आप एन्टरटेनमेंट टैक्स को नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों को देने के बारे में क्या कर रहे हैं ? इसी प्रकार से जो सहायता राशि राज्य सरकार देती है वह 1971 की जनगणना के आधार पर देती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति जो राज्य सरकार की तरफ से नगरपालिकाओं को सहायता दी जाती है वह 1991 से आप कब देना शुरू करेंगे ? इसी तरीके से विशेष प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं नगरपालिकाओं को सहायता करने के, उसके बारे में भी राज्य सरकार ने अभी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तक ध्यान नहीं दिया है और अभी कल रात को इन्होंने जो अमेण्डमेंट्स दिये हैं इनमें तो माननीय सदस्यों को मूल एक्ट पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आइन्दा के लिए कम से कम इन लोगों को आप चेतावनी दें कि जो भी बिल आयेगा उनके बारे में मूल एक्ट का एक्सट्रैक्ट यह हमको साथ में देंगे। तभी जाकर हम अपने विचारों को सावधानी से रख सकेंगे, विचार करके उसको रख सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है स्वायत्त शासन मंत्रीजी से, कि इसको आज जल्दी में पारित नहीं करें और इसको हाउस की एक सलेक्ट कमेटी बनाकर, चाहे हाउस की कमेटी बना कर........

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह तो रिजेक्ट हो गया.......

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस विषय पर मुझे, चूंकि मैंने वह दिया था अमेण्डमेंट, विधान सभा के सचिवालय में कहीं इधर-उधर हो गया....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो आया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं चाहता हूं कि हाउस की कमेटी बनाकर इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : दो मेम्बर बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और उसके बाद पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, पूछ लीजिए पहले आप।

श्री नत्थी सिंह : सवाल यह पूछ रहा हूं माननीय मंत्रीजी से, जब पंचायतों का विधेयक आया था तब भी मैंने पूछा था, अब ये ले आये, कि भाई, जनसंख्या में नियंत्रण के लिए आपने इसमें प्रावधान कर दिया पर आपने जो चुनवा ली अपने मतलब की नगरपालिकाएं, उनमें लागू नहीं हुआ यह आपके इस प्रावधान से, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हो। जो एक्जिस्टिंग नगरपालिकाएं हैं, आज जब से लागू हो, तब से एक साल में उनके बच्चा पैदा हो जाय तो वह भी डिस्क्वालिफाई हो, यह क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? जो बीजेपी की नगरपालिकाएं चुनकर आ गई, उनको छुट्टी, कोई जनसंख्या नियंत्रण नहीं और आगे करोगे नियंत्रण, यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंहजी ....(व्यवधान) प्लीज।

श्री सम्पत सिंह : मैं तो दो ही प्रश्न मंत्रीजी से इसलिए करना चाह रहा हूं और मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है, अव्वल तो मुझे भरतपुर जिले का थोड़ा सा ज्ञान है नगरपालिकाओं की राजनीति के बारे में, ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ, माननीय कुम्हेर से आने वाले सदस्य जानते हैं और यही लड़ा करते थे उनके हित के लिए, कभी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश पाने के लिए, कभी कुछ और वहां के लोग यह

(श्री सम्पत सिंह)

सोचते थे कि कभी कांग्रेस हटे, किसी दूसरी पार्टी का राज आये, तो यह जो नगरपालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति है, जो स्थानीय निकाय हैं जिनके पीछे यह भावना रखी गई होगी हमारे संविधान के और हमारे नेताओं के द्वारा, इसके पीछे यह स्प्रिट रही होगी कि यहां राजनीति नहीं करेंगे। और माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं खास तौर से कि कम से कम मुख्य मंत्री के बाद आपका इस मंत्री मण्डल में दूसरा दर्जा है और स्वयं आप प्रजातांत्रिक मूल्यों के गहन दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तित्व के धनी लगते हैं वरना मैं अपना समय भी बेकार नहीं करता। मुझे मालुम है माननीय सदस्य घर जाने की जल्दी में हैं, मैं कहता भी नहीं। मैं इसको बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। आपने भरतपुर जिले की उन नगरपालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, ढाई साल में इस सरकार ने क्या बर्ताव किया? मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, आप मेरे शब्दों से ही अन्दाज लगा लें कि हमें वहां कितनी पीड़ा रही होगी। आपने अनुदान दिया तो उसमें एक तरह से भेदभाव किया। आप वहां क्या चाहते हैं नगरपालिकाओं में कोई शाखा लगेगी तभी अनुदान देंगे क्या? किसी भी कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन नहीं है और अगर मान लें कि चुनाव के बाद वह भी आ गये हों तो आपने एक व्यक्ति की खातिर, एक आदमी की खातिर उन बस्तियों को आपने नर्क में तबदील कर दिया। तो ऐसी-ऐसी हमारे जिले में नगरपालिकायें हैं। आपको इत्तला है, आपके अधिकारियों को इत्तला है और खास तौर से आपके अधिकारियों ने तो कीर्तिमान बनाये हैं इस विभाग में। यह उस नागरिक के साथ आप अगर राजनीति करोगे तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के और हमारी सरकार के हित में नहीं होगा। .... (व्यवधान) .... जनता दल (डी) और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है हालांकि बी.जे.पी. के लोग तो बड़ा घिस्सा देते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम बार बार सफाई देते हैं कि नहीं यह कोस्लीशन गवर्नमेन्ट है और जनता दल (डी) का इसमें बाकायदा हिस्सा है और अगर उनको यह वहम हो तो अपनी सरकार अलग बना लें। चुनाव करालें और हमारा पिंड छोड़ें। लेकिन अच्छी अच्छी चीजें तो आपके खाते में और बुरी बुरी चीजें हमारे खाते में पड़ेंगी। अव्वल तो उन्होंने कांग्रेस वालों ने बहुत गलतियां की नगरपालिकाओं में राजनीति की, ग्राम पंचायतों में राजनीति की। कोई बेईमान अगर नगरपालिका का अध्यक्ष है तो उसे आप बरखास्त करिये। कोई बेईमान ग्राम पंचायत का सरपंच है उसे आप कानून के अन्तर्गत बरखास्त करिये लेकिन जो उदाहरण दिया जाता है आज विधान सभाओं और संसद के बारे में कि यह डिग्नफाइड म्युनिसिपैलिटीज नहीं हैं याने म्युनिसिपैलिटीज को ऐसा समझ लिया कठपुतली जो इधर से उधर कर दो और उधर से इधर कर दो। दो दो और तीन-तीन महीने तक लगातार कूड़ा पड़ा रहे और नगरपालिका के अध्यक्ष और नगरपालिका के सदस्यों ने अपने हाथों से पूरे शहर की सफाई की है। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह कोई नागरिक नहीं

(श्री सम्पत सिंह)

हैं ? वह आपको कोई रुपया नहीं देते ? वह आपके लिए टैक्स नहीं देते । उनको कोई जीवन का अधिकार नहीं है ? वह बात तो अलग रही और आप कानून बनाने जा रहे हैं कि आपके बच्चे 2 से ज्यादा पैदा हो गये याने एक तो कोढ़ में खाज-एक तो माल ही आप बड़ा अच्छा बेच रहे हैं, कौआ का मांस बेच रहे हो और वह भी गाली गलौच से । एक तो उनको सहूलियत कुछ नहीं दे रहे हैं और दूसरे कानून ऐसा बना रहे हैं । मान लीजिए, मैं आप से पूछना चाहता हूं अभी नौजवान माननीय सदस्य अपनी शंका व्यक्त कर रहे थे मैने कहा कि आप बोलो ना कि नहीं आप ही बोलो। अगर कोई नगरपालिका का अध्यक्ष या सदस्य चुना गया उसके एक बच्चा पैदा हुआ और दूसरी डिलीवरी में दूसरे प्रसव में मान लीजिए कि ट्विन्स पैदा हो गये, जुड़वां पैदा हो गये तो वह तो गया काम से और हमारे यहां तो 6-6 हो रहे हैं । तो यह इस तरह की हिप्पोक्रेसी इन स्थानीय संस्थाओं में मत लाइये और हर पैंड-पैंड में आपने कानून बनाया मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं 'मोर लाज मोर वायोलेशन' जितने ज्यादा कानून बनायेंगे कम से कम आप हमारी समझ में इसमें राजनीति करेंगे तो हमारी सोशियल लाइफ बिलकुल एक दम से इरोडेड हो जायेगी, खतम हो जायेगी, डेस्ट्राय हो जायेगी । आप छोटी-छोटी जगह पर राजनीति मेहरबानी करके नहीं लायें । अगर हमारी पार्टी के और हमारी दूसरी संस्कृति के आदमी आते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जहां नहीं हैं वहां जबरदस्ती से हम थ्रप-थ्रप नहीं कर सकते। मैं तो आपसे यही विनती करता हूं अंतिम जो मुखर्जी कमेटी रिपोर्ट थी, मुझे मालुम है मैं कहूंगा उससे उल्टा ही करेंगे, विपरीत करेंगे । मैं मेरी नगरपालिका को नगरपालिका ही रखना चाहता था....

श्री यदुनाथ सिंह : फिर से एक बार प्रोग्राम रखवाइये इनका नगर में ।

श्री सम्पत सिंह : मैं तो हाथ जोड़कर हमेशा न्योता देता हूं कि किसी तरह से हमारा विकास हो । मैं चाहता था कि नगरपालिका नगरपालिका ही रहे क्योंकि पड़ोस में हमारा जो कस्बा है उसको ग्राम पंचायत माना जाता है तो वहां बिजली कम देते हैं। तो मैंने इनको लिखित में पत्र दिया कि हमारी नगरपालिका को ग्राम पंचायत बना दिया जाये । मुझे मालुम था मेरे विपरीत करेंगे तो आज दिन तक वह नगरपालिका ही है । तो मुझे यह बताइये आप कि आपने जो दूसरी नगरपालिकायें ग्राम पंचायतें कर दीं वह किस कानून के तहत कर दीं और जो नहीं की वह क्यों नहीं की और आगे आप अनुदान में यही बर्ताव रखेंगे क्या ? मेहरबानी करके इन संस्थाओं को तो दूध का दूध और पानी का पानी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब कर दो । इसलिए वहां हरिजन का, आम नागरिक का जीवन नारकीय नहीं बने और इस अमेन्डमेन्ट को आप ला रहे हैं हम चाहते हैं इनको आप लाइये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात कह दी हाउस में उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने खण्ड 6 के अन्दर संशोधन लाये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं

(श्री प्रेमसिंह बढ़िया)

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सन्तानें 12 महीने का आपने समय दिया है 7 महीने में भी बच्चा होता है। मन्त्री जी 7 महीने में भी बच्चा होता है और 9 महीने की बजाय 10 महीने में भी होता है। आप बोनस किसका देना चाहते हैं दो महीने का ? चुनने के बाद दो महीने का बोनस। वैसे 9 महीने लगते हैं और एब-नार्मल तो कुछ भी हो सकता है मन्त्री जी इसलिये मेरा इसमें संशोधन है कि आप एक साल की जगह 9 महीने कीजिये। आप इसमें बोनस मत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा 307 उप-खण्ड (1) में यह संशोधन ला रहे हैं। मूल एक्ट क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक परिषद के लिये एक आयुक्त होगा। यह तो मूल एक्ट है। आप अब संशोधन ला रहे हैं कि एक जगह एक से अधिक आयुक्त रख सकते हैं आप। मन्त्री जी यह संशोधन आप अब ला रहे हैं। दस साल पहले से एक से अधिक हैं। आपकी जयपुर नगर परिषद् में 8 9 आयुक्त हैं अभी तो। फिर जो संशोधन ला रहे और दस साल पहले एक से अधिक होंगे तो यह लाने की आज क्या आवश्यकता थी। अगर ला रहे हैं आज तो इसकी अवहेलना हुई उसके लिए क्या हैं ? नगर परिषद के अन्दर आयुक्त गृहकर, आयुक्त प्रशासन, आयुक्त मोटर गैरेज, आयुक्त फायर ब्रिगेड और न जाने कितने आयुक्त हैं। यह जनता के ऊपर इतना सारा भार मत डालिए मन्त्री जी। यह कितने आयुक्त ज्यादा होंगे उतना काम कम होगा और एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 (क) के अन्दर यह संशोधन लाये हैं धारा 65 के अन्दर कि मेयर को भत्ता-तनख्वाह वगैरह नगर पालिकाओं के अन्दर से दिया जायेगा। यह आप स्पष्ट करिये। जब आप नगर निगम बनाने जा रहे है तो नगर निगम के अन्दर आय होती है उसके अन्दर से देंगे या फिर नगर निगम घाटे में गये तो और किसी नगर पालिका के यहां से लाकर उनको तनख्वाह देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्ड 6 (ख) के अन्दर जो धारा 68 में संशोधन किया है यह 68 में नोट आफ डीसेन्ट अगर कोई अध्यक्ष ऐसा प्रस्ताव कर देता है जो नियमों के विरुद्ध है तो ई. ओ. नोट आफ डिसेन्ट बनाकर भेजता है कलक्टर के पास और अब आप चाहते हैं कि कलक्टर के पास नहीं भेजे और गवर्नमेन्ट के पास भेजे। उपाध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेन्ट के पास नोट आफ डिसेन्ट जायेगा तो यह दब जायेगा और कई ऐसे गलत काम हो जायेंगे। यह तो जिलाधीश के पास ही रहना चाहिए था। जो जिले का कन्ट्रोल कर रहा है उससे लेकर सेन्ट्रलाइज क्यों कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 (ग) के अन्दर कुछ कहना चाहता हूं। इसमें आपने धारा 170 में जो संशोधन किया है उसके बारे में मुझे आपसे कहना है। यह संशोधन है धारा 170 के 12 के अन्दर जो किया आपने उसमें मूल क्या है ? एक्ट की धारा 6 के ए, बी, सी के अन्दर जो पावर्स हैं इसी तरह से एक्ट की धारा 11 ए, बी के अन्दर जो पावर्स हैं अ और ब के अन्दर वह पहले जिलाधीश को थे और अब आप उनको भी गवर्नमेन्ट को दिलवाना चाहते

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

हैं। जो जिलाधीश तक पावर्स हैं, जिलाधीश से लेकर गवर्नमेन्ट या उसके किसी अधिकारी को देना चाहते हैं, तो इससे भी एक अनर्थ हो जायेगा। फिर जिलाधीश की क्या वैल्यू रहेगी ? नगर पालिका में कोई उसकी सुनवाई करेगा नहीं। आज इतना सारा घपला होता है नगर पालिका में, कम से कम जिला प्रशासन के पास, जिलाधीश के पास जाते तो हैं। अब आप क्षेत्रीय आयुक्त को देना चाहते होंगे, या गवर्नमेन्ट को देना, उनके मतलब की बात वहां तक यह पहुंचे, ऐसा नहीं है। मेरी समझ में था वह मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास मंत्री) : एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड, समझ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर ही दे दीजिए, माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपका यह क्लेरिफिकेशन कर दूं। यह जो आप फर्मा रहे हो न, यह कारपोरेशन के लिए है नगर पालिकाओं के लिए नहीं है। जहां कारपोरेशन होगा वहां कमिश्नर अगर कोई रिपोर्ट देगा तो कलक्टर को नहीं देगा, वह देगा गवर्नमेन्ट को खाली। बाकी जो नगर पालिकाएं हैं, उनका तो कलक्टर को ही अधिकार है। इसलिए आप वह वहम मत करिये, वह कुछ नहीं.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : और माननीय सम्पतसिंह जी ने जो कहा, तो आपके और मेरे बहुत निकट के सम्बन्ध हैं....

श्री सम्पतसिंह : यही तो खतरे की घन्टी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : खतरे की कोई घण्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव किसी नगर पालिका के साथ सरकार करती हो, यह तो बात दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आपका और हमारा साथ है, ऐसा सम्भव ही नहीं है, वैसे ही नहीं करते हम तो और आप साथ हो तो करने का सवाल ही नहीं है.... (व्यवधान).... बात सुनिये.... (व्यवधान)....

श्री सम्पत सिंह : जिस गम्भीरता से मैंने बात कही है, उस गम्भीरता से ही आप जवाब दीजिए। मैं फ्लोर पर नहीं कहना चाहता हूं, क्या-क्या हुआ है नगर पालिकाओं में।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बिल्कुल गम्भीरता से कहता हूं कि कोई भेदभाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिल्कुल गम्भीरता से कहता हूं मैं। यदि आप मुझे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा, कोई भेदभाव नहीं हुआ है उसमें। यह कमिश्नर का सवाल है...(व्यवधान)... बैठिये आप, कमिश्नर का जहां तक सवाल है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं आप, ऐसे बैठिये, नहीं बैठ सकता। आपके कहने से बैठ सकता हूं मैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रहा था कि नोखा में जो अध्यक्ष थे चुने हुए. नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही है....

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने तो दीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, नोखा के चुने हुए अध्यक्ष को हटा दिया और हाई कोर्ट ने इनके आदेश की धज्जियां उड़ा दी, उसको वापस लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपने कहा, "ए कमिश्नर", तो पहले एक्ट में "ए कमिश्नर" लिखा हुआ है और "ए कमिश्नर" से काम चल रहा था। एक मामला हाई कोर्ट में चला गया तो उन्होंने यह कहा "ए" का मतलब है "एक"। "ए" का मतलब "एक" नहीं होता है लेकिन हाई कोर्ट ने कहा 'ए' का मतलब "एक" समझा जायेगा इसलिये अपाइण्टमेंट लाये यह। यह हाई कोर्ट के आदेश से है बाकी हम तो यही ठीक मानते थे और, माननीय कल्ला साहब, आपके सूरसागर में तो जो कभी जिंदगी में आपने नही किया होगा, वह काम हुआ है सफाई का और आप कहते हो नाली नहीं बनी, तो आप तो हमेशा, आप शहर में देखा करो कभी, आप शहर में जाया करो कभी।....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कुछ नहीं किया अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनको सुनो तो सही, तारीफ तो करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप शहर में जाया करो जरा, देखा करो आप और आपने कहा कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिये, तो मैंने पुरानी फाइलें जब आप मन्त्री थे, वह फाइलें देख लीं, उसमें कोई संशोधन आपने रखे हुये नहीं थे। आप मंत्री थे न जब, तब इन नगरपालिका के काम में कोई संशोधन, कोई प्रस्ताव, जो आज रखे हैं न, उसकी एक की भी चर्चा नहीं है उस फाइल में। यह तो हम लाये हैं इनको तो ...(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नगर पालिकाओं का कब मंत्री था, मंत्री रहा ही नहीं कभी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता था कि आपकी जनरल नॉलेज....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने वह फाइनेंस कमिशन वगैरह की बात कुछ कही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट, नोज हैव इट ...

सत्तापक्ष के माननीय सदस्य : ऐज हैव इट, ऐज हैव इट ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे यह बिल पास करायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : अगेन पूछ लेता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एतराज है कि जो यहां पर बहस हुई है उसके बारे में एक रिप्लाई इन्होंने नहीं दी। चूंगी के माफ करने के बारे में हमने बात की यहां .

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये, बिराजिये आप। अब बैठिये, कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एण्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में बात की।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये, प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 29 9.92 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक रात्रि 7.25 बजे, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 225 की सूची

ग्राम रामपुरा (डाबडी) में स्थापित पंजीकृत इकाइयों का विवरण

क्रमांक	इकाई का नाम
1.	मै. न्यू यूनाइटेड इन्जीनियरिंग वर्क्स
2.	मै. हनुमान इन्जीनियर्स
3.	मै. सूरज इन्जीनियरिंग वर्क्स
4.	मै. सन्तोष लघु कृषि यंत्र उद्योग

–×–

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सपोटरा क्षेत्र के विद्यालयों में भवन व्यवस्था

231. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सपोटरा क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में भवन व्यवस्था है ?

(2) कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर उपयुक्त भवन नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार जहां उपयुक्त भवन नहीं है वहां पर भवन बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सरकार अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा में विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कराती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन एवं जन सहयोग उपलब्ध होने पर उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य कराने पर भी विचार किया जायेगा।

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की सूची जहां उपयुक्त भवन नहीं है

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भाकरी
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हाडौती
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करणपुर
4. ,, ,, चौड़ागांव
5. ,, ,, सलेमपुर
6. ,, ,, लागरा
7. ,, ,, रोघई
8. ,, ,, डाबरा
9. ,, ,, खेड़ला
10. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मंडरायल
11. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, घेराई
12. ,, ,, ,, हाडौती
13. ,, ,, ,, करोरा

14. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, एकटी
15. ,, ,, ,, कल्याणपुरा
16. ,, ,, ,, खिरखिड़ा
17. ,, ,, ,, खिरखिड़ी
18. ,, ,, ,, गज्जूपुरा
19. ,, ,, ,, जाखेदा
20. ,, ,, ,, जोड़ली
21. ,, ,, ,, थूमा
22. ,, ,, ,, दरगमा
23. ,, ,, ,, नींदर
24. ,, ,, ,, पाचोली
25. ,, ,, ,, बहादुरपुरा
26. ,, ,, ,, बैरुहा
27. ,, ,, ,, भालून
28. ,, ,, ,, मनारपुर
29. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जीरात
30. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शेखपुर

जयपुर-मण्डावा वाया डिगाल बस सेवा

232. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से मण्डावा वाया डिगाल मार्ग पर परिवहन निगम की बस पुराने समय से चलती थी जिसे गत 3-4 माह से बन्द कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से टमकोर वाया झुन्झुनूं मलसीसर चलने वाली बस को भी गत एक माह से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या निगम इन बस सेवाओं को पुनः शुरू करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो इन सेवाओं को कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, तथापि मलसीसर-टमकोर निजी मार्ग के वाहन स्वामियों

(यातायात मन्त्री)

द्वारा सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर को प्रेषित आपत्ति पत्र पर प्राधिकार द्वारा निगम वाहन का संचालन मलसीसर से आगे टमकोर तक निजी मार्ग पर न करने बाबत आदेश पारित कर दिये जाने के कारण इस सेवा का संचालन जयपुर से मलसीसर वाया झुन्झुनूं तक ही किया जा रहा है।

(3) केवल जयपुर से टमकोर वाया झुन्झुनूं-मलसीसर बस सेवा का संचालन टमकोर तक किये जाने का विचार है जिस हेतु मलसीसर से टमकोर तक का अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर को निगम द्वारा आवेदन कर दिया गया है। अनुज्ञापत्र स्वीकृत होने पर इस सेवा का संचालन टमकोर तक किया जाना सम्भव होगा।

निजी शिक्षण संस्थान में राज्य कर्मचारियों के समकक्ष सुविधायें

233. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजी शिक्षण संस्थाओं को, जो अनुदान सूची पर हैं, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर चिकित्सा पुनर्भरण सुविधायें, आवास किराया व अन्य सुविधायें देने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो राज्य की अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उक्त सुविधायें कब तक दे दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार महाविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों को उक्त सुविधायें दे रही है ? यदि हां, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को उक्त सुविधायें नहीं देने के पीछे कुछ आधार है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस दोहरे मानदण्ड को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के सन्दर्भ में इस विभाग के पत्र दिनांक 7.3.92 से महाविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यरत गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओं के प्रबन्धक मण्डलों को उनके कर्मचारियों को वेतन व भत्ते यथा महगाई भत्ता मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा पुनर्भरण एवं अन्य शर्तें समकक्ष श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के समकक्ष स्वीकृत करने हेतु निर्देश दिये गये थे तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय का स्वीकृत अनुदान प्रतिशत से राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण कर दिया जावेगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के गैर सरकारी अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें भत्ते दिये जाने का मामला राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्था अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत निर्णयाधीन है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित अनुदानित संस्थाओं के शिक्षकों को उक्त सुविधायें देने हेतु उपरोक्तानुसार निर्देश दिये गये हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें देने का प्रकरण राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्णयाधीन है।

(3) राज्य की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में शीघ्र आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

परिवहन निगम में रिक्त पद

234. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा), श्री अरुण सिंह (डीग) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान परिवहन निगम में चालक, परिचालक एवं मिस्त्री तथा विद्युतकार के कितने पद रिक्त हैं ? इनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने पद, किस-किस श्रेणी के भरे गये हैं ? शेष रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम में मैकेनिक एवं विद्युतकार (इलेक्ट्रिशियन) के सामान्य वर्ग के पदों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो कब तक रोक हटेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम में परिचालकों और मैकेनिक/मिस्त्री के कोई पद रिक्त नहीं हैं। चालकों के 228 पद 31-3-92 को रिक्त थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालकों के अलावा किसी श्रेणी के पद नहीं भरे गये हैं। चालकों के 228 पदों को भरने के लिये पैनल बनाकर नियुक्ति हेतु आगार इकाइयों को उपलब्ध करा दिया गया। विद्युतकारों के रिक्त पदों को रोक हटने के पश्चात भरने हेतु विचार किया जाना सम्भव होगा।

(2) जी हां। इन पदों की नियुक्ति पर से रोक हटाने के बाबत कोई मामला वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नावां शहर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

235. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नावां शहर के राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय तथा राजकीय महासुख बिपाणी बालिका माध्यमिक विद्यालय में कौन-कौन से विषय के अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रिन्सीपल, वाइस प्रिन्सीपल के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अध्यापकों के अभाव में यहां के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार किस प्रकार किया जा सकेगा ? राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन दोनों विद्यालयों का 1991 एवं 1992 में परीक्षा परिणाम प्रादेशिक

(शिक्षा मन्त्री)

औसत से अच्छा रहा है। फिर भी परीक्षा परिणाम की गिरावट को रोकने की दृष्टि से योग्यताधारी वरिष्ठ अध्यापकों से विषय अध्यापन कार्य की व्यवस्था की जा रही है। एवं रिक्त पदों पर अध्यापकों तथा व्याख्याताओं का शीघ्रत: पदस्थापन किया जा रहा है।

इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदस्थापन न्यायालय में चल रहे वाद का निर्णय होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा। व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नावां तथा राजकीय महसुख बियाणी बालिका माध्यमिक विद्यालय, नावां में वर्तमान में रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद				कब से रिक्त
		प्रधा.	उप-प्रधा.	प्रधाना.	व्याख्याता	
1.	रा.सी.उ.मा.वि., नावां	1	1	–	2	प्रधानाचार्य 7/92 उप-प्रधानाचार्य 1/92 व्या.(अंग्रेजी) 9/92 व्या (भौतिक) 8/89
2.	रा. महासुख बियाणी बा. मा. वि., नावां	–	–	1	–	8/91

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का चयन

236. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राइमरी स्कूलों के लिये नये अध्यापक चयनित करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जबकि पूरे राजस्थान में अध्यापकों के अभाव में प्राइमरी स्कूलें काफी संख्या में बन्द पड़ी हैं और कई जगह छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं? यदि हां, तो कब तक चयन प्रक्रिया पूरी करके खाली पद भर दिये जायेंगे?

(2) बीकानेर जिले में नये अध्यापकों की चयन प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी और वर्तमान में जिले में कितने अध्यापकों की आवश्यकता है?

उत्तर

(1) राजस्थान भर में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चयन एवं नियुक्ति करने में सबसे बड़ी कठिनाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न जिलों के अध्यापक तथा प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं में पारित स्थगन आदेश के कारण अनुभव हुई है। जिन-जिन जिलों में ऐसे स्थगन आदेश निरस्त कर दिये गये हैं वहां चयन प्रक्रिया प्रगति पर है तथा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिनांक 15.10.92 तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(2) बीकानेर जिले में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जावेगी। वर्तमान में 398 सामान्य श्रेणी के पद रिक्त हैं जिनके भरने की कार्यवाही की जा रही है। ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 56 पद रिक्त हैं जो प्रतिबन्ध लगने के कारण नहीं भरे जा सके हैं।

सिरोही–शिवगंज क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद

237. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही-शिवगंज विधान सभा क्षेत्र के सीनियर हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी स्कूलों में कितने पद प्रिन्सीपल वाइस प्रिन्सीपल, प्रधानाध्यापक एवं विषय अध्यापक के कब से और कहां कहां रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पदों को भरने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 2 उप-प्राचार्य, 2 प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय), 13 व्याख्याताओं एव 5 वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विधान सभा शिवगंज में 1 प्राचार्य, 2 प्रधानाध्यापक एवं 2 वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं व 4 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य के पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राचार्य के पदों की डी.पी.सी. वर्ष 1989–90 के सम्बन्ध में चल रहे वाद का निर्णय हो जाने के उपरान्त भरे जा सकेंगे। व्याख्याताओं के कुछ पद तदर्थ पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हैं। शेष पद तथा प्रधानाध्यापिका का पद लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्षेत्र में रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद							
प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता		वरिष्ठ अध्यापक	
—या	कब से	संख्या	कब से	संख्या	कब से	संख्या	कब से
	–	–	–	1 (नाशा.)	7/92	–	–
				2 (व्याशि)	4/89		
	11/91	–	–	1 (र.वि.)	5/92	1	9/87
				1 (नाशा.)	7/92		
	–	–	–	1 (नाशा.)	7/89	–	–
	9/91	–	–	1 (भौतिक)	1/92	–	–
				1 (अर्थ शा.)	7/91		
				1 (जी.वि.)	7/91		
				2 (व्या.शि.)	4/89		
				1 (व्या.शि.)	7/92		
				1 (संगीत)	5/92		
-	–	–	–	1 (गृ.वि.)	7/89		
				1 (जी.वि.)	1/92		
				1 (भौतिक)	1/90		
-	–	–	–	1 (व्या.शि.)	6/92		
-	–	1	7/90	–	–	2	7/92
–	–	1	7/90	–	–	1	7/92
–	–	–	–	–	–	1	9/91
–	–	1	7/91	–	–	1	8/91
–	–	1	8/92	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	8/92
2	–	4	–	17	–	7	–

ग्राम पंचायत बिशनियां के पूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

238. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैरूंलाल शर्मा, पूर्व सरपच, ग्राम पंचायत, बिशनियां, पं. स. कोटडी, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध उनके कार्यकाल में की गई अनियमितताओं एवं घटिया किस्म के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के पास जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से एवं जांच में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार जांच कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा 17/4 के अन्तर्गत कार्यवाही निर्णय हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार को श्री भैरूंलाल शर्मा के विरुद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 7.9.91 को प्राप्त हुई थी जिस पर पूर्व सरपंच को दिनांक 9.6.91 को आरोप पत्र दिया जाकर, स्पष्टीकरण मांगा गया तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर विभागीय जांच करवाई गई जो पूर्ण हो गई है।

(2) जी हां। उक्त सरपंच के विरुद्ध धारा 17 (4) के अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध करने की कार्यवाही आदेश दिनांक 18.9.92 द्वारा दी गई है।

जयपुर शहर में आपराधिक प्रकरणों की रोकथाम

239. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जयपुर शहर भारत के उन चौदह नगरों में से एक है जहां सर्वाधिक अपराध होते हैं ? यदि हां, तो इन अत्यधिक अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करती है ?

उत्तर

राष्ट्रीय स्तर पर संकलित किये जाने वाले अपराधों की तालिका के अनुसार अपराधों की दृष्टि से जयपुर शहर 11वें स्थान पर है। अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस बल में वृद्धि की गई है व अपर अधीक्षक पुलिस के दो, उप अधीक्षक पुलिस के 7 पद व निरीक्षक 9, उप निरीक्षक 17, सहायक उप निरीक्षक 14 है, का. 14, कांस्टेबल 207 का. ड्राइवर 21 के नये पद सृजित कर बढ़ोत्तरी की गई है और 7 नये पुलिस थाने सृजित किये गये हैं। इन थानों के प्रभारी पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाये गये हैं। अजनबी व्यक्तियों की पहचान की कार्यवाही कर अपराधिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। इसके अलावा गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, अभ्यस्त अपराधी अधिनियम व दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही अपराधी तत्वों के विरुद्ध की गई है। गश्त, नाकेबन्दी की जाकर अपराधों की रोकथाम के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

तहसील नगर में नये विद्यालयों की स्थापना

240. श्री सम्पत सिंह (नगर), श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जनवरी, 1992 से तहसील नगर में कितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये ? विद्यालय खोले जाने में क्या मानदण्ड अपनाये ? तहसील नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

जनवरी, 92 से राज्य में 8 विद्यालयों यथा 2 सीनियर हायर सैकण्डरी एवं 6 माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कहीं भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये गये।

आरक्षित पंचायत समिति एवं जिला परिषद्

241. श्री अमीन खां (शिव) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत मण्डल कितनी आबादी या पंचायतों पर बनाया जा रहा है ?

(2) राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति की कितनी पंचायतों मण्डलों या पंचायत समितियों व जिला परिषदों के प्रमुखों के स्थान आरक्षित किये जा रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों के आरक्षण किसी पंचायत क्षेत्र में उक्त वर्गों की कुल जनसंख्या के आधार पर चक्रानुसार किया जावेगा जिसके मापदण्डों का निर्धारण अभी होना शेष है। मण्डल पंचायतें बनाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में यथास्थिति प्रधान तथा प्रमुख के पदों के आरक्षण का भी अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मेवाड़ भील कोर

242. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मेवाड़ भील कोर, खैरवाड़ा की जो वर्तमान संख्या है वह एक बटालियन की संख्या से कम है ? यदि हां, तो कितनी कम है और उसको पूर्ण करने की क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ? कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मेवाड़ भील कोर, खैरवाड़ा की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 838 है जिसमें से विभिन्न श्रेणी के कुल 68 पद रिक्त हैं जिनके भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। 16 पद पदोन्नति से भरे जायेंगे और 49 पद आरक्षी के हैं जिसमें से 46 पदों हेतु अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाई जा चुकी है एवं नियुक्ति दिए जाने की

(गृह मन्त्री)

प्रक्रिया जारी है। अभी समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है

सवाई माधोपुर में अध्यापकों के स्थानान्तरण

243. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मार्च, 1992 से जुलाई, 1992 तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा सवाई माधोपुर द्वारा कितने स्थानान्तरण किये गये ? संवर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में क्या सभी स्थानान्तरण राज्य सरकार की नीति के अनुसार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्रीघनश्याम, श्री रामस्वरूप आदि कई अध्यापकों के स्थानान्तरण नीति विरुद्ध किये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार नीति विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मार्च, 92 से जुलाई, 92 तक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सवाई माधोपुर द्वारा कुल 123 स्थानान्तरण किये गये। संवर्गवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसकी जांच की जा रही है।

(3) श्री घनश्याम एवं श्री रामस्वरूप का विवरण अपर्याप्त होने से प्रश्न अस्पष्ट है।

(4) जी हां। जांच के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा में पंचायत कर्मियों के रिक्त पद

244. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) एवं श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारी, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) प्रत्येक पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में दीर्घावधि तक अध्यापक नहीं रहने के क्या कारण हैं ? भविष्य में उक्त पिछड़े जिले में अध्यापकों के पद रिक्त न रहे, इस हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में प्रसार अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के कुल 315 पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सामान्य वर्ग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। श्याम-पट्ट योजना के अन्तर्गत रिक्त पदों के भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा रोक लगा रखी है।

जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति वार रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	पंचायत प्रसार अधिकारी	सहकारिता प्रसार अधिकारी	कृषि प्रसार अधिकारी	प्रगति प्रसार अधिकारी	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	शिक्षा प्रसार अधिकारी	वरिष्ठ लिपिक	अध्यापक सामान्य	अध्यापक श्याम-पट्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	2	–	24	–
2–	घाटोल	–	–	–	1	–	2	–	52	–
3–	पीपलखूंट	–	–	–	–	–	–	–	43	–
4–	आनन्दपुरी	–	–	–	1	–	2	–	24	5
5–	कुशलगढ़	1	1	1	1	–	3	1	65	9
6–	बागीदोरा	–	–	–	–	1	1	–	27	–
7–	गढ़ी	–	1	–	–	–	2	–	7	–
8–	सज्जनगढ़	–	–	–	–	–	1	–	21	6
	योग:–	1	2	1	3	1	13	1	273	20

= 315

व्याख्याताओं द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं के बहिष्कार का प्रकरण

245. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या व्याख्याता स्कूली शिक्षा ने गत सत्र 1991-92 में अपने संगठन के आह्वान पर हड़ताल कर परीक्षाओं का बहिष्कार किया था ?

(2) क्या बोर्ड की परीक्षा लेने से मना करने पर विभागीय नियमों के तहत कोई दण्ड का प्रावधान है ? यदि हां, तो बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार करने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या शिक्षकों एवं कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाता है ? यदि अवकाश पर माना जाता है तो व्याख्याताओं की हड़ताल अवधि को किन अवकाशों में माना गया ?

(4) क्या यह सही है कि व्याख्याताओं के बहिष्कार के समय विभाग ने उपस्थिति पंजिकाओं में हस्ताक्षर करने की छूट प्रदान की थी ? यदि हां, तो संदर्भित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कराये जाने के क्या कारण थे ?

(5) क्या सरकार व्याख्याता स्कूली शिक्षा के बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार के समयावधि को अन्य संगठनों द्वारा की गयी हड़ताल अवधि के समान अवकाशों में समायोजन करने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्र. एफ 12 (18) ग्रुप-2/82 दि. 15-3-82 द्वारा बोर्ड की परीक्षा से संबंधित सारा कार्य विभाग के अध्यापकों का सामान्य कार्य है। अत: परीक्षा लेने से मना करने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही विभाग में विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता है। दैनिक उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करना राज्य-सेवकों का सामान्य कार्य है।

(5) जी नहीं। विचाराधीन है और यथाशीघ्र आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में आवंटन के प्रकरण

246. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों व प्रशासकों द्वारा फर्जी व गैर कानूनी अलाटमेंट की पिछले एक वर्ष में की गई कितनी शिकायतें विभिन्न स्तर के अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं ? उसमें कुल कितने पट्टे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अलाट किये गये और कितनी भूमि का कब्जा दिलवाया गया ?

(2) क्या जोहड़पायतन कुएं व सार्वजनिक भूमि के पट्टे काटकर अलाट करने की शिकायतें भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस गांव की और कितना क्षेत्र इससे सम्बन्धित है ?

(3) क्या लालगढ़, किसनपुरा, खाट-सजवार, इन्द्रपुरा, हाकयाबाद, जण्डवाला संतपुरा, बननाला मोरजंड़ खारी, भाखरा-वाली में सार्वजनिक स्थानों के अलाटमेंट जोहड़पायतन भूमि व गैर कानूनी अलाटमेंट में गम्भीर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इन अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासकों के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करना चाहती है या शीघ्र चुनाव करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक चलाये रखना चाहती है ?

उत्तर

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सादुलशहर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर व हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंचों की प्राप्त 18 शिकायतों में से 15 शिकायतें विचाराधीन हैं, जिसमें पंचायत समिति सादुलशहर की 9 व पंचायत समिति हनुमानगढ़ की 6 हैं। फर्जी व गैर कानूनी अलाटमैन्ट की पिछले एक वर्ष में प्रशासकों के विरूद्ध कोई शिकायत विचाराधीन नहीं हैं। कुल 730 पट्टे अलाट किये गये और 147252 वर्गगज भूमि का क्षेत्र शामिल है।

(2) जी हां। कुल 11 गांवों में 133 जोहड़पायतन सार्वजनिक स्थानों आदि में पट्टे दिये गये हैं जिनका क्षेत्र 42159 वर्ग गज है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। परिशिष्ट-1 के कालम सं. 1 व 2 में विवरण सदन की पटल पर रख दिया है। शिकायतें पंचायत समिति, सादुलशहर तथा हनुमानगढ़ के विकास अधिकारियों के पास जांच हेतु विचाराधीन हैं।

(4) पंचायतों के चुनाव दिनांक 13.12.92 तक करा दिये जावेंगे।

रकबा वर्गगज	अवैध आवंटन प्लाट की संख्या एवं रकबा वर्गगज में					
	जोहड़पायतन		डिग्गी/कुआं		सार्वजनिक स्थान	
	प्लाट सं.	रकबा	प्लाट सं.	रकबा	प्लाट स.	रकबा
6	7	8	9	10	11	12
84328	–	–	–	–	–	–
5565	–	–	–	–	–	–
–	13	3467	–	–	–	–

ा का निस्तारण हो चुका है ।

ा का निस्तारण हो चुका है ।

–	–	–	8	1200	–	–
–	–	–	3	500	–	–
15200	–	–	–	–	–	–

यत का समाधान दिनांक 12.12.91 को कर दिया गया है ।

–	–	–	–	–	4	1833
–	18	19110	–	–	–	–

1	2	3
12.	मोरजण्डखारी	मलकीतसिंह सरपंच ने प्रबंध प्लाट बेचान किये हैं निरस्त करने बाबत ।
13.	दीनगढ़	शिकायत विरुद्ध सरपंच पट्टे निरस्त बाबत ।
14.	रतनपुरा	शिकायत विरुद्ध सरपंच
15.	रतनपुरा	,, ,,
16.	नगराना	,, ,,
17.	मानकसर	,, ,,
18.	डबलीराठान	,, ,,

ग्राम पंचायत सन्तपुरा व बनवाला के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में सन् 1989 से 1992 तक लगाये गये उद्योगों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम व पता	स्थाई पंजीयन सं. दिनांक	उत्पादक का नाम	पूंजी विनियोजन भूमि भवन	पूंजी विनियोजन प्लांट एवं मशीनरी	नियोजन
				(लाखों में)		
	पं. स. सिवाना (विधान सभा क्षेत्र) की इकाइयां					
1.	मै. धनजय केमिकल्स प्रा. लि., ई–II औ. क्षेत्र, समदड़ी	05539/16.6.89	पोटेशियम आयोडाइड एवं आयोडेट	5.06	8.95	9
2.	मै. जैन टेलरिंग एवं निटिंग सेन्टर, सिवाना	05584/15.3.90	टेलरिंग एवं निटिंग	किराये पर	0.09	2
3.	मै. बजरंग ऑयल मिल, सिवाना	05618/14.8.91	खाद्य तेल व खल	2.00	2.63	8
4.	मै. परफैक्ट ग्रेनाइट, मोकलसर	05625/18.12.91	ग्रेनाइट टाइल्स	स्वयं	1.96	7
	ब-पं. स. सिणधरी (विधान सभा क्षेत्र) की इकाइयां					
5.	मै. डूंडी चूना भट्टा उद्योग, धने की ढाणी, सिणधरी	03447/23.3.91	चूना व कलइ निकालना	स्वयं	0.62	10
6.	मै महावीर गम एण्ड केमिकल्स इण्ड. बालोतरा रोड, सिणधरी	03507/28.7.92	ग्वार गम, चूरी, कोरमा बनाना	4.00	9.73	8

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची

श्रीगंगानगर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं	संस्था का नाम	स्वीकृत अनुदान राशि	छात्र सं.	अध्यापकों का विवरण				
				प्रधा.	व्या.	वग्र.	अध्या.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भोपालवाला आर्य उ.मा.वि, गंगानगर	1706268	1470	1	12	20	10	43
2.	गुरूनानक खालसा उ.मा.वि., गंगानगर	1830540	1379	1	11	21	10	43
3.	जी.एल. बिहानी उ.मा.वि., गंगानगर	1999909	1943	1	13	30	22	66
4.	वधिमती उ.मा.वि., गंगानगर	310355	338	1	8	10	–	19
5.	दयानंद उ.मा.वि., रायसिंहनगर	497890	494	1	10	3	–	14
6.	ज्ञानज्योति उ.मा.वि., करणपुर	821959	688	1	7	9	9	28
7.	स.ध. उ.मा.वि., गंगानगर	236630	230	1	3	5	–	9
8.	गुरूनानक उ.मा.वि., करणपुर	276106	108	1	5	6	–	12
9.	ग्रामोत्थान उ.मा.वि, संगरिया	1638913	753	1	5	5	6	17
10.	नेहरु स्मृति मा.वि. हनुमानगढ़	157908	642	1	–	7	1	9
11.	गुरूनानक बालिका उ.मा.वि., गंगानगर	1533014	1995	1	13	16	17	47
12.	ग्रामोत्थान बा.उ.मा.वि., संगरिया	683371	753	1	5	5	7	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	स. ध. बा.उ.मा.वि., गंगानगर	273886	384	1	8	3	–	12
14.	गुरुनानक बा.मा.वि., केसरीसिंहपुर	171424	75	1	–	4	–	5
15.	दधिमति उ.प्रा.वि., गंगानगर	293016	429	–	–	1	17	18
16.	गुरुनानक उ.प्रा.वि., करणपुर	149640	285	–	–	1	10	11
17.	राजेन्द्र उ.प्रा.वि., गंगानगर	120795	301	–	–	1	7	8
18.	दयानंद उ.प्रा.वि., रायसिंहनगर	178726	495	–	–	1	8	9
19.	जवाहर बाल मंदिर उ.प्रा.वि., गंगानगर	173521	403	–	–	1	9	10
20.	स. ध. उ. प्रा. वि., गंगानगर	218934	405	–	–	1	8	9
21.	ललिता शास्त्री उ.प्रा.वि., गंगानगर	56933	133	–	–	1	3	4
22.	अरोडवंश उ.प्रा.वि., गंगानगर	134511	682	–	–	1	9	10
23.	शिशु शिक्षा सदन उ.प्रा.वि., गंगानगर	66397	105	–	–	1	3	4
24.	श्री कृष्ण उ.प्रा.वि. पदमपुर	102239	264	–	–	1	5	6
25.	सरस्वती शिशु मंदिर, गंगानगर	68317	185	–	–	1	3	4
26.	नेहरु स्मृति उ.प्रा.वि., हनुमानगढ़ जं.	101225	327	–	–	–	10	10
27.	पूर्णमल उ.प्रा.वि., नोहर	67325	392	–	–	1	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	नेहरु मेमोरियल चिल्ड्रन, हनुमानगढ़ टा.	165520	355	–	–	1	7	8
29.	बी.आर. उ.प्रा.वि., संगरिया	127411	358	–	–	1	8	9
30.	बाल मंदिर उ.प्रा.वि., गंगानगर	अनुदान आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं।						
31.	बाबा हरिद्वारीनाथ उ.प्रा.वि., गंगानगर	"	"		"		"	
32.	" " " मा.वि., गंगानगर	"	"		"		"	
33.	आदर्श बाल मंदिर उ.प्रा.वि., गंगानगर	"	"		"		"	
34.	गुरूनानक बा.उ.प्रा.वि., केसरीसिंहपुर	92038	211	–	–	–	5	5
35.	बेबी हेपी उ.प्रा.वि., गंगानगर	70972	119	–	–	1	2	3
36.	स.घ. बा.उ.प्रा.वि., गंगानगर	188886	330	–	–	–	12	12
37.	गुप्ता बाल भारती, गंगानगर	168757	455	–	–	1	12	13
38.	नालंदा बा.उ.प्रा.वि., गंगानगर	46154	149	–	–	1	3	4
39.	गांधी बा.उ.प्रा.वि., गंगानगर	82907	76	–	–	1	3	4
40.	खालसा पब्लिक उ.प्रा.वि., पदमपुर	87922	304	–	–	1	3	4
41.	टैगोर बा.उ.प्रा.वि., गंगानगर	55968	152	–	–	1	3	4
42.	शर्मा बाल मन्दिर, सूरतगढ़	189543	608	–	–	1	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	काशी विद्यापीठ उ.प्रा.वि., गंगानगर	79910	76	–	–	1	3	4
44.	देवेन्द्र बाल भारती, विजयनगर	67709	72	–	–	1	3	4
45.	बाल संसार उ.प्रा.वि., गंगानगर	52120	123	–	–	1	3	4
46.	श्रीबाली उ.प्रा.वि., नोहर	72367	145	–	–	1	3	4
47.	बाल भारती प्रा.वि., गंगानगर	89395	264	–	–	–	7	7
48.	ललिता शास्त्री प्रा.वि., गंगानगर	121312	253	–	–	–	7	7
49.	राजेन्द्र प्रा.वि., गंगानगर	229301	716	–	–	–	18	18
50.	गुरुनानक खालसा प्रा.वि., गंगानगर	156929	319	–	–	–	7	7
51.	भोपालवाला आर्य प्रा.वि, गंगानगर	227672	726	–	–	–	11	11
52.	ज्ञान ज्योति प्रा वि., करणपुर	225139	498	–	–	–	12	12
53.	श्री कृष्ण प्रा. वि., पदमपुर	173268	620	–	–	–	13	13
54.	जवाहर बाल मंदिर, करणपुर	86956	365	–	–	–	9	9
55.	गुरू तेगबहादुर प्रा.वि., गंगानगर	64162	267	–	–	–	5	5
56.	आदर्श शिक्षा सदन, प्रा. वि., गंगानगर	133546	414	–	–	–	10	10
57.	मनोहर बाल मंदिर, प्रा. वि., गंगानगर	103655	424	–	–	–	9	9
58.	शिशु शिक्षा सदन प्रा.वि., गंगानगर	78637	294	–	–	–	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	सरस्वती शिशु मंदिर, गंगानगर	63577	162	–	–	–	5	5
60.	अग्रोहवंश प्रा. वि., गंगानगर	293930	575	–	–	–	14	14
61.	भवानी बाल मंदिर, पदमपुर	65313	258	–	–	–	5	5
62.	नेहरु स्मरण प्रा.वि., गंगानगर	44565	166	–	–	–	4	4
63.	ग्राम प्रा.वि., भादरा	114044	376	–	–	–	9	9
64.	नेहरु बाल वाटिका, नोहर	143919	693	–	–	–	10	10
65.	नेहरु मेमोरियल चिल्ड्रन, हनुमानगढ़ टाऊन	359211	785	–	–	–	14	14
66.	बाल विकास प्रा.वि., हनुमानगढ़ टाऊन	73418	215	–	–	–	5	5
67.	बाल निकेतन प्रा.वि., नोहर	51466	250	–	–	–	4	4
68.	बाल मंदिर प्रा.वि., गंगानगर	अनुदान प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं.						
69.	आदर्श बाल मंदिर प्रा.वि., गंगानगर	”	”	”	”			
70.	गुरूनानक बा.प्रा.वि., गंगानगर	222754	243	–	–	–	9	9
71.	बेबी हेपी प्रा.वि., गंगानगर	190553	325	–	–	–	8	8
72.	ग्रामोत्थान बा.प्रा.वि., संगरिया	141174	280	–	–	–	6	6
73.	श्री बालिका प्रा.वि., नोहर	167326	321	–	–	–	8	8
74.	नालंदा बा. प्रा.वि., गंगानगर	104387	238	–	–	–	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	गांधी बालिका प्रा.वि., गंगानगर	88020	295	–	–	–	6	6
76.	शर्मा विद्या मंदिर, हनुमानगढ़ जं.	19930	112	–	–	–	2	2
77.	देवेन्द्र बाल भारती, विजयनगर	77404	193	–	–	–	5	5
78.	आदर्श बाल निकुंज, हनुमानगढ़ जं.	48951	253	–	–	–	4	4
79.	आदर्श बालिका प्रा.वि., हनुमानगढ़ टाऊन	53708	123	–	–	–	3	3
80.	बाल संसार बा. प्रा.वि., गंगानगर	93108	244	–	–	–	5	5
81.	टैगोर बा.प्रा.वि., गंगानगर	72798	284	–	–	–	5	5
82.	काशी विद्यापीठ बा. प्रा.वि., गंगानगर	64909	244	–	–	–	5	5
83.	स्वदेश बा.प्रा.वि., करणीसर सैजीपुरा	39983	185	–	–	–	3	3
84.	विश्व बाल भारती बा.प्रा.वि., गंगानगर	59127	330	–	–	–	8	8
85.	नेहरु चिल्ड्रन स्कूल, डबली राठान	67173	222	–	–	–	5	5
86.	सावन-मॉडल बा. प्रा.वि., गंगानगर	63302	249	–	–	–	6	6
87.	अशोक-मॉडल स्कूल हनुमानगढ़	76940	294	–	–	–	7	7
88.	गांधी विद्यापीठ बा. प्रा.वि., गंगानगर	74624	221	–	–	–	5	5
89.	श्री बहादुर राम जाट मॉडल प्रा.वि., गंगानगर	100754	408	–	–	–	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.	श्री मनोहरदास पब्लिक स्कूल, थालडका	81647	442	–	–	–	8	8
91.	विद्या निकेतन बा.प्रा.वि., गंगानगर	50137	170	–	–	–	4	4
92.	अग्रवाल आदर्श बा. प्रा.वि., गंगानगर	88616	333	–	–	–	6	6
93.	खालसा पब्लिक स्कूल, पदमपुर	130338	524	–	–	–	9	9
94.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय बा. शिक्षा सदन गंगानगर	62600	261	–	–	–	5	5
95.	विश्व बाल भारती बाल मंदिर, प. सारणा	26216	263	–	–	–	4	4
96.	बेबी हेप्पी मॉडल प्रा.वि., हनुमानगढ़	76522	280	–	–	–	6	6
97.	दयानंद पब्लिक स्कूल, गंगानगर	60767	206	–	–	–	5	5
98.	इंडियन पब्लिक स्कूल, पीलीबंगा	53830	224	–	–	–	4	4
99.	जमींदारा आदर्श बा.प्रा.वि., लालगढ़ ज.	82858	357	–	–	–	7	7
100.	बाल निकेतन बा.प्रा.वि., गंगानगर	195278	662	–	–	–	14	14
101.	शर्मा बाल मंदिर प्रा.वि., सूरतगढ़	अनुदान प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं।						
102.	विद्या वाटिका प्रा.वि., विजयनगर	"	"	"	"			
103.	जगदंबा अंध विद्यालय, गंगानगर	69510	77	–	–	–	6	6
104.	जगदंबा मूक बधिर, गंगानगर	265616	261	–	–	–	18	18

श्री गंगानगर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 92-93 में स्वीकृत अनुदान राशि लाखों में	प्रवक्ताओं की संख्या	छात्रों की संख्या
1.	एस.जी.एन. खालसा कालेज, श्रीगंगानगर	19.20	39	1408
2.	सेठ जी.एल. बिहाणी कालेज, श्रीगंगानगर	12.00	31	1098
3.	नेहरु मेमोरियल कालेज, हनुमानगढ़	11.40	34	1342
4.	जी.बी. कालेज आफ आर्ट्स एण्ड साइन्स, संगरिया	4.20	16	766
5.	महर्षि दयानंद कालेज, श्रीगंगानगर	12.00	32	634
6.	ज्ञान ज्योति कालेज श्रीकरणपुर	4.50	19	166
7.	शहीद भगत सिंह कालेज, रायसिंह नगर	3.00	10	197

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची

चौमूं (जयपुर) क्षेत्र में कार्यरत माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	सीनियर उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति का वर्ष
1.	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौमूं	1988
2.	,, ,, ,, गोविन्दगढ़	1988
3.	,, ,, ,, खेजरोली	1988
4.	,, ,, ,, इस्तेड़ा	1988
5.	,, ,, ,, इटावा	1991
6.	,, ,, (छात्रा) चौमूं	1988

		माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति का वर्ष
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राधास्वामी बाग	1970
2.	,, ,, आष्टीकलां	1984
3.	,, ,, बासा	1980
4.	,, ,, ढोढसर	1979
5.	,, ,, किशनपुरा	
6.	,, ,, मोरीजा	1978
7.	,, ,, निवाणा	1971
8.	,, ,, सामोद	1977
9.	,, ,, सिंगोदखुर्द	1975
10.	,, ,, तिगरिया	1978
11.	,, ,, उदयपुरिया	1978
12.	,, ,, धिनोई	1990
13.	,, ,, (छात्रा) गोविन्दगढ़	1986
14.	,, ,, (छात्रा) खेजरोली	1984

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची

नाम विद्यालय	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से एवं विषय
सी.उ.मा.वि.,	प्रधानाचार्य	1	–	1	9/92
सांचौर	उप प्रधानाचार्य	1	–	1	3/91
	व्याख्याता	19	15	4	संस्कृत-1, व्या.शि. 3
	व. अ.	11	8	3	विज्ञान. सॉमान्य-3
	अध्यापक	5	5	–	
झाब	प्रधानाचार्य	1	–	–	2/92
	उप प्रधानाचार्य	1	–	–	7/92 से
	व्याख्याता	7	4	3	हिन्दी, वाणिज्य-2
	व. अ.	3	2	1	गणित
	अध्यापक III	3	3	–	
डूगरी	प्रधानाचार्य	1	–	1	2/92 से
	उप प्रधानाचार्य	1	1	–	
	व्याख्याता	5	3	2	अंग्रेजी, हिन्दी
	व. अ.	6	5	1	सामान्य
	अध्यापक	3	3	–	
रा.मा.वि., चितलवाड़ा	प्रधानाध्यापक	1	–	1	7/92 से
	व. अ.	6	6	–	
	अध्यापक	4	4	–	
पुर	प्रधानाध्यापक	1	–	1	8/92 से
	व. अ.	6	4	2	सामान्य, गणित
	अध्यापक	3	3	–	
हाडेचा	प्रधानाध्यापक	1	1	–	
	व. अ.	7	7	–	
सांकड	प्रधानाध्यापक	1	–	1	8/92 से
	व. अ.	5	4	1	अंग्रेजी

1	2	3	4	5	6
	अध्यापक	3	3	–	
हेमागुडा	प्रधानाध्यापक	1	–	1	8/92 से
	व. अ.	6	6	–	
	अध्यापक	8	5	3	सामान्य
डाबल	प्रधानाध्यापक	1	–	1	8/92
	व. अ.	6	5	1	गणित
	अध्यापक	8	6	2	
मालवाडा	प्रधानाध्यापक	1	–	1	89 से
	व. अ.	6	5	1	विज्ञान
	अध्यापक	7	6	1	
वरणवा	प्रधानाध्यापक	1	–	1	1989 से
	व. अ.	6	4	2	सामान्य, गणित
	अध्यापक	5	4	1	
रा. मा. वि., खिवादरा	प्रधानाध्यापक	1	–	1	1989 से
	व. अ.	6	6	–	
	अध्यापक	7	6	1	
करिया	प्रधानाध्यापक	1	–	1	1990 से
	व. अ.	6	6	–	
	अध्यापक	7	7	–	
रा. बालिका मा.वि., सांचोर	प्रधानाध्यापक	1	–	1	3/86
	व. अ.	5	5	–	
	अध्यापक	–	–	–	

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची

सिवाणा विधान सभा क्षेत्र एवं सिणधरी पंचायत समिति में 89–90 से आज तक क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

वर्ष	उ.प्रा.वि. से माध्यमिक विद्यालय	मा.वि. से सी.उ.मा.वि.
सिवाणा विधान सभा क्षेत्र		
1989–90	1. राखी	बजट प्रावधान नहीं
	2. पायलाकंला	
	3. मंजल	
	4. थवा	
	5. नाखड़ा	
	6. आडेल	
1990–91	—	शून्य
1991–92	—	शून्य
सिणधरी पंचायत समिति क्षेत्र		
1989–90	1. बालिका सिणधरी	"
1990–91	—	"
1991–92	—	"

प्रश्न के बिन्दु संख्या– 3 की सूची

1992–93 में विधान सभा सिवाणा एवं सिणधरी पंचायत समिति में प्राथमिक को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, एवं माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के निम्न प्रस्ताव निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार के विचाराधीन हैं:–

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र एवं पंचायत स.	उ.प्रा.वि.	मा.वि.	उ.मा.वि.
1.	सिवाणा	महूडी	करमावास	मोकलसर
		देवड़ा	रमणिया	खाण्डप
		रामपुरा	कुशीप	
		मियोंका वाडा	गुडानाल	
	(कन्या)	सिवाणा		
		समदडी		
2.	सिणधरी (प.स)	मिठीबेरी	सणपा	अजीत
		धोलानाढा	मुर्का भगतसिह	पादस
		खारा महैया	—	रावतसर
		कालानाडी	—	नोखडा

वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक सिवाणा विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरणों की सूची

क्र. सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक मय विषय	कहां से	कहां को
1	2	3	4
	वर्ष 89-90		
1.	श्री केशाराम, व. अ. (सामा)	मा.वि., खाण्डप	मा.वि. मोकलसर
2.	,, किशनालाल (व.अ.)	मा.वि. गून्गा	मा.वि. खाण्डप
3.	,, रमेशचन्द्र (अंग्रेजी)	मा.वि, अजीत	मा.वि, असेाड़ा
4.	,, मनोहरसिंह (गणित)	मा.वि, खाण्डप	मा.वि. रामसर
5.	,, किशनलाल (सामा)	मा.वि, इन्द्राणा	मा.वि, पंचपदरा
6.	,, अम्बालाल (अंग्रेजी)	उ.मा.वि, सिंधरी	मा.वि., कवास
7.	,, प्रेमचन्द (उद्योग)	उ.मा.वि., सिवाना	उ.मा.वि., धारीमना
8.	,, गंगासिंह (अंग्रेजी)	मा.वि., मोकलसर	मा.वि. अजीत

1	2	3	4
9.	श्री विष्णुशंकर (सामा)	मा.वि., असोतरा	उ.प्रा.वि., नं.2, सिवाना
10.	,, मोतीलाल (अंग्रेजी)	सी.उ.मा.वि., सिवाना	मा.वि., जसोल
	तृतीय श्रेणी अध्यापक		
1.	श्री जवाहरलाल	प्रा.वि., नं.1, सिवाणा	प्रा.वि. नं.6 बालोतरा
2.	,, मोटाराम	सी.उ.मा.वि., सिवाना	मा.वि. आसोतरा
3.	,, देवाराम	सी.उ.मा.वि., वायतू	मा.वि., अजीत
4.	,, चेतनदास	उ.प्रा.वि. नं.1 सिवाना	प्रा.वि.नं.6 बालोतरा
5.	पुखराज	प्रा.वि., नं.1 समदड़ी	उ.प्रा.वि., रायकालोनी (बाड़मेर)
6.	,, रेखाराम	सी.उ.मा.वि., सिवाना	सी.उ.मा.वि., वायतू
7.	,, मुनी अहमद	सी.उ.मा.वि., सिवाना	,, समदड़ी
	कर्मचारी वर्ग		
1.	श्री चौथाराम, जमादार	मा.वि., खाण्डप	मा.वि., बाड़मेर
2.	,, राणाराम च.श्रे.क.	मा.वि., पादरू	मा.वि., आसोतरा
3.	,, भंवरलाल ,,	मा.वि., अजीत	मा.वि., पजल
4.	,, अमराराम, ,,	मा.वि., पटोदी	मा.वि., राखी
	वरिष्ठ अध्यापक	**90–91**	
1.	श्री किशनसिंह (जीवविज्ञान)	मा.वि., अजीत	मा.वि., पजल
2.	,, रामोवतार (विज्ञान)	मा.वि., पटोदी	मा.वि., राखी
	तृतीय श्रेणी अध्यापक		
1.	श्री जवरसिंह	उ.प्रा.वि., नं.1, सिवाना	प्रा.वि. सं.8, बालोतरा
2.	,, भंवरसिंह	मा.वि. पादरू	उ.प्रा.वि., रायकोलोनी (बाड़मेर)
3.	,, हेमराज	सी.उ.मा.वि., सिणधरी	प्रा.वि., नं.8, बालोतरा

1	2	3	4
4.	श्री मोहनलाल	सी.उ.मा.वि., सिणधरी	उ.प्रा.वि., नं.4 बालोतरा
5.	,, किशनलाल	सी.उ.मा.वि., सिवाना	उ.प्रा.वि., नं.4, बाड़मेर
	कर्मचारी वर्ग		
1.	श्री सुरजाराम, पु.प्र.	मा.वि., जसोल	मा.वि., पायलाकलां
2.	,, नरपतसिंह पु.पु.प्र.	मा.वि., इन्द्राणा	मा.वि., जसोल
3.	,, वीरेन्द्रकुमार प्र.श.स.	मा.वि., आसोतरा	मा.वि., राखी
4.	,, भोलाराम, ,,	,, पाटोदी	सी.उ.मा.वि., सिवाना
5.	,, तेजदान, ,,	सी.उ.मा.वि. सिणधरी	,, पंचपदरा
6.	,, अशोकसिंह, ,,	,, बालोतरा	मा.वि., मोकलसर
	वरिष्ठ अध्यापक	**91–92**	
1.	श्री चेतराम (अंग्रेजी)	मा.वि., अरनियाली	मा.वि., मेजल
2.	,, रामबरीमणि (अंग्रेजी),,	अजीत	सी.उ.मा.वि., सिवाना
3.	,, घनश्याम (गणित) ,,	खण्डान	मा.वि., मेजल
4.	,, चुन्नीलाल (सामा) ,,	भाटाला	,, राखी
5.	,, अजीतसिंह (गणित) ,,	खाण्डप	सी.उ.मा.वि., समदड़ी
6.	,, देवीप्रसाद (सामा) ,,	खाण्डप	,, समदड़ी
7.	,, मांगीलाल (सामा) ,,	इन्द्राणा	,, सिवाना
	अध्यापक		
1.	श्री रमजान खां	उ.प्रा.वि., गांधीचौक (बाड़मेर)	प्रा.वि., जनेवास, समदड़ी
2.	,, अनवरअली	,, प्राणा (बाड़मेर)	प्रा.वि., गडरिया लोहार कालोनी
3.	,, पारसमल	सी.उ.मा.वि., सिटी सिवाना	मा.वि., मोकलसर
4.	,, बहादुरसिंह	,, सिवाना	,, ,,
5.	,, विजयशंकर	मा.वि., इन्द्राणा	,, अरणिवाली
6.	,, बालाराम	सी.उ.मा.वि., बायतू	सी.उ.मा.वि., सिणधरी

1	2	3	4
7.	श्री सूबेदार	मा.वि., घणाऊ	सी.उ.मा.वि.सिणधरी
8.	,, आबदान	सी.उ.मा.वि., सिवाना	,, मोकलसर
9.	,, नजीरहुसैन	मा.वि., पादरू	,, सिवाना ,, गाडारयोतोह

कर्मचारी वर्ग

1.	श्री भोजारा, प्रशास	सी.उ.मा.वि., सिणधरी	सी.उ.मा.वि., बालोतरा
2.	,, अखाराम	मा.वि., मोकलसर	,, बायतू
3.	,, खेताराम	सी.उ.मा.वि., सिणधरी	मा.वि., सूलजी की ढाणी
4.	,, हरिसिंह, क.लि.	मा.वि., राखी	,, खाण्डप
5.	,, भंवरलाल च.श्रे.क.	सी.उ.मा.वि., सिणधरी	,, चवा
6.	श्रीमति रानी	एस.टी.सी., बाडमेर	सी.उ.मा.वि., सिवाना
7.	,, मति मोहनी	सी.उ.मा.वि., सिवाना	एस.टी.सी., बाड़मेर
8.	श्री बिरधीचन्द	,, सिवाना	मा.वि., मोकलसर
9.	,, सरदारसिंह	मा.वि., मोकलसर	सी.उ.मा.वि., सिवाना
10.	,, अमराराम	,, राखी	मा.वि., मोकलसर

वरिष्ठ अध्यापक 92-93

1.	श्री भंवरसिंह (सामा)	मा.वि., खाण्डप	मा.वि., मजल
2.	,, समाराम ,,	,, मजल	,, खण्डप
3.	,, कमलाकान्त (अंग्रेजी)	,, बावड़ीकलां	,, राखी
4.	,, नारायण (सामा)	,, छोटू	सी.उ.मा.वि., सिणधरी
5.	,, जयसिंह (अग्रेजी)	,, बलजी की ढाणी	,, सिवाना
6.	,, जैताराम ,,	सी.उ.मा.वि., सिवाना	मा.वि., मूलजीकी ढाणी
7.	सुश्री उपसना (जीवि.)	मा.वि., मोकलसर	सी.उ.मा.वि., गुढ़ामलानी
8.	श्री अचलाराम (गणित)	,, अजीत	मा वि., असाडा
9.	,, अमराराम (सामा)	,, पादरू	,, अजीत
10.	,, इन्द्रमल (सामा)	,, नोखड़ा	,, पादरू

अध्यापक

1	2	3	4
	अध्यापक		
1.	श्री मुनीर अहमद	सी.उ.मा.वि., समदड़ी	सी.उ.मा.वि., गुढामालानी
2.	,, बालाराम	,, सिणधरी	मा.वि., सवा ईपदमसिंह
3.	,, पारसमल	उ.प्रा.वि., भांमसीन	सी.उ.मा.वि., समदड़ी
4	,, दयाशंकर	प्रा.वि., जनवीवाससमदड़ी	,, समदड़ी
5.	,, सरदारसिंह (शाशि)	उ.प्रा.वि. मेवाली	मा.वि., विशाला
	कर्मचारी वर्ग		
1.	श्री रमेशकुमार प्रशांत	मा.वि., कलनौर	सी.उ.मा.वि., सिणधरी
2.	,, दलाराम, प्रशांत	,, पादरू	मा.वि., मोकलसर
3.	,, बाबूलाल, प्रशांत	,, इन्द्राणा	,, आसोतरा
4.	,, गोर्वधनसिंह	,, होड	,, पादरू
5.	,, प्रदीपकुमार	,, होड	सी.उ.मा.वि., सिणधरी
6.	,, रामाराम क. लि.	,, पादरू	मा.वि. हुडो की ढाणी
7.	,, सुभाष, प्रशांत	बा.मा.वि., जसोल	,, अजीत
8.	,, अणदाराम च.श्रे.क.	मा.वि., हरसानी	,, राखी
9.	,, मंगलाराम, च.श्रे.क.	,, राखी	,, थोमडी

ूची

करी व शस्त्रों सहित अवैध घुसपैठ के
न तालिका

	तस्करी का बरामद सामान		
	हिरोइन	हशिश	हथियार
	7	8	9
म	30 कि. 800 ग्राम	—	32 राईफल एके 47 व एके 56, 20 पिस्टल, 15 मैगजीन; 1 स्टेनगन, 12305 कारतूस
	—	—	—
	—	—	दो मोजर बन्दूक, एक 303 राइफल
	19 कि. 362 ग्राम	–	—
म	50 कि. 162 ग्राम		
	—	—	124 राइफल एके 47 व एके 56 38 पिस्टल, 468 मैगजीन, व 30466 कारतूस
	—	—	—
ाम	32 कि. 275 ग्राम	—	एक 303 बोर राइफल, एक एके 56–राइफल
ाम	—	—	—
ाम	32 कि. 275 ग्राम		
	2 पैकिट	—	—

	1	2		3	4	5
2.	1992	बीकानेर		1	—	—
3.	1992	जैसलमेर		14	17	54 कि. 849 ग्रा.
4.	1992	बाड़मेर		38	61	22 कि. 161 ग्रा.
			योग	54	78	77 कि. 10 ग्र

परिशिष्ट -9

अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

जिला सवाई माधोपुर में थानों पर तैनात कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम थाना	थानों पर तैनात कर्मचारी				
		पुलिस निरी.	पुलिस उ. नि.	सहायक उ. नि.	मुख्य आरक्षी	आरक्षी
1.	कोतवाली	1	1	3	4	28
2.	मान टाउन	–	1	1	3	11
3.	खाजना डूंगर	–	1	1	1	12
4.	मलारना डूंगर	–	1	–	1	12
5.	खण्डार	–	1	–	1	15
6.	बोली	–	1	1	1	15
7.	चौथ का बरवाड़ा	–	1	1	1	15
8.	गंगापुर सिटी	–	1	3	3	22
9.	वजीरपुर	–	1	1	1	16
10.	गढमोरा	–	1	–	1	14
11.	नादौती	–	1	1	1	11
12.	बामनवास	–	1	1	1	13
13.	हिण्डोन	–	1	3	4	20
14.	सूरोठ	–	1	1	1	16
15.	महावीरजी	–	1	1	1	13
16.	सलेमपुर	–	1	1	1	12
17.	महुवा	–	1	1	1	14
18.	मण्डावर	–	1	1	1	14
19.	टोडाभीम	–	1	1	1	15
20.	करौली	–	1	2	4	21
21.	मासलपुर	–	–	1	1	17
22.	मण्डरायल	–	1	1	1	12
23.	सपोटरा	–	1	1	1	12
24.	कैलादेवी	–	1	1	1	14
	योग	1	23	28	36	364

क्र.सं.	नाम चौकी	चौकियों पर तैनात कर्मचारी			
		उप निरी.	सहायक उ.नि.	मुख्य आरक्षक	एल.सी.
1.	मलारना स्टेशन	–	–	1	5
2.	बहराडण्डाखुर्द	–	–	1	2
3.	बहराडण्डाकला	–	–	1	1
4.	मित्रपुरा	–	–	1	4
5.	ईसरदा	–	–	1	4
6.	गंगापुर सिटी	–	1	–	6
7.	गुढाचन्द्रजी	–	–	1	4
8.	हिण्डौन	–	–	–	6
9.	बलसार	–	–	1	4
10.	करौली	–	1	–	7
11.	पांचना	–	–	1	5
12.	कुडगांव	–	–	1	4
13.	चैनपुरा	–	–	1	4
14.	नारोली डांग	–	–	1	3
15.	करणपुर	–	–	1	3
16.	महाराजपुर	–	–	1	2
	योग	–	2	13	64

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

जनवरी, 88 से आज तक तहसील सांचौर जिला जालौर के अपराधों की सूची जो कि जांच हेतु सी.आई.डी. (अपराध शाखा) में मंगवाये गये

क्र.सं.	अभियोग सं.	धारा	सी.आई.डी. (सी.बी.) में लेने की तारीख	निस्तारण का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	36/88	467, 466, 471, 477ए, 420, 409, 120बी	थाना सांचौर 31-12-90	अन्वेषणाधीन
2.	64/88	409, 419, 420, 467, 468, 471	,, ,,	एफ.आर. 11-4-91
3.	67/88	392, 377, 398, 302	7-7-88	जिले को वापस 12-7-88
4.	73/88	419, 420, 467, 120बी	31-12-90	अन्वेषणाधीन
5.	16/89	302, 201	15-3-89	एफ.आर. 29.9.89
6.	55/89	147, 149, 179, 353, 332	23-6-90	एफ.आर. जुलाई, 90
7.	56/89	147, 148, 149, 179, 382, 323	23-6-90	एफ.आर. 31-10-92
8.	82/89	3/7 ई. सी. एक्ट	23-6-90	एफ.आर. जुलाई, 90
9.	109/89	302	17-4-90	एफ.आर. जून, 90

1	2	3	4	5
10.	125/89	409, 467 468, 471	31-12-90	अन्वेषणाधीन
11.	19/91	406	19.6.91	एफ.आर. 25.1.93
12.	124/92	147, 148, 149, 307	30.5.92	अन्वेषणाधीन
13.	126/92	323, 452, 147, 148, 149, 379	30-5-92	अन्वेषणाधीन
14.	67/91	17, 18, एन.डी.पी.एस. एक्ट	थाना चीतलवाना 17-10-91	चालान 26-6-92
15.	10/92	365, 342, 323, 147, 148	थाना सरवाना 7-4-92	अन्वेषणाधीन

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 322 की

थाना सपोटरा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1990 से अब तक दर्ज हत्या के अ[redacted]

क्र.	गांव का नाम	घटना का दिनांक	मु.नं. एवं धारा	मुस्तगीस का नाम	नाम मुल्जि[redacted]
1	2	3	4	5	6
1.	पीलादापुरा		32/90 28.3.90 धारा 147 से 149, 302 भा.दं सं.	हीरालाल पुत्र मूल्या मीणा नि. पीलानापुरा	गेंदा पुत्र ह[redacted] पुत्र फेंफ[redacted] हेमराज पु[redacted] बद्री फेंफ[redacted] पुत्र बद्री [redacted]
2.	दडकी		46/21.7.90 धारा 307, 34, 120-बी, 302 भादंसं	लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाधर गुर्जर नि. दडकी	सरवत उ' कंचन नि रामजीला[redacted] पिसरान पुत्र छोट डोगरी [redacted]
3.	खेडला की झोपड़ी		114/4.10.90 धारा 147 से 149, 307, 302, 324, भादंसं	धर्नसिंह पुत्र भोरया मीणा नि. खेडला की झोपड़ी	ख्यालीर धाशारा कालुराम रामखी[redacted] घूडया श्रोम प्र भारतल[redacted] मीनगा
4.	पटवरी		149/90 धारा 302 भादंस	रामफुल पुत्र लोहडच्या मीणा नि. पटवरी	अज्ञात

(248)

7	8
	दौराने तफ. मामला एक्सीडेन्टल का पाये जाने पर अचानक पैर फिसलने से व कुए में गिरने के कारण मौत हुई । एफ. आर.एक्सीडेन्टल दी गई । एफ.आर. नं. 19/23.6.92
1.8.92	—
—	पुलिस पेण्डीग अन्वेषणाधीन सी.ओ. करौली तफ. कर रहे हैं।
	" " "

ो का नाम पता 6	शिकायत करने की तिथि 7	पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई 8
्दी मीणा नि. ्दा व रामोतार	9-3-92	सी.ओ. टोंक द्वारा जांच की जा रही
मविलास शर्मा रिकिशन शर्मा ्जयसिंहपुरा	28-4-92	अ.पु.अ. राज. जयपुर द्वारा जांच की जा रही है।
ोजीराम बैरवा मदेव बैरवा, ा ग्राम सुमाना	13-2-92	नियम 17 सीसीए के रूल्स का नोटिस दिया गया।
ोजीलाल मीणा ्क. टोंक	31-2-92	सी.ओ. टोंक द्वारा जांच जारी है।
कटिंग हिन्दुस्तान :0-7-92	29-7-92	सी. ओ. देवली द्वारा जांच की जा रही है।
्मेश अध्यक्ष ा. उनियारा	28-8-92	अ.पु.अ. सीआईडी सीबी रेंज जयपुर द्वारा जांच जारी है।
ोकरण पुत्र लाल जाट	29-7-92	सी.ओ. टोंक द्वारा जांच जारी है।
्द्र प्रकाश लेया पुत्र ्द नि. देवली	17-8-92	सी ओ. टोंक द्वारा जांच जारी है।

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	सितम्बर से अगस्त			कमी बेशी	प्रतिशत
		सितम्बर 89 से अगस्त 89	सितम्बर 90 से अगस्त 91	सितम्बर 91 से अगस्त 92	सित. 90 से अग. 91 सित. 91 से अग. 92	सितम्बर 91 से अगस्त 92
1.	डकैती	4	3	3	–	–
2.	लूट	32	40	41	+ 1	+ 2.50
3.	हत्या	48	48	46	– 2	– 4.17
4.	बलवा	452	542	554	+ 12	+ 2.21
5.	नकबजनी	340	310	282	– 28	– 10.32
6.	चोरी	485	484	488	+ 4	+ 0.83
7.	बलात्कार	18	23	16	– 7	– 30.43
8.	अन्य भादसं.	2679	2322	2619	+ 297	+ 12.79
		4058	3772	4049	+ 277	+ 7.34

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की प्रति

(3) The measurement of standard of smoke shall be done with a smoke meter of a type approved by the State Government and the measurement of other pollutants like carbon monoxide, shall be done with instruments of a type approved by the State Government.

Speed Governors.

117. Speedometer— (1) Every motor vehicle, other than an invalid carriage or a vehicle, the designed speed of which does not exceed thirty kilometres per hour, shall be fitted with an instrument (hereinafter referred to as "speedometey" so constructed and fixed in such a position as to indicate to the driver of the vehicle the speed at which the vehicle is travelling.

(2) A speedometer shall be deemed to satisfy the requirements of this rule if, upon test, it is found to be accurate within ten per cent above or below the speed specified for the vehicle by the State Government under sub-section (2) of Section 112, or of no speed is so specified, then above or below a speed of sixty kilometres per hour.

118. Speed governor – (1) On and from the commencement of this rule, such transport vehicles as may be notified by the Central Government in the Official Gazette shall be fitted by the operator of such transport vehicle with a speed governor (speed controlling device) approved by the Bureau of Indian Standards, in such a manner that the speed governor can be sealed with an official seal of the State Transport Authority or a Regional Transport Authority in such a way that it cannot be removed or tempered with without the seal being broken. S.O.N. 427 (E) 1st July, 93 shall come in to yorce)

Reduction of noise.

119. Horns.—(1) Every motor vehicle shall be fitted with an electic horn or other device approved by the Bureau of Indian Standard and approved by the registering authority for use by the driver of the vehicle and capable of giving audible and sufficient warning of the approach or position of the vehicle.

(2) No motor vehicle shall be fitted with any multitoned horn giving a suecession of different notes or with any other sound-producing device giving any unduly harsh, shrill, loud or alarming noise.

(3) Nothing contained in sub-rule (2) shall prevent the use on vehicles used as ambulance or for fire fighting or salvage purposes or on vehicles used by police officers or officers of Motor Vehicles Department in the course of their duties, of such sound signals as may be approved by the registering authority in whose jurisdiction such vehicles are kept.

120. Silencers (1) Every motor vehicle shall be fitted with a device (hereinafter referred to as a silencer) which by means of an expansion chamber or otherwise reduces as far as practicable, the noise that would otherwise be made by the escape of exhaust gases from the engine.

(2) Every motor vehicle shall be so constructed and maintained as to conform to noise standards as approved by FIS from time to time.

8.16. Sound signals-restriction on use of.—(1) No driver of a motor vehicle shall sound the horn or other device for giving audible warning, with which the motor vehicle is equipped. or shall cause or allow any other person to do so, to an extent beyond that which is reasonable necessary to ensure safety.

(2) Authority to prohibit sound signals.—The Transport Commissioner or the District Magistrate may by notification in the Rajasthan Gazette and by the crection in suitable place of traffic sign No. M 18 as set forth in Schedule to the Act. prohibit the use of any horn. joning or other device on a motor vehicle for giving audible warning within such locality and during such hours. as may be specified in the notification :

Provided that when the Transport Commissioner or the District Magistrate as the case may be, prohibity the use of any horn. ioning or other device for giving audible warning during certain specified hours, he shall cause a suitable notice setting forth the hours within which such use is so prohibited to be affixed below the traffic signs.

शिष्ट-16

न संख्या 332 की सूची

-ौचालय एवं स्वच्छता कार्यक्रम उन्नत चूल्हा योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल
-ों तथा पंचायत समितिवार लक्ष्यों की प्राप्ति की सूचना (वर्ष 1991-92)

पं स. उनियारा		पं. स. मालपुरा		पं. स. टोटारायसिंह		कुल योग	
ल.	प्रा.	ल.	प्रा.	ल.	प्रा.	ल.	प्रा
150	157	125	154	125	134	800	978
75	75	80	80	70	70	460	480
300	108	300	50	300	194	1500	518
750	850	750	850	750	885	4500	5533
604	554	490	385	410	380	3467	3119

छता कार्यक्रम, उन्नत चूल्हा योजना कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्डपम्प
-वार लक्ष्यों की प्राप्ति की सूचना (वर्ष 1992-93) माह अगस्त, 1992 तक

पं.स, मालपुरा		पं.स. उनियारा		पं.स. टोडारायसिंह		कुल योग	
ल,	प्रा.	ल,	प्रा.	ल.	प्रा,	ल.	प्रा,
135	190	130	73	130	242	00010	11
75	—	80	—	75	—	480	51
200	—	200	—	200	20	1000	00
750	150	750	50	750	150	45000	000
90	404	604	454	410	380	3512	3147

ह०
जिला कलेक्टर, टोंक

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 335 की सूची

वर्ष 1990 से 4.9.92 तक अवधि समाप्त होने तथा अन्य कारणों से खालसा की गई खानों की सूची

क्र.सं.	लाइसेन्सी का नाम	खान संख्या	रैन्ज (खान का नाम)
1	2	3	4
1.	श्री भंवरुराम जाट	4/श	बोरावड़ कुमारी
2.	,, मुन्नालाल	250/2	कोलाडूगरी रेन्ज
3,	,, अब्दुल रजाक	132/ए	उल्लोड़ी रेन्ज
4.	,, चुन्नीलाल	149	गुणावती रेन्ज
5.	,, इनायत अली	155	,, ,,
6.	,, बाबुलाल माली	42/एफ	चकडूंगरी रेन्ज
7.	,, जमालुदीन	42/के	चकडूगरी रेन्ज
8.	,, बिलालुदीन	216	गुणावती रेन्ज
9.	,, मै. राधास्वामी समाज वर्क्स	217/1	गुणावती रेन्ज
10.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	142/3	गुणावती रेन्ज
11.	श्री हरकरण	142/2	गुणावती रेन्ज
12.	,, रत्नाराम	224/2सी-1	गुणावती रेन्ज
13.	,, फतेह मोहम्मद	224/2सी	गुणावती रेन्ज
14.	,, नवरत्न लाल	37	मकराना कुमारी
15.	,, जुम्मा	35	चक डूंगरी रेन्ज
16.	,, हाफीज रहीम बक्स	42	,, ,,
17.	,, किस्तुराराम	53	,, ,,
18.	,, हुकमाराम	44	,, ,,
19.	,, मोहम्मद आमीन	45	,, ,,
20.	,, लियाकत अली वगैरहा	42/ए	,, ,,
21.	,, शौकत अली	42/बी	,, ,,

1	2	3	4
22.	श्री मोहम्मद उमर	42/सी	चकडूंगरी रेन्ज
23.	,, नथमल	42/डी	,, ,,
24.	,, रूपाराम	42/इ	,, ,,
25.	,, बारूराम	42/एच	,, ,,
26.	,, रामबक्ष	42/ग्राइ	,, ,,
27.	,, मेहराम पुत्र हरदीन राम	244/ए	,, ,,

सहायक खनि ग्रभियन्ता,
मकराना

नई खानें चाहने हेतु लम्बित ग्रावेदन पत्रों की सूची

क्र.सं.	ग्रावेदन तिथि	ग्रावेदक का नाम	ग्रावेदित क्षेत्र का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	13.1 84	श्री समुन्द्री सिंह	कालानाडा रेन्ज	नई खान चाहने हेतु
2.	2.7.85	,, मदन लाल	कालानाडा रेन्ज	,, ,, ,,
3.	5.5.88.	,, बलदेव राम	गुणावती रेन्ज	खान नं. 193/2 चाहने हेतु
4.	6.9.88	,, ग्रब्दुलरहमान चौधरी	चक डूंगरी रेन्ज	नई खान चाहने हेतु
5.	12.9.88	,, मोहम्मद शरीफ	कालानाडा रेन्ज	खान नं.59 बापी से नियमित
6.	19.9 88	,, मोहम्मद ईस्माइल वगैरहा	,, ,,	,, 58 ,,
7.	20.9,88	,, मोहम्मद ग्रली	उल्लोडी रेन्ज	,, 87/1व87/2 ,,
8.	21.9.88	,, हयात मोहम्मद	गुणावती रेन्ज	,, 159 बापी से नियमित

1	2	3	4	5
9.	22.9.88	श्री नत्थू वगैरहा	उल्लोडी	खाननं.95बापीसे नि.
10.	29.9.88	श्रीमती सुलेखा वगैरहा	उल्लोडी रेन्ज	,, 95/1 ,, ,,
11.	4.10.88	,, फ्रेंसिसेबेलफ्रेड चौधरी मार्बल	गुणावती रेन्ज	,, 164 ,, ,,
12.	5.10.88	हाफिज पीबक्ष वगैरहा	रेवतडूंगरी रेन्ज	,, 17 ,, ,,
13.	21.10.88	मेहमूद	उल्लोडी रेन्ज	,, 95/1 ,, ,,
14.	15.11.88	श्रीमति रियानानवाला	रेवतडूंगरी रेन्ज	,, 22 ,, ,,
15.	26.12.88	मै. एल.वी.एम. माईन्स	गुणावती रेन्ज	,, 165व203 ,,
16.	29.12.88	इकरामुदीन	उल्लोडी रेन्ज	,, 129/1 ,, ,,
17.	29.12.88	इरफानअली वगैरहा	गुणावती रेन्ज	,, 162 ,, ,,
18.	30.12.88	,, ,, ,,	गुणावती रेन्ज	नई खान चाहते हेतु
19.	27.7.89	बशीर अहमद	,, ,,	खानसं.142 बापी से नियमित
20.	4.9.89	मै. नोवल्टी मार्बल	गुणावती रेन्ज	,, 154 ,, ,,
21.	11.4.90	दुलाराम	कोलाडूंगरी रेन्ज	खान सं. 256 चाहने हेतु
22.	11.4.90	नियाजुदीन	उल्लोडी रेन्ज	नई खान चाहने हेतु आवेदन
23.	23.7.90	अब्दुल गफूर	कालानाडा रेन्ज	खाननं. 51 चाहने हेतु
24.	25.4.90	हाजी राहाबुदीन	उल्लोडी रेन्ज	खान नं. 10 बापी से नियमित
25.	22.2.91	ओमप्रकाश	कोलाडूंगरी रेन्ज	नई खानचाहने हेतु
26.	22.2.91	जगदीश	,, ,,	,, ,,
27.	22.2.91	छाजुसिंह	,, ,,	,, ,,
28.	23.3.91	अरविन्द कुमार	,, ,,	,, ,,
29.	19.4.91	श्रीमति कांता	चकडूगरी ,,	,, ,,
30.	18.6.91	खलिल अहमद	उल्लोडी रेन्ज	बापी 99 व 100 को नियमित

1	2	3	4	5
31.	17.7.91	कालुराम	उल्लोडी रेन्ज,,	,, 133 को नियमित करने
32.	13.9.91	नूर अहमद	पहाडकुआरेन्ज	नई खान चाहने हेतु आवेदन
33.	13.9.91	अब्दुल गफ्फार	गुणावती रेन्ज	बापीखान सं. 214 को नियमित
34.	2.1.92	कालुराम	बोरावड़कुमारी	नईखान चाहने हेतु।
35.	10.1.92	मोहम्मद हुसन	माताभर	,, ,, ,,
36.	18.10.89	ममीराम	माताभर	,, ,, ,,
37.	20.3.92	शोकतअली	गुणावता रेन्ज	खानसं. 193 चाहने हेतु।
38.	6.4.92	मोहम्मद शफी वगैरहा	गुणावती रेन्ज	खानसं. 214 बापी से नियमित
39.	13.4.92	मोहम्मद अशफाक	उल्लोडी रेन्ज	नई खान चाहने हेतु।
40.	13.4 92	गुलाम नबी	पहाड़कुआ रेन्ज	,, ,, ,,
41.	14.5.92	असगर अली	उल्लोड़ी रेन्ज	,, ,, ,,
42.	14.5.92	न्याज मोहम्मद	,, ,,	,, ,, ,,
43.	14.5.92	गणपतलाल	गुणावतीरेन्ज	,, ,, ,,
44.	22.5.92	खुर्शीद अहमद	उल्लोडी रेन्ज	,, ,, ,,
45.	11.6.92	मोहम्मद रईस वगैरहा	,, ,,	खानसं. 64/बीबापी से नियमित
46.	28.8 92	लादूसिह	कोलाडूगरी	नईखान चाहने हेतु।

सहायक खनि अभियन्ता
मकराना

खानों के चौड़ान बढ़ाने के बाबत लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

क्र.सं.	आवेदन तिथि	लाइसेन्सी का नाम	खान सं.	खान का नाम(रेंज)
1	2	3	4	5
1.	25.4.88	अब्दुल सलाम वगैरहा	224/2बी	गुणावती रेन्ज
2.	27.6.88	अब्दुल कयुम वगैरहा	113	उल्लोड़ी

1	2	3	4	5
3.	6.8.88	मोहम्मद बक्ष	87	उल्लोड़ी रेन्ज
4.	26.10.89	बाबूलाल	11/2	रेवत डूगरी रेन्ज
5.	9.11,89	मोतीचन्द	241/4ए	कोलाडूगरी रेन्ज
6.	22 2.90	मोहनलाल	218/1	गुणावती रेन्ज
7.	24.3.90	अब्दुल हमीद	12	रेवत डूगरी रेन्ज
8.	10.7.90	मोहम्मद रफीक	173/1	गुणावती रेन्ज
9.	15 7.91	मोहम्मद हसन	220	,, ,,
10.	9.3.92	रामकरण	2/5	माताभर रेन्ज
11.	13.7.92	आशाराम	241/बी	कोलाडूगरी रेन्ज
12.	13.7.92	बुगालिया मार्बल	241/सी	,, ,,
13.	31.7.92	मन्जूर अली	41/4	चक डूगरी रेन्ज
14.	17.12.90	मोहम्मद बक्ष	87	उल्लोडी रेन्ज

सीताराम
वास्ते निदेशक

ह०
सहायक खनिज अभियन्ता,
मकराना

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 का विवरण

क्रमांक	वर्ष	विभिन्न स्रोतों से आय	विभिन्न योजनाओं से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि	कुल योग
1.	88-89	46,735-28	31,195-00	77,930-28
2.	89-90	46,200-74	98,259-00	1,44,459-74
3.	90-91	1,96,940-62	1,06,228-00	3,03,168-62
	योग -	2,89,876-64	2,35,682-00	5,25,558-64

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4
	वर्ष 88-89		
1.	खुरजा	42940-00	
2.	शौचालय	12089-00	
		55029-00	(निजि आय)
	वर्ष 89-90		
1.	कूप गहरा महादेवजी सार्वजनिक	4734-24	
2.	कूप गहरा बड़ा धाणा	4734-24	
3.	कूप गहरा दौलतपुरा सार्वजनिक	4734-24	
4.	कूप गहरा रघुनाथपुरा सार्वजनिक	4734-24	

1	2	3	4
5.	खुरा कोरो के बड़ के पास	3036-00	
6.	खुरा शाह के बड़ के पास	3036-00	
7.	प्राथमिक शाला भवन दुगारी	41270-80	
8.	रास्ता दुरस्ती	11782-00	
		78061-76	

वर्ष 90-91

1.	अपूर्ण शाला भवन दुगारी	18446-00	
2.	शाला भवन दुगारी एक कमरा	11249-00	
3.	नाली निर्माण सत्यनारायणजी की मोरी तक	8950-00	
4.	नाली निर्माण मोहनलाल से बाबूलालजी की दुकान तक	9746-00	
5.	नाली निर्माण बरमुण्डागली	4505-00	
6.	रास्ता दुरस्ती	16983-00	
7.	नाली निर्माण बैरवा पाड़ा छोटा ढ़ाणा	9204-00	
8.	नाली निर्माण रघुनाथपाड़ बैरवा बाड़ा हैण्ड पम्प	5986-00	
9.	नाली निर्माण मालियों की हताई छोटा ढ़ाणा	2644-00	
10.	नाली निर्माण किशन गोपाल से मोरी तक	3987-00	
11.	नाली रैगर व बैरवा पाड़ा	5158-00	
12.	चौपाल कीरा का बड़	14433-00	

1	2	3	4
13.	चौपाल कालबेलियान कोलोनी	3510-00	
14.	चौपाल रघुनाथपुरा	1464-00	
15.	निर्माण आवासीय कोलोनी रघुनाथपुरा	2246-45	
	कुल योग	251682-21	

विकास कार्यों पर उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त वर्ष 88-89, 89-90, 90-91 में संस्थापन, स्वच्छता तथा प्रकाश की व्यवस्था स्टेशनरी, पोस्टेज तथा (कार्यालय व्यय) आदि पर 2,67,787-00 और व्यय हुआ।

-×-